राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 10] चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का सत्तावनवां दिवस [संख्या 32

सोमवार, दिनांक 10 मई, 1971

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[**यातायात, श्रम, भेड़ व ऊन, शिक्षा, सिंचाई, आयोजना, विद्युत्, आबकारी, पंचायत, यातायात, वन, खाद्य, भाषा, चिकित्सा विभाग**]

श्री अध्यक्ष : श्री विद्यासागर

जयपुर-उदयपुर मार्ग पर निगम की बसें

681. श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा-सु.): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से उदयपुर तक राज्य पथ परिवहन की बसें चलाने का निर्णय सरकार ने किया है? यदि हां, तो कितनी बसें जयपुर से उदयपुर तक चलेंगी और कब तक?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर डिवीजन के काफी व्यक्ति जयपुर में सरकारी मुलाजिम हैं और बहुत से व्यक्तियों का यहां आवागमन रहता है?

(3) क्या सरकार जनता की सुविधाओं को ध्यान में रख कर जयपुर से उदयपुर के लिये रात्रि बसें भी चलाने का विचार रखती है?

उप-मंत्री, यातायात (श्री समरथलाल): (1) जी हां। निगम ने जयपुर से उदयपुर तक राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलाने का निर्णय किया है। निगम ने 5 वाहनों के अनुज्ञा-पत्र हेतु प्रार्थना-पत्र राज्य परिवहन प्राधिकरण को पेश कर रखे हैं। परमिट प्राप्त होने पर ये गाड़ियां चलाई जा सकेंगी।

(2) जी हां।

(3) जी हां, निगम ने इस मार्ग पर रात्रि बस के लिए परमिट प्रार्थना-पत्र पेश कर रखे हैं। परमिट मिलते ही सेवायें चालू कर दी जायेंगी।

श्री विद्यासागर : यह कब तक बसें चालू कर दी जायेंगी?

श्री समरथलाल : यह एस. टी.ए. के यहां विचाराधीन है। अभी दो तीन दिन में ही इस मामले को लिया जा रहा है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, हम लोग भेड़ बकरियों की तरह जाते हैं और आप कहते हैं कि प्रार्थना-पत्र दे रखे हैं, तो यह प्रार्थना-पत्र कब तक स्वीकार होंगे ? आप कृपा करके इसके लिये निश्चित उत्तर दीजिये और हम लोगों की मुसीबतों को समझिये कि हम कितनी तकलीफ पा रहे हैं। यह कब तक प्रार्थना-पत्र मन्जूर होने की आशा है ?

श्री समरथलाल : माननीय अध्यक्ष जी निगम ने 8-4-70 को प्रार्थना-पत्र दिया है और अब जल्दी ही निर्णय होगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : 8-4-70 को दिया और अभी तक मन्जूर नहीं हुआ ?

श्री समरथलाल : प्रार्थना-पत्र दिया है परमिट लेने के लिए।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या 682

श्री नाथूराम !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मेघराज पंवार !

शीयरिंग शेड्स की योजना

683. श्री मेघराज पंवार (चूरू) : क्या भेड़ व ऊन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान में तहसील स्तर पर शीयरिंग शेड्स बनाने की कोई योजना राज्य में चली थी ? यदि हां, तो इसमें कितनी कितनी धनराशि किस मद में कहां कहां खर्च की गई ?

(2) आज इस मद में खर्च किये गये धन की क्या उपयोगिता है ?

उप मंत्री, भेड़ व ऊन विभाग (श्री हरिसिंह) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दौलतराम सारण : क्या शीयरिंग शेड्स पंचायत समिति क्षेत्र में नहीं बनाये गये हैं ?

श्री हरिसिंह : आपने तहसील लेवल का पूछा है कि शीयरिंग शेड्स बनाये या नहीं।

श्री दौलतराम सारण : पंचायत समिति क्षेत्र और तहसील क्षेत्र तो करीब करीब एक ही है।

श्री हरिसिंह : यह एक्सटेन्शन सेन्टर्स जितने हैं उनके साथ अटैच हैं। कुल 54 शीयरिंग शेड्स हैं और जो एक्सटेन्शन सेन्टर्स हैं उन्हीं से वह अटैच हैं।

श्री दौलतराम सारण : क्या जिस काम के लिए ये शीयरिंग शेड्स बनाये गये हैं वह उसी काम में आ रहे हैं ?

श्री हरिसिंह : जी हां।

श्री दौलतराम सारण : क्या आपको जानकारी है कि बहुत से शीयरिंग शेड्स के दरवाजे, खिड़की और टिन्स उतार कर लोगों ने बेच दी हैं ?

श्री हरिसिंह : जिसके लिए काम में आ रहे हैं उसके लिए अलग एक्सटेन्शन एक्टिविटीज के काम में आ रहे हैं और शीयरिंग के लिए काम में आ रहे हैं। तो इस तरह से मल्टी-परपज काम दे रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि तारानगर के पास जो शीयरिंग शेड है उसकी टिनें, चौखट और दरवाजे उतार कर सब बेच दिये गये हैं ?

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जब माननीय सदस्य कह ही रहे हैं तो यह सही हो सकता है।

श्री दौलतराम सारण : क्या रतनगढ़ के पास भी शीयरिंग शेड्स की यही हालत है ?

श्री हरिसिंह : आपने जो प्रश्न पूछा उसमें यह नहीं पूछा है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि इसी प्रकार अन्य शेड्स की भी यही हालत है ?

श्री हरिसिंह : अधिकांश का तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन जहां तक इसकी....

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर लगाया रुपया बेकार जा रहा है, मकान बनाकर छोड़ दिये गये हैं और वह बेकार पड़े हैं। उनमें से अधिकांश गिर गये हैं और उनके टिन्स, दरवाजे, चौखट सब लोग उठाकर ले गये हैं और मकान खराब हालत में पड़े हैं।

श्री मेघराज पंवार : क्या यह सही है कि चूरू जिले में जितने भी शीयरिंग शेड्स बनाये गये हैं आज तक एक की भी मरम्मत का काम नहीं हुआ है ?

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उसका मैंने उत्तर दे दिया है। अब रहा सवाल कि रिपेयर्स हुई या नहीं, अगर यह प्रश्न माननीय सदस्य प्रश्न में ही पूछते तो मैं उसका उत्तर दे सकता था।

श्री दौलतराम सारण : जिस काम के लिये बनाये गये हैं उनको एक दिन भी उस काम में नहीं लाया गया है और उसके अलावा और भी किसी काम में नहीं लाया गया है और वह बेकार पड़े हैं और जैसा मैंने बताया वही स्थिति है और राज्य सरकार देखती तक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इसकी जानकारी अलग से करली जायेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार इसकी देखभाल करके....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री फतेहसिंह।

शोधकार्य के लिये छात्रवृत्ति

684. **श्री फतेहसिंह** (ब्यावर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों को शोध छात्रवृत्तियां देती है ? यदि हां, तो इस समय कितने छात्रों को, छात्रवृत्तियां मिल रही हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के सर्वश्री ओमप्रकाश जाट, राधाकिशन और गोपालसिंह राजावत तथा कुमारी सक्सेना को वर्ष 1968-69 और 1969-70 में शोध छात्रवृत्तियां मिली थीं ?

(श्री फतेहसिंह)

(3) क्या चालू वर्ष 1970-71 में उपरोक्त छात्रों की छात्रवृत्तियों का रिन्यूअल किया गया ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(4) क्या छात्रों के विषय से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष ने भी इन छात्रों की छात्रवृत्तियों को रिन्यूअल करने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश की थी ? यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय अपने निर्णय पर पुनः विचार करके इन छात्रवृत्तियों का इस वर्ष (1970-71) के लिये नवीनीकरण के आदेश प्रदान करने की कृपा करेंगे ताकि छात्र आर्थिक कठिनाइयों से बच सकें ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह) : (1) जी हां, सत्र 1970-71 में राजस्थान विश्वविद्यालय के जिन छात्रों को शोध छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं उनको सूची संलग्न है।

(2) सर्व श्री ओमप्रकाश जाट, राधाकिशन व गोपालसिंह राजावत को वर्ष 1968-69 व 1969-70 में शोध छात्रवृत्तियां मिली थीं। जहां तक कुमारी सक्सेना को शोध छात्रवृत्तियां मिलने का प्रश्न है इसके पूरे नाम व विभाग के नाम के अभाव में सूचना देना सम्भव नहीं है।

(3) शोध छात्रवृत्ति नियमानुसार सामान्यतया दो वर्ष की अवधि के लिये ही होती है। शोध विषय एवं महत्ता को देखते हुये यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। उपरोक्त तीनों छात्रों द्वारा किये गये शोध कार्य का विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन कराने की व्यवस्था की गई है। मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इन छात्रों को तीसरे वर्ष के लिये नवीनीकरण के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा।

(4) प्रश्न के भाग (3) के उत्तर में दी गई वस्तुस्थिति के कारण प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री फतेहसिंह : क्या इन छात्रों ने भी छात्रवृत्ति के रिन्यूअल के लिए दरख्वास्त दी थी ?

श्री धीरसिंह : दो साल के लिए मिल चुकी है, तीसरे साल का सवाल है 1970-71 का और 1968-69 और 1969-70 की तो छात्रवृत्ति मिल चुकी है। रूल्स के तहत दो वर्ष के लिये ही छात्रवृत्ति मिलती है और तीसरे वर्ष के लिए तो विशेष परिस्थितियों में ही मिल सकती है और नॉर्मली तीसरे वर्ष में देते नहीं हैं।

श्री फतेहसिंह : क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि तीसरे वर्ष भी छात्रवृत्ति के एक्सटेन्शन का प्रावधान रूल्स के अन्तर्गत है ?

श्री धीरसिंह : रूल्स में प्रावधान यह है....

श्री फतेहसिंह : प्लीज रीड रूल 16।

श्री धीरसिंह : 16 में यह है....

श्री फतेहसिंह : 16 के बाद दूसरा है।

श्री धीरसिंह : एक्सप्शनल सरकमस्टान्सेज में कर सकते हैं। यह तो मैंने पहले ही बता दिया है।

श्री फतेहसिंह : क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि इन छात्रों की छात्रवृत्ति के एक्सटेन्शन के लिए तीसरे वर्ष के लिए भी इनके सम्बन्धित हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट ने सिफारिश की थी ?

श्री धीरसिंह : सिफारिश वह करें और वह स्वीकार करली जाये, यह जरूरी नहीं है और वह सिफारिश बाइन्डिग भी नहीं है। एक साल का एक्सटेन्शन कर सकते हैं और नहीं करें तो नहीं भी करे। और दूसरे लोग फील्ड में आते हैं उनको देना अच्छा रहता है। दो साल में नहीं कर सकते हैं रिसर्च वर्क तो फिर कैसे हो। दो साल में ही पूरा कर लेना चाहिए।

श्री फतेहसिंह : क्या सरकार इसको अनुभव नहीं करती कि दो साल तक स्कॉलरशिप दी है और अगर वह अपनी रिसर्च इस दो साल में पूरी नहीं कर सकता है और फिर उनका हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट सिफारिश करता है तो उसके प्रार्थना-पत्र पर भी गौर किया जाना चाहिए नहीं तो जो पैसा दिया गया है स्कॉलरशिप का वह यों ही बेकार जायेगा।

श्री धीरसिंह : यह तो डिस्क्रिशन एप्लाई करने की बात है। थर्ड ईयर के एक्सटेन्शन वाली बात आती है तो सारे ही प्रोस एण्ड कोन्स देखकर डिसीजन लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री शंकरलाल।

पाली जिले में एनीकट के अधूरे कार्य

685. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले की रायपुर तहसील में सोडपुरा, केसरपुरा, चांग, रेलड़ा, कालादांता, चर की जाल, रामावास, आम्बा, बैलपना के एनीकट व जैतारण तहसील के गांव सेवरीया का मसानीया वाला एनीकट गत फेमिन के अधूरे पड़े हैं ?

(2) क्या यह सही है कि पाली जिले में रूरल वर्क्स प्रोग्राम के तहत फेमिन के अन्तर्गत सिंचाई के अधूरे कार्य पूरे करने की घोषणा सरकार ने कर रखी है ? यदि हां, तो इन अधूरे कार्यों को पूरा कराने हेतु कार्य कब तक चालू कर दिया जायेगा ताकि वर्षा ऋतु के पूर्व कार्य पूरे कराये जा सकें ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) : (1) जी हां, पाली जिले की रायपुर तहसील में सोड़पुरा, केसरपुरा, रेलड़ा, कालादांता, रामावास, अम्बा के एनीकट तथा जैतारण तहसील के गांव सेवरीया का मसानिया वाला एनीकट गत अकाल राहत के अधूरे पड़े हैं, परन्तु चांग, चर की जाल और बैलपना पर कार्य इस विभाग द्वारा नहीं करवाया गया था।

(2) जी हां, ये सभी पंचायत के छोटे छोटे तालाब हैं तथा इन्हें पंचायत समितियों द्वारा ही पूरा करवाया जा सकेगा।

श्री शंकरलाल : मैंने यह पूछा है कि जो फेमिन में कराये गये थे और आप कहते हैं कि विभाग द्वारा नहीं करवाये गये हैं— इसी विभाग के अधिकारियों ने करवाये थे और रूरल प्रोग्राम के अन्तर्गत ही डिपार्टमेन्ट लेता है तो इन अधूरे कामों को आप क्यों नहीं लेते हैं ?

Page No 6

श्री जसराज : जैसा मैंने जवाब दिया कि कुछ कार्य तो इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट द्वारा कराये गये हैं और कुछ पंचायत समितियों द्वारा कराये गये हैं और जहां तक अधूरे कार्यों को पूरा कराने का सवाल है उसमें 24 कामों की लिस्ट ली है अब उस लिस्ट में केवल सिंचाई विभाग के तलाबों की ही लिस्ट है और जहां तक एनीकट्स का सवाल है उसको टेक्नीकली एग्जामिन किया जा रहा है और 7 तारीख को एक्सपर्ट्स की कमेटी की मीटिंग हुई थी और उन्होंने रिपोर्ट दी है, उसके बाद मास्टर प्लान तैयार करके जो नेक्स्ट मीटिंग एडवाइजरी कमेटी की होगी उसमें रख दिया जायेगा और आवश्यक हुआ तो इस कार्य को भी ले लिया जायेगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन : क्या यह सही है कि यह जो एनीकट्स बनाए जा रहे हैं ये लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों पर बनाए जा रहे हैं ?

श्री जसराज : वैसे तो यह अलग से प्रश्न है परन्तु मुझे जहां तक एनटीकट्स का सवाल, ये लूनी और सहायक नदियों पर बनाए जा रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तो क्या यह सही है कि मोतीराम कमेटी का गठन किया गया है उसकी रिपोर्ट नहीं आए तब तक कोई काम नहीं लिया जाए····

श्री जसराज : इसलिए कहा कि टेक्नीकल जांच की जा रही है। कहीं इन्टर-सेप्शन्स तो नहीं और कोई आपत्तियां तो नहीं हैं, उसके बाद कुछ खयाल किया जा सकता है।

श्री शंकरलाल : ये एनटीकट्स अकाल में लगाए गए और अधूरे पड़े हैं और अगर बरसात ऋतु से पहले नहीं किया गया तो जितना पैसा लगाया गया है, वह बेकार जायगा। यह सब टेक्नीकली एग्जामिन्ड है और उसमें कोई इग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ फैसले की जरूरत है जो रूरल वर्क्स में दिए हुए हैं····

श्री वृद्धिचन्द जैन : ये जो एनीकट्स बनाए जा रहे हैं लूनी नदी और सहायक नदियों पर बनाये जा रहे हैं, इसलिए बाड़मेर और जालौर जिलों का नुकसान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, ···

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा सवाल पूछ लिया है।

श्री शंकरलाल : बरसात से पहले नही किया गया तो सारा पैसा बेकार जाएगा, टेक्नीकली एग्जामिन्ड है विभाग के द्वारा, इसको पूरा कराने के लिए····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनी सड़कें

686. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले वर्षों में अकाल राहत कार्यों द्वारा बनाई हुई अधूरी सड़कों को जिला जालोर में पूरा करने के बारे में सरकार की क्या योजना है ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(2) 75 प्रतिशत से ज्यादा कार्य की हुई जिला जालोर की सड़कों को पूरा कराने की सरकार की क्या कोई योजना है ? अगर हां तो क्या ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) अकाल राहत कार्यों द्वारा बनी हुई सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार की योजना क्या है ? अगर कोई योजना अब तक नहीं है तो नई योजना कब तक बना कर लागू कर दी जावेगी ?

(4) ऐसी सड़कों की मरम्मत के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या खर्चा किया गया है ? भविष्य में सालाना कितना खर्चा करने का सरकार विचार रखती है ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): यह रिलीफ वर्क्स से सम्बन्धित है, इसलिए रिलीफ विभाग को ट्रांस्फर किया गया है।

प्रश्न सं. 687

श्री अध्यक्ष : श्री रूपसिंह ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री फूलचन्द बाफणा !

फालना में बिजली के बिलों के भुगतान की व्यवस्था

688. **श्री फूलचन्द बाफणा** (सुमेरपुर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दूर दूर गांवों से उपभोक्ताओं को विद्युत् बिल भरने को पहले कभी भी फालना नहीं बुलाया जाता था परन्तु जब से अधिशासी अभियन्ता श्री सत्यमूर्ति फालना में आये हैं तब से सभी गांवों के उपभोक्ताओं को दूर दूर के गांवों से छोटी 2 रकमें (बिलों की) भरने को फालना 16 से 20 मील की यात्रा कर बुलाया जाने लगा है ? यदि हां, तो यह किस आदेश के अन्तर्गत किया जाने लगा है ? उस आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की पटल पर रखी जावे ।

(2) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता को उनके सहायक अभियन्ता आदि सहयोग नहीं देते हैं इसी कारण फालना कार्यालय में अव्यवस्था बढ़ी है व बढ़ती जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि विद्युत् मंडल फालना के सहायक अभियन्ता श्री के. एल. नारंग ने एक आदेश बिना नम्बर व तारीख का जारी करके उपभोक्ताओं को मार्च, 1971 के बिलों की रकमें तारीख 12-4-71 तक फालना पहुंच कर भरने को लिखा है ? यदि हां, तो उस आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे ।

उप मन्त्री, विद्युत् (श्री माधोसिंह) : (1) जी हां । जी नहीं । मार्च, 1971 के बिल उपभोक्ताओं को समय पर नहीं भेजे जा सके । इस कारण से उनके बिलों की भुगतान की तिथि बढ़ा कर विशेष आदेश दिए गए कि भुगतान फालना में किया जावे लेकिन फिर भी कई स्थानों पर ड्यू-डेट से पहले कैशियर भेजा गया । बिलों की राशि लेने का निश्चित स्थानों पर कैशियर भेज कर वही पुराना तारीका आगे भी चालू रहेगा । मार्च के बिलों के लिए जो आदेश निकाले गए उस की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(श्री माधोसिंह)

(2) ऐसी कोई विशेष स्थिति नहीं है और भी जानकारी की जायगी।

(3) आदेश अवश्य निकाले थे जिसमें नम्बर व तारीख अंकित थी। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री फूलचन्द बाफणा : फालना से 16-16, 20-20 मील दूर उपभोक्ता बिल का भुगतान करने फालना आते हैं दो-दो ढाई-ढाई रुपये खर्च करके, क्या यह उचित है ?

श्री माधोसिंह भेंसवाड़ा : यह उचित नहीं है। इसके लिए आदेश भेज दिए गए हैं। परन्तु उसके बावजूद भी जगह जगह कैशियर्स भेजे गये थे और उन्होंने कई जगह पैसा इकट्ठा किया। इसका खास कारण यह था कि चुनाव के समय विद्युत् विभाग के कर्मचारी चुनाव काम में लगे हुए थे और उनको बाद में बिल बनाने पड़े। अधिशासी अभियन्ता ने जगह जगह कैशियर्स भेज दिए थे, भविष्य में ऐसा नहीं किया जायगा।

श्री फूलचन्द बाफणा : प्रश्न यह नहीं है कि किस कारण से देरी हुई। वह तो हो सकता है, परन्तु खास बात है कि वे देरी से गांवों में पहुंच सकते थे और कैश ले सकते थे। देरी का मतलब यह थोड़े ही है कि उनको फालना बुलायें 16-16 मील दूर से ?

श्री माधोसिंह भेंसवाड़ा : ड्यू-डेट से पहले आ सकते थे। फालना में उनको जो कन्सेशन मिल सकता था उसका लाभ उठा सकते थे।

श्री फूलचन्द बाफणा : कन्सेशन तो तीन-तीन पैसे होता है और उनके आने जाने में ढाई-ढाई रुपये खर्च होते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : फालना सर्कल में जालोर के कुछ गांव उस सब डिवीजन में दे रखे हैं और वहां के लोगों को फालना जाना पड़ता है, उनको दिक्कत होती है।

श्री माधोसिंह भेंसवाड़ा : दिक्कत दूर की जायगी और तुरन्त जालोर का हलका जालोर A. E. N. को दे दिया जायगा।

श्री फूलचन्द बाफणा : क्या आप आश्वासन देंगे कि लोगों को तंग नहीं किया जायगा और वहां पर कैशियर भेजेंगे ?

श्री माधोसिंह भेंसवाड़ा : आइन्दा के लिए हमने ऐसा कर लिया है कि जगह जगह कैशियर जाकर पैसा लेगा, आइन्दा उपभोक्ताओं को फालना नहीं बुलायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

देशी शराब के ठेकेदारों पर बकाया

689. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1969-70 व 1970-71 की देशी शराब की कुल कितनी बकाया ठेकेदारों में है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने यह बकाया राशि माफ कर दी है ? यदि हां तो कुल कितनी राशि माफ कर दी गई और किन कारणों से ?

Page No 9

(श्री दिग्विजयसिंह)

(3) क्या यह सही है कि टोंक जिले के कई ठेकेदारों में अभी राशि बकाया निकल रही है? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से ठेकेदार हैं और कितनी राशि वसूल होनी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि टोंक जिले के ठेकेदारों की बकाया राशि माफ करने के आदेश दे दिए गए हैं? यदि नहीं, तो वसूली क्यों नहीं की जा रही है?

उप मन्त्री, आबकारी (श्री शिवचरणसिंह): (1) वर्ष 1969-70 की देशी मदिरा की बकाया राशि 29,26,373.94 रुपये थी। इसकी नामवार सूची "क" संलग्न है। वर्ष 1970-71 से सम्बन्धित लेखे अभी पूर्ण नहीं होने के कारण इस वर्ष की सूचना अभी प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) सूची "क" में इसका विवरण है।

(4) जी नहीं। वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दिग्विजयसिंह: आपने मेरे प्रश्न 2 के उत्तर में कहा कि 'जी हां'। तो यह जो दो सालों की बकाया थी वह माफ कर दी?

श्री शिवचरणसिंह: यह अलग से प्रश्न है।

श्री दिग्विजयसिंह: इसी से सम्बन्धित है। मैंने कहा है वर्ष 1969-70 व 1970-71 की बकाया माफ कर दी है? दोनों वर्षों की माफ की है या एक साल की?

श्री शिवचरणसिंह: कोई बकाया माफ नहीं की गई।

श्री दिग्विजयसिंह: आपने 'जी हां' कहा है।

श्री शिवचरणसिंह: मैंने 'जी नहीं' कहा है।

श्री भैरोंसिंह: यह दो साल की बकाया अकाउण्ट फार क्यों नहीं हो पा रही है?

श्री शिवचरणसिंह: क्योंकि जून में लेखे फाइनल होते हैं इसलिए उसके पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, केवल जयपुर जिले के उपलब्ध हैं। सूची में संलग्न कर दिया है। बाकी जिलों की सूचना नहीं आई है। इसलिए आपके समक्ष पेश नहीं किए जा सकते।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह माना जाए कि बजट के जो फिगर्स रिफ्लेक्ट करते हैं उससे यह आभास नहीं मिलता है कि कितनी इस विभाग की बकाया रह गई?

श्री मथुरादास माथुर: एस्टीमेटेड होते हैं।

श्री भैरोंसिंह: एक्चुअल्स होंगे?

श्री मथुरादास माथुर: इस समय नहीं है।

Page No 10

श्री भैरोंसिंह : एस्टीमेटेड बता दीजिए।

श्री मथुरादास माथुर : वर्क आउट करना होगा। एक्चुअल्स और एस्टीमेटेड मेल नहीं खाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कुल बकाया इस समय 56 लाख है ?

श्री मथुरादास माथुर : टोटल आज तक ?

श्री भैरोंसिंह : हां।

श्री शिवचरणसिंह : 1969-70 की बकाया 29,26,373.92 है।

श्री भैरोंसिंह : वह तो 1969-70 की बकाया 1970-71 में रिकवरी है।

श्री शिवचरणसिंह : कुछ केसेज पी. डी. आर. में हैं।

श्री भैरोंसिंह : 1969-70 की बकाया आपने 29 लाख बताई। क्या माना जाए कि इसमें से 1970-71 में कोई वसूली नहीं हुई है ?

श्री शिवचरणसिंह : नहीं, वसूली हुई है। कुछ केसेज पी. डी. आर. में दिए हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : बकाया वसूल तो हो गई ?

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न बकाया का है। अगर कुछ बकाया वसूल हुई है तो माइनस करके बताना चाहिए।

श्री शिवचरणसिंह : माननीय सदस्य जो प्रश्न कर रहे हैं वह दूसरा है। वह पूछ रहे हैं कि इसमें वसूली कितनी हुई है, यह प्रश्न पूछते तो जानकारी देता।

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि बकाया कितनी है और क्या इस बकाया में से वसूली हुई है ? बकाया का आंकड़ा बताइए ?

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न यह है कि 1969-70 में कितनी बकाया थी। मैं जानना चाहता हूं कि 1969-70 वर्ष के पहले की जो बकाया की फिगर्स हैं वह 1969-70 में रिफ्लेक्ट होती हैं या नहीं।

श्री शिवचरणसिंह : नहीं, यह बकाया केवल 1969-70 की है।

श्री दिग्विजयसिंह : 1969-70 की जो बकाया है इसके अन्दर भी कुछ वसूली हुई है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : आपने प्रश्न पूछा है कि 1969-70 की वसूली कितनी वसूल हो गई।

श्री भैरोंसिंह : आज डिमांड्स हैं, इस पर हम बहस नहीं करना चाहते तो कम से कम सरकार एस्टीमेटेड अमाउंट तो बता दे कि इतनी बकाया वसूल हुई है।

श्री मथुरादास माथुर : डिबेट में बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : डिबेट से पहले बताइए।

श्री मथुरादास माथुर : यह सवाल आपने इस प्रश्न में नहीं पूछा है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी !

Page No 11

श्री भैरोंसिंह : एक्चुअल्स महत्वपूर्ण हैं। 1969-70 में बकाया कितनी है, कैसे पता लगेगा ?

श्री अध्यक्ष : कह दिया कि आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : एस्टीमेटेड बता दें; एक्चुअल्स नहीं बतायें।

श्री अध्यक्ष : तब तक इस प्रश्न को रख दूं।

श्री भैरोंसिंह : आप थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दें।

श्री शिवचरणसिंह : जयपुर जिला....

श्री भैरोंसिंह : जयपुर ज़िले का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : थोड़ी देर के लिए इसको रखता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री मोहनलाल मोदी : पहले मेरा प्रश्न है।

रायपुर बांध

690. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीम-का थाना) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नीम का थाना तहसील में रायपुर बांध का निर्माण कौन सी साल में प्रारम्भ हुआ एवं कब, इसका निर्माण प्रारम्भ होकर सिंचाई का उपयोग होने लगा ?

(2) रायपुर बांध के सर्वेक्षण के समय कौन कौन सी ढाणियां बांध की डूब में आने व वहां पर लोगों का रहना दुश्वार होने सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार हुई थी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बान्ध में ढाणी लाम्बी, ढाणी गोविन्दा वाली, ढाणी बड़ा बांध व ढाणी भारूवाली की डूब में आने व वर्षा के समय मकानात बेकार होने के कारण सरकार द्वारा मुआवजा निश्चित कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस किस ढाणी का कितना कितना व कब तय किया गया ? सूची सदन के समक्ष प्रस्तुत करें।

(4) क्या ढाणी गोविन्दा वाली के काश्तकारान अपने सारे मकानात छोड़ कर दूसरे स्थान पर चले गये हैं ?

(5) क्या उक्त ढाणियों के सम्बन्धित काश्तकारों को मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(6) क्या सरकार स्वीकृत मुआवजा अब शीघ्र वितरण करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक वितरण होने की आशा है ?

उप मन्त्री, सिंचाई (श्री जसराज) : (1) बांध का निर्माण कार्य 1962-63 में प्रारम्भ किया गया व सिंचाई का उपयोग 1968-69 में होने लगा।

(2) सूची संलग्न है।

(3) ढाणी लाम्बा, ढाणी गोविन्दा वाली, ढाणी बड़ा बांध व बाहरवाली ढाणी के जितने कुए व जमीन डूब में आती है उसका मुआवजा दे दिया गया है। केवल

(श्री जसराज)
गोविन्दा वाली ढाणी के चार पांच मकान डूब में आते हैं जिसका मुआवजा लगभग 3620 रु. बनता है, देना बाकी है क्योंकि काश्तकार लेने को तैयार नहीं हैं।

(4) जी हां।

(5) केवल 4-5 मकान ही डूब में आते हैं तथा ग्रामवासी सब मकानों का मुआवजा चाहते हैं। इसलिये केवल मकानों के मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ।

(6) जो मकान डूब में आते हैं उनका मुआवजा निवासियों के चाहने पर शीघ्र कर दिया जा सकता है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री मोहनलाल मोदी : आपने यह बताया कि तीन चार मकानात डूब में आते हैं। क्या ढाणी पर उसका असर पड़ता है? तीन चार मकान डूब में आते हैं तो क्या आस पास के मकान काम में आ सकेंगे ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह नहीं डूबेंगे।

श्री जसराज : तीन चार मकान डूब में आते हैं, आस पास के मकानों में थोड़ा बहुत पानी, अगर अच्छी बरसात हो, भर जाता है, उनमे मच्छर भर जाते हैं और वह रहने लायक नहीं है। सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता—तीनों को कहा गया है कि मौके की जांच कर लें। जो रिपोर्ट होगी, उसके ऊपर तय कर लिया जाय।

श्री मोहनलाल मोदी : मामला यह नहीं है। मामला यह है कि मुआवजा इस ढाणी का तय हो गया था, सारी ढाणी का मुआवजा तय कर लिया, लेकिन मुआवजा एक्स. ई. एन. ने उन लोगों को तकसीम नहीं किया, और उनसे पैसा मांगा गया, पैसा नहीं दिया तो यह लिख कर भेज दिया कि यह डूब में नहीं आते हैं। यह झगड़ा चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा मामला है क्या ?

श्री जसराज : मुझे ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : इनका इशारा था, अध्यक्ष महोदय, इनका इशारा था।

श्री जसराज : सदस्य महोदय जो इस प्रकार की सूचना दे रहे हैं, इसकी जांच करा ली जायगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री मोहनलाल मोदी : मुआवजा कब तक दिला दिया जायगा, आप इस सम्बन्ध में आश्वासन दीजिये। आप मानते हैं कि तीन चार मकान डूब में आते हैं, बाकी के लोग वहां रह नहीं सकते हैं तो मुआवजा कब तक दिला देंगे ?

श्री जसराज : आप तीनों की रिपोर्ट आ जाने के बाद उस पर विचार करके शीघ्रातिशीघ्र तय कर दिया जायगा।

प्रश्न संख्या 691

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 692

श्री रामसिंह कुड़ी !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 693

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 694

श्री परसराम गंगाराम !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 695

श्री रामनारायण चौधरी !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 696

श्री जयनारायण सालोदिया !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल !

सतर्कता दल द्वारा जांच

697. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर स्टेट डेजर्ट डवलपमेंट प्रोजेक्ट में घास का बीज एकत्रित कराने के सम्बन्ध में सतर्कता दल वन विभाग ने जांच की थी ? अगर हां, तो किस रिपोर्ट पर ?

(2) क्या यह सही है कि वह रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है ? अगर हां, तो प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) सन् 1970-71 में उपरोक्त प्रोजेक्ट के लिये कितना बजट था ?

(4) उपरोक्त बजट की रकम किस माह में रिलीज की गई है ? कृपया वर्किंग साइट के लिये एलॉटेड राशि का विस्तृत विवरण देने का कष्ट करें।

वन मंत्री (राव श्री नारायणसिंह) : (1) जी हां। राज्य सरकार के आदेशानुसार।

(2) जी हां।

(3) 34.90 लाख रुपये।

(4) जुलाई, 1970 में रकम स्वीकृत (रिलीज) हुई। वर्किंग साइट के लिये निम्नानुसार रकम आवंटित की गई :

1.	श्रमिक सुविधाएं	15,000
2.	भवन निर्माण	58,000
3.	पौधशालाओं का सृजन	1,60,000
4.	पहाड़ियों पर स्थित वनों का पुनरुद्धार	7,20,000
5.	चारण विकास	3,00,000
6.	चरागाह भूमि सुधार	5,58,000
7.	क्षरीय भूमि पुनरवायन	3,00,000
8.	वायु प्रतिरोधक वृक्षारोपण	2,50,000
9.	फोडर बैंक की स्थापना	75,000
	कुल योग	26,36,000
10.	अन्य कार्यालय व्यय तथा स्टाफ	8,54,000
	कुल योग	34,90,000

Page No 14

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसकी, सतर्कता दल ने जांच की है, उसकी रिपोर्ट मैंने सदन की मेज पर मांगी थी, वह नहीं मिली है।

राव श्री नारायणसिंह : इस प्रकार के डाकूमेंट सदन की मेज पर नहीं रखे जाते हैं। मैं निवेदन करूं कि सतर्कता दल ने·······

श्री कृष्णकुमार गोयल : आवाज नहीं आ रही है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आवाज दब रही है।

राव श्री नारायणसिंह : सतर्कता दल ने जांच की उसके अनुसार 61873 क्विन्टल घास का बीज मिला, घास का बीज एकत्रित वहां हुआ, वह 1.25 पर किलोग्राम से खरीदना उचित समझा। वैसे मैं यह भी बता दूं कि (अश्रव्य) तीन रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से मांगा गया था (अश्रव्य) उस हिसाब से 1.25 पर लिया गया पाया गया, वह दुरुस्त था। उसके अलावा आन्ध्र प्रदेश से और मध्य प्रदेश और शीप एण्ड वूल, राजस्थान की तरफ से जो ऑफर आई है वह 8 रुपया प्रति किलोग्राम है। इन प्रश्नों को देखते हुए जांच दल ने इसको ठीक बताया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : राज्य सरकार ने घास के बीज की खरीद के सम्बन्ध में जांच का आदेश दिया था, वह किस शिकायत पर दिया था और कहां से वह शिकायत प्राप्त हुई थी?

राव श्री नारायणसिंह : मेरे पास शिकायत आई थी, मैंने इनीसियेट किया था कि इसकी जांच कराई जाय। उस जांच का परिणाम यह हुआ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्न के खण्ड चार के अन्दर आपने डिटेल्स दिये हैं। मैंने प्रश्न पूछा था, वर्किंग साइट्स का। आपने उत्तर दिया है, इस योजना पर यह खर्च हुआ, इस योजना पर यह खर्च हुआ। यह स्कीम हैं, स्कीम अलग अलग मौजूद हैं, 9 स्कीम हैं और दसवां स्टाफ का है। लेकिन 9 स्कीम के लिए वर्किंग साइट कौनसी थी। श्रमिक सुविधायें, भवन निर्माण, पौधशालाओं का सृजन--यह स्कीम हैं, जिन स्कीमों के लिए एलोकेशन किया है, इनकी डिफरेन्ट वर्किंग साइट कौन कौनसी थी?

राव श्री नारायणसिंह : बाड़मेर डेजर्ट डवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 34·······

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: स्कीम तो ठीक है।

राव श्री नारायणसिंह : 34.90 लाख रुपये की सेंक्शन की, यहां से प्लान बना था, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने सेंक्शन 32 लाख की की। पहले प्रोग्राम जमा दिया था, वह 34.90 लाख के हिसाब से जमा दिया था, और यह टार्जेट फिक्स किया था····

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरे खयाल में मैं अपने आपको स्पष्ट नहीं कर पाया····

राव श्री नारायणसिंह : मैं सारा निवेदन कर दूं आपको। इसमें आप चाहते हैं कि फिजिकल टार्जेट की····

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपका उत्तर लम्बा हो गया। मैं यह नहीं पूछ रहा हूं। आपने प्रश्न चार के अन्दर डिटेल्स दिये हैं,

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
यह स्कीम है, इन डिफरेन्ट स्कीम्स के लिये रकम एलोकेट हुई थी, वह रिलीज हुई, लेकिन मैंने वर्किंग साइट के लिए पूछा है कि अमुक अमुक एरिया में काम होगा, उस पर इतना फण्ड दिया जाएगा। मैं वर्किंग साइट के लिए जानना चाहता हूं।

राव श्री नारायणसिंह : जितने हेक्टर का फिजिकल टार्जेट फिक्स हुआ था वह निवेदन कर सकता हूं :

1.	पहाड़ियों पर स्थित वनों का पुनरुद्धार	4550 हेक्टर
2.	चारण विकास	1000 हेक्टर
3.	चरागाह भूमि सुधार	2235 हेक्टर
4.	क्षरीय भूमि पुनरवायन	1640 हेक्टर

5. वायु प्रतिरोधक वृक्षारोपण में जितने किलोमीटर को पुख्ता बनाया है वह 500 किलोमीटर पक्का बनाया गया है। इसी प्रकार फोडर बैंक में तीन हजार क्विन्टल घास इकट्ठा कराया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह ठीक है आपका कहना, जितना एरिया कबर करना था वह बता दिया। मैं वर्किंग प्लान के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। जो बाद में स्कीम बनाई, इन स्कीम्स के बाद प्लान बना है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर उसमें डिफरेन्ट एरिया में अमुक अमुक कार्य इस इस जगह इतना इतना कराया जायगा—वह जानना चाहता हूं। वह लिस्ट दे दीजिये।

राव श्री नारायणसिंह : वह लिस्ट लम्बी है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सुना दीजिये।

राव श्री नारायण सिंह : सारी लिस्ट तीन चार पेजेज के अन्दर है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो पेश कर सकता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जो योजना को कार्यान्वित करने के लिए बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में वर्किंग प्लान डिफरेन्ट एरिया के लिए बनाये गये, उसके अनुसार काम नहीं हुआ है?

राव श्री नारायणसिंह : मैं निवेदन कर सकता हूं, जो कुछ फिजिकल टार्जेट फिक्स किये, वर्किंग प्लान, जैसा आप कह रहे हैं, बनाया गया, उसी के अनुसार काम हुआ है। कहीं थोड़ा बहुत डेविएशन हो सकता है, जो वस्तु स्थिति को देख कर हो सकता है, स्थानीय मांगों को देखकर हो सकता है, बाकी जहां तक जिस तरह प्लान बनाया गया था, उसी प्रकार से हुआ है। यह लिस्ट मैं दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोरधन सोनी!

श्री कृष्णकुमार गोयल : लिस्ट दे दीजिये।

मोटे अनाजों पर लाइसेन्स पद्धति

698. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने मोटे अनाजों पर लाइसेन्स पद्धति समाप्त करने के लिये राज्य सरकारों को प्रेरणा दी है, जिससे कई राज्यों ने मोटे अनाजों पर से लाइसेन्स पद्धति समाप्त कर दी है?

(श्री गोरधन सोनी)

(2) क्या राज्य सरकार राजस्थान में भी मोटे अनाजों पर लाइसेन्स पद्धति समाप्त कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) लाइसेन्स पद्धति चालू रखने से क्या लाभ हैं ?

उप मंत्री, खाद्य (श्री रामदेवसिंह) : (1) जी हां । किन किन राज्यों द्वारा मोटे अनाजों से लाइसेन्स पद्धति समाप्त की गई है यह जानकारी उपलब्ध नहीं है । इस सम्बन्ध में जानकारी हेतु कुछ राज्य सरकारों को विभाग द्वारा लिखा गया है ।

(2) जी नहीं । राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों से अकाल की स्थिति थी । अच्छी फसल एक ही वर्ष से होने से मोटे अनाजों को लाइसेन्स पद्धति से मुक्त करना राज्य सरकार उचित नहीं समझती है ।

(3) लाइसेन्स पद्धति चालू रखने से निम्नलिखित लाभ हैं :

1. व्यापारियों द्वारा खाद्यान्नों के नाजायज तरीके से संग्रह (होर्डिंग) करने पर नियंत्रण रखना ।

2. खाद्यान्नों के भावों पर होने वाली सट्टे बाजी को (स्पेकुलेशन) समाप्त करना ।

3. खाद्यान्न व्यापार का आवश्यकतानुसार उचित ढंग से संचालन करना ।

4. खाद्यान्नों के प्रचलित भावों की सूची के माध्यम से मुनाफाखोरी पर नियंत्रण रखना ।

श्री गोरधन सोनी : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार उचित नहीं समझती है कि वर्तमान में मन्दी आई है तो संग्रह करने से दूर हो सकती है । मंदे भाव पर सरकार न तो खुद खरीदती है और न ही व्यापारियों को खरीदने देती है तो फिर किसानों को किस प्रकार से राहत मिलेगी ?

श्री रामदेवसिंह : दूसरी स्टेट के मुकाबले में यहां की स्थिति और प्रकार की है । यहां पर हर तीसरे साल—दूसरे साल अकाल पड़ता रहता है । कहीं अकाल रहता है और कहीं सुकाल रहता है ।

श्री गोरधन सोनी : आप लाइसेन्स पद्धति को क्यों नहीं समाप्त कर देते हैं ? इससे न तो कोई बैच सकता है और न ही स्टाक कर सकता है । भावों की व्यापारी को लिस्ट लगानी पड़ती है । राज्य सरकार मंदी नहीं रोक सकती है ।

श्री अध्यक्ष : समझ गये हैं, मंत्री महोदय ।

श्री रामदेवसिंह : जिसको धन्धा करना है वह ले लें ।

श्री गोरधन सोनी : अध्यक्ष महोदय, भावों की लिस्ट रखने से नियन्त्रित होते हैं यह सरकार कहती है लेकिन इससे नियन्त्रित नहीं होते हैं । इसमें गड़बड़ी ज्यादा होने के चान्स रहते हैं । इन्स्पेक्टर लोग चालान कर देते हैं । इसकी क्या उपयोगिता है ? क्या लाभ है ?

श्री अध्यक्ष : क्या लाभ मिलने वाला है ?

श्री रामदेवसिंह : राजस्थान की परिस्थिति भिन्न है । राज्य सरकार लोग

(श्री रामदेवसिंह)
रेन्ज पॉलिसी बनाती है और उसी के अनुसार लाइसेन्स देती है।

श्री गोरधन सोनी : पश्चिमी बंगाल में रद्द कर दिया है। मैसूर, गुजरात और दूसरी स्टेट में भी इस व्यवस्था को हटा दिया है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

प्रश्न सं. 699

श्री रावतराम !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 700

श्री केदारनाथ !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गोरधन सोनी : एक क्वेश्चन और....

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ले लिया है। नो, नो।

श्री हरजीराम बुरड़क।

सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को वेतन

701. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाड़नूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सहायता प्राप्त संस्थाओं में कर्मचारियों पर सेवा नियम शिक्षा विभाग के ही लागू होते हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार से सहायता प्राप्त करके संस्थाओं के कर्मचारियों को वेतन देते हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान नहीं होता और उनके पैसे काट लिये जाते हैं?

(4) क्या सरकार यह उचित समझती है कि सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को सरकार अपने खजाने व बैंकों के द्वारा तनख्वाह का भुगतान कराया जावे या विभागीय अधिकारियों द्वारा तनख्वाह वितरित की जावे और संस्थाओं से उनके हिस्से की राशि जमा करवाली जावे? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

(5) क्या दूसरी किसी राज्य सरकार ने ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई है? यदि हां, तो कौन सी राज्य सरकारों ने?

(6) क्या यह भी सत्य है कि शिक्षण संस्थाओं के संचालकों द्वारा कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं दिये जाने के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) जी नहीं। सहायता प्राप्त संस्थाओं पर अनुदान नियम जो कि जनवरी, 1963 में राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किये गये हैं लागू होते हैं।

(2) जी हां।

(3) इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(श्री धीरसिंह)

(4) इस प्रकार की कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं गई है।

(5) राज्य सरकार की जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसा अध्यादेश जारी किया गया है।

(6) ऐसी कोई जानकारी नहीं है, फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई गयी प्रक्रिया को राजस्थान में लागू करने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री हरजीराम बुरड़क : सरकार के विचाराधीन कब से है?

राव श्री धीरसिंह : 16 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑर्डिनेन्स जारी किया है। काफी लम्बा चौड़ा है। उसको एक्जामिन कर रहे हैं। उनके ग्रान्ट-इन-एड नियम डिफरेन्ट हैं उनको देख कर इनको लागू किया जाय यह नियम कि सीधा पेमेन्ट किया जाय, सुझाव तो उचित है, लेकिन इस पर अभी विचार किया नहीं है और सरकार विचार कर रही है।

श्री दौलतराम सारण : राज्य सरकार ने सदन में आश्वासन दिया था कि सीधा पेमेन्ट करने के ऊपर विचार किया जावेगा?

राव श्री धीरसिंह : कई ऑर्गेनाइजेशन्स और मैनेजमेन्ट ने किया है। उसके अनुसार कराया जायगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ऑर्डिनेन्स निकाला है उसको देखा जा रहा है और विचार करके निर्णय लिया जायगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : 70 परसेन्ट एड देते हैं और 30 परसेन्ट मैनेजमेन्ट देकर एडजस्ट कर सकते हैं।

राव श्री धीरसिंह : उत्तर प्रदेश में दोनों बैंक में डिपाजिट कराते हैं और राजस्थान में परसेन्टेज ग्रान्ट के साथ कटता है। हम निर्णय तो ले लें और पैसा कम पड़ जाय तो दिक्कत आ सकती है इसलिये पहले सारी चीज को एग्जामिन करना पड़ेगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : 70 परसेन्ट गवर्नमेंट देगी और 30 परसेन्ट मैनेजमेन्ट तो इसमें परेशानी क्या है?

राव श्री धीरसिंह : मैनेजमेन्ट के पास कई सोर्सेज से पैसा आता है। इसमें कमी होने की पोसिबिलिटी रहती है। इसलिये इस पर उस लाइट में विचार किया जा रहा है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : 70 परसेन्ट तो तनख्वाह देते हैं और भरपायी पूरी करवाते हैं। यह बुराई तो तब ही मिटेगी जब राज्य सरकार की ओर से तनख्वाह मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 702

श्री बृजवल्लभ बोहरा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री देवीदत्त गाड़िया।

तेंदू पत्ता व गोंद का ठेका

703. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला कोटा की शाहबाद, किशनगंज, अटरू, छबड़ा, छीपाबडोद व नाहरगढ़ रेंज का तेंदू पत्ता व गोंद का ठेका

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
सन् 70-71 व 71-72 में किस किस ठेकेदार को कितने कितने रुपयों में दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त रेंजों में दोनों वर्ष में तेंदू पत्ता व गोंद के ठेके की नीलामी हुई थी ? यदि हां, तो किस अधिकारी की उपस्थिति में किस तारीख को नीलामी हुई और किस किस ठेकेदार की सबसे ऊंची बोली थी और उनसे चौथान के रूप में कितना कितना रुपया जमा करवाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ को तेंदू पत्ता व गोंद का ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो किस किस रेंज का कितने कितने रुपयों में ठेका किस आधार पर दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

वन मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) 1970-71 की सूची (क) संलग्न है। 1971-72 के ठेके अभी नीलाम नहीं हुए हैं।

(2) 1971-72 के ठेके अभी नीलाम नहीं हुए। 1970-71 की सूची (ख) संलग्न है।

(3) जी नहीं। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये।)

श्री देवीदत्त गाड़िया : 70-71 के ठेके किस तारीख को नीलाम हुए ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : सूची में अलग अलग तारीख दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : सूची पढ़ने योग्य नहीं होगी।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय के पास अच्छी आयी होगी।

श्री अध्यक्ष : मैं उनको नजर कर देता हूं प्रश्न और सूची दोनों। मन्त्री महोदय को दे दें। पढ़ने योग्य नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : शाहबाद का ठेका 53,250 में कौनसी तारीख को हुआ ? क्या यह सही है कि शाहबाद के ठेके की नीलामी प्रकाशचन्द्र भंवरलाल के नाम पर 53,250) रु. में 25-1-71 को डी. एफ. ओ. के द्वारा हुई थी ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : किसके बारे में।

श्री देवीदत्त गाड़िया : 70-71 की लिस्ट दी है। शाहबाद, छीपा बडोद, अटरू रेन्ज के ठेके की नीलामी 25 जनवरी, 1971 को हुई थी ? मेरी समझ में नहीं आता है कि यह ठेके की नीलामी 70-71 में हुई है या 71 में ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : 70 में।

श्री देवीदत्त गाड़िया : 25 जनवरी, 1971 को हुई।

श्री नारायणसिंह मसूदा : 15-12-70 को अटरू के अन्दर हुई है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं शाहबाद का पूछ रहा हूं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : पहले हुआ है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : शाहबाद का 25-1-71 को हुआ था।

श्री नारायणसिंह मसूदा : जी हां। शाहबाद का 25-1-71 को हुआ है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : 70-71 में माना है?

श्री नारायणसिंह मसूदा : 70-71 में?

श्री देवीदत्त गाड़िया : पजेशन कब दिया है?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इसकी सूचना नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : 25-1-71 को यह नीलाम हुई थी। इसके आदेश दे दिए। इस ठेकेदार का ठेका नीलाम करके सहकारी संघ को दिया गया?

श्री नारायणसिंह मसूदा : कुछ ठेके रद्द किए गए और वन सहकारी संघ को दिए। तारीख 8 मार्च को सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सी. सी. एफ. के साथ बैठकर सहकारी संघ ने यह तय किया था कि हमको मोम अथवा दूसरा ठेका दिया जाय। उनको पुरानी बोली पर तीन साल के औसत पर यह दिया गया। उसके बाद में गारंटी से उनके ठेके आगे हुए हैं कई जगहों के।

श्री अध्यक्ष: जोर से बोलें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : ठेका उठने पर रीप्रिजेन्टेशन हुआ कि हमको जो पहले मीटिंग में तय हुआ था उसके मुताबिक ठेके नहीं दिए जा रहे हैं और सोसायटी बिना काम के रह जायेगी। इस वर्ष में उनको गत वर्ष की बोली के ऊपर ठेका दिया गया है कई जगहों पर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं यह पूछ रहा हूं कि शाहबाद रेन्ज का, किशनगंज रेन्ज के लिए जिन पार्टीज ने बोली लगाई है उस सम्बन्ध में काम करने का राजस्थान सरकार ने आदेश दे दिया था क्या और क्या बाद में वन श्रमिक सहकारी समिति के रीप्रिजेन्टेशन पर आपने रद्द कर दिया?

श्री नारायणसिंह मसूदा : उनके कहने पर कुछ ठेकों को रद्द कर दिया गया जो कि दे दिए गये थे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : शाहबाद रेन्ज का ठेका किस के पास रहा।

श्री नारायणसिंह मसूदा : बिलासपुर को-ऑपरेटिव सोसायटी के पास।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह जो तेंदू पत्ते की लिस्ट मांगी है वह आपने दी है। उसमें मैंने पूछा है कि किन किन को ठेका दिया गया है और कितने कितने में? उसमें शाहबाद रेन्ज का ठेका आपने प्रकाशचन्द्र कैलाशचन्द्र को दिया बताया है और आप यहां पर बता रहे हैं कि बिलासपुर को-ऑपरेटिव सोसायटी को दिया है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : अन्त में इस ठेके को बिलासपुर सोसायटी को दिया गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह तो गोंद का ठेका है जो आपने लिस्ट के अन्दर भी बताया है कि बिलासपुर को-ऑपरेटिव सोसायटी को दिया है। मैं पूछ रहा हूं तेंदू पत्ते का और आप बता रहे हैं गोंद का।

श्री अध्यक्ष : क्या ? आप तेंदू के पत्ते को पूछ रहे हैं और यह क्या जामुन का बता रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : गोंद का बता रहे हैं। माननीय मन्त्री महोदय को जानकारी नहीं है। इसको पोस्टपोन्ड किया जाये।

प्रश्न संख्या 704

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 705

श्री हरिवल्लभ शर्मा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 706

श्री केशरीसिंह हाड़ा !

लाखेरी में नेत्र एवं शल्य चिकित्सा शिविर के लिए चन्दे से एकत्रित राशि

706. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लाखेरी में नेत्र एवं शल्य चिकित्सा शिविर कब शुरू हुआ था और कब बन्द हुआ था ?

(2) इस शिविर के लिये चन्दे से कुल कितनी राशि प्राप्त की गई और सरकार की ओर से कितनी रकम अनुदान या सहायता के रूप में दी गई थी ?

(3) क्या यह सत्य है कि शिविर की समाप्ति के बाद भी तहसील नैनवा द्वारा इस शिविर की प्रबन्ध समिति की रसीदो पर जनता से पैसा वसूल होता रहा है ? यदि नहीं तो श्री चतरसिंह पुत्र श्री रामसिंह से तहसीलदार नैनवा द्वारा रसीद नम्बर 260 से चन्दा कब लिया गया था ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा देवी) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न को स्थगित करने का निवेदन करती हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित करने का कोई प्रश्न नहीं है। यह रसीद है जो कि नेत्र चिकित्सा लाखेरी में हुई थी और वह समाप्त होने के बाद 3-6-70 को रसीद दी है पांच रुपयों की और यह रुपया वसूल किया गया है। ये इसलिये स्थगित कराना चाहती हैं और सरकार जवाब देने से बचना चाहती है और कोई कारण नहीं है। इस माफिक लूट की जा रही है और यह रसीद मेरे पास में मौजूद है।

श्री यक्ष : इसका जवाब दे दें तब रसीद दे दें। अभी तो स्थगित करने के लिये कह दिया है।

श्री विजयसिंह : इसको जानबूझ कर स्थगित कराया जा रहा है।

श्रीमती सुमित्रा : यह उत्तर एम्बीग्यूस है और मैं खुद इस उत्तर से सैटिसफाइड नहीं हूं इसलिये स्थगित करने के लिये निवेदन किया है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : किस तारीख को शुरू हुआ और किस तारीख को बन्द हुआ, यह तो बतलाने की कृपा करें ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भैरोंसिंह शेखावत।

डीजल सैट्स की खरीद

707. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशन-पोल, जयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) सन् 1969-70 व 1970-71 में सिंचाई विभाग द्वारा भीलवाड़ा की किस-किस फर्म से डीजल सैट्स खरीदे गये व कब-कब व किस-किस प्रयोजन हेतु और किस मूल्य से तथा किस प्रक्रिया से।

(ख) उपरोक्त फर्म्स के मालिक कौन-कौन हैं? कृपया नाम पते सहित तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) इन सैट्स का कहां-कहां उपयोग हुआ है?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) : (क) संलग्न तालिका में अंकित है।

(ख) इस विभाग में वह उपलब्ध नहीं है।

(ग) संलग्न तालिका में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री भैरोंसिंह : जिन डीलर्स से आपने सामान खरीदा है उनसे सेल्स टैक्स विभाग में रजिस्ट्रेशन कराया है?

श्री जसराज : अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : जो-जो माल परचेज किया है, जिस-जिस फर्म्स से परचेज किया है उनके नाम और पते के बारे में आपका क्या कहना है?

श्री जसराज : इस विभाग के पास यह सूचना उपलब्ध नहीं है। हम फर्म्स से डील करते हैं प्रोप्राइटर्स से नहीं।

श्री भैरोंसिंह : फर्म्स के पार्टनर्स कौन कौन हैं।

श्री जसराज : सूचना विभाग के पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जानकारी तो आपसे पूछी ही है!

श्री जसराज : इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है। आप जानकारी चाहेंगे तो जानकारी प्राप्त कर ली जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो कापी दी है मुझे मेरे तो समझ में आती नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपके समझ में नहीं आती है और मुझको भी।

श्री भैरोंसिंह : फिर क्या किया जाये?

श्री अध्यक्ष : कितनी बार कह चुका हूं फिर भी यही बात है। धैर्य खो चुका हूं।

श्री जसराज : मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको स्थगित करता हूं और इसको जल्दी ही लूंगा।

प्रश्न संख्या 708

श्री दौलतराम सारण।

योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थायें

708. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) योग चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा के सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार इनके विकास को जन स्वास्थ्य के लिये हितकर मानती है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या-क्या प्रयत्न किये गये हैं और किये जा रहे हैं ?

(2) योग सम्बन्धी और प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी कितनी संस्थायें राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं और कितनी तत्सम्बन्धी सार्वजनिक संस्थाओं के विकास में राज्य सरकार योग्य सहायता कर रही है व कितने, किस प्रकार की ? राज्य में कुल कितनी इस प्रकार की संस्थायें कहाँ-कहाँ हैं ? कृपया इसकी सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखी जाये।

(3) जयपुर में एक ही जगह स्थित प्राकृतिक चिकित्सालय एवं यौगिक चिकित्सा अनुसन्धान केन्द्र बापू नगर के विकास की स्थिति क्या सन्तोषजनक है ? इनके विकास के विषय में सरकार क्या कर रही है ?

(4) क्या राज्य सरकार के ध्यान में है कि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा मामूली खर्च से रोग प्रति बन्धक कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योग दे सकते हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या व्यवस्था है ?

(5) क्या योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अपने विकास के लिये बापू नगर स्थित तत्सम्बन्धी संस्थाओं के पश्चिम में पड़ी सरकारी खुली भूमि की मांग काफी समय से कर रही है परन्तु उन्हें यह भूमि मिलने में विलम्ब होने के कारण उनके भावी विकास में बाधा आ रही है ?

राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा देवी) : मैं इस प्रश्न को स्थगित किये जाने का निवेदन करती हूं।

श्री दौलतराम सारण : क्या बात है ?

श्रीमती सुमित्रा देवी : सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : यह सूचना विभाग में ही उपलब्ध है और दूसरी जगह से मंगवाने की जरूरत नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा देवी : आयुर्वेद डाईरेक्टर से सूचना नहीं आ पाई है।

श्री दौलतराम सारण : योगिक केन्द्र जयपुर में ही है।

श्रीमती सुमित्रा देवी : निदेशालय अजमेर में है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य।

प्रश्न संख्या 594
स्थगित प्रश्न
3-5-71

ग्राम पंचायत गंधेली द्वारा ईंटों की खरीद

594. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत गंधेली, पंचायत समिति नोहर

(श्री रामचन्द्र आर्य)
(गंगानगर) के सरपंच द्वारा सिंचाई विभाग से विकास कार्यों के लिये पक्की ईंटें खरीदी गईं थीं ? यदि हां तो कब और कितनी किस भाव से खरीदी गई और रुपया पंचायत की रोकड़ से जमा खर्च हुआ या नहीं ?

(2) इन ईंटों का उपयोग किस प्रकार किया गया ?

(3) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें सरकार से की गई हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुमित्रा देवी : अभी इस प्रश्न की सूचना उपलब्ध नहीं है इसलिये स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। नैक्स्ट। जो प्रश्न रह गये हैं उनको दुबारा लेता हूं।

प्रश्न संख्या 687

श्री रूपसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 682

श्री नाथूराम।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

प्रश्न सं. 691

अध्यापकों की पदोन्नतियां

691. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डाईरेक्टर प्राईमरी एण्ड सेकेन्डरी एज्यूकेशन, राजस्थान ने अपने परिपत्र संख्या ई. डी. बी. / एक्स्ट्रा / ए. 5875 पी. एस. पी. एल. 162, दिनांक 27-3-63 द्वारा आदेश दिया था कि जो भी ग्रेजुएट अध्यापक ट्रेण्ड अथवा अन्ट्रेन्ड 1-7-62 को नौकरी में है उन्हें तृतीय ग्रेड से द्वितीय ग्रेड में पदोन्नति दे दी जाये ? यदि हां तो परिपत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त परिपत्र की व्याख्या करते हुए डाईरेक्टर महोदय की ओर से इसी सम्बन्ध में बाद में भी परिपत्र निकाले गये हैं ? यदि हां तो कब कब ? कृपया प्रत्येक परिपत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(3) अलवर जिले में इस परिपत्र वर्णित प्रश्न संख्या (1) के अन्तर्गत कितने अध्यापकों को प्रमोशन मिला ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त परिपत्र के तहत प्रमोशन के हकदार कितने ही अध्यापकों को प्रमोशन नहीं मिला ? यदि हां, तो ऐसे हकदार अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) इन अध्यापकों को प्रमोशन नहीं मिलने का क्या कारण है ? क्या सरकार की ओर से इन्हें प्रमोशन देने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं ? यदि हां तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

राव श्री वीरसिंह (उपमन्त्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री दिग्विजयसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मथुरादास माथुर : वे अभी नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह पता नहीं है कि बकाया कितनी है ?

श्री मथुरादास माथुर : इस साल की जो लेटेस्ट बकाया है उसके आंकडे उपलब्ध नहीं हैं। चीफ अकाउन्ट्स आफिसर को बुलाया है।

श्री भैरोंसिंह : आपने बजट बनाया है उसमें भी आपने आंकड़े दिये होंगे।

श्री मथुरादास माथुर : जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे एस्टीमेट हैं। इसलिये मैं यह देख रहा हूं और चीफ अकाउन्ट्स ऑफिसर को कह रहा हूं....

प्रश्न संख्या 692

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। श्री रामसिंह कुड़ी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मथुरादास माथुर : बकाया के अन्दर जो लेटेस्ट बकाया है इस वक्त वह डिपार्टमेन्ट के अन्दर जून के एन्ड तक तैयार होती है। मैंने इसके लिये चीफ अकाउन्ट्स ऑफिसर को बुलाया है।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय यह जो जनलेखा समिति का प्रतिवेदन है 14वां उसकी जो प्रेस विज्ञप्ति प्रसारित की गई है उसकी एक प्रतिलिपि माननीय सदस्यों में भी प्रसारित की गई है। उस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि दिनांक 31-3-69 तक इतनी बकाया थी और वह 31-3-70 को इतनी हो गई है और उसमें से राजस्थान राज्य के निर्माण के पहले इतनी बकाया थी और राजस्थान के निर्माण के बाद इतनी हो गई है और गारन्टी प्रथा लागू की है और उसके बाद उसमें इतने रुपयों की बकाया है और इतने बकाया की वसूली पी. डी. आर. के अन्तर्गत हो रही है। यह पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट है, 69 की है। इसमें सारा दिया है।

श्री मथुरादास माथुर : ये 70-71 की पूछ रहे हैं और ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री शिक्षा मंत्री जो। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

प्रोजेक्टर की खरीद

693. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बेसिक एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल, भरतपुर द्वारा दिनांक 17-3-67 को वाउचर नं. 527 के जरिये 4488/- रुपये एक प्रोजेक्टर की खरीद के नाम से राज्य कोष से रुपया उठाया है जबकि इस प्रकार का प्रोजेक्टर ही नहीं खरीदा गया ?

Page No 26

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(2) क्या यह सही है कि सन् 1966 में इस प्रकार का प्रोजेक्टर खरीदा गया जिसका भुगतान 4488/- रुपया का कर दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि सन् 1966 की प्रोजेक्टर के खरीद की रसीद को सन् 1967 में पुनः उपयोग में लेकर दुबारा इतनी ही रकम उठाई गई ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या यह सही है कि दिनांक 25-2-67 को वाउचर नं. 711 के माध्यम से 804/- रुपये तीस पैसे दो अध्यापकों के नाम से बकाया वेतन के नाम उठाया गया ? जबकि नियमित वेतन बिल में भी यह राशि पहिले ही उठा ली गई थी ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) सही है।

(2) सही है।

(3) वर्ष 66 के प्रोजेक्टर की खरीद की डुप्लीकेट रसीद 4488/- रुपये की दुबारा उठा ली गई और यह राशि 4488 रु. की यशवन्तलाल याज्ञनिक नामक कनिष्ठ लिपिक के पिता श्री नन्दलाल याज्ञनिक द्वारा जमा करा दी गई है और समस्त रिकार्ड पुलिस के पास अग्रिम कार्यवाही हेतु कब्जे में है और सम्बन्धित लिपिक उसी दिन से फरार है जिसका कोई पता नहीं है।

(4) सही है। इस केस की राशि 804.30 रुपये की राशि, श्री जसवंतलाल याज्ञनिक, कनिष्ठ लिपिक के पिता के द्वारा प्रधानाध्यापक को दी गई है तथा प्रधान अध्यापक के द्वारा यह राशि दिनांक 28-10-67 को चालान के द्वारा स्टेट बैंक आॅफ जयपुर एण्ड बीकानेर, भरतपुर में जमा करा दी गई है। इस सम्बन्धी समस्त रिकार्ड भी पुलिस के पास जांच हेतु रखा है। सम्बन्धित लिपिक फरार है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इस सम्बन्ध में क्या अदालत में करचालान दिया गया है ?

राव श्री धीरसिंह: इसकी सूचना अभी तक मेरे पास नहीं है। पुलिस को उसी वक्त जिस समय डुप्लिकेट बिल उठाया गया, केस रजिस्टर करवाया गया था और अभी उसका इन्वेस्टीगेशन चल रहा है।

श्री दौलतराम सारण : यह केस राज्य सरकार के ध्यान में किस प्रकार आया ?

राव श्री धीरसिंह : 67 से उसी रसीद से डुप्लिकेट रसीद से पेमेन्ट लिया गया था तो 67 में यह केस पुलिस को····

श्री दौलतराम सारण : मैं पूछ रहा हूं राज्य सरकार के ध्यान में किस प्रकार आया ?

राव श्री धीरसिंह : आॅडिट किया गया 67 के अन्दर तभी जानकारी मिली और तभी कार्यवाही पुलिस को····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह व्यक्ति कब से फरार है ?

राव श्री धीरसिंह : प्रोजेक्टर वाला दुबारा पेमेन्ट लिया गया तभी से फरार है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि वह व्यक्ति अन्डर सस्पेन्शन नहीं है?

राव श्री धीरसिंह : सस्पेन्शन की जानकारी मेरे पास नहीं है। अगर नहीं होगा तो कर दिया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 66 में प्रोजेक्टर खरीदा उसी रसीद से 67 में फिर दुबारा रुपया उठाया गया। यह मामला 66-67 से चला आ रहा है। केस का चालान नहीं किया गया है और कहते हैं पैसे उसके पिताजी ने जमा करा दिये। यह तो आपको जानकारी करनी चाहिये कि इस व्यक्ति का सस्पेन्शन किया गया या नहीं किया गया। फरार से क्या मतलब?

राव श्री धीरसिंह : ड्यूटी पर रहने का तो सवाल नहीं है। फरार भी है तो उसको सस्पेन्ड किया जायगा, अगर नहीं हुआ है तो। सारी कार्यवाही तो केस डिसाइड होने के बाद में की जायगी। यह व्यक्ति 67 से ही फरार है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : केस डिसाइड होने के बाद अक्विट हो जायगा तो उसको सारे तनख्वाह वगैरह के पैसे और देने पड़ेंगे और सारा केस बहाल हो जायगा। इस केस में तो आप टरमिनेट कर सकते हैं। आपने डिपार्टमेंटली कोई एक्शन नहीं लिया? पुलिस में केस रजिस्टर होने से क्या फर्क पड़ता है?

राव श्री धीरसिंह : डिपार्टमेंटली केस चला तो डुप्लिकेसी हो जायगी, क्योंकि पुलिस में केस चल रहा है। दोनों बातें चलेंगी नहीं। पुलिस केस निकल जायगा और वहां से बरी हो जाता है तो डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी तो बाद में भी चला सकते हैं। अभी पुलिस केस चल रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि पुलिस में केस देने के बाद भी यह व्यक्ति ड्यूटी पर आया है। किस तारीख से यह व्यक्ति फरार है?

राव श्री धीरसिंह : 67 से....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे डेट बतायें। पुलिस केस होने के बाद यह व्यक्ति ड्यूटी पर आया है और इसको आज तक सस्पेन्ड नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : किस सेक्शन में चालान हुआ है?

राव श्री धीरसिंह : जब से डुप्लिकेट रसीद से पेमेन्ट लिया है तभी से फरार है।

एक माननीय सदस्य : सेक्शन नम्बर क्या है?

श्री अध्यक्ष : ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है क्या? अगर कोई क्रिमिनल केस हो जाय और किसी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही चलती है तो सस्पेन्शन आवश्यक नहीं है नियमों में?

राव श्री धीरसिंह : अगर नहीं है तो अध्यक्ष महोदय, कर दिया जायगा। हन्ड्रेड परसेन्ट तो वह सस्पेन्शन कर दिया गया है, लेकिन डेट नहीं बता सकता हूं अभी और अगर नहीं है तो मैं उसका सस्पेन्शन कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : यह हन्ड्रेड परसेन्ट का सवाल नहीं है। सस्पेन्शन किया गया हो तो

(श्री अध्यक्ष)
सस्पेन्शन कहा जाय और यह कब किया गया, यह भी बताया जाय। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चल रहा है, सस्पेशन हुआ या नहीं हुआ इसका उत्तर निश्चित रूप से दिया जाना चाहिये।

राव श्री धीरसिंह : मैं इसकी डेट बता दूंगा।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, 1967 में जिस ऑडिटर ने केस पकड़ा उसका जैसलमेर ट्रान्सफर हो गया और उसका जो ड्यू प्रमोशन है वह भी नहीं दिया गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जिस समय ऑडिट पार्टी पहुंची तो यह सम्बन्धित क्लर्क और हैड मास्टर फरार हो गया और ऑडिट पार्टी ने फरार होने की शिकायत की है।

राव श्री धीरसिंह : क्लर्क फरार हुआ है। मास्टर फरार नहीं हुआ है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ऑडिट पार्टी ने जिस समय पकड़ा।उस समय हैड मास्टर स्कूल से गायब हो गया। इस सम्बन्ध में ऑडिट पार्टी ने विभाग को लिखा है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, यह गबन पकड़ने वाले ऑडिटर को सजा दी गई है। उसको ड्यू प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है और उसका जैसलमेर ट्रान्सफर कर दिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, क्या इस प्रकार के जो मनी ट्रान्जेक्शन होते हैं उसमें इस व्यक्ति की सिक्योरिटी ली गई थी कनिष्ठ लिपिक से। और दूसरी बात यह है केस ट्रान्जेक्शन के लिए तो ट्रेजरार, केशियर आदि की ड्यूटी होनी चाहिये। कनिष्ठ लिपिक तो इस काम के सक्षम नहीं होता है।

राव श्री धीरसिंह : इसकी सिक्योरिटी नियमों के अनुसार ली गई होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नियमों के अनुसार ली गई होगी, इसका क्या मतलब ?

श्री अध्यक्ष : इसकी जानकारी नहीं है ?

श्री विजयसिंह : इसको स्थगित करना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह एल. डी. सी. तो मनी ट्रान्जेक्शन करता ही नहीं है। यह तो लिन्क बनाया जाता है नीचे से ऊपर तक हिस्सा पहुंचता है। इसलिये इन्होंने कैसे पैसे उठाये और उठाये तो इनकी सिक्योरिटी होनी चाहिये।

राव श्री धीरसिंह: इस सारे मामले की एन्क्वायरी अध्यापक की और केशियर की आज ही ऑर्डर कर देता हूं। सबके खिलाफ डिपार्टमेन्टली एन्क्वायरी खोल दी जायगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : जो जुर्म करने वालों को पकड़ते हैं उनको सजा देने का सरकार का इरादा है क्या ? उनको जो पकड़ता है उनके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार सरकार कर रही है क्या ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस राज्य में यही होता है जुर्म पकड़ने वाले के खिलाफ कार्यवाही होती है। जो जुर्म करने वाला है उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है।

श्री देवीदत्त गाडिया : जिस हैड मास्टर के नेतृत्व में पहले बिल बना था उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राव श्री धीरसिंह : मैंने कहा मैं आज ही सारी डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी करने के आॅर्डर कर दूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि चोर चोर मोसेरे भाई हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह कहावत पुरानी है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज तो ठीक टाइम पर प्रश्न समाप्त हुये हैं एग्जेक्ट इलेविन सिक्सटी।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के बेरोजगार व्यक्ति

682. **श्री नाथूराम** (वागीडोरा) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितने अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति बेरोजगार हैं ? नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर कितने ऐसे बेरोजगार व्यक्ति 31 दिसम्बर, 1970 को उपलब्ध थे तथा उनकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या थीं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सत्य है कि राज्य में अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों के रोजगार पर लगने का प्रतिशत घटता जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं तो विगत तीन वर्षों में रोजगार दफ्तरों में कितने ऐसे प्राथियों ने अपने नाम लिखवाए और उनमें से कितनों को रोजगार मिला। शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह भी सत्य है कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर आदिवासी क्षेत्र के लिये पृथक्-पृथक् नियोजन कार्यालय हैं ? यदि हां, तो इन कार्यालयों द्वारा गत वर्ष कितने आदिवासियों के नाम लिखे गए, कितनों को रोजगार मिला और कितने बेरोजगार रहे। शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सूचना देने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राज्य के 22 नियोजन कार्यालयों में चालू रजिस्टरों पर 31-12-70 को 16,273 अनुसूचित जाति व 5,417 अनुसूचित जन जाति के बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत थे। इनका शैक्षणिक आधार पर वर्गीकरण तालिका नम्बर 1 में संलग्न है।

(2) इस सम्बन्ध में निश्चित मत देना सम्भव नहीं है। वांछित सूचना तालिका नं. 2 (अ) तथा 2 (ब) में संलग्न है।

(3) जी हां। इन जिलों में गत वर्ष में 675 आदिवासी प्राथियों के नाम लिखे

(श्रम मन्त्री)
गये 43 व्यक्तियों को नियोजन कार्यालय के माध्यम से नौकरी मिली व 680 व्यक्ति चालू रजिस्टर पर 31-12-70 को उपलब्ध थे। शैक्षणिक योग्यतानुसार सूची तालिका नं. 3 में संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

इन्द्रामणी शारदा बालिका विद्यालय तारानगर

687. **श्री रूपसिंह** (सरदारशहर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कस्वा तारानगर में इन्द्रामणी शारदा बालिका विद्यालय में कितनी लड़कियां पढ़ती हैं?

(2) क्या यह विद्यालय मिडिल स्टेन्डर्ड तक है?

(3) मिडिल स्कूल पास करने के बाद ये लड़कियां कहां व किस स्कूल में पढ़ने जाती हैं?

(4) इस कस्बे की आबादी व पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या को देखते हुए क्या इस विद्यालय को हाई स्कूल में अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है? यदि इसे अपग्रेड करने का सरकार का विचार है तो कब तक कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) तारानगर इन्द्रामणी शारदा बालिका विद्यालय में छात्र संख्या 253 है।

(2) जी हां।

(3) छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राजकीय सैकेण्डरी स्कूल (छात्र) में सुविधा उपलब्ध है।

(4) वहां की जनता द्वारा शर्तें पूरी करने पर अन्य शालाओं के साथ गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायगा।

राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं के भवनों की मरम्मत की योजना

692. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पंचायत समितियों के अधीन चल रहे राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं के सरकारी भवनों के मरम्मत हेतु कोई योजना आदेश या नियम राज्य सरकार ने बनाये हैं? यदि नहीं, तो कब तक इस समस्या का समाधान हो सकेगा?

उत्तर

पंचायत समितियों के अधीन चल रही प्राथमिक पाठशालाओं के भवनों की मरम्मत हेतु कोई आदेश इत्यादि जारी किये हुए नहीं हैं। यह पंचायत समितियों का स्वयं का दायित्व है?

पंचायत समिति परबतसर के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

694. श्री **परसराम गंगाराम** (परबतसर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति परबतसर में कितने कितने अध्यापक, यू. डी. सी. व

(श्री परसराम गंगाराम)
एल. डी. सी. हैं और वे कितने वर्षों से वहां काम करते आ रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या जो कर्मचारी 3 वर्षों से ज्यादा समय से वहां कार्य कर रहे हैं उनका स्थानान्तरण करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

श्री युवक सभा बाल मन्दिर मंडावा

695. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री युवक सभा बाल मन्दिर मंडावा जिला झुंझुनूं को राज्य सरकार से कब से सहायता मिल रही है तथा कितनी प्रतिशत सहायता मिलती है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त. संस्था के अध्यापकों की यह शिकायत है कि उन्हें पूरा वेतन नहीं दिया जाकर कम दी जाती है और अध्यापकों से पूरी वेतन पर हस्ताक्षर लिए जाते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त संस्था के एक अध्यापक को विना मैनेजिंग कमेटी के निर्णय से हटा दिया गया तथा निरीक्षक विद्यालय, झुंझुनूं और निदेशक, शिक्षा विभाग, बीकानेर ने उक्त संस्था की सहायता बन्द करने के आदेश जारी कर दिए थे और शिक्षा सचिव ने उन आदेशों को संशोधित कर संस्था को सहायता दिलवाने के आदेश प्रसारित कर दिए ? यदि हां, तो शिक्षा सचिव ने किन आधारों पर निदेशक के आदेशों को संशोधित कर नये आदेश जारी किये ?

उत्तर

(1) श्री युवक सभा बाल मन्दिर मंडावा (झुंझुनूं) को 1962-63 से अनुदान मिल रहा है। संस्था को 50 प्रतिशत अनुदान मिल रहा है।

(2) जी नहीं। संस्था के अध्यापकों से ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है कि उनको कम वेतन मिलता है और अध्यापकों से पूरे वेतन पर हस्ताक्षर लिए जाते हैं।

(3) श्री युवक सभा बाल मन्दिर के श्री श्यामलाल नरेडा को मैनेजिंग कमेटी की बैठक दिनांक 10-11-70 के निर्णय के अनुसार हटाने का निर्णय लिया गया था। विद्यालय निरीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 9-12-70 के अनुसार निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को सूचित किया था कि संस्था का अनुदान अन्य आदेश तक के लिए बन्द करने के आदेश प्रसारित किए जा चुके हैं। निदेशक, प्रा. एवं मा. शिक्षा, बीकानेर ने संस्था का अनुदान बन्द करने के क्रम में आदेश नहीं दिए बल्कि विद्यालय निरीक्षक को आदेश दिए हैं कि अनुदान रोकने से अन्य कर्मचारियों के चुकारे की समस्या पैदा होगी अतः निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के पत्र दिनांक 21-3-71

(शिक्षा मन्त्री)

के अनुसार विद्यालय निरीक्षक को संस्था के कर्मचारियों को सीधे भुगतान करने के क्रम में आदेश जारी किए जा चुके हैं।

क्षेत्रीय सलाहकार समितियां

696. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि स्टेट रोडवेज कार्पोरेशन को सुझाव देने के लिये सरकार ने कुछ क्षेत्रीय सलाहकार समितियां बनाई हैं? यदि हां, तो कितनी? उनकी बैठकें कब कब हुई और उनमें क्या क्या सुझाव दिये गये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि समय पर इन कमेटियों की मीटिंगें नहीं बुलाई जाती व मीटिंगों में दिये सुझावों पर निगम ध्यान नहीं देता? यदि हां, तो इन कमेटियों की क्या उपयोगिता है?

(3) क्या सरकार इन कमेटियों को असरदार बनाने का इरादा रखती है जिससे निगम इनकी सिफारिशों को माने? यदि हां, तो इसके लिये क्या क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उत्तर

(1) जी हां, पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 17 के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत यातायात सेवाओं के उपयोगकर्ताओं को दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में निगम को परामर्श देने हेतु राज्य सरकार ने तीन उपयोग कर्ता सलाकार समितियों की स्थापना कर रखी है। इन समितियों की बैठकों व दिये सुझावों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। जयपुर क्षेत्र की मीटिंग नियमित रूप से हुई है। परन्तु अन्य क्षेत्र में नियमित रूप से नहीं हो पाई है। इसके लिये अब निर्देश जारी कर दिये हैं। सुझावों पर समुचित कार्यवाही की जाती है।

(2 व 3) इन समितियों का कार्य यात्रियों को दी जाने वाली सुख-सुविधाओं के सम्बन्ध में केवल निगम को उचित सुझाव देना है एवं समितियों की बैठक में दिये गये सुझावों पर निगम द्वारा समुचित ध्यान दिया जाकर कार्यवाही की जाती है। वैसे इन समितियों द्वारा दिये गये सुझावों को अन्तिम रूप से मानने के लिये निगम बाध्य नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम सडू में मिडिल स्कूल

699. **श्री रावतराम** (छापर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सडू तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू के ग्रामवासियों ने मिडिल स्कूल के लिये शानदार भवन बनाया है, जिसमें सरकार की कोई धनराशि खर्च नहीं हुई?

(2) पर्याप्त छात्र संख्या, पर्याप्त भवन तथा आसपास कोई मिडिल स्कूल नहीं है और गांवों की आबादी को देखते हुये सरकार यहां मिडिल स्कूल खोलना स्वीकार क्यों नहीं करती?

(श्री रावतराम)

(3) क्या यह सही है कि चालू वर्ष में उक्त गांव में मिडिल स्कूल खोल दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2 व 3) अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ गुणावगुण के आधार पर इस पर भी विचार किया जावेगा।

बिजली के बिलों का भुगतान

700. **श्री केदार नाथ** (श्री गंगानगर): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बिजली के बिलों की ड्यू-डेट को यदि कोई अवकाश पड़ जाता है तो क्या बिलों का भुगतान अगले वर्किंग-डे को बिना पैनल्टी दिये किया जा सकता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ड्यू-डेट को राजस्थान सरकार द्वारा यदि बाद में अवकाश घोषित कर दिया जाय तो उन बिलों का भुगतान राजस्थान सरकार के विभागों द्वारा अगले वर्किंग-डे को बिना पैनल्टी दिये किया जा सकता है ?

(3) यदि नहीं, तो क्या सरकार चाहती है कि ऐसे अवकाश के दिन सरकारी कार्यालय खोला जाय और बिजली के बिलों का भुगतान ड्यू-डेट को कराया जाय, ताकि उनमें दी गई रिबेट की राशि न चुकानी पड़े ?

(4) यदि हां, तो ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा अवकाश घोषित करने का क्या अर्थ रह जाता है ?

(5) क्या 31 अक्टूबर, 1970 की ड्यू-डेट वाले बिलों का भुगतान इस दिनांक को सरकारी अवकाश घोषित किये जाने के कारण अगले वर्किंग-डे अर्थात् 2 नवम्बर, 1970 को विद्युत् मण्डल द्वारा लिया गया था ?

(6) यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या सरकार ऐसे आदेश निकालने का विचार रखती है कि बिजली के बिलों के भुगतान की ड्यू-डेट को यदि सरकारी अवकाश हो, तो सरकारी विभागों द्वारा अगले वर्किंग-डे को उन बिलों का भुगतान, रिबेट की राशि चुकाये बिना, कराया जा सकता है ?

(8) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अगर विद्युत् मण्डल के कार्यालय की भी उस दिन छुट्टी घोषित हो जाय तो अगले दिन रिबेट से भुगतान किया जा सकता है, परन्तु जहां पर बैंकों में रकम जमा कराने की व्यवस्था है या विद्युत् मण्डल के कार्यालय में जहां रकम जमा होती हो, छुट्टी नहीं की जाय तो अगले दिन रिबेट का लाभ नहीं मिलेगा।

(3) सरकारी कार्यालयों को चाहिये कि ड्यू-डेट से पहिले ही बिलों का भुगतान करदें ताकि अवकाश के दिन कार्यालय खोलने का प्रश्न ही पैदा न हो।

(विद्युत् मंत्री)

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5 व 6) जहां कहीं मण्डल के कार्यालय में अवकाश न हुआ हो वहां पर और जहां पर बेंकों में बिलों का भुगतान किये जाने का तरीका हो और बेंकों में छुट्टी न हो, वहां पर 2-11-70 को भुगतान करने पर रिबेट की सुविधा नहीं मिली होगी अन्य जगह मिली होगी।

(7) जी नही।

(8) प्रश्न राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल की नीति से सम्बन्धित है।

तहसील लाडपुरा तथा दीगोद में सिंचित भूमि

702. **श्री बृजवल्लभ बोहरा** (दीगोद): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1967-68 व 1968-69 में तहसील लाडपुरा तथा दीगोद में कितनी भूमि सिंचित की गई?

(2) इससे सरकार को प्रति-वर्ष क्या शुल्क प्राप्त हुआ?

उत्तर

(1) सूची "अ" संलग्न है।

(2) सूची "अ" में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

भाषा विभाग का कार्य

704. **श्री भ्रवणलाल** (हिन्डोन): क्या मंत्री, भाषा विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भाषा विभाग की स्थापना कब और किन उद्देश्यों के लिये की गई थी तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये क्या कार्यक्रम हाथ में लिया गया था?

(2) भाषा विभाग के पास अनुवाद सम्बन्धी क्या कार्य है? जनवरी, 1965 से लेकर अब तक कितना अनुवाद कार्य हुआ है, उसकी विधि क्या है, कुल कितने अनुवादक विभाग में कार्य करते हैं और उनके प्रतिदिन का औसतन अनुवाद कार्य कितने पृष्ठों का है? इस अनुवाद कार्य का अन्तिम अनुमोदन कौन करता है?

(3) क्या यह सही है कि अनुवाद कार्य निम्न स्तर का हुआ है? जिसे व्यवस्था एवं पद्धति विभाग तथा विधि विभाग उसे प्राधिकृत करने से इन्कार करते हैं?

(4) अब तक जो अनुवाद कार्य किया गया है उसमें से कितने पृष्ठों का प्रकाशन हुआ है?

(5) क्या यह सही है कि विभाग में अंशकालीन निदेशक होने के कारण मुश्किल से प्रतिदिन एक घंटे से ज्यादा विभाग में नहीं बैठते तथा विभाग का सारा कार्य पिछले दो वर्षों से लगभग ठप्प पड़ा है?

(6) भाषा विभाग पर पिछले चार वर्षों में कुल कितना व्यय हुआ है और उसकी तुलना में जो कार्य हुआ है क्या वह उचित है? क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, तथा हरियाणा प्रदेश के भाषा विभागों से जानकारी प्राप्त करने

Page No 35

(श्री श्रवणलाल)
के लिए कभी अपने यहां के अधिकारियों को भेजा है? यदि हां, तो सरकार ने इससे अपने भाषा विभाग के कार्य के बारे में क्या धारणा बनाई है?

(7) भाषा विभाग के भावी कार्यक्रम की सरकार के पास क्या रूपरेखा है? इसकी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) 26 जनवरी, 65 को भाषा विभाग की स्थापना की गई थी। उद्देश्य यह था कि राज्य कार्य में हिन्दी को गति प्रदान की जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं:—

हिन्दी टंकण यंत्रों का विवरण, नियमों आदि का हिन्दी में अनुवाद, टंकणों व शीघ्रलिपिकों का प्रशिक्षण, विभागों को इस बावत कठिनाइयों के समाधान के लिये सलाह आदि।

(2) अनुवाद कार्य काफी विस्तृत है। मैन्युअल्स, अधिसूचनाएं, परिपत्र, मंत्रिमण्डल ज्ञापन, प्रपत्र, आदेश, प्रगति प्रतिवेदन, पुस्तकमालायें, रेवन्यू डिसीजन्स, अनुदान सम्बन्धी नियम, दरसंविदाएं, करार-पत्र, रजिस्टर्स, नियम एवं शर्तें, अधिवाचन पत्र, गोशवारे, विज्ञप्तियां, विभागीय निर्णय, मॉडल ड्राफ्ट्स, मुहरें एवं समय समय पर प्राप्त अन्य सामग्री आदि का अनुवाद। अनुदित टंकित प्रतियों का मिलान, पदनाम व शब्द कोष निर्माण आदि का कार्य व प्रूफ रीडिंग। नियम, अधिसूचनायें, परिपत्र, प्रपत्र, आदेश, प्रगति प्रतिवेदन सभा वार्षिक अनुवाद आवश्यकतानुसार किया जाता है। जनवरी, 65 से अब तक करीब 8000 पृष्ठों का अनुवाद हो चुका है तथा अनुवाद के लिए विभाग में 5 अनुवादक हैं जो अनुवाद करते हैं। मुख्य अनुवादक समीक्षा करता है, सहायक निदेशक जांच कर अनुमोदित करते हैं। अनुवाद का दैनिक औसत प्रति अनुवादक दो पेज होता है।

(3) यह सही नहीं है। व्यवस्था एवं पद्धति तथा विधि विभाग का इस विभाग द्वारा किये गये अनुवाद को प्राधिकृत करना नियमानुसार आवश्यक नहीं है तथा इन विभागों का इस विभाग के अनुवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(4) भाषा विभाग का कार्य अनुवादों के प्रकाशन कराने का नहीं है। अनुवाद कर सम्बन्धित विभागों को भेज दिया जाता है।

(5) अंशकालीन निदेशक की व्यवस्था नहीं है। भाषा सचिव जी पदेन निदेशक हैं। विभाग का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।

(6) इस अवधि में 13 लाख 22 हजार के लगभग व्यय हुआ है इससे अधिकतर प्रावधान में से विभिन्न विभागों को हिन्दी टाइप राइटर उपलब्ध करवाये गये हैं। अन्य राज्यों में कुछ वर्ष पूर्व राजस्थान के अधिकारी गये थे। यहां का कार्य तुलनात्मक दृष्टि से संतोषजनक है।

(7) जानकारी संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

Page No 36

गोपालपुरा बांध

705. **श्री हरिबल्लभ शर्मा** (सवाई-माधोपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बांध गोपालपुरा (तहसील सवाई माधोपुर) का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ और इससे सन् 52, 57, 62, 67, तथा सन् 70 में कितने कितने क्षेत्र की पिलाई हुई ? सूची सालवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इस बांध की नहर कितनी मील लम्बी है और इसके कमाण्ड का कुल क्षेत्रफल क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि किसानों की बढ़ती हुई मांग तथा कृषि उत्पादन की वृद्धि हेतु राज्य सरकार ने इस जिले के इस बांध से भी बाद में बने अन्य बांधों की पालें और ऊंची करने की योजना स्वीकृत की है ताकि कमाण्ड एरिया बढ़ाया जा सके ? यदि हां, तो किस किस बांध की ?

(4) क्या यह सही है कि इस बन्धे की नहर पर बसे कई ग्राम जैसे जोलन्दा, बडोदिया, डिडवाडी आदि कई ग्राम के काश्तकार इस बंधे से पानी लेने की कई वर्षों से मांग करते आ रहे हैं तथा टेल के कमाण्ड के काश्तकार भी पानी की कमी की बराबर प्रति वर्ष शिकायत करते रहे हैं ? यदि हां, तो काश्तकारों की इस कठिनाई को दूर करने हेतु राज्य सरकार इस बन्धे की पाल को और ऊंचा करने का विचार रखती है या नहीं ?

(5) यदि नहीं, तो राज्य सरकार इस उद्देश्य से कि काश्तकारों को पूरा पानी मिल सके तथा इसका कमाण्ड भी बढ़ाया जा सके अन्य क्या उपाय करने का विकल्प रखती है ?

उत्तर

(1) बांध गोपालपुरा का निर्माण 1911 में हुआ था। सिंचित क्षेत्र की सूची "अ" संलग्न है।

(2) इस बांध की मुख्य नहर 21 मील लम्बी है तथा कल कल्चरेबल कमान्डेड एरिया 14,582 एकड़ है जिसमें वार्षिक प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र 8,910 एकड़ है।

(3) उन्हीं बांधों की पालों को ऊंचा किया जा रहा है जिनमें पानी की आव अधिक है, उनकी सूची "ब" संलग्न है।

(4) जी हां, परन्तु पानी की आव कम होने के कारण इसे ऊंचा करने का प्रस्ताव नहीं है।

(5) चारणकिया ग्राम के पास बनास नदि से पानी लिफ्ट कर एक चैनल द्वारा गोपालपुरा बांध की नहर में डालने की योजना विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

एम. सी. डब्ल्यू सेन्टर ग्राम जावला

643. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम जावला परबतसर (जिला नागौर) में एक दानदाता

(श्री परसराम गंगाराम)
ने एम. सी. डब्ल्यू. सेन्टर का भवन बना दिया है और सरकार को अर्जी भी दे दी है कि मकान तैयार है मगर अब तक उक्त सेन्टर में डॉक्टर नहीं भेजा गया है? यदि हां, तो इसमें विलम्ब का कारण क्या है और डॉक्टर भेजने की स्वीकृति कब तक करदी जावेगी?

उत्तर

जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जन सेवा आयोग द्वारा अयोग्य माने गये डॉक्टर की नियुक्ति

644. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि डॉ. के एम. लोढ़ा, सी. ए. एस., जोधपुर को अतीत प्रभाव से सी. ए. एस. क्लास के पद पर नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो कब से और क्यों? कृपया इस आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या यह सही है कि श्री के. एम. लोढा को इस पद के लिये जन सेवा आयोग द्वारा अयोग्य माना गया था? यदि हां, तो कब?

(ग) इस अतीत प्रभावी आज्ञा के कारण श्री के. एम. लोढा को कितना अतिरिक्त भत्ता व वेतन देय होगा?

(घ) क्या यह सही है कि वित्त आयुक्त ने उपरोक्त नियुक्ति का विरोध किया है?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर सीसवाली

645. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले में किस किस स्थान पर प्राईमरी हैल्थ सेन्टर, डॉक्टर व कम्पाउन्डर्स डिस्पेन्सरी खोले जाने का निर्णय लिया है और किस किस स्थान का मामला विचाराधीन है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील मांगरोल क्षेत्र के सात हजार की आबादी के ग्राम सीसवाली के नागरिक सीसवाली में प्राईमरी हैल्थ सेन्टर या डॉक्टर डिस्पेन्सरी खोले जाने की मांग एक लम्बे समय से करते आ रहे हैं?

यदि हां, तो सीसवाली में प्राईमरी हैल्थ सेन्टर या डॉक्टर डिस्पेन्सरी कब से चालू हो जावेगी?

उत्तर

(1) कोटा जिले में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डॉक्टर व कम्पाउन्डर डिस्पेन्सरी खोलने का न तो कोई निर्णय लिया गया है और इस वर्ष नई डिस्पेंसरियां खोलने का मामला विचाराधीन है। कोटा जिले की निम्न एड पोस्ट डिस्पेन्सरियां जहां कि श्रेणी दो या तृतीय कम्पाउन्डर

Page No 38

(चिकित्सा मन्त्री)
के पद को प्रथम श्रेणी में अपग्रेड किया गया है वह निम्न प्रकार है:—

1. कस्बा थाना	9. सिसवाली
2. वनियानी	10. मौठपुर
3. कोड़ला	11. मंडावा
4. दिगोद	12. नाहरगढ़
5. बपावर	13. घिपरी
6. बरोद	14. सारथल
7. पिपलोद	15. हरनोद
8. पलेवा	16. सुकेत

जी हां, यह मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

हनुमानगढ़-नोहर वाया रावतसर बिजली की लाइन

646. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ से नोहर तक वाया रावतसर बिजली पहुंचाने की योजना तैयार हुई थी ? यदि हां, तो योजना कब तैयार हुई और अब तक उस योजना में क्या प्रगति हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना से मिलने वाली बिजली को सूरतगढ़ तहसील में ले जाया जा रहा है ? यदि हां, ऐसा क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले के ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा रहा है ? यदि हां, तो कौन सी पंचायत समिति क्षेत्र में विद्युतीकरण कब तक करने की योजना है ?

(4) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में कुओं को बिजली दी गई है ? यदि हां, तो सन् 1967 के बाद आज तक कितने कुओं को बिजली दी गई ? ग्रामवाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि कस्बा भादरा व नोहर को बिजली तारानगर से सप्लाई की जाती है ? यदि हां, तो इन कस्बों को बिजली हनुमानगढ़ से क्यों नहीं दी जाती ? यदि दी जावेगी तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि तारानगर व भादरा के बीच बिजली फेल हो जाने से 2-3 दिन तक ठीक नहीं हो सकती, कारण कि आवागमन का साधन नहीं है ? यदि हां, तो फिर हनुमानगढ़ से बिजली क्यों नहीं दी जाती ?

(7) क्या यह सही है कि कस्बा रावतसर के काफी लोग कनेक्शन मांग रहे हैं लेकिन कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कुल कितने कनेक्शन दिये जा चुके हैं ?

(8) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में बहुत कम ग्रामों में बिजली दी गई है ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो कुल कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) हनुमानगढ़ से रावतसर तक 33 के. वी. की लाइन पहले से मौजूद है। रावतसर से नोहर तक 33 के.वी. की लाइन खींचने की परियोजना प्रतिवेदन बनवाई जा चुकी है जो मण्डल के विचाराधीन है।

(विद्युत् मन्त्री)

(2) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता ।

(3) जी हां। गंगानगर जिले के 179 ग्रामों का वर्ष 1970-71 के अंत तक विद्युतीकरण कर दिया गया है। वर्ष 1970-71 में 40 ग्राम स्वीकृत किये गये थे। उसमें से करीब 20 ग्रामों का विद्युतीकरण बाकी है जिनका विद्युतीकरण अब किया जावेगा। इसके अलावा पंचायत समिति, हनुमानगढ़ के 34 ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन, दिल्ली को भेजी हुई है। जो कार्य ग्रामीण विद्युतीकरण कारपोरेशन की स्वीकृति एवम् उनसे धन प्राप्त होने पर ही हाथ में लिया जा सकता है।

(4) जी हां। सन् 1967 से वर्ष 1970-71 के अन्त तक जिले के 599 कुओं को विद्युत् दी जा चुकी है। ग्रामवार सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी हां। रावतसर से नोहर तक लाइन नहीं होने के कारण। रावतसर से नोहर तक की लाइन की स्वीकृति होने व लाइन खेंचने के पश्चात्। प्रश्न नहीं उठता।

(6) दो-तीन दिन तो नहीं लेकिन आवागमन के साधनों की कमी के कारण काफी समय लग जाता है। हनुमानगढ़ से बिजली रावतसर से नोहर तक की 33 के. वी. लाइन होने के पश्चात् ही दी जा सकती है। जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। रावतसर में अब तक कुल 291 कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

(7) जी नहीं। वर्ष 1970-71 के अन्त तक जिले के कुल 179 ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया है। सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है। इस प्रकार इस जिले के कुल 1538 गांवों में से 10.15 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है जबकि राज्य के विद्युतिकृत गांवों का औसत 9.3 प्रतिशत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

फालना विद्युत् खण्ड के अनुशासनहीन कर्मचारी

647. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि फालना विद्युत् विभाग खण्ड में बिजली कर्मचारियों एवं मजदूरों में काफी अनुशासनहीनता व्याप्त हो रही है? अगर हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सत्य है कि विद्युत् खण्ड फालना में बोर्ड कर्मचारियों में अनुशासनहीनता के कारण बिजली उपभोक्ताओं को काफी कठिनाइयां हो रही हैं? अगर हां, तो इस बारे में सरकार क्या क्या कदम उठा रही है?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त खण्ड के बोर्ड कर्मचारियों में व्याप्त अनुशासनहीनता के कारण जिला जालौर, जिला पाली व जिला सिरोही में उप-खण्डों में पावर हाउसेज के कार्य-संचालन में काफी कठिनाइयां उपस्थित हो रही हैं?

(4) बिजली खण्ड फालना के बोर्ड कर्मचारियों में अनुशासन सुधारने एवं पूरे

Page No 40

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
खण्ड में बिजलीघरों का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार निकट भविष्य में क्या क्या कदम उठाना उपयुक्त समझेगी ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त खण्ड के बोर्ड कर्मचारियों की अनुशासन-हीनता से त्रस्त होकर बिजली उपभोक्ताओं द्वारा आन्दोलन किए जाने का पूरा पूरा खतरा है ? अगर हां, तो उसको रोकने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) ऐसी कोई असाधारण स्थिति नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

(2) जी नहीं । उपभोक्ताओं की कठिनाइयों का कारण यह है कि पाली फालना 66 के. वी. लाइन 33 के. वी. पर चालू है । इस लाइन के 66 के. वी. पर चालू होने पर क्षेत्र में पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो जावेगी ।

(3) ऐसी कोई असाधारण स्थिति नहीं है ।

(4) असाधारण परिस्थिति नहीं होने के कारण इस प्रकार के कदम की अभी आवश्यकता नहीं है ।

(5) इस प्रकार की जानकारी इस विभाग को नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

खिलेरिया एवं जयसंगसर ग्रामों में बिजली

648. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरदारशहर तहसील का ग्राम खिलेरिया विद्युतिकृत ग्राम मांगासर-आगदवासी से केवल दो मील है और इस गांव में बिजली की मांग है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम जयसंगसर तहसील सरदारशहर विद्युतिकृत ग्राम पूलासर से केवल 3–4 मील पर है और ग्राम कालूसर एवम् कामासर तो पूलासर से केवल डेढ मील दूर है ?

(3) इन गांवों में पर्याप्त सिंचाई का पानी भी उपलब्ध है ? जयसंगसर में तो बोरिंग से पानी देखा जा चुका है ? अतः इन रेगिस्तानी गांवों को सिंचाई हेतु विद्युत् देकर अकाल से स्थार्यातौर से मुक्त कराने का क्या सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । इस ग्राम में बिजली देने हेतु जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं ।

(2) जी हां ।

(3) पर्याप्त सिंचाई के पानी व बोरिंग की जानकारी विद्युत् मण्डल को नहीं है । ग्रामों का विद्युतीकरण जिला कृषि उत्पादन समिति की सिफारिश, योजना का तकनीकी तौर पर साध्य होना व आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होना एवम् पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध होने पर निर्भर करता है । अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

मोतीपुरा-मवासा ग्राम में बिजली

649. श्री बृजबल्लभ बोहरा (दीगोद): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति लाड़पुरा के ग्राम मोतीपुरा-मवासा में बिजली लगने की आज्ञा हो गई है ?

(2) यदि हां, तो कितने कुओं पर यह बिजली दी जावेगी और कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) योजना के अनुसार इन ग्रामों में 18 कुओं पर बिजली दिये जाने का प्रावधान है। कुओं को बिजली ग्राम के विद्युतिकरण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् प्राथमिकता के अनुसार दी जावेगी।

मुहाल तालाब से सीपेज

650. श्री नन्दलाल दण्डवासी (किशनगंज): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मुहाल तालाब (तहसील शाहबाद) की दीवार के नीचे से सीपेज होता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस तालाब की मरम्मत को जल्दी ही अपने हाथ में लेने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि तालाब का पानी पीने के काम में आता है जबकि गर्मी से पहले ही इस तालाब का पानी समाप्त हो जाता है ?

उत्तर

(1) जी हां। वांछित अनुदान उपलब्ध होने पर सम्बन्धित पंचायत समिति द्वारा मरम्मत कराई जा सकती है।

(2) जी हां।

देवरी तालाब की मरम्मत

651. श्री नन्दलाल दण्डवासी (किशनगंज): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सही है कि देवरी तालाब तहसील शाहबाद की मरम्मत हेतु सर्वे कराया गया है ?

(2) कितना एस्टीमेट बनाया गया व कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

(स्थगित किया गया)

बमल बंधा

652. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि बमल बंधा तहसील सांचोर में पिछले वर्षों में अकाल राहत कार्यों में बंधाया गया था ? अगर हां, तो क्या यह भी सत्य है कि पिछली वर्षा से उक्त बंध में कुछ टूट-फूट हुई है ? अगर हां, तो कितनी ?

(2) क्या उपरोक्त बंधे की टूट-फूट इस वर्ष में दुबारा ठीक कराकर मरम्मत करा दी जावेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त बंधे का पिचिंग कर पक्का कराने का विचार रखती

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि इस बंधे से निचले गांव रामपुरा, तांतड़ा में पानी जाने से बिल्कुल रुक गया है ? अगर हां, तो क्या सरकार बमल बंधे में मोगा रखकर निचले गांवों में पानी आवश्यकतानुसार पहुँचाने का प्रयत्न करेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां, परन्तु बांध में पिछली वर्षा में कोई टूट-फूट नहीं हुई थी। वर्षा के कारण अब स्ट्रीम में कुछ रेनकट हो गये थे।

(2) जी हां, कार्य वर्षा से पहिले ही पूर्ण होने की सम्भावना है।

(3) जी हां, बंधे के अन्दरी स्लोप में पिचिंग के कार्य का टेन्डर हो चुका है और शीघ्र ही कार्य शुरू किये जाने की सम्भावना है।

(4) जी हां, मोघों (स्लूइस) का प्रावधान तखमीने में रखा गया है तथा आगामी वर्षा के बाद लगा दिया जावेगा।

फूलाद बांध

653. **श्री सुरेन्द्रसिंह** (खारची) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील खारची, जिला पाली में फूलाद बांध का निर्माण कार्य कब तक पूरा होना था और अब उसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

(2) बांध को बनाने के लिये मिट्टी खोदने के लिये काम में ली गई भूमि को व जिस भूमि पर बांध बन रहा है इस भूमि को एक्वायर करने की क्या कार्यवाही की गई है और जिनकी भूमि इस कार्य में आई है उनको बदले में दूसरी जमीन देने के लिये राजस्व विभाग को लिखा गया है अथवा नहीं ?

उत्तर

(1) तहसील खारची, जिला पाली में फूलाद बांध का निर्माण सन् 1971-72 में पूर्ण होना था परन्तु अब उसके 1972-73 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(2) जिन काश्तकारों की भूमि में से बांध के निर्माण के लिये मिट्टी खोदी गई है उसका मुआवजा शीघ्र ही आपसी समझौते के अनुसार चुका दिया जावेगा।

तहसील सांचोर में बाजरे का भाव

654. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर की तहसील सांचोर में बाजरे का भाव सब से नीचा है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि खाद्य निगम ने सांचोर की मंडियों में अभी तक बाजरे की खरीददारी नहीं की है ? अगर हां, तो क्यों ? अब सरकार इस बारे में काश्तकारों को राहत पहुंचाने के लिए बाजरे की खरीद के लिये क्या क्या कदम उठा रही है ? पूरी खरीद का इन्तजाम कब तक कर दिया जावेगा ?

Page No 43

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) क्या सरकार मार्केटिंग सहकारी समिति, सांचोर को खरीद की एजेंसी दिलाने की व्यवस्था करेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। भाव नीचे जाने का कारण यह है कि बाजरा जब खलिहान में में था तो असमय वर्षा हो जाने से काला पड़ गया था।

(2) जी नहीं। प्राप्त सूचना के अनुसार 680 क्विन्टल बाजरा केन्द्रीय सरकार के खाते में व 325 क्विन्टल राज्य सरकार के खाते में खरीद की गई है। राज्य सरकार द्वारा बाजरे की खरीद हेतु समय समय पर आवश्यक कदम उठाये गये हैं। यह आदेश जारी किये जा चुके हैं कि बाजरे में खराब (damaged) दाने भी हों वह भी 5 प्रतिशत तक foreign matter होने पर भी खरीदा जावे।

(3) मार्केटिंग सहकारी समिति सांचोर को 15-4-71 से खरीद की एजेन्सी दी जा चुकी है।

बाड़मेर जिले के अभावग्रस्त ग्राम

655. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में इस वर्ष कितने गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त गांवों को कब अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं ?

(3) क्या उक्त गांवों में कहीं अकाल राहत कार्य खोले गये हैं ?

(4) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(5) राज्य सरकार द्वारा अकाल राहत कब शुरू कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में इस वर्ष 133 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) दिनांक 30 जनवरी, 1971 का अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) इस जिले में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम एवं अन्य कार्यों के चालू होने के कारण अभी सहायता कार्य चालू किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया।

(5) इस संबंध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

खारची विधान सभा क्षेत्र में अकाल राहत कार्य

656. **श्री सुरेन्द्रसिंह** (खारची) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खारची विधान सभा चुनाव क्षेत्र, जिला पाली में 1968-69 और 1969-70 के अकालों में कुल अकाल राहत के कितने कार्य शुरू किये गये थे ?

Page No 44

(श्री सुरेन्द्रसिंह)
कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त दो अकालों में कितने कार्य राज्य सरकार ने सैंक्शन किये और उनमें से कौन कौन से चालू नहीं किये गये?

(3) इनमें से कौन कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) जो कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं, उनको कब तक पूर्ण करवाया जायगा?

उत्तर

(1) खारची विधान सभा क्षेत्र जिला पाली में सन् 1968-69 और 1969-70 के अकालों में स्वीकृत किये गये एवं प्रारम्भ किये गये कार्यों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) सूचना उपरोक्त सूची में अंकित है।

(3) सूचना उपरोक्त सूची में अंकित है।

(4) इनमें से कुछ कार्यों को ग्रामीण निर्माण योजना (रूरल वर्क्स प्रोग्राम) के अन्तर्गत व शेष कार्यों का जब कभी प्रावधान उपलब्ध होगा पूरा करवाने के विषय में विचार किया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

ग्राम पंचायत कठूमर द्वारा प्लॉटों का बेचान

657. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कठूमर ग्राम पंचायत ने गत 5 वर्षों में कितने आवासीय अथवा दुकानों के लिए प्लॉट बेचे हैं? इन प्लॉटों के बेचान से पंचायत को कितनी आमदनी हुई है? इस रकम को कहां जमा कराया गया है तथा कब व उसमें से किस किस मद पर खर्च किया गया है? क्या इस समय पंचायत कोष में कुछ रकम बाकी है? यदि हां, तो कितनी?

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति, लाडनूं के कर्मचारियों के लिये आवास गृह

658. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर में कर्मचारियों के लिए आवास गृह हैं? यदि हां, तो कितने किन-किन कर्मचारियों के लिए?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त आवास गृहों का किराया उनमें निवास करने वालों से समिति में जमा हुआ?

(3) इन आवास गृहों में रहने के अधिकृत कर्मचारी ही इन आवास गृहों में रहे हैं, या कोई अनाधिकृत व्यक्ति भी इन में रहा?

(4) उक्त आवास गृहों को उपयोग में लाने के लिये किसी अधिकारी ने किसी को रहने के लिए एलॉट किया हो तो उनका विवरण 1965 से लेकर अब तक का सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(5) उक्त आवास गृहों को उपयोग में लेने के सम्बन्ध में कोई नियम बने हुये हों तो उनकी प्रति भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) किन्हीं कर्मचारियों में किराया बाकी हो तो उनका विवरण प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) जी हां। कुल 14 आवास गृह, विकास अधिकारी, प्रसार अधिकारी तथा अन्य स्टाफ व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए हैं।

(2) जी हां।

(3) पंचायत समिति के अधिकारी/कर्मचारी के अलावा अन्य व्यक्ति भी आवास गृहों में रहे हैं।

(4) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) अलग से कोई नियम नहीं बने हुए हैं।

(6) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

सवाई माधोपुर जिले में मत्स्य पालन कार्य

659. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई-माधोपुर) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सवाई-माधोपुर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर पौष्टिक पदार्थ वितरण एवं मत्स्य-पालन कार्यालय स्थापित है? यदि हां, तो कब से और इस पर 31 मार्च सन् 71 तक क्या व्यय हुआ है?

(2) उक्त कार्यालय द्वारा अब तक कितना मत्स्य-पालन किस-किस बन्धे में किया और किस-किस किस्म का कितना पौष्टिक पदार्थ अब तक किस-किस पंचायत समिति में वितरित किया है?

(3) क्या यह सही है कि इस कार्यालय पर हुए व्यय को देखते हुए इसके द्वारा किया गया कार्य नगण्य है? यदि हां, तो राज्य सरकार इसके सुधार के लिए क्या कदम उठाना चाहती है?

(सरकार द्वारा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

विद्यालय निरीक्षक अलवर द्वारा पदोन्नतियां

660. **श्री गोकुलचन्द जाटव**(खैरथल): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के वित्त विभाग के आदेश दिनांक 26-8-67 के द्वारा थर्ड ग्रेड के टीचर्स के लिए सलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति हेतु दिनांक 1-9-61 से प्रशिक्षण की शर्त हटा दी गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि वरिष्ठता में क्रम प्राप्त कुछ अप्रशिक्षित (अनट्रेण्ड) टीचर्स जो प्रथम वार सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति से वन्चित रह गये थे कई पदों की व्यवस्था करने की दृष्टि से विद्यालय निरीक्षक, अलवर ने अपर निदेशक, शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर को यह

Page No 46

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

लिखा है कि प्रशिक्षित मैट्रिक योग्यता वाले ऐसे अध्यापकों को जो कि कनिष्ठ सिलेक्शन ग्रेड प्राप्त कर चुके हैं उनको रिवर्ट करने की स्वीकृति दी जाय ?

(3) क्या सरकार को जानकारी है कि शिक्षा निरीक्षक, अलवर के लेखानुसार अपर निदेशक, शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर परोक्त विषय में कोई निर्णय नहीं ले पाये हैं ?

(4) यदि हां, तो इस विषय में सरकार कब तक निर्णय ले सकेगी ?

(5) क्या यह सही है कि श्री रघुवीरस्वरूप भट्ट साहित्याचार्य, संस्कृत अध्यापक, राजकीय प्रताप माध्यमिक विद्यालय, अलवर की मांग संयुक्त शिक्षा निदेशक, जयपुर के विचाराधीन है कि उनकी जो पदोन्नति दिनांक 24-11-66 से स्वीकार की गई है वह सैकिन्ड ग्रेड में ता. 2-7-62 से स्वीकार की जाय ?

(6) क्या यह भी सही है कि श्री रघुवीरस्वरूप भट्ट ने अपनी मांग के औचित्य के बारे में राज्यादेश क्रमांक एफ. 6 (4) (129) शि. प्र. 2/62, तारीख 29-7-66 का जिक्र किया है जिसके अनुसार श्री विद्यालय निरीक्षक, अलवर ने भी अपनी ओर से अनुमोदन कर संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, जयपुर को प्रेषित कर दी है ?

(7) उपरोक्त कार्यवाहियों में अभी तक निर्णय नहीं लिया जा सका है? इसका क्या कारण है बताने की कृपा करेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है।

(2) जी नहीं यह सही नहीं है क्योंकि अप्रशिक्षित अध्यापक चाहे वे वरिष्ठता में सिनियर ही क्यों न हों, को 26-8-67 तक सिलेक्शन ग्रेड नियमानुसार नहीं दिया जा सकता था।

विद्यालय निरीक्षक, अलवर द्वारा 26-8-67 के संशोधन के कारण निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से ऐसे अप्रशिक्षित अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नत करने के लिये पद मांगे गये हैं अथवा इससे पूर्व जो प्रशिक्षित अध्यापक जिन्हें सिलेक्शन ग्रेड दिया गया है के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है।

(3) जी हां।

(4) यह मामला शिक्षा निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के यहां विचाराधीन है। उन्हें शीघ्र निर्णय लेने हेतु लिखा जा रहा है।

(5) जी नहीं, यह सही नहीं है। उनके सम्बन्ध में निर्णय प्राप्त हो चुका है जिसकी सूचना सम्बन्धित अध्यापक को दी जा चुकी है।

(6) जी हां। यह तो सही है कि इन्होंने आदेश का प्रसंग दिया है लेकिन ये राज्यादेश में वर्णित शर्तों की पूर्ति नहीं करते हैं। जिसके कारण इन्हें 2-7-62 से पदोन्नति नहीं दी जा सकती है।

Page No 47

(शिक्षा मंत्री)

(7) जी नहीं । यह सही नहीं है, ग्रेड के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा चुका है जिसकी सूचना इन्हें दी जा चुकी है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नागौर जिले की शिक्षण संस्थाओं को सहायता

661. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले में कौन कौन सी शिक्षण संस्थाओं को कितनी कितनी सहायता सन् 1970–71 में शिक्षा विभाग ने दी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त संस्थाओं का कुल खर्चा कितना कितना हुआ, जिसका कितना कितना प्रतिशत शिक्षा विभाग ने दिया ?

(3) शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में कौन कौन से खर्चे शामिल किये गये हैं ?

(4) उपरोक्त संस्थाओं को किस किस वर्ष में सहायता देना स्वीकार किया गया था ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 70-71 के अनुदान की सूची मय आय-व्यय, प्रशिक्षण, अनुदान राशि के संलग्न है ।

(2) संस्थाओं द्वारा किये खर्च को विभाग द्वारा मान लिया गया उसे सूची के कॉलम 3 में "आय-व्यय" के अन्तर्गत दिखाया गया है, इस पर प्रत्येक संस्थाओं की प्रतिशत कॉलम 4 में दिखाई गई है। क्रम संख्या 41 से 42 की संस्थाओं को 3 वर्ष अनुदान दिया गया है अतः आय-व्यय, इस समय प्राप्त नहीं है ।

(3) अनुदान नियमानुसार मान्य हैं, उन पर ही अनुदान दिया जाता है । प्रत्येक संस्था के अलग 2 वर्ष होते हैं अतः सभी के समान नहीं होते हैं । सामान्य खर्च मोटे तौर पर वेतन, भत्ता, पी. एफ. एवं कान्टिन्जेंसी के कुछ खर्च जैसे, स्टेशनरी, पानी, प्रकाश, डाक, पाठन सामग्री, फर्नीचर और भवन मरम्मत व किराया, खेत, दस्तकारी, पुस्तकालय, वाचनालय अंकित शुल्क तथा अन्य पेटा व्यय शामिल है । यात्रा भत्तों में केवल कर्मचारियों का वेतन भत्ता ही दिया गया है ।

(4) संस्थाओं को जिन वर्षों से सहायता स्वीकार की गई उसका उल्लेख सूची के अन्तिम कॉलम में दिया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

बाड़मेर जिले में नये प्राईमरी स्कूल खोलने का निर्णय

662. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बाड़मेर जिले में इस वर्ष 1971-72 में कितनी प्राईमरी स्कूलें खोले जाने का

Page No 48

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है? जानकारी तालिका में देने की कृपा करें।

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा सन् 1971-72 में तीस प्राथमिक शालायें खोलने का प्रावधान रखा गया है। इसमें से 20 नहरी क्षेत्र में तथा 10 शहरी क्षेत्र में खोली जावेगी।

निर्वाचन सूचियों में संशोधन

663. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारतीय चुनाव आयोग ने हाल ही में विभिन्न राज्य की विधान सभाई निर्वाचन सूचियों के जनरल रिवीजन का निर्णय लिया है और सम्बन्धित आदेश मुख्य चुनाव अधिकारी जो इलेक्टोरल ऑफिसर भी हैं के कार्यालय में प्राप्त हो चुके हैं?

(2) क्या यह सही है कि मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस सम्बन्ध में प्रोग्राम बना कर सम्बन्धित इलेक्टोरल ऑफिसर्स को प्रेषित कर दिया है? यदि हां, तो इसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार को यह इल्म है कि निर्वाचन अधिकारी (एस. डी. ओ.) सवाई माधोपुर ने उक्त प्रोग्राम के अन्तर्गत अभी कोई कार्यवाही नहीं की है? और यदि की है, तो क्या?

(4) क्या यह सही है कि स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर ने आम जनता के ज्ञान के लिए यह प्रोग्राम किसी भी दैनिक अथवा साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित नहीं करवाया है? यदि करवाया है, तो किस-किस पत्र में किस तारीख को यह प्रकाशन हुआ है? और यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। प्रोग्राम की प्रति संलग्न है।

(3) राज्य सरकार की जानकारी के अनुसार एस. डी. ओ., सवाई माधोपुर ने निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु समस्त प्रारंभिक तैयारियां जैसे प्रगणकों व पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, उनका प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया व समस्त प्रगणकों को फार्म व डायरी व स्टेशनरी का सामान दे दिया है व गांवों में नाम लिखने का कार्य दिनांक 1 मई से शुरू कर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में यह कार्य दिनांक 15-5-71 से प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) जी नहीं। निर्वाचन विभाग की ओर से निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के कार्यक्रम की सूचना राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति में दिनांक 29-4-71, राष्ट्रदूत में दिनांक 30-4-71 को प्रकाशित की गई है तथा इस सूचना को हिन्दी के दैनिक नवभारत टाइम्स व मारवाड़ टाइम्स व अंग्रेजी के दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स व नवज्योति हैरल्ड में प्रकाशित किये जाने के लिये भेजा गया है। इस तरह के और भी विज्ञापन देने का कार्यक्रम है।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

स्थगित प्रश्न
(27-4-71)

पलाडा ग्राम की पाठशाला

501. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पलाड़ा तहसील नांवा जिला नागौर के श्री उगमसिंह 18 राजस्थान बटालियन एन. सी. सी. पाली में नियुक्त हैं, और उन्होंने भारतीय सैनिक होने के नाते पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था, उस समय उनका पुत्र प्रतापसिंह उपरोक्त ग्राम की पाठशाला में पढ़ता था ?

(2) क्या यह सही है पलाड़ा के प्रधानाध्यापक उपरोक्त विद्यार्थी के पीछे ईर्ष्यावश पड़ गये और उन्होंने पहिले उसे फेल कर दिया फिर स्कूल से बाहर निकाल दिया ?

(3) इस बच्चे को स्कूल से निकालने के क्या कारण थे ?

(4) क्या यह सही है कि श्री उगमसिंह ने शिक्षा मंत्री का ध्यान इस बारे में बार-बार दिलाया ? क्या शिक्षा मंत्री ने इस कार्य में कुछ किया ? यदि हां, तो क्या किया ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(29-3-71, 19-4-71 व 26-4-71)

देवस्थान विभाग के आधीन मन्दिर

126. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में देवस्थान विभाग के अधीन कितने मन्दिर हैं तथा उनमें पूजा आदि की क्या व्यवस्था है ?

(2) उक्त मन्दिरों की अचल सम्पत्ति क्या-क्या है और उनसे किराये में हर साल क्या आमदनी होती है ?

(3) देवस्थान विभाग की कितनी बकाया कब से किन लोगों में है ? और इसकी वसूली की क्या कार्यवाही चल रही है ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) विभाग के द्वारा किन-किन लोगों व संस्थाओं को कितनी सहायता दी जाती है ? हर जिले की व्यक्तिवार व संस्थावार सूचियां सदन की मेज पर रखें ।

(5) मन्दिरों की मरम्मत आदि पर हर साल क्या खर्च होता है ?

(6) विभाग के कर्मचारियों पर कितने गबन के केस चल रहे हैं, कब से किस प्रकार के हैं ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) राज्य में देवस्थान विभाग से प्रबन्धित निम्न श्रेणी के 796 मन्दिर हैं ।

Page No 50

(देवस्थान मंत्री)

इनमें सेवा पूजा आदि की व्यवस्था पर स्थानीय निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, प्रबन्धक आदि द्वारा निगरानी रखी जाती है।

(1) डायरेक्ट चार्ज 344

(2) आत्म निर्भर 146

(3) कोर्ट ऑफ वार्ड्स 10

(4) सिपुर्दगी 296

योग.... 796

(2) उक्त मन्दिरों के साथ (मुख्य मन्दिर के अलावा) अचल सम्पत्ति, मकानात, दुकानें, नौहरे, बाग व भूमि हैं। इनसे किराया व ठेका की हर वर्ष रु. 3,14,281) की आय होती है।

(3) भवनों के किराये के 1,65,-725) रु. तथा ऋण के 3,57,915) रु. बकाया हैं। यह कब से किस किस में बकाया है नामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) विभाग द्वारा मन्दिरान व धार्मिक संस्थाओं को 4,30,000) रु. वार्षिक सहायता दी जाती है।

(5) इसी तरह असहाय, अपाहिज आदि व्यक्तियों को भरण-पोषण के लिए 5,50,000) रु. वार्षिक दिए जाते हैं। हर जिले की संस्थावार व व्यक्तिवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। देवस्थान विभाग से प्रबन्धित मन्दिरों के जीर्णोद्धार पर हर वर्ष 1,10,000) रुपयों के लगभग व्यय होता है।

(6) विभाग के दो कर्मचारियों पर गबन के मामले चल रहे हैं वे कब से व किस प्रकार के हैं सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(28-4-71)

कठूमर में बिजली के लिये वसूल की गई राशि

534. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कठूमर कस्बे में जिन जिन अनुसूचित जाति की बस्तियों में बिजली के लट्ठे लगाये गये हैं उसके लिये बस्ती वालों से 40 व 50 रुपया प्रति लट्ठे के हिसाब से वसूल किया गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया?

उत्तर

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

स्थगित प्रश्न

(3-5-71)

जिला परिवार नियोजन अधिकारी, अलवर के पास कर्मचारियों के बकाया बिल

557. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जुलाई, 1970 से मार्च, 1971 के बीच ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्रों में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
काम करने वाले किन किन कर्मचारियों के सन् 1969 व 1970 के यात्रा भत्ता बिल भुगतान हेतु जिला परिवार नियोजन संस्थान, अलवर से प्राप्त हुए? उनमें से अब तक किन किन कर्मचारियों का किन किन महीनों के यात्रा भत्तों के बिलों का भुगतान हो चुका है और अब किन किन कर्मचारियों के किन किन महीनों का भुगतान होना बाकी है और उनके बिलों के भुगतान न होने के क्या क्या कारण हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्रों में कार्य कर रहे जिन जिन कर्मचारियों को जिन जिन महीनों का यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान जुलाई, 70 से मार्च, 1971 तक किया गया है उन महीनों में उन कर्मचारियों द्वारा कितने कितने नसबन्दी और लूप प्रविष्टि के केस लाए गए थे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अलवर जिला परिवार नियोजन संस्थान के अन्तर्गत क्या कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें मार्च, 1970 से मार्च, 1971 के बीच कई महीनों तक वेतन नहीं मिला हो? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की सूची मय उस अवधि जिसका वेतन उन्हें नहीं मिला या देरी से मिला, मय उन कारण के जिनके कारण वेतन समय पर नहीं दिया गया, सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या जिला परिवार नियोजन अधिकारी, अलवर ने यात्रा बिल पास करने के लिए कोई मापदण्ड और अवधि निश्चित की हुई है? यदि हां, तो वह क्या है? क्या राज्य सरकार ने भी इस प्रकार के बिलों को पास करने और भुगतान करने के लिए कोईमापदण्ड और अवधि तय की हुई है? यदि हां, तो क्या?

(5) क्या विभाग के उच्च अधिकारियों ने जांच की है कि अलवर जिला परिवार नियोजन संस्थान में यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में अनियमितताओं, मनमानी और पक्षपात से कर्मचारी परेशान हैं? यदि हां, तो यह जांच कब की और किसने की तथा उसका क्या परिणाम निकला? यदि जांच नहीं की गई, तो क्या सरकार अब जांच करेगी?

उत्तर

(1) जुलाई, 1970 से मार्च, 1971 के समय के भुगतान हो चुके व भुगतान होने से बचे हुए कर्मचारियों के यात्रा भत्ता बिलों से सम्बन्धित वांछित सूचना सूची 'अ' व 'ब' और 'स' में वांछित कर दी गई है जो सदन की मेज पर प्रस्तुत है। जिन कारणों से भुगतान नहीं हुआ वे कारण सूची 'क' में अंकित हैं।

(2) वांछित सूचना सूची 'स' में अंकित कर दी गई है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, विवरण सूची 'ब' जिस पर वांछित सूचना उपलब्ध है, सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) यात्रा भत्ता बिल पास करने में निम्न प्रकार मापदण्ड साधारणतया काम गया है:—

1. वार्षिक क्रमानुसार।

(परिवार नियोजन मंत्री)

2. लक्ष्य प्राप्ति में अधिकाधिक उपलब्धि के अनुसार।

(5) कथित शिकायतों की जानकारी राज्य सरकार के ध्यान में नहीं आई है। यदि कोई इस विषय की शिकायत आयेगी तो सरकार अवश्य जांच करवायेगी।

स्थगित प्रश्न

(3-5-71)

टौंक जिले के सरपंचों पर बकाया

564. श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टौंक जिले की किन किन पंचायतों के सरपंचों में किस किस प्रकार की सरकारी बकाया कब से बाकी हैं ? पंचायत समितिवार, नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) टौंक जिले के किस किस सरपंच पर गबन, लापरवाही, पद के दुरुपयोग के कितने मामले विचाराधीन हैं और उन पर क्या क्या कार्यवाही कहां कहां की जा रही है ? सरपंचों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्थगन-प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्थाएं

श्री **अध्यक्ष** : स्थगन-प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्नांकित स्थगन-प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:—

(1) श्री नन्दलाल, श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री भगवानदास शास्त्री, श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री रामप्रसाद बोहरा व श्रीमती शिवकुमारी, सदस्य, विधान सभा ने सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से कम कीमत पर खाद्य निगम द्वारा गेहूँ की खरीद से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री दौलतराम सारण व श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें सरदारशहर तहसील के ग्राम देगां आग से जलकर नष्ट हो जाने तथा राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समुचित सहायता न देने का उल्लेख किया गया है।

(3) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें दिनांक 4 अप्रेल, 1971 को गंगानगर जिले के सिंचाई विभाग के तमाम इंजीनियर्स के एक साथ झूठा सरकारी कार्य बतलाकर दिल्ली जाने तथा दिल्ली में उनके द्वारा अपनी पत्नियों व अन्य रिश्तेदारों के नाम 30 लाख रु. का वातानुकूलित सिनेमा गृह बनाने का उल्लेख किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : किन के नाम ?

श्री अध्यक्ष : पत्नियों के नाम।

श्री मनोहरसिंह मेहता : किन किन की पत्नियां हैं ?

श्री अध्यक्ष : तमाम कर्मचारी गंगानगर।

(4) एक अन्य स्थगन-प्रस्ताव की सूचना भी श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई है जिसमें कहा गया है कि केन्द्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की लीज की अवधि माह अप्रेल में समाप्त हो गई है किन्तु इस अवधि को न तो राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया गया है और न इस सम्बन्ध में कोई घोषणा की गई है।

उपरोक्त चारों स्थगन-प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

कुछ पेंडिंग स्थगन-प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है। ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं:—

(1) श्री गंगानगर-हनुमानगढ़ मार्ग पर गंग केनाल का पुल टूट जाने से आवागमन अवरुद्ध हो जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन-प्रस्ताव।

(2) राजस्थान कृषि फार्म, दुर्गापुरा के 150 कर्मचारियों को सेवा मुक्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन-प्रस्ताव।

(3) रेजगारी की किल्लत से आम नागरिकों को असुविधा के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र व श्री विट्ठल भाई, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन-प्रस्ताव। यह विषय केन्द्रीय सरकार का है।

उपरोक्त स्थगन-प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जावे। अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय,........

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, रेजगारी के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव दिया है उसके बारे में आपने यह व्यवस्था दी है कि यह केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर कोई भी आदमी किसी होटल में खाना नहीं खा सकता, उसको चाय नहीं मिल सकती है, रिक्शेवाला रिक्शे में नहीं बैठाता है रेजगारी की वजह से। इस प्रकार की स्थिति शहर भर में हो रही है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि व्यवस्था राज्य सरकार के हाथ में है, और इस प्रकार से रेजगारी ब्लेक में मिल रही है। इस पर आपने जो इस प्रकार की व्यवस्था दी है तो मैं यह कहूंगा कि इस सम्बन्ध में पुनः विचार करें और राज्य सरकार से जो अव्यवस्था है उसको दूर करने के लिए कहें, क्योंकि यहां के लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही है। रेजगारी की 132 रुपये तक कीमत बढ़ गई है। इस समय लोग ब्लेक में रेजगारी बेच रहे हैं। बगैर रेजगारी पास हुए कोई चीज नहीं मिलती है। इस प्रकार की घटना पर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकार की भी कोई जिम्मेवारी है....

Page No 54

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हो गया, माननीय सदस्य ।

श्री रामचन्द्र आर्य : जयपुर में आपका राज्य नहीं है क्या ?...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या चोरी करने वालों को आप पकड़ नहीं सकते ? केन्द्रीय सरकार यहां कहां आकर काम करेगी ? यहां पर तो आपकी जिम्मेवारी है। माननीय वित्त मंत्रीजी को इस पर विचार करना चाहिए, अध्यक्ष महोदय। अतः इस पर पुनः विचार किया जाय ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : केवल एक....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, कल मैं काफी हाउस गया था और काफी पीकर उसको एक रुपया दिया तो बाकी के पैसे लौटाने में उसने असमर्थता प्रकट की। मैंने कहा कि तुम्हारे पास रेजगारी तो है फिर देते क्यों नहीं हो तो उसने बताया कि 30 पर्सेन्ट ऊपर ब्लेक में मिलती है रेजगारी। जब ब्लेक में मिलती है तो इसकी कुछ न कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए ।

श्री दौलतराम सारण : यह व्यवस्था अध्यक्ष महोदय, जो आपने दी है वह तो शिरोधार्य है, लेकिन सवाल एक है कि रेजगारी ढालने और रेजगारी प्रचलित करने का अधिकार तो केन्द्रीय सरकार का है, लेकिन रेजगारी के सम्बन्ध में कोई गैर-कानूनी कार्यवाही करे, उसको ब्लेक में बेचे, उसका अनधिकृत रूप से उसका उपयोग करे तो यह सारी प्रक्रिया गृह विभाग के हाथ की है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ स्टेप लेने चाहिए ।

दूसरा, रेजगारी का सम्बन्ध आम जनता से है। रेजगारी न हो ऐसी बात नहीं है। रेजगारी खुले आम मिल रही है, लेकिन 20 पैसे का काटा देने के बाद मिलती है। रेजगारी नहीं होती तो उनके पास कहां से आती लेकिन कुछ बड़े बड़े व्यापारियों ने रेजगारी का संग्रह कराने के लिए अनुचित तरीका अख्त्यार किया है और उन्होंने इस कान के लिए अपने आदमी लगा रखे हैं.......

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हो गया ।

श्री दौलतराम सारण : वह संग्रह करके ब्लेक में बेचते हैं। राज्य सरकार का इससे सम्बन्ध है। इसलिए इस मामले पर पुनर्विचार करके राज्य सरकार का वक्तव्य दिलायें ।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता को समझता हूं.......

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : ऐसा है कि राज्य सरकार को मालूम होगा कि तीन और दो पैसे के सिक्के आते हैं तो उनकी कीमत वैसे तो 2 पैसे और तीन पैसे हैं, लेकिन इनको कुछ लोग फाउन्टेनपेन की निब बनाने और इस तरह के कार्यक्रम बनाने के काम में लेने लगे हैं, क्योंकि उसमें उनको काफी मुनाफा होता है तो

Page No 55

(श्री दुर्गालाल बाढ़टार)
ब्लेक में 100 के बजाय 120 में सारी रेजगारी को खरीद करके सारी रेजगारी से काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हो गया।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इसकी आधा घन्टे की चर्चा रखें। बहुत तकलीफ पा रहे हैं। सारे राजस्थान में भयंकर संकट है।

श्री मोहनलाल मोदी : सारी आम जनता को इससे बड़ा संकट पैदा हो रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इस पर चर्चा होना चाहिए।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष आपने फरमाया.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आॅर्डर प्लीज।

इस प्रश्न पर माननीय सदस्य चिन्ता कर रहे हैं वह वाकई में महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैंने जो स्थगन-प्रस्ताव को अस्वीकार किया है तो मेरी भी वह व्यवस्था थी जिससे वह नियमों के अन्तर्गत मुझको उसको अस्वीकार करना पड़ा। दूसरी बात यह है कि इससे आम जनता को दिक्कत हो रही है। मैं स्वयं इस पर सोच रहा हूं कि कैसे इस प्रश्न को सदन के प्रांगण पर उठाया जाय कि जिससे वित्त मन्त्री जी स्टेटमेंट दे सकें। आखिर यह सारे राजस्थान का विषय बना हुआ है, और इस पर किस प्रकार से नियन्त्रण किया जा सकता है और किस प्रकार से भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकते हैं। राज्य सरकार की इस पर प्रतिक्रिया हो तो उसके बाद में इस पर किसी प्रकार सोच सकते हैं।

वित्त मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस तरह से रेजगारी बाजार में नहीं मिलने के कारण आम लोगों को तकलीफ हो रही उसके कारण चिन्तित हैं तो उससे राज्य सरकार भी बहुत चिन्तित है। मैं इस वक्त इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि भारत सरकार के सम्बन्धित मन्त्रालय को लिख कर इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है उसकी कोशिश हम करेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जब तक इस सदन में चर्चा नहीं करेंगे तब तक ये लोग इस बात को महसूस नहीं करेंगे। न खाने को मिल सकता है, न बस में बैठने को मिल सकता है और न सब्जी मिल सकती है।

श्री दौलतराम सारण : मैं वित्त मन्त्री जी से एक बात पूछना चाहूंगा। क्या रेजगारी को कोई गैर-कानूनी तरीके से इस्तेमाल करे, उसका ब्लेक मार्केटिंग करे, उसका संग्रह कर लेना यह किसी कानून के दायरे में नहीं आता है?

श्री अध्यक्ष : अभी यह प्रश्न यहां पर नहीं आया है। अभी प्रश्न उसकी किल्लत का है।

श्री दौलतराम सारण : किल्लत पैदा क्यों होती है? उसका ब्लेक मार्केटिंग और चोरी होती है। समस्या ब्लेक मार्केटिंग और चोरी के खिलाफ कार्यवाही करने की है और वह इस सरकार को अधिकार है।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सम्बन्ध में एक सुझाव है कि किसी तरह से इसके बारे में सदन की ओर से एक प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भेज दिया जाना चाहिए। इसके अन्दर सारी चिन्ता व्यक्त हो सकती है।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : बाजार में पानी पीते हैं तो रेजगारी की समस्या, दूकान पर सब्जी लेने जाते हैं तो रेजगारी की समस्या।

श्री अध्यक्ष : यह रख दिया गया है। इसकी पुनरावृत्ति क्यों ?

श्री मोहनलाल मोदी : इमीजियेट एक्शन लें माननीय वित्त मन्त्री जी।

श्री अध्यक्ष : इस तरह से तो बरसात होने लग जायगी। ऑर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय वित्त मन्त्री जी के उत्तर से ऐसा आभास लगता है कि अभी तक सरकार की ओर से बावजूद इसके कि इस सेशन के शुरू होने पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था, अभी तक सरकार की ओर से केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में कोई बातचीत नहीं की गई और न उनके नोटिस में जनता की दिक्कत को लाया गया है। क्या यह बात सही है कि सरकार की ओर से अभी तक कोई कदम नही उठाया गया है ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एड्जोर्नमेंट मोशन तो आपने एडमिट नहीं किया, यह ठीक है। अगर राज्य सरकार से इसके बारे में स्टेटमेन्ट डिटेल्स में चाहिये तो हमको समय दें हम स्टेटमेन्ट दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, इस प्रश्न को किस तरह से उठाया जाय जो कि पेंडिंग कर लिया गया है तो मेरे ख्याल से राज्य सरकार इस सदन में स्टेटमेन्ट दे देगी। मैं अभी तो नहीं कह सकता कि किस ढंग से इस प्रश्न को उठायेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : जैसा आपका डाइरेक्शन होगा उसका पालन होगा।

श्री फतेहसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : जानकारी इस प्रश्न पर नहीं लेना है।

श्री फतेसिंह : मेरी जानकारी से सरकार को लाभ होगा। एक दिन की घटना है कि जौहरी बाजार में एक होटल में मैं गया। जब ऊपर चढ़ रहा था तो अंधेरे में एक गली पड़ रही थीं, वहां दो सुनारों को बैठे हुये मैंने देखा। एक तराजू में पांच, दो, तीन पैसे वाली रेजगी थी। वह तोल रहे थे। और एक आदमी उनके पास बैठा हुआ था। तो सरकार का यह दायित्व होता है, ऐसा कानून हो ताकि इस प्रकार के कार्यो को वह रोके। पुलिस विभाग को विजीलेण्ट होना चाहिये। यह आपकी जानकारी के लिए मैंने निवेदन किया। इस पर भी आप ध्यान दें।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : किस बारे में ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : गल्ले के भावों के बारे में अध्यक्ष महोदय, गेहूं का भाव 60 रु. तक हो गया है। एफ. सी. आई. खरीद नहीं रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यहां यह प्रश्न उठता है, किसी प्रश्न को जानकारी के लिए दे दिया जाय तो आप बोलें। अस्वीकार किया जाये तब आप बोलें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, कल ही इस पर वक्तव्य दिला दें।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, दुर्गापुरा कृषि फार्म से निकाले गये मजदूरों के सम्बन्ध में मैंने स्थगन-प्रस्ताव दिया है। आपने अस्वीकार किया है। मेरा निवेदन है कि अनएम्प्लॉयमेन्ट के जमाने में जबकि सरकार बेरोजगार लोगों को एम्प्लॉयमेन्ट दे, सरकार खुद निकाल रही है। 181 लोगों के बारे में पहले ही आया है। क्या सरकार यह सोचती है कि उनको हम कहीं न कहीं लगायें ?

श्री अध्यक्ष : आज इस पर वक्तव्य है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस पर नहीं है। मैं यह नहीं चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : मैंने अर्ज किया कि आज एग्रो-इण्डस्ट्रीज के मजदूरों पर वक्तव्य है। अगर दुर्गापुरा के बारे में माननीय मन्त्री सजग हों तो आप प्रश्न पूछ लें।

उद्योग मन्त्री जी !

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग-मन्त्री की ओर से निम्नांकित पत्र सदन की मेज पर रखता हूं:—

(i) राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, 1969-70, तथा

(ii) राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 31-3-70 के समाप्ति के अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं लेखे।

श्री रामचन्द्र आर्य : (अश्रव्य)

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : एग्रो-इण्डस्ट्रीज के सेवा-मुक्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में कृषि मन्त्री जी द्वारा वक्तव्य।

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : अध्यक्ष महोदय, कृषि उद्योग निगम के सेवा-मुक्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में पहले भी तारीख 16 अप्रेल, 1971 को मैंने सदन में इस विषय पर प्रकाश डालने की चेष्टा की थी। माननीय सदस्यों को बताया जा चुका है कि कृषि अभियान्त्रिक मण्डल जिसमें वर्क चार्ज कर्मचारीगण कार्य कर रहे थे उन समस्त कर्मचारीगण की सेवायें निगम को सौंपने या मण्डल के अन्तर्गत ही चालू रखना सम्भव नहीं था। अतः कुछ कर्मचारीगण का छंटनी करना अनिवार्य हो गया। इस सम्बन्ध में कर्मचारीगण के संगठन की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक श्रेणी में अतिरिक्त कर्मचारीगण की छंटनी उनकी कनिष्ठता के आधार पर की जावेगी। तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (एफ.)

(श्री शोभाराम)

व 25 (एफ. एफ.) के तहत जो सेवा-निवृत्ति के लाभ देय होते हैं वो उन समस्त कर्मचारीगण को दिये जावेंगे जिनकी सेवायें, उपरोक्त आधारों पर, समाप्त की जाती हैं। यह भी निर्णय लिया गया कि उन समस्त कर्मचारीगण जिनकी सेवाओं को उपरोक्त आधारों पर समाप्त करनी पड़े को प्रथम तो कर्मचारीगण के संगठन से पूर्व लिये गये समझौते को समाप्त करने हेतु दो महीने का नोटिस तथा सेवायें समाप्त करने हेतु एक महीने का नोटिस, यानी कुल 3 महीनों का नोटिस, का समय दिया जावे। व तत्पश्चात् सेवा-निवृत्ति लाभ देते हुये उनकी सेवायें समाप्त की जावें। उपरोक्त सिद्धान्तों तथा प्रक्रिया से कर्मचारीगण के संगठनों की पूर्ण सहमति थी, तथा उन्होंने कृषि अभियान्त्रिक मण्डल के अधिकृत अधिकारी के साथ इस प्रकार का औपचारिक समझौता भी तारीख 27 मार्च, 1970 को लिखित रूप में किया। इस समझौते के अनुसार आगामी कार्यवाही की गई जो कि न केवल पूर्ण रूप से वैधानिक थी, अपितु कर्मचारीगण के संगठनों की पूर्ण सहमति के पश्चात् की गई। इसके उपरान्त भी राजस्थान एग्रीकल्चर वर्कशॉप कर्मचारी यूनियन एवं राजस्थान एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एम्प्लॉईज यूनियन का इस सम्बन्ध में यह रुख रखना कि उनकी छंटनी वैधानिक नहीं है, कतई न्यायसंगत नहीं है। फिर भी राज्य सरकार ने इस मामले को औद्योगिक न्यायाधिकरण को हस्तान्तरित कर दिया।

उपरोक्त स्पष्टीकरण से विदित होगा कि राज्य सरकार तथा राजस्थान कृषि अभियान्त्रिक मण्डल द्वारा इस सम्बन्ध में जो समस्त कार्यवाही की गई वह न केवल न्यायसंगत थी अपितु कर्मचारीगण के यूनियनों की पूर्ण सहमति भी उसके लिए प्राप्त थी। और जो उनके साथ औपचारिक रूप से समझौता किया गया था उसी के अनुसार थी। जिन कर्मचारीगण ने सेवा-निवृत्ति के समस्त लाभ वैधानिक रूप से प्राप्त कर लिए वे सेवा-निवृत्ति की तिथि से राज्य सरकार अथवा राजस्थान कृषि अभियान्त्रिक मण्डल के कर्मचारी नहीं रहे। फिर भी मानवता के आधार पर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस प्रकार के सेवा-निवृत्त कर्मचारीगण, जिनकी संख्या 181 थी, की श्रेणीवार सूची सामान्य प्रशासन विभाग को भेजकर इन्हें अन्य राजकीय विभागों में नियुक्ति करने की चेष्टा की जावे। जिसके फलस्वरूप इस समय तक 80 कर्मचारीगणों के नियुक्ति के आदेश भी प्रसारित कर दिये हैं और यह भी चेष्टा जारी है कि शेष कर्मचारीगण को अन्य विभागों में एब्जॉर्ब कर दिया जावे। पिछले सप्ताह सामान्य प्रशासन विभाग को शेष कर्मचारीगण को एब्जॉर्ब करने के लिए लिखा जा चुका है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी उन्हें एब्जॉर्ब किये जाने के लिए अपनी सहमति भी दे दी है। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य कृषि उद्योग निगम में जब भी सम्बन्धित श्रेणी, जिसके लिये सेवा-निवृत्त कर्मचारीगण योग्यता रखते हों, में स्थान रिक्त हो या कोई पद सृजित किया जावे तो उपरोक्त प्रकार से छंटनी किये गये कर्मचारीगण को प्राथमिकता के आधार पर वहां नियुक्त किया जावे। इस समस्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट होगा कि राज्य सरकार ने न केवल वैधानिक प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन किया

(श्री शोभाराम)
अपितु कर्मचारीगण के हितों को सर्वथा दृष्टिगत रखा और उनके साथ पूर्ण सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया और करती रहेगी।

यहां पर यह भी निवेदन करना आवश्यक है कि कानूनी तौर पर वर्कचार्ज कर्मचारीगण को जबकि उनकी छंटनी नियमानुसार और वह भी उनकी सहमति से की जा चुकी है, एब्जॉर्ब करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर कतई नहीं है। लेकिन फिर भी जैसाकि बताया जा चुका है कि मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग को उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए लिख दिया है।

उपरोक्त तथ्यों से, अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट होगा कि इस समस्त मामले के सम्बन्ध में राज्य सरकार पूर्ण रूप से जागरूक है तथा उपर्युक्त कार्यवाही करती आ रही है व अब भी कर रही है। जहां तक औद्योगिक न्यायाधिकरण के इण्टेरिम रिलीफ का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में जो भी न्यायिक कार्यवाही उपयुक्त होगी, वह की जावेगी।

श्री विजयसिंह : मैं माननीय मंत्री जी सबसे पहले तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला यह पूछना चाहता हूं, आपने 181 कर्मचारियों को निकाला, क्या उसके बाद में वापिस वहां पर औरों की नियुक्ति हुई? दूसरी चीज मैं यह आपसे पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार से यह कहा जाता है कि चन्दनमल वैद जो हैं वह जैन हैं जाति से, इस वजह से जैन लोगों को ज्यादा भर्ती कर रहे हैं क्या यह सही है? उसके अन्दर दूसरी जाति के लोगों को निकाल कर अपना जातिवाद फैला रहे हैं—क्या यह सही है? 181 निकाले, उनमें से किसी जैन को निकाला है? इससे साफ मालूम हो जायगा किसी जैन को निकाला नहीं है और दूसरे जैन भर्ती कर रहे हैं। इसके अलावा 181 निकाले, उनके बदले दूसरे लोगों को ले लिया। पहले इसका स्पष्टीकरण करें।

श्री दुर्गालाल बाददार : अध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल। मैं आपको फिर दे दूंगा समय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, वैसे इस प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने पहले भी दिया था परन्तु माननीय मंत्री जी अपना उत्तर एक तात्कालिक एग्रीमेंट को आधार मान कर दे रहे हैं, जिसको मजदूर यूनियनों ने स्वीकार नहीं किया, और उसका इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट बना, जिसको सरकार ने खुद डिस्प्यूट स्वीकार किया है और इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को रेफर किया है, जब सरकार ने खुद ने इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को रेफेरेन्स कर दिया इसका मतलब यह है कि जो लोग भी निकाले गये हैं, और वह उस एग्रीमेन्ट के अनुसार नहीं है इसलिए सरकार ने उसको जेनुआइन डिस्प्यूट माना और इसलिए रेफरेन्स किया है। यदि वेलिड एग्रीमेन्ट होता और उसके तहत रिट्रेन्चमेन्ट होता तो फिर रेफरेन्स करने का सवाल पैदा नहीं होता है। यह सरकार ने रेफर कर दिया है, यह अपने आप में काफी सबूत है इस बात का कि वह प्रश्न विवादास्पद है, सब-जुडिस है, और सरकार की तरफ से, मजदूरों की तरफ से भी न्यायाधिकरण के तहत जेर तफतीश है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
इसलिए सरकार की तरफ से कहना कि यह सारा बिल्कुल वैधानिक तरीके से किया गया है, उचित तरीके से किया गया है और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है यह दुरुस्त नहीं है। यह बात डिस्प्यूट की है जोकि न्यायाधिकरण के तहत फैसला होने वाली है, जिसका अभी निर्णय नहीं हुआ है। आमतौर पर सरकार ऐसे मसले पर यह कहती है यह सब-जुडिस मामला है, इस पर निर्णय नहीं हुआ है। इस मामले में औचित्य है या नहीं—इसका तो फैसला वह ट्रिब्यूनल लेगा........

श्री अध्यक्ष : श्री बाढ़दार !

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका माननीय मंत्री जी ने एक सेन्टेन्स में जवाब दिया, पन्द्रह पर्सेन्ट इन्टेरिम रिलीफ देने का ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने दिया है। इस बात का फैसला होना है—रिट्रेन्चमेन्ट जायज है या नहीं। उसके बारे में कहा गया था, न्यायिक कार्यवाही की जायगी। इस न्यायिक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में मैं जानना चाहूंगा मंत्री जी से कि जो पन्द्रह पर्सेन्ट पेमेन्ट करने का आदेश है ट्रिब्यूनल की तरफ से, उसका पेमेन्ट करेंगे या नहीं और करेंगे तो कब करेंगे ? यह प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: श्री बाढ़दार !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कर्मचारियों के साथ जो समझौते का जिक्र अभी आपने किया, उस समझौते के बाद क्या कारण था कि राज्य सरकार ने सारे मामले को ट्रिब्यूनल को, लेबर कोर्ट को रेफर किया, क्या यह बात सही है कि लेबर कोर्ट के सामने अपना पक्ष, अपने प्रमाण, लेबर की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से अपना केस पुट-अप किया गया है, राज्य सरकार ने उसको डिफेन्ड किया है और डिफेन्ड करने के बाद में ट्रिब्यूनल की तरफ से निर्णय दे दिया गया है, निर्णय दे देने के उपरान्त कौनसा कारण रहता है, राज्य सरकार उस निर्णय से अपने आपको बंधा हुआ नहीं मानती और जो इन्टेरिम रिलीफ देने का प्रश्न था, वह नहीं देना चाहती....

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : दूसरा प्रश्न यह है, 181 कर्मचारियों के विषय में राज्य सरकार की ओर से जानकारी दी जा रही है कि 80 कर्मचारियों को दूसरे विभागों में ले लिया गया है, 101 कर्मचारी राज्य सरकार के मुताबिक बचते हैं, जिनके लिए राज्य सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। क्या राज्य सरकार इस बात का आश्वासन देने के लिए तैयार है कि 101 को कब तक कहां एब्जॉर्व कर दिया जायगा ? मुझे जानकारी दी गई है, अध्यक्ष महोदय, जिन 80 कर्मचारियों की दूसरी जगह नियुक्ति कर देने के बारे में राज्य सरकार कहती है, उन कर्मचारियों को या तो उसी पोस्ट पर नहीं लगाया गया है, या ऐसी पोजीशन कर दी गई है कि टेक्निकल अनुभव जिनका है और क्वालिफाइड हैंड्स हैं, उन कर्मचारियों को, उनमें क्वालिफिकेशन होते हुए और टेक्निकल पद पर काम करते हुए, उन पदों से हटा कर और निम्नतर पद के ऊपर जयपुर में या अन्न

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
स्थानों पर, राजस्थान के किसी कौने में स्थानान्तर कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं जानना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न कर दिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : राज्य सरकार यह बतादे, 181 कर्मचारी हैं, अध्यक्ष महोदय! आप देखिये....

श्री अध्यक्ष : मैं कुछ नहीं देख रहा हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वह धरना दिये हुए बैठे हैं, भूखे प्यासे हैं।

श्री अध्यक्ष : फिर माननीय सदस्य, उसी पर आ रहे हैं। श्री भैरोंसिह !

श्री भैरोंसिह : राज्य सरकार ने अपने इस वक्तव्य से लगभग यह स्पष्ट कर दिया है कि एग्रो-इण्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन पर अपने किसी प्रभाव के माध्यम से इन एम्प्लॉईज को वापिस सर्विस में रखाया जाय-इस प्रकार की कार्यवाही करने में पूर्ण तया असफल है। परिणामस्वरूप अब कोई भी यदि कॉर्पोरेशन बनता है या किसी भी काम को गवर्नमेंट पब्लिक अन्डरटेकिंग के रूप में स्वीकार करती है तो सबसे पहले यह एक चिन्ता का विषय होगा उन एम्प्लॉईज के लिए, जो उस संस्था के अन्दर काम करते हों। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, अध्यक्ष महोदय, कि जिस समय एग्रो-इण्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का गठन हुआ, उस समय स्वयं मंत्री महोदय ने इस बात का आश्वासन दिया था और मंत्री हों, भूतपूर्व मंत्री हों या कोई अधिकारी हों तो यह बात समझ में आ सकती है कि उसने अनभिज्ञता के कारण इस प्रकार का आश्वासन दे दिया, जिसको पूरा करने में अपने आपको सक्षम नहीं मानते। लेकिन मंत्री महोदय ने स्वयं उद्घाटन करते हुए इन सारे एम्प्लॉईज के समक्ष आश्वासन दिया था। मंत्री महोदय ने अपने आश्वासन का आधार नहीं लेकर, लेकिन एम्प्लॉईज यूनियन ने कोई कमिटमेंट किया है उसको आधार मान कर एम्प्लॉईज को आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फेंकने की प्रक्रिया की, और फेंकने के बाद में, जैसा अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उस कमिटमेंट या समझौते में दम होगा, तो सरकार के द्वारा अपनी ओर से ट्रिब्यूनल के पास भेजने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं और मंत्री महोदय कह रहे हैं, मानवीय दृष्टि से ऐसा किया है। मैं इस सब पर आपत्ति करता हूं कि सरकार इस प्रकार मानवीय दृष्टिकोण लेकर चलें। सरकार का दायित्व है, जो बेकार है उनको काम दें। इसमें मानवता के आधार पर प्रश्न मैं नहीं मानता। जिन लोगों को आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फेंका है, अपनी गलती के कारण, अपनी असमर्थता के कारण, उन लोगों के साथ आप मानवीय दृष्टिकोण अपना रहे हैं—मैं समझता हूं यह किसी प्रकार उचित नहीं है। मेरा पहला प्रश्न है, माननीय मंत्री स्पष्ट बतायें, जिन लोगों को एग्रो-इण्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ने सर्विस से अलग किया है, अलग करने के बाद उसी प्रकार के पद पर, उसी प्रकार की योग्यता के उतनी ही संख्या में जिन लोगों को भर्ती किय

(श्री भैंरोंसिंह)

गया है, क्या राज्य सरकार ने उस भर्ती के सम्बन्ध में कोई जांच की है ? और क्या जांच करने के बाद यह स्थिति रही है कि इन लोगों को नौकरी नहीं दी जाय ? इस प्रकार की स्थिति में जो एम्प्लॉय किये गये हैं, वह एडहॉक बेसिस पर हैं, क्या उन्हीं लोगों को वहां पर री-एम्प्लाय नहीं कर सकते ? पहला प्रश्न तो यह है, दूसरा प्रश्न है, 181 कर्मचारियों में से 80 को आपने ले लिया है, तो क्या 101 को सरप्लस डिक्लेअर कर दिया गया है ? अगर कर दिया गया है तो इस स्थिति में जो सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए वह सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी ? दूसरा प्रश्न । जब तक नौकरी नहीं मिलती उस समय तक इन्हें अनएम्प्लायमेंट एलाउन्स दिया जायगा किसी प्रकार का और उसका भार किसके ऊपर रहेगा ? इसकी चूकती किसके द्वारा कराई जायगी । यह तीन प्रश्न हैं मेरे, इनके सम्बन्ध में मंत्री महोदय उत्तर दें । मैं एक और जानकारी चाहता हूं, जो इन्टेरिम रिलीफ के बारे में एवार्ड मिला है, क्या एग्रो-इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ने राज्य सरकार से इसके विरुद्ध हायर कोर्ट में जाने की अनुमति मांगी है ? अगर नहीं मांगी है तो क्या राज्य सरकार की नॉलेज में है कि इस प्रकार समय इसमें निकालना चाहते हैं, और कुछ समय बाद अपील कर देंगे, ताकि 15 पर्सेन्ट नहीं मिल पाये । इन बातों का उत्तर दें ।

श्री अध्यक्ष : राजवी रूपसिंह !

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपका कॉर्पोरेशन से बहुत प्रेम है ।

राजवी श्री रूपसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो बातें बतलाईं, उनको मैंने सुना लेकिन उन्होंने जो बातें बतलाई, उनको सुनने से मुझे ऐसा मालूम होने लगा है कि जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दिया है, उसको उन्होंने एक्जामिन नहीं किया है । अगर उसको एक्जामिन कर लेते तो यह कहने की नौबत नहीं आती । मैं यह पूछना चाहता हूं कि:—

Will the Hon'ble Minister let the House know the exact date when the Agro-Industrial Corporation took charge from the Agriculture Engineering Board ?

कॉर्पोरेशन की जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग हुई उसमें यह माना है कि बोर्ड से एग्रो-इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ने चार्ज 28-10-69 को लेलिया और यही बात जज इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने अपने जजमेंट में लिखी है लेकिन मंत्री महोदय इससे इंकार करते हैं । मैं नहीं समझता कि ऐसा वह क्यों कर रहे हैं ? इसका कारण मैं आगे चलकर बताऊंगा इसके बाद इसी मीटिंग के अन्दर उन्होंने 100 आदमियों को रखना माना और आइंदा के लिए तय किया कि स्क्रीनिंग कमेटी मुकर्रर की जाएगी कि जो दूसरे आदमी जो बोर्ड में रह गए हैं उनको भी एब्जार्ब किया जाएगा जबकि यह 16-3-70 की मीटिंग में तय हो चका था । तो ताज्जुब है कि तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

इसी 16-3-70 की एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग में तय किया कि किसी को भी नहीं निकालोगे । लेकिन तारीख

(राजवी श्री रूपसिंह)

3-4-70 को मीटिंग बुलाई और जो 16-3-70 का आॅर्डर था उसको रीवोक किया जिसको रीवोक करने का अधिकार उनको नहीं था। तारीख 28-10-69 को बोर्ड की एग्जिस्टेन्स नहीं थी। न पी. सारथी बोर्ड का सेक्रेटरी रहा। जब उसकी एग्जिस्टेन्स खतम हो गई तो नोटिस देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रिट्रेंचमेंट करने का जो नोटिस दिया है, वह कानूनी गलत है। इन्होंने 13-5-69 को, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डिपाटमेंट ने वाइड लेटर नं. एफ. 68/ कृषि/69 उसमें उन्होंने लिखा है कि बोर्ड के जितने सदस्य हैं जो कि एम्प्लाईज हैं, उनको किसी हालत में रिट्रेन्च नहीं करेंगे और उसके बाद में उन्होंने सबको वापिस रख लिया लेकिन आज अपने किए हुए काम से इंकार करते हैं, उन्होंने आर्डर्स को रीवोक करने की कोशिश की, वह आॅर्डर्स इमीजिएटली रीवोक नहीं हो सकते। अगर रिवोक होते हैं तो इल्लीगल हैं। इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने ये बातें मानी हैं कि बोर्ड की एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी पर नोटिस दिया है। इसलिए बोर्ड को पार्टी माना वरना काॅर्पोरेशन के खिलाफ आर्डर देते। इस केस में मैन पार्टी काॅर्पोरेशन है जिसने चार्ज 28-10-69 को ले लिया था। और बोर्ड की एग्जिस्टेन्स खतम हो गई थी। अब मौजूदा हालत में वास्तव में जिम्मेदारी दोनों की है। अब जो इस तरह की बात जिम्मेदार अधिकारी सरकार के कहने लग जायेंगे तो जनता का विश्वास उठ जाएगा।

श्री दौलतराम सारण : इस निगम गठन करने के उपरांत जो पूर्व से कर्मचारी काम करते आ रहे थे उनके प्रति कौन जिम्मेदार है और जो लेनदारी और देनदारी पहले की थी, उसकी जिम्मेदारी किसकी है?

दूसरा प्रश्न, श्रम कानून के अनुसार जो 240 दिन तक वर्कचार्ज्ड में काम करते हैं वह सेमी-परमानेन्ट हो जाते हैं उनको निकाला नहीं जा सकता तो ये जो कर्मचारी निकाले गए हैं वह कितने दिनों से काम करते आए हैं और उनका अधिकार क्या नहीं बनता है? जो कर्मचारी निकाले गए हैं वह कितने समय से काम कर रहे हैं? इसके अलावा क्या इन कर्मचारियों को इसलिए निकाला गया है कि इनके लिए वहां काम करने के लिए नहीं? इनकी जगह पर दूसरे कर्मचारियों को रखा जा रहा है। हमारी सूचना के अनुसार दूसरे कर्मचारियों को वहां पद का केवल नाम बदलकर रखा जा रहा है, काम वहां है करने के लिए लेकिन इनको हटाकर, दूसरे नाम रख कर काम लिया जा रहा है। कर्मचारियों की आवश्यकता है लेकिन इनको महज रिट्रेंच करने के लिए इनको निकाला जा रहा है और अपने आदमियों को भर्ती करने के लिए स्थान प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि जितनी नई भर्ती की गई है, उनकी वही योग्यता है और उन्हीं पोस्ट्स पर नाम बदलकर जिन पोस्ट्स पर जो पहले कर्मचारी काम करते थे, उनके नाम बदल कर उन्हीं पोस्ट्स पर दूसरे आदमियों को भर्ती किया गया है? क्या इसकी आप हमें जानकारी देंगे?

Page No 64

श्री शोभाराम : इस प्रश्न के दो पहलू हैं। एक तो रिट्रेंचमेंट का और जिस तरह से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने मसला उठाया कि सरप्लस....

श्री विजयसिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर पहले दें। XXX मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। आप बताएं, सबसे पहले मैंने....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इन शब्दों को एक्सपंज किया जाय....

(शोरगुल)

ये शब्द सदन के लिए शोभनीय नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय से जब किसी वक्तव्य पर प्रश्न पूछे जायें और वह उनका उत्तर दें तो उत्तर में मंत्री महोदय अपनी सुविधा अनुसार अधिक महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण, अधिक विस्तृत, कम विस्तृत, विश्लेषणात्मक और कम विश्लेषणात्मक सारे प्रश्नों पर उत्तर देना उनकी स्वेछा पर उत्तर देना है। किस प्रश्न का पहले उत्तर दें किस प्रश्न का बाद में दें, मंत्री महोदय को बाध्य नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूं कि आपके प्रश्न का स्पष्टीकरण आ जाएगा। प्राथमिकता के तौर पर मंत्री महोदय को बाध्य किया जाए, यह उचित नहीं है।

इन शब्दों को एक्सपंज किया जाता है।

श्री दौलतराम सारण : ये अन-पार्लियामेंटरी नहीं है।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर प्लीज।

(श्री विजयसिंह और श्री दिग्विजयसिंह साथ बोलने लगे)

ऑर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको झांप नहीं होती है?

श्री अध्यक्ष : शब्द का प्रश्न है, यदि वह सरलता से, सरसता से उपयोग किया जाता तो मैं आपत्तिजनक नहीं मानता। किन्तु जिस रोष आक्रोश और लहजे के साथ इस शब्द का उपयोग किया गया है उस सन्दर्भ में मैं अनपार्लियामेंट्री तो नहीं कहता, लेकिन इनको उचित नहीं समझता।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब झड़ी लगाना है?

श्री अध्यक्ष : इसका अर्थ भी मुश्किल है।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री गिरधारीलाल व्यास : कैसे कह दिया?

श्री दिग्विजयसिंह : रोष और आक्रोश से बात कही तो एक्सपंज थोड़े ही हुई है।

श्री अध्यक्ष : मैं तो देख रहा हूं।

(शोरगुल)

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Page No 65

कई माननीय सदस्य : (अश्रव्य) ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: अभिधा, लक्षणा और व्यन्जना ये तीन ही तो आधार हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं तो आधार नहीं पूछ रहा हूं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : लगातार प्रश्नों की झड़ी लगा रहे हैं उससे उनका यह मतलब था ।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : अर्थ बतायें आप तो ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मुझे एक्स्प्लेन करना पड़ता है....

(व्यवधान, शोरगुल, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अभी इस वक्तव्य के सम्बन्ध में श्री विजयसिंह जी मकराना के द्वारा एक शब्द का प्रयोग किया गया जिस पर श्री गिरधारीलाल व्यास, मुख्य सचेतक ने आपत्ति प्रकट की और आसन से चाहा कि इसको एक्सपंज कर दिया जाय । आसन ने उसको एक्सपंज भी कर दिया । अध्यक्ष महोदय, अपने नियम बने हुए हैं । 298वें नियम में यह है:—

"Expunction of words from debate.—If the Speaker is of opinion that words have been used in debate which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified he may, in his discretion, order that such words be expunged from the proceedings of the House."

चार चीजें दी हुई हैं डिरोगेटरी, अनपार्लियामेन्टरी, इनडिसेन्ट आदि । आपको कौन से शब्द के ऊपर आपत्ति है और उसका उच्चारण करके बतायें और साथ ही उसका क्या अर्थ है यह भी बतायें ? मुख्य सचेतक की आपत्ति है वह किस केटेगरी में आती है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : जिस शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है आंख निकाल कर वह शोभादायक नहीं था और शब्द का प्रयोग मन्त्री महोदय के प्रति एक अनुचितरूप से था ।

श्री दौलतराम सारण : यह तो सदन के बाहर रखने का प्रश्न होना चाहिये था ।

श्री विजयसिंह . भड़भूंजिये की दुकान शब्द को तो अच्छा समझते हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह लब्ज आया है ? यह उचित नहीं है ।

श्री विजयसिंह : प्रोसिडिंग्स लेकर बताता हूं । भडभूंजिये की दुकान वह शब्द तो उपयुक्त समझते हैं और यह शब्द आप उपयुक्त नहीं समझते हैं ।

श्री अध्यक्ष : भड़भूंजिये की दुकान शब्द को मैं उपयुक्त नहीं समझता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अनडिग्फाईड शब्द को एक्सपन्ज करना है । उस शब्द का तो अर्थ मालूम कीजिये ।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया हूं ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : आप भी समझते हैं कि अनपार्लियामेन्टरी और इनडिसेन्ट शब्द क्या होता है।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

वास्तविक प्रश्न तो कहीं चला गया और दूसरा प्रश्न छिड़ गया है। वह ज्यादा महत्व का नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय के उत्तर के बाद इस प्रश्न पर फिर विचार किया जायगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

माननीय मन्त्री महोदय।

श्री शोभाराम : अध्यक्ष महोदय मैं सबसे पहले वह ही प्रश्न लेता हूं जिसके लिये माननीय सदस्य बड़े उद्विग्न हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : होटल पर रोटी खाने जाते हैं रोटी में भी जौ बांध देते हैं।

श्री शोभाराम : मैं इस सम्बन्ध में दो ही बात आप से निवेदन करना चाहता हूं। एक नई व्यवस्था की गयी है। छंटनी के सम्बन्ध में उन कर्मचारियों में भी मैंने एक बात कही है।

(शोरगुल और व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आपका उत्तर सुनिये।

श्री शोभाराम : कृपा करके मुझे वह सूची दें जहाँ कि जूनियर आदमी रख लिये गये हैं। और सीनियर आदमी की छंटनी कर दी गयी हो। मैंने उनकी सूची कई मर्तबा माँगी और अभी भी कहने के लिये तैयार हूं कि कनिष्ठ के आधार पर छंटनी की गयी है उनकी कर्मचारीगण और यूनियन मुझे सूची देंगे तो उस पर दुबारा विचार किया जा सकता है लेकिन इस प्रकार की सूची उन्होंने नहीं दी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने डिपार्टमेन्ट से इन्क्वायरी करायी ?

श्री शोभाराम : दूसरी बात यह थी कि दूसरी नौकरियां दी गयी थीं। मैंने उनसे यह कहा था कि जितनी नियुक्तियां की गयी हैं, जो क्वालिफिकेशन्स और योग्यतायें थी और रिट्रेन्च्ड आदमी और उनकी वे ही क्वालिफिकेशन्स थी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके लायक कोई क्वालिफाइड आदमी था तो उसके लिये भी यूनियन से कहा था कि इस प्रकार की सूची दें। जो भी क्वालिफिकेशन पूरी करता था और उनको नये व्यक्तियों में नहीं लिया गया तो इस पर भी विचार करेंगे लेकिन आज तक उन्होंने इस प्रकार की सूची हमें नहीं दी कि कहां कहां पर उनकी शिकायत थी।

मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात और कही कि किसी खास कौम के आदमियों को लगाया गया है। एपॉइन्टमेन्ट के सवाल को हम किसी कौम के आधार पर लेकर नहीं चल सकते हैं। जो बेसिक क्वालिफिकेशन पूरी करते थे और यदि उनको प्राथमिकता नहीं दी गई तो हमने कर्मचारियों से भी कहा था और आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास शिकायत और नाम आये और क्वालिफिकेशन्स पूरा करते हों तो वे नाम

(श्री शोभाराम)

मेरे पास भिजवा दें ताकि ये मामले निपटा दिये जा सकें।

इन तमाम प्रश्नों को लीगल तरीके से देखने की कोशिश की और दूसरी प्रकार के दृष्टिकोण से भी देखने की कोशिश की। लीगल पोजिशन पर प्रकाश डालूं तो माननीय सदस्य मुझे माफ करेंगे वर्क चार्ज एम्प्लॉईज को सरप्लस डिक्लेयर करने का कायदे कानून में प्रावधान नहीं था। यह कहा गया कि सर्विस में थे। वर्क चार्ज एम्प्लॉईज की तारीफ में नहीं आते थे उनके लिये कायदे भिन्न थे, उसके लिये तो गवर्नमेन्ट ने डिक्लेयर किया है और बाद में स्टाफ को रिट्रेन्च किया था और लेने की बात आयी तो प्राथमिकता की बात भी आयी। वर्क चार्ज की लिस्ट में थे और सरप्लस में ले आवे, इस रूप में इसको देखना कानूनी ढंग से ठीक नहीं है। वर्क चार्ज एम्प्लॉईज को रिट्रेन्चमेन्ट का सवाल नहीं होता है····

श्री दौलतराम सारण : मुझे माफ करेंगे। मैंने पूछा था कि 240 दिन तक कर्मचारी काम कर चुके हैं तो उसको नहीं हटाया जा सकता इस प्रकार के नियम हैं।

श्री शोभाराम : वर्क चार्ज एम्प्लॉईज के रिट्रेन्चमेन्ट के प्रश्न पर मैं खुद आ रहा हूं। कुछ ट्रेड एक्टीविटीज वर्कशॉप ने बन्द कर दी। तीन प्रकार की बन्द की। उनका सर्विस स्टेशन था दूसरे पर सिंचन व्हील और तीसरे बैलों द्वारा चालित यंत्र। वे तीनों ही बन्द कर दी गयी। खत्म कर दी गयी। फेमीन में डूंगरपुर आदि में बहुत Persian wheels बन गये। फेमीन के क्रम में काम करना था। कुछ लोगों को हमने लगाया। उसके बाद वहां पर कितना स्टाफ फाइनली होगा, कितने स्टाफ की वहां पर जरूरत होगी और जरूरत है तो हम ट्रेड एक्टीविटी को चालू करें। यह सोचा है कि ट्रेड एक्टीविटी खतम हो और इसकी जरूरत नहीं है बदले हुए जमाने में। आज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम हम हाथ में ले रहे हैं। आम तौर से एक तरफ गांवों में बिजली पहुंच रही है। पम्पिंग सेट्स लगाये जा रहे हैं और इस प्रकार के यन्त्र जो ट्रेक्टर से जोड़े जाते हैं, खास तौर से उसका काम हाथ में लिया है। इससे सम्बन्धित जो औजार हैं, टूल इम्प्लीमेन्ट्स हैं और कल्टीवेशन के लिये जो भी इम्प्लीमेन्ट्स है तो एक नये प्रकार के इम्प्लीमेन्ट्स का मैन्युफेक्चर करना और उनका बनाना एक तरीके से मैं समझता हूं कि नई रोशनी के अन्दर उनकी प्रवृत्ति को आंका जाना चाहिये। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि ट्रेड एक्टीविटी को चालू रखें, कुछ क्षेत्रों में तो कन्टीन्यू कर रखा है और कन्टीन्यू भी कर रहे हैं परन्तु इसको एक लिमिटेड दायरे में ही कन्टीन्यू कर रहे हैं और उसके अनुपात से, उसके हिसाब से हमने लोगों को वहां पर लगा रखा है। मैं यह निवेदन कर दूं कि शुरू में जो बताया है वर्कशॉप में जो काम करते थे उनकी संख्या 280 के करीब थी और करीब 100 को हमने ट्रेड एक्टीविटी में रखा है। सौ आदमियों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की है और 181 आदमियों को एक तरह से रिट्रेन्चमेन्ट का सवाल आया है। अब यहां पर दो-तीन मुद्दे और हैं। एक तो माननीय सदस्य ने यह कहा है कि 69 के अन्दर एग्रो-इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ने यह टेक ओवर कर लिया और बोर्ड के डाईरेक्टर्स की

(श्री शोभाराम)

बैठक के अन्दर कोई रिजोल्यूशन पास हुआ। मैं समझता हूं कि बोर्ड के डाईरेक्टर्स कुछ भी रिजोल्यूशन पास करें जब तक गवर्नमेन्ट उसको न माने तब तक उसकी कोई मान्यता नहीं होती है और इस सम्बन्ध में अप्रेल के शुरू में एक लैटर प्रोडक्शन सेक्रेटरी की तरफ से चेयरमैन राजस्थान स्टेट एग्रो-इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन को लिखा गया है और उसमें यह लिखा है : That the agricultural workshop Jhotwara may continue to remain under control of the Raj. Agr. Engineering Board till further orders. यह एक तरीके से ऑर्डर था सरकार की तरफ से। जो ऑर्डर हुए उसमें उन्होंने लिखा है कि अभी एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग बोर्ड के कन्ट्राल में ही वर्कशॉप कार्य करेगा और अभी हम आपको हैण्ड ओवर करने को तैयार नहीं हैं इसलिये यह चल रहा है और जो बोर्ड ऑफ डाईरेक्टर्स ने रिजोल्यूशन पास किया है जबकि गवर्नमेन्ट एक पार्टी के नाते उस को एप्रूव न कर दें। आखिर 8 जुलाई, 70 को जिसमें कि एक फाइनल तारीख को वर्कशॉप को टेक ओवर कर लिया और निगम ने जो कुछ भी टेक ओवर किया है उसके ऑर्डर्स जारी किये गये हैं। इसके अलावा भी एक प्रश्न यहां पर उठाया गया है। मैं अलवर से आने वाले माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि अगर ट्रेडिंग एक्टीविटी हमारी कम होती है, हमारा बिजनेस कम होता है, तो क्या स्टाफ को रिड्यूज करने का कोई अधिकार किसी भी कन्सर्न को, इण्डस्ट्रीज को नहीं होता है ? 27 मार्च, 70 को जिस एग्रीमेन्ट का मैंने हवाला दिया है, इसलिये दिया है कि उन्होंने पहले नोटिस दिया और यह ऐतराज अक्टूबर, 68 के अन्दर आया और फैसला हुआ था और वह फैसला यह था कि जब तन रिवोक न हो तब तक रिट्रेन्चमेन्ट नहीं कर सकते थे। मैं आपको बताऊं इसीलिये 3 महीने की तनख्वाह, दो महीने का रिवोकेशन का एक नोटिस दिया और दो महीने के पीरियड के साथ एक महीने का लीगल नोटिस दिया। 27 मार्च को जो फैसला हुआ था उसमें यह वर्कर्स यूनियन ने कहा था। मैं समझता हूं कि उनके कहने के अनुसार उसकी सीलिंग अक्टूबर, 68 तक थी और जब तक यह एग्रीमेन्ट रहता है तब तक उनको रिट्रेन्च नहीं कर सकते हैं जबकि इस पर राजस्थान सरकार की तरफ से, लेबर ऑफिसर और यूनियन के रिप्रजेन्टेटिव इन सबने मिलकर एक एग्रीमेन्ट किया था और उसमें यह साफ तौर से कहा गया था और जिस पर इन सब यूनियन के दस्तखत हैं :—

"The Board shall give one months notice to such work charged after the expiry of the legal notice of two months revoking the agreement dated 27th May, 68 for termination of their services in accordance with section 25 F of the Industrial Disputes Act, who cannot be absorved either in the Corporation by the Government as the case may be."

तो उन्होंने खुद ने इसको तसलीम किया है, ऑब्जर्व किया है कि जो बोर्ड के अन्दर हैं

(श्री शोभाराम)
उनको दो महीने के बाद मई के महीने के अन्दर एक नोटिस दिया जायेगा और उसमें साफ तौर से लिखा गया है :—

The following work charge staff has become surplus of the requirement of the Board, the notice is therefore hereby given to the employees in accordance with the terms specified in the order dated 27-3....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं आपको बीच में इन्टरफियर कर रहा हूँ। अभी जो एग्रीमेन्ट पढ़कर सुनाया है उसमें उन्होंने लिखा है बोर्ड या निगम इन दोनों में एब्जॉर्ब नहीं हो सके। अब बोर्ड की तरफ से नोटिस दे रहे हैं और निगम में जगह है तो आप जगह बदल कर रख लें। आपके एक पार्टी के पास काम नहीं है और बोर्ड ने यह हैण्ड ओवर कर दिया, यह एक्टीविटी कम कर दी। एक तरफ तो एक्टीविटी बन्द कर दी और दूसरी तरफ एक आल्टरनेटिव एक्टीविटी आप चालू कर रहे हैं तो उन लोगों को उसमें एब्जॉर्ब किया जाना चाहिये। कॉर्पोरेशन नई नियुक्तियां कर रहा है उसमें इनको भी मौका दिया जाना चाहिये। आपके पास में एक्टीविटी है। एक को क्लोज कर रहे हैं और दूसरी को शुरू कर रहे हैं।

श्री शोभाराम : जो एक्टीविटी चल रही थी वर्कशॉप में उसमें करीब 280। 281 आदमी जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है काम कर रहे थे और जिन्हें रिट्रेन्च किया गया है वह एक्टीविटी बन्द हो गई है या कम हो गई है। कॉर्पोरेशन में एब्जॉर्ब करने के लिए एक्स्ट्रा प्रीकॉशन ले रहा है और नई नियुक्तियों में अगर वह बेसिक क्वालिफिकेशन पूरी करता है तो उसको लिया जायेगा। याने एक तरफ बेसिक क्वालिफिकेशन को वह पूरी करता है तो उसको कॉर्पोरेशन में लगाने में कोई दिक्कत नहीं है और कॉर्पोरेशन उसको नई नियुक्ति दे देगा और मैं समझता हूं कि हम दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि एब्जॉर्ब करने और प्रिकाशन लेना दो बातें हैं। आखिर कार्पोरेशन जब होता है तो पूछते हैं। कोई वर्कशॉप वगैरह की पोस्ट समाप्त होती है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। और यह सब जानते हैं कि एक दिन बोर्ड खतम होकर निगम ही सारा काम करेगा। वह तो एक्स्ट्रा प्रीकॉशन लेकर कॉर्पोरेशन में एब्जार्ब करने की बात है। यह देखने की बात है। आप यह कहते हैं और आपका यह मुद्दा है कि 27 मार्च, 1970 का, अगर यह मुहायदा वेलिड होता तो गवर्नमेन्ट को रेफरेन्स करने की जरूरत नहीं थी। मैं समझता हूं रेफरेन्स करने की जरूरत नहीं थी। हमने कुछ रियायतें की हैं। लोग कहने लगे गलत काम हुआ है। हमने कहा आपका यह विवाद है तो हम रेफर करते हैं और यह जानते हैं कि इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सामने सिर्फ एक ही पॉइन्ट पर गया है जो रिट्रेन्चमेन्ट है वह वैध है या नहीं है ? यह रिट्रेन्चमेन्ट नोटिस जो बाद में किया गया है यह ठीक नहीं है। हमारे सामने प्रॉब्लम यह हुई दो महीने की पे और या एक महीने का नोटिस जो कुछ हमने किया है वह कहीं गलत तो नहीं है। इसलिए हमने साफ तौर से लिखा है और आप देखेंगे—उसमें लीगलिटि के बारे में लिखा है—वेदर देट नोटिस ऑफ

(श्री शोभाराम)

रिट्रेन्चमेन्ट इल-लीगल ऑर अदरवाइज ? नोटिस के जरिये रिट्रेन्चमेन्ट प्रोसेस से अलग किया गया। यह प्रोसेस में खामी तो नहीं हुई जो बोर्ड की तरफ से लीगल है वह हमने किया है। वह गलत साबित होता हो तो हमने कहा रेफरेन्स जो है वह इस बिना पर है कि जो एग्रीमेन्ट 27 मार्च को था वह गलत है बल्कि आप देखेंगे एग्रीमेन्ट के मुताबिक उसमें कुछ खामियां तो नहीं हैं। रिट्रेन्चमेन्ट नोटिस दिया गया है। वह लीगल है या इल-लीगल। बाकी 27 मार्च को कबूल किया है। हो सकता है उस प्रोसीजर के अन्दर जो लीगल प्रोसीजर को कबूल करना चाहिये था, स्वीकार करना चाहिये था वह नहीं किया हो····

राजवी श्री रूपसिंह : इस नोटिस को इल-लीगल माना है। आपके सेक्रेटरी को राइट नहीं है।

श्री शोभाराम : इतनी बात मान सकते हैं इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का रिट्रेन्चमेन्ट का नोटिस वैध है या नहीं। कोई निर्णय नहीं लिया है। इन्टेरिम रीलीफ का जो अवार्ड दिया है इसमें फाइनल डिसीजन होता तो माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं जो कुछ फैसला किया है वह एक इन्टेरिम फैसला है। यह बात आप स्वीकार करके चलेंगे कि जो मेन मुद्दे की बात है वह पैदा नहीं होती है। अब यहां पर दो चीज पैदा होती है एक तो रखने की और दूसरी एब्जॉर्ब करने की। वहां फिर हमने आखिर माननीय मुख्य मन्त्री जी से बात की और उन्होंने अपनी सहमति प्रकट की। उनको भी लिखा और उन्होंने निवेदन किया यद्यपि जी. ए. डी. यानि सामान्य प्रशासन विभाग को इस प्रकार के वर्क चार्ज एम्प्लाईज को लगाने के लिये बाध्य नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हम चाहते हैं जो लोग बेकार हुये हैं और जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट, इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट और भी कई डिपार्टमेन्ट्स हैं, जहां इनकी उपयोगिता हो सकती है उनको लगाने के लिए लिखना चाहिये। उन्होंने 80 आदमियों के लिये ऑर्डर जारी किया है। अभी लिस्ट भेज दी जायगी। जी. ए. डी. को मा. मुख्य मंत्री जी ने लिखा है जहां तक संभव हो राज्य सरकार के विभागों में इनको लगाने की चेष्टा की जाय। जी. ए. डी. का उत्तर आया है कि हम चेष्टा कर रहे हैं।

अब इन्टेरिम रीलीफ की जो प्राब्लम पैदा हो जाती है यह महत्वपूर्ण है। अभी किसी ने बताया कि शायद एग्रो-इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन इस सवाल को इम्प्लीमेंट करने में हिचकिचाहट करती है। अब मैं माननीय सतीशचन्द्र जी अग्रवाल, जो बड़े अच्छे एडवोकेट हैं, जानते हैं कानूनी बात को तो मैं समझता हूं बहुत पहले जब अवार्ड हुआ था और वह प्रकाशित हुआ था उसके बहुत पहले जब इनको पार्टी बनाने के बारे में लेबर की यूनियन ने इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की प्रोसिडिंग के दौरान में एक दरख्वास्त पेश की और वह हाई कोर्ट में गई और इस बात पर गई कि हम इसे पार्टी नहीं बना सकते हैं। हाई कोर्ट ने यह तय किया कि पार्टी उपयुक्त है अथवा नहीं, जब तक इस बात का फैसला न हो तब तक इसके खिलाफ किसी प्रकार का ऑर्डर न किया जाय। अब जहां इम्प्लीमेंटेशन को बात आती है दो शक्लें नहीं बल्कि तीन शक्लें पैदा होती हैं। एक तो यह इस रकम को इन्टेरिम रीलीफ के नाम से

(श्री शोभाराम)

कहते हैं आया हम एग्रो-इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन से वसूल करें आया हम यह समझते हैं जैसा अवार्ड में प्रकाशित हुआ है एग्रीकल्चर इंजीनियर बोर्ड में जो वर्कशॉप में काम करते थे उसे एग्रीकल्चरल इंजीनियर बोर्ड है उसके खिलाफ एग्जीक्यूट करें तो मैं समझता हूं दोनों तरीके से जबकि वर्कशॉप टेक ओवर कर लें—निगम टेक ओवर कर लें और स्टे ऑर्डर बहुत पहले ले आये। जो भी यह चाहते हैं तो उसको हम देख लेंगे। आपको यह भी निवेदन कर दूं, एग्रीकल्चर इंजीनियर बोर्ड स्थापित कर रहे हैं उन्हें यह क्लियर कट कह दें तीन चार एक्टीविटीज जो एग्रीकल्चर वर्कशॉप में चलती थी उनको नहीं लेंगे और इसलिये लिया भी नहीं। जो असेट्स लेते हैं उनके लिये लायबिलिटीज लेना भी स्वाभाविक है, जरूरी हो जाता है। हाई कोर्ट ने फैसला प्रकाशित होने से पहले इस प्रकार का ऑर्डर दिया कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन से कोई भी किसी प्रकार का कॉन्टेक्ट न किया जाय। इस उलझन के अन्दर कौन पेमेन्ट करे। मैंने यह कहा अगर यह पार्टी कबुल करती है तो तीन तरीके हो सकते हैं...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में समाप्त करें।

श्री शोभाराम : या तो पार्टी जल्दी से जल्दी कबूल कर ले या दूसरी बात यह हो सकती है, पार्टी कबूल नहीं करती है तो निश्चित तरीके से इस बात का जल्दी से जल्दी लीगल डिपार्टमेंट में आब्जर्व करने की कार्यवाही की जाय लेकिन जहां तक राजस्थान गवर्नमेंट का ताल्लुक है, वह साफ है। एग्रीकल्चर वर्कशॉप फाईनेंशियली जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सुचारु रूप से चलाने के लिये हम रुपया कर्ज के रूप में लेना चाहते हैं तो बिना परपज के हम हमेशा देते रहे हैं क्योंकि आखिर उनको जरूरत है। स्टे ऑर्डर अवार्ड प्रकाशित होने से पहले हमारे हक में आ चुका है इसलिये हम बाध्य नहीं हैं। मैं समझता हूं टेक ओवर करने की बात है 8 जुलाई से एग्रीकल्चर वर्कशॉप सफल एक्टीविटीज को लेकर चल रहा है। यह 8 जुलाई, 1970 को टेक ओवर किया गया है। जिस रिज्योल्यूशन की बात करते हैं उसी संदर्भ में मैंने निवेदन किया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सेक्रेटरी को निवेदन किया क्योंकि उनका एक रिवोकेशन चल रहा था। हमने कहा था जल्दी न करें अभी एग्रीकल्चर इंजीनियर वर्कशॉप के अन्तर्गत यह चलेगा। तो फिर मैं समझता हूं कि यह बात बहुत कानूनी हो जाती है कि इस एवार्ड के बारे में मैंने बताया कि 15 अप्रेल को प्रकाशित हुआ और एक महीने के बाद एक्जीक्यूट हो जाने का है और शायद यदि मैं गलत नहीं हूं तो 30 दिन की मयाद रखी गई है तो एग्जीक्यूशन तो उसका होगा और कॉर्पोरेशन उसके प्रकाशित होने से पहले ही स्टे-ऑर्डर ले आयी। अब मैं समझता हूं कि इस प्रकार का रास्ता निकालना है कि किस प्रकार से इसका एग्जीक्यूशन हो। एवार्ड को एग्जीक्यूट कराने में तो मैं समझता हूं कि लीगल तरीके से उसका रास्ता निकालने की बात है। इसकी प्रोप्राइटी, इसकी लीगेलिटी और अदरवाइज के बारे में मैं समझता हूं कि कानूनी रास्ता निकालना है तो बैठकर इसका रास्ता

(श्री शोभाराम)
निकालना चाहिए कि कैसे इसका एग्जीक्यूशन हो, क्योंकि वह एक ऑटोनामस इन्स्टीट्यूशन है, हमने इन एक्टीविटीज को टेक ओवर नहीं किया इसलिए हम देने के लिए पाबन्द नहीं है। और खास तौर से पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हैं उनके लिए कह दें कि हमारी वजह से खर्च करो, एक आॅर्डर के तहत उनको कह सकें मैं समझता हूं राजस्थान सरकार के पास भी कोई नियम नहीं है। मैंने स्थिति पर प्रकाश डालने की कोशिश की है, फिर भी लीगल लेकूना और लीगल इन्टरप्रिटेशन से इसका रास्ता निकालना है। मैं समझता हूं कि कल इस पर हम बैठकर रास्ता निकालें कि इन्टेरिम रिलीफ के नियमों के सिलसिले में क्या हो सकता है और जो ओरीजिनल जो क्वेश्चन है उसके बारे में····

श्री भैरोंसिंह : आपने जो एश्योरेन्स दिया था जब इसका उद्घाटन हुआ था तब।

श्री शोभाराम : कहां पर ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एग्रो-इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का आपने इनआॅगरेशन किया था।

श्री शोभाराम : इनआॅगरेशन की बात। मैं तो इस बात का पक्षपाती हूं कि इनको कॉर्पोरेशन के दीगर विभाग के अन्दर लगाया जाय। मैंने कभी यह नहीं कहा है कि कॉर्पोरेशन की जो एक्टीविटीज में नहीं लिया गया वह लोग भी एक तरह एब्जॉर्ब हो जायेंगे। ऐसा मुझे ख्याल नहीं पड़ता कि मैंने इस प्रकार की बात उस वक्त कही थी। यह मुझे याद नहीं पड़ता है, लेकिन आप भाषण की, तकरीर की बात कहें तो उसको आज दो साल हो गये तो क्या भाषा थी····

श्री भैरोंसिंह : भाषण तो नहीं लेकिन आपने उन लोगों में यह कहा था कि आपको इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। आप लोग एम्प्लॉयमेंट से नहीं हटाये जायेंगे, आप सब एम्प्लॉयमेंट में रहेंगे। आपको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी जानना चाहूंगा कि क्या किसी डिपार्टमेंट की एक्टीविटीज को पब्लिक अंडरटेकिंग कॉर्पोरेशन बनाना चाहें तो एज ए मेटर ऑफ पॉलिसी क्या यह एश्योरेन्स या गारन्टी नहीं देंगे कि जो कोई उसके एम्प्लाई या स्टाफ के आदमी होंगे वह रिट्रेन्च नहीं होगा और उनको बाकायदा जो सक्सेसर इन्चार्ज होगा वह एम्प्लॉय करेगा। यह जनरल गारन्टी और पॉलिसी होनी चाहिए।

श्री विजयसिंह : एक बात और है मंत्री महोदय कि हमने जब यह निवेदन किया तब आपने यह नहीं फर्माया कि कितने आदमी लिये तो आपने वापिस लिये गये लोगों की लिस्ट नहीं बताई जिनको कि उनकी जगह पर लगाया तो उससे स्पष्ट लगता है कि ज्यादातर किस जाति के लोगों को लिया है।

श्री पी. के. चौधरी : एक सवाल मैं यह पूछना चाहता था कि इन्टेरिम रिलीफ का जो है उसको एग्जीक्यूट करेंगे और हाईकोर्ट का जो यह फैसला है कि एग्रो-इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन को एक पार्टी नहीं बना सकते हैं····

श्री शोभाराम : ग्रॉर्डर पास नहीं करेंगे।

श्री पी.के. चौधरी : जो पब्लिक ग्रन्डरटेकिंग है, एग्रो-इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, वह प्राइवेट बॉडी नहीं है तो गवर्नमेंट को उसको ग्रॉर्डर देने का, उसको डाइरेक्शन देने का राइट है ग्रौर ग्रधिकार है। ग्रौर जब इन्टेरिम रिलीफ हुग्रा है, तो इन्टेरिम रिलीफ का मतलब यह हुग्रा कि एम्प्लॉईज की दिक्कत को देखते हुई इन्टेरिम रिलीफ दिया गया है। उसकी न्यायिक राय क्या लेना है। यह समझ में नहीं ग्राता है। गवर्नमेंट को एग्रो-इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को डाइरेक्शन देने के ग्रधिकार हैं उस ग्रधिकार को काम में लें। एक बात तो यह है।

दूसरा सवाल यह है कि ग्रभी तक तो सवाल यह पैदा किया गया कि एग्रो-इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन में नये एपॉइन्टमेंट कितने हुए हैं ग्रौर उन एपाइन्टमेंट्स में जो 100 ग्रादमियों का कहा है एब्जॉर्ब नहीं किया जा सका है तो उसको केटेगॉरिकली रिप्लाई नहीं दिया गया है। ग्रापने यूनियन से मांगा है तो उसका कोई सवाल नहीं है। सदन में यह बात हुई है तो रिट्रेन्चमेंट के साथ साथ एग्रो-इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन में नये एपॉइन्टमेंट्स हुए है तो केटेगोरिकली जवाब दें कि यह एपॉइन्टमेंट हुए हैं ग्रौर ये लोग एब्जॉर्ब नहीं हो सके हैं ग्रौर उनकी, क्या डिस्क्वालिफिकेशन थीं ?

दूसरी बात ग्रापने यह कही कि वर्क चार्ज एम्प्लॉईज थे ग्रौर वर्क चार्ज एम्प्लॉईज को फर्दर एपॉइन्टमेंट में रिट्रेन्चमेंट का नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो वर्क चार्ज एम्प्लॉई का बेसिस है वह ज्यादे से ज्यादा 6 महीने का होता है। इन एम्प्लॉईज को 10 साल तक वर्क चार्ज पर रखा तो रेस्पान्सिबिलिटी किस की है 10 साल तक वर्क चार्ज पर उनको रखने की, इस बात का जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में दें काफी समय हो गया है।

श्री दिग्विजयसिंह : 181 कर्मचारी रिट्रेन्च हुए ग्रौर उनके स्थान पर दूसरे लगा दिये गये दूसरी पोस्टों का नाम लेकर तो मैं यह जानना चाहूंगा कि दूसरी पोस्टों पर जो ग्रापने उनको लगाया है तो क्या वे वही कार्य कर रहे हैं जो कि 181 कर्मचारी पहले कर रहे थे। इस बात की जानकारी नहीं दी। नाम बदल दिया गया पोस्ट का लेकिन कार्य वही कर रहे हैं।

श्री शोभाराम : मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं ग्रौर नये ग्रादमी कॉर्पोरेशन में लिये गये हैं तो उनकी सूची के ग्रन्दर उस विभाग में किस किस का एपॉइन्टमेंट किया गया है, पुरानों को कितनों को लगाया गया है ग्रौर नयों को कितनों को लगाया गया है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, इस तरह से योग्यता वगैरह की सूची बना कर सदन के समक्ष पेश कर दूंगा, वह मैं समझता हूं ज्यादा ग्रच्छा रहेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कब तक ?

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह कब तक ग्रा जायगी ? ग्रध्यक्ष महोदय, एक तो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम इसकी लीगेलिटी पर बात करने को तैयार हैं और बात कर लेंगे। तो इस तरह से, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इसको पेंडिग रख रहे हैं और बैठकर बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं उस संदर्भ में समय ले लूंगा। विशेषाधिकार समिति के 18वें प्रतिवेदन पर विचार।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

श्री यशवन्तसिंह नाहर, सभापति, विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार समिति के 18वें प्रतिवेदन के विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे खयाल से इसके प्रायर....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं बोलूं उसके पूर्व वह कौन सा कानून है जिसके अनुसार आप बोलना चाहते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नियम बता रहा हूँ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कौन से रूल से रख रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नियम 222

श्री यशवन्तसिंह नाहर : 202 नहीं मानता मैं। किस कानून से आप रख रहे हैं मेरे बोलने से पूर्व।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जिस विषय में बोल रहा हूं उस पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है। कोई ऐसा कानून है जिस पर आप बोलना चाहते हैं वह मुझे बतायें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I rise on a point of order under Rule 235 of the Rules of Procedure and Conduct of Business as framed under article 208 of the Constitution of India and adopted by the Rajasthan Legislative Assembly in the year 1959.

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरी यह चर्चा का प्रश्न है इससे पहले ही आप इस बात को उठाना चाहते हैं तो वह किस कानून के अन्तर्गत कर रहे हैं ? यह व्यवस्था का प्रश्न तो जब पैदा होता है कि आपके पास कोई चीज आये, कोई पैंडिग मैटर हो। मैं कुछ बोलूं उसके पहले ही आपने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। मैं बोल लूं उसके बाद में आप व्यवस्था का प्रश्न उठा दें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। यहां व्यवस्था का प्रश्न तो आ गया। अब इसमें कौन सा मैटर है उसका बाद में पता लगेगा, मगर व्यवस्था का प्रश्न....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 10 मई की जो अनुपूरक कार्यवाही है उसमें यह एजेण्डा में निकला है कि श्री यशवन्तसिंह नाहर, सभापति, विशेषाधिकार समिति निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और यह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

भी प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन विशेषाधिकार समिति के 18वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। मैंने इस सम्बन्ध अपने संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर मैं इस समय बोलने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न इस सम्बन्ध में यह है कि यह जो प्रतिवेदन विशेषाधिकार समिति ने प्रस्तुत किया है इस सम्बन्ध में तो हमको देखना होगा इसकी भी प्रतिलिपि प्रसारित की गई है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान नियम 235 की ओर दिलाना चाहता हूं। नियम 235, यह चैप्टर विशेष तौर से डील करता है कमेटी ऑफ प्रिविलेजेज नियम 234 से मेरा सम्बन्ध नहीं है। नियम 235 में लिखा है:—

"Examination of question by Committee.-(1) The Committee shall examine every question referred to it and determine with reference to the facts of each case whether a breach of privilege is involved and, if so the nature of the breach to the circumstances leading it and make such recommendations as it may deem fit."

इसमें जो लिखा है,—

The Committee is to determine whether the breach of privilege has been comitted or not ?

प्रिविलेज कमेटी ने जो रिपोर्ट हाउस के सामने पेश की है और जैसा कि विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष श्री नाहर साहब प्रस्तुत करना चाहते हैं, मेरी आपत्ति, अध्यक्ष महोदय, यह है कि इस विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को पढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। निर्णय यह करना है....

श्री पी. के चौधरी : यह क्वेश्चन तो जब विचारार्थ लिया जायेगा तब होगा। आज तो यह होगा कि एजेण्डे पर लिया जाएगा या नहीं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो 236 में है। 236 में विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव आने के बाद, अध्यक्ष महोदय, अनुमति दे सकते हैं। मैं बेसिकली यह कहता हूं कि नियम 235 में यह कहा है कि कमेटी को डिटर्मिन करना चाहिए कि ब्रीच किया है। यह प्रिविलेज कमेटी को डिटर्मिन करना चाहिए। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है या नहीं ? क्या हुआ ? उसकी नेचर क्या है ? दोनों तरफ के फैक्ट्स दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा कहना यह है कि यह 235 की कम्प्लायन्स नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने 235 का जो प्रश्न उठाया है, वह प्रश्न विवेचनात्मक है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है या नहीं हुआ। 236 में इसको स्पष्ट किया गया है—

"After the report has been presented, the Chairman or any member of the Committee or any other member

(श्री अध्यक्ष)

may move that the report be taken into consideration whereupon the Speaker may put the question to the House."

पहला प्रश्न यह है कि स्पीकर बिना डिबेट अलॉऊ किये हुये ही ले सकता है। दूसरा है—

"Before putting the question to the House, the Speaker may permit a debate on the motion, not exceeding half an hour in duration, and such debate shall not refer to the details of the report further than is necessary to make out a case for the consideration of the report by the House."

इसलिए क्लॉज 2 के अन्तर्गत, यदि यह आसन डिबेट को इजाजत दे दे। और, वह डिबेट आधा घण्टे से अधिक न हो। इसलिये यह व्यवस्था का प्रश्न एराइज नहीं होता है।

माननीय श्री नाहर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रिपोर्ट तो प्रस्तुत हो चुकी है, 6 मई, 71 को।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : नहीं हुई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें लिखा हुआ है कि विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वही तो मैं कहने जा रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "विशेषाधिकार समिति के 18वें प्रतिवेदन को, जो कि दिनांक 6 मई, 1971 को उपस्थापित किया गया था, विचारार्थ लिया जाये।"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं सभापति महोदय से कहता हूं कि वह बतायें, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहीं भी यह फाइंडिंग दी है कि यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न इतना उठता है कि इसको विचारार्थ लिए जाने के बारे में माननीय सदस्य सतीशचन्द्र अग्रवाल का एक संशोधन आया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पढ़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष : संशोधन यह है, "विशेषाधिकार समिति के 18 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को यह सदन इस संशोधन के साथ स्वीकार करता है कि श्री पारीक को सदन के समक्ष बुलाकर उन्हें उनके आचरण के लिए ताड़ना दी जावे।"

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें विवादग्रस्त विषय पर निर्णय नहीं लिया गया है। मैं माननीय सदस्य का परम्पराओं की ओर ध्यान कराता हूँ। ऐसी रिपोर्ट जो सभापति द्वारा प्रस्तुत की जाये, उन पर डिटेल्स में विवेचन नहीं हो तब तो हम उस परम्परा का पालन कर पायेंगे। अब प्रश्न सजा का रहता है। माननीय सदस्य ने कहा है कि इस पर डिटरमिनेशन नहीं है। लेकिन संशोधन के प्रश्न पर कोई विचार करना समाप्त कर दिया जाये तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इस पर एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं मैरिट पर नहीं जाना चाहता हूं। अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है, इस पर मैं निवेदन करूंगा कि यह आपका संशोधन तभी आयेगा जब मैं यह कहूं कि इसे स्वीकार किया जाये। 'विचारार्थ लिया जाये' तो अभी तो प्रश्न ही नहीं है। अगर यह हो जाये तो विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति के 18वें प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन विचारार्थ लिया गया।

दूसरा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन विशेषाधिकार समिति के 18वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस पर अमेण्डमेण्ट है।

श्री अध्यक्ष : जो भी है। अच्छा जज होता है अच्छा लिखता है, मिश्रित मिश्रित लिखता है, सामान्य सामान्य लिखता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है :"विशेषाधिकार समिति के 18वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को यह सदन इस संशोधन के साथ स्वीकार करता है कि श्री ओमप्रकाश पारीक को सदन के समक्ष बुला कर उन्हें उनके आचरण के लिए ताड़ना दी जाय"।

अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक विस्तार से इस सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि यह घटना सदन के समक्ष आ चुकी है। दिनांक 28 अप्रेल, 1971 को जिस समय वन विभाग की मांग के सिलसिले में मेरी पार्टी के सदस्य श्री देवीदत्त गाड़िया अपने विचार प्रकट कर रहे थे और उन्होंने चीफ कन्जरवेटर ऑफ फोरेस्ट के टैक्निकल असिस्टेन्ट श्री ओमप्रकाश पारीक के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये थे, श्री ओमप्रकाश पारीक उस समय विधान सभा की अधिकारी दीर्घा में बैठे हुए थे........

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, आप इसके सम्बन्ध में आगे अपने विचार रखें, मैं इसके पूर्व निवेदन करना चाहूंगा, और यह मान लिया जाय कि मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के विचार विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर नहीं रखने चाहिए, क्योंकि हमेशा से यह परिपाटी रही है, और यह इस हाउस की प्रतिष्ठा का प्रश्न रहा है कि कमेटी की रिपोर्ट, जो यूनेनिमस रिपोर्ट है, वह सदन में पेश होती है तो उसमें क्वान्टम ऑफ पनिशमेन्ट के ऊपर कभी आज तक आपत्ति नहीं की गई है, वह इसलिए कि जो यह कमेटी है, यह कमेटी सदन ने बनाई है। इस कमेटी के प्रतिनिधि की हैसियत से और इस कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से मैं सदन में बोल रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब इस विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन से सदन की सहमति प्रकट करने का प्रश्न आता है तो मैं इसके पहले कुछ बातें निवेदन कर दूं जिससे........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप अपना पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर स्टेट कीजिये । मेरा जो प्रस्ताव है संशोधन का, वह मैं पहले रख रहा हूं, आपको उस पर कहने का अधिकार नहीं है । आपका जो व्यवस्था का प्रश्न है, वह आप रूल्स के खिलाफ उठा रहे हैं । And I am in possession of the floor of the House and you have no right ... ..

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मुझे बोलने का अधिकार है·······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका बोलने का अधिकार नहीं है । आप अपना व्यवस्था का प्रश्न रखिये । You can rise on point of order.

श्री विजयसिंह : बोलने का तो मुझे भी अधिकार है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You can only state your point of order.

श्री विजयसिंह : You can only raise a point of order.

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरी बात सुन लीजिये कि मैं क्या बोलूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप केवल ऐसी बात कर रहे हैं, जैसे आप केवल उपदेश दे रहे हैं कि विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट सदन द्वारा ज्यों की त्यों स्वीकार करने की परम्परा रही है····

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : मुझको पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सुनने दीजिये ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरी बात सुनिये ।

आप प्री-सपोज करके चल रहे हैं । आपकी समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूंगा····

श्री अध्यक्ष : आप पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर कहिये ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इस मामले के संबंध में कमेटी ने क्या निर्णय दिया है, उसके सम्बन्ध में भी मैं प्रकाश नहीं डालूं····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं निवेदन नहीं करूं तो सदन····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रकाश डालना था कमेटी की रिपोर्ट के बारे में तो पहले डालना चाहिए था । प्रिविलेजेज कमेटी की रिपोर्ट सेल्फ कन्टेन्ड होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : प्रकाश, अन्धकार मत डालें, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है, सदन की हमेशा से यह परिपाटी रही है, और इस विशेषाधिकार समिति की प्रतिष्ठा को कायम रखते हुए जो कुछ सर्व सम्मति से इस कमेटी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, यह सदन उसे स्वीकार करे—इसके पहले मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूं, मैं वाकयात में नहीं

Page No 79

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

जाना चाहता, लेकिन उस आदमी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें इस इन्सिडेंट के लिए अनकन्डीशनल माफी मांगी है। मैं और तथ्यों पर प्रकाश डालने का प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन अनकन्डीशनल इस सदन के माननीय सदस्यों से माफी मांगी है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह रिपोर्ट में आ गया है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : माननीय सदस्य से माफी मांगी है, इसलिए आपका जो ऐतराज है वह ऐतराज तो गया। जो ऐतराज किया था, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के प्रश्न पर, जो उठाया गया था, विशेषाधिकार समिति ने फाइंडिंग नहीं दी है, वह तो गया। अब अगर उसको छोड़ कर और कोई ऐतराज हो तो आप कहें।

श्री विजयसिंह : यह कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सुन तो लीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं बैठा हूं, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर को मैं देख लूंगा। आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य !

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं निवेदन करता हूं, सदन यह निश्चय करता है कि कमेटी को फाइंडिंग देनी चाहिए तो यह वापिस कमेटी के पास लानी चाहिए। कमेटी ने फाइंडिंग नहीं दी है वह केवल इसलिए कि उसने अनकन्डीशनल माफी मांगी है। हमेशा यह नियम रहता है कि अनकन्डीशनल माफी मांग ले तो उसको सदन द्वारा मान लिया गया है। अब अगर सदन यह फील करता है कि कमेटी को फाइंडिंग देनी चाहिए कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ, तब उसके बाद में आपके अमेंडमेंट का प्रश्न पैदा नहीं होता है। आप रिमाण्ड कर दीजिये, इसको वापिस कमेटी को भेज दीजिये कि कमेटी इसके सम्बन्ध में फाइंडिंग दे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं........

श्री अध्यक्ष : अब पर्याप्त हो गया। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, पहले आप व्यवस्था दे दें। मेरे भाषण के दौरान माननीय नाहर ने जो व्यवस्था का प्रश्न खड़ा किया है उस पर व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष : यह परम्परा का उद्धरण करते हुए सदन को कहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : ट्रेडीशन्स कन्स्ट्रू हो जाते हैं, व्यवस्था के रूप में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद इस बात का है, विशेषाधिकार समिति के सभापति महोदय ने यह सदन को सूचित किया है, उन्होंने अनकन्डीशनल एपोलोजी मांगी है। अनकन्डीशनल एपोलोजी के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, आप तो, अध्यक्ष महोदय, अच्छे एडवोकेट रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आप और हम—दोनों ही। दोनों की गाड़ी चला लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है, कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के केसेज में हाई कोर्ट में कोई व्यक्ति अगर पहले अपना एक्स्प्लेनेशन देता है, फिर एपोलोजी टेन्डर करता है, तो उसको अनकन्डीशनल कभी नहीं मानना चाहिए। अनकन्डीशनल एपोलोजी के सम्बन्ध में हाई कोर्ट की, अगर आप चाहें तो मैं अभी जाकर आधे घण्टे के समय में ऐसी ऑथोरिटी लाकर पेश कर सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो कन्टेम्प्टरर है, जिसने अपराध किया है, वह पहले अपना एक्स्प्लेनेशन दे दे कि मैंने ऐसा नहीं किया है, जज ने गाली दी या आंख दिखा दी, फिर मैंने यह किया और फिर कहे, फिर भी मैं अनकन्डीशनल एपोलोजी मांगता हूं—तो मेरा निवेदन है वह अनकन्डीशनल एपोलोजी नहीं होती है। यह कमेटी की रिपोर्ट, जो सदन के माननीय सदस्यों को सरक्यूलेट की गई है, मैं, सभापति महोदय, आपकी रिपोर्ट पढ़ कर सुनाता हूं। मुझे पता नहीं है कि आपने पढ़ी है या नहीं····

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैंने लिखी है। और उसका जो क्षमा-पत्र है, उसमें लिखा हुआ है। आप देख लीजिये।

श्री विजयसिंह : टाइप होने के बाद देखी है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : लिखी होगी, पढ़ी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें पहले फैक्ट्स बता दिये। फिर गाड़िया जी का बता दिया। फिर पृष्ठ दो पर लिखा है। गाड़िया जी की बात समाप्त हो गई, उसके बाद में कहा है :

"लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में श्री पारीक ने समिति को सूचित किया कि जांच के पश्चात् कोई भी आरोप उनके खिलाफ सिद्ध नहीं हुए थे।"

हाउस में श्री देवीदत्त गाड़िया ने जो आरोप लगाये, उसके सिलसिले में यह एक्स्प्लेनेशन दे रहे हैं :—

"श्री पारीक ने परीक्षण के दौरान समिति के समक्ष यह भी व्यक्त किया कि वन विभाग की ओर से, मुख्य वन संरक्षक का प्राविधिक सहायक होने के नाते, उनकी विधान सभा में ड्यूटी लगाई गई थी कि वन विभाग के सम्बन्ध में जो कुछ कहा जाए उसे नोट करें। श्री पारीक ने समिति के समक्ष यह भी प्रकट किया कि सदन में जब कोई अन्य माननीय सदस्य राजस्व विभाग के सम्बन्ध में वक्तव्य दे रहे थे तो कुछ विश्राम लेने हेतु वे विधान सभा भवन के उपाहार-गृह में गए और उन्होंने विधायक श्री देवीदत्त गाड़िया को नमस्कार किया और हाथ मिलाया तथा उनसे कहा कि लगाये आरोपों के सम्बन्ध में वे निर्दोष हैं एवं उनके सम्बन्ध में उन्हें (श्री गाड़िया) को कुछ गलतफहमी हो गई है। इस पर श्री गाड़िया ने जब उनसे कहा कि वे दोषी हैं, तो इस पर श्री पारीक ने उनसे कहा कि यदि वे (श्री पारीक) दोषी हैं, तो उसके लिए उन्हें (श्री पारीक को) भगवान देखेगा।" श्री पारीक से समिति ने जब यह पूछा कि दूसरी बार वहीं पर श्री गाड़िया जब उनसे मिले तो उस समय क्या हुआ, यह बतलायें। श्री पारीक ने इस पर समिति को यह बतलाया कि उस समय श्री पारीक ने श्री गाड़िया को नमस्कर किया और हाथ मिला कर फिर सदन की अधिकारी दीर्घा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
में आ गए थे। समिति ने फिर जब श्री पारीक से कहा कि विधायक श्री गाड़िया का उन पर जो स्पष्ट आरोप है, उसके लिए उन्हें क्या कहना है, श्री पारीक ने व्यक्त किया कि विधायक श्री गाड़िया को उनके व्यवहार से गलतफहमी हो गई है।"

इसके बाद में एपोलोजी है :

व्यवहार से गलतफहमी हो गई है, जिसके लिए वे बिना शर्त क्षमायाचक हैं।

यह बिल्कुल परसिस्टेन्टली उसे गलतफहमी मान रहे हैं। गलतफहमी मान रहे हैं इसके बाद है :

"श्री पारीक ने तदुपरान्त, समिति के समक्ष, श्री गाड़िया से क्षमायाचना की एवं यह भी कहा कि उनकी श्री गाड़िया के प्रति कोई बुरी भावना नहीं थी, फिर भी गलतफहमी के कारण यदि उनका व्यवहार विधायक श्री गाड़िया को अशिष्ट लगा हो और उनकी भावना को ठेस पहुंची हो तो वे बिना शर्त केवल माननीय सदस्य श्री गाड़िया से ही नहीं अपितु सदन के सभी माननीय सदस्यों से भी क्षमायाचना करते हैं।

चूंकि श्री पारीक ने बिना शर्त अपने व्यवहार के लिए क्षमायाचना की है, अतः समिति इसमें आगे किसी तरह की कार्यवाही करना नहीं चाहती और सदन से सिफारिश करती है कि श्री पारीक को क्षमा किया जाय।"

कहां आपने डिटरमिनेशन किया है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है या नहीं? कमेटी किस निर्णय पर इस सम्बन्ध में पहुंची? मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरा चार्ज है कमेटी ने रूल 235 के तहत, चाहे उन्होंने क्षमायाचना की हो या नहीं की हो, कहां कमेटी ने डिटरमिन किया है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है। केवल चूंकि श्री पारीक ने क्षमायाचना की है इसलिये सदन को यह सिफारिश की है। आपने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के मामले में डिटरमिन नहीं किया, कमेटी की कोई राय नहीं दी कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है या नहीं। केवल इसमें कहा है,—

"श्री गाड़िया को नमस्कार किया और हाथ मिला कर फिर सदन की अधिकारी दीर्घा में आ गए।"

और श्री देवीदत्त गाड़िया का कहना था, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे घसीट कर ले गये और अभद्र व्यवहार किया। मैं बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं :

The Privilege Committee has utterly failed to determine whether the breach of privilege has been comitted, which is incumbant upon them under rule 235.

जब कुछ हुआ नहीं तो यह किसकी बिना शर्त माफी मांगी है? यह बिना शर्त माफीनामा पेश किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं अंत में कि इसमें यही शब्द है, फिर भी गलतफहमी—यानि अब तक गलतफहमी मानते हैं...

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरी बात नहीं सुनते हैं और अपनी अपनी बात कहते चले जावेंगे, तो मेरी बात कैसे समझ सकते हैं।

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
उसने जो एपोलोजी का पत्र लिख कर दिया है···

श्री विजयसिंह : आपको गलतफहमी हो रही है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मुझे नहीं, इनको हो रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने आप लोगों पर कोई आरोप नहीं लगाया है। मेरे खिलाफ आपको गलतफहमी हो रही है····

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अरे, मैं कह रहा हूं, उसे तो सुनिये। आप अपनी बात कहते चले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री नाहर, चेयरमैन, प्रिविलेज कमेटी—इनकी बात समाप्त होने के बाद आपको समय दे दूंगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इसके पहले मैं एक चीज क्लीअर कर दूं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको समय दे दूंगा। आप समाप्त कर दें ऑब्जेक्शन, उसके बाद स्पष्टीकरण का समय दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने प्रिविलेजेज कमेटी की बाकी रिपोर्ट देखी है। एक रिपोर्ट का मुझे ध्यान है, उस रिपोर्ट में, पिछली बार जो दिल्ली के एस. डी. एम. के खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का प्रश्न रखा था····

श्री अध्यक्ष : वह प्रश्न अभी विचाराधीन नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन कर रहा हूं, जो अनकन्डीशनल एपोलोजी जिस तरह एपोलोजी जिस फार्म में है, जो लिखित में मांगी है, उसको सदन की जानकारी के लिए बतलायें कि इस व्यक्ति ने इस फार्म में एपोलोजी मांगी है जिससे हाउस डिटरमिन कर सके कि वह कैसी एपोलोजी है। आपकी रिपोर्ट के अन्दर तो अगर, मगर लिखा है, गलतफहमी में मुझसे ऐसा हो गया तो मुझे माफ कर दीजिये। इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति अपना दोष नहीं मान रहा है, अपनी गलती नहीं मान रहा है। इसके अलावा कमेटी ने डिटरमिन नहीं किया है कि उस व्यक्ति ने दुराचरण किया है, अशिष्ट व्यवहार किया है या नहीं। इस सम्बन्ध में कमेटी की फाइंडिंग नहीं है, कमेटी ने डिटरमिन नहीं किया। मैं यह निवेदन करता हूं कि यह अनकन्डीशनल एपोलोजी नहीं है, This is no unconditional apology. परसिस्टेन्टली, कॉन्सटेन्टली यह व्यक्ति, यह अधिकारी श्री ओमप्रकाश पारीक अपने कन्डक्ट को जस्टिफाई कर रहा है और सजा से बचने के लिए इस प्रकार क्षमा-याचना की बात कर रहा है। यह गुड फेथ में नहीं है। इसलिए मैंने संशोधन का प्रस्ताव रखा है, हाउस इस प्रिविलेजेज कमेटी की रिपोर्ट, जो रिपोर्ट में नियम 235 का उल्लंघन है, विचारार्थ लेता है, तो उसमें मैंने यह संशोधन प्रस्ताव दिया था, और मेरा सुझाव है····

That this matter be referred back to the Privilege Committee for determining whether a privilege question

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
has been involved as stated by Mr. Gadia in this House.

श्री अध्यक्ष (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) : श्री नाहर स्पष्टीकरण कर दें, उसके बाद आप।

श्री मदनसिंह : मेरा निवेदन है कि इसमें साफ है। नाहर साहब को वहां कमेटी में लिखना चाहिए था कि वह क़सूरवार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा निवेदन है कि मैं पहले ही सदन से निवेदन कर चुका हूं कि रूल 135 के तहत फाइंडिंग्स की बात है। विचारार्थ लेने के बाद कमेटी की प्रॉपर्टी होती है। विशेषाधिकार समिति ने अगर आप समझते हैं कि फाइंडिंग नहीं दी है तो आप यदि उचित समझें तो वापस भिजवा दें, सदन का अधिकार है, मैं इन्कार कब करता हूं (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के बोलने पर) पहले सुन तो लो। आपका अमेंडमेंट बेकार हो जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अमेंडमेंट बेकार होगा तो आपकी समिति अगर नतीजे पर पहुंचेगी तो लैप्स हो जाएगा। इसलिए मैंने व्यवस्था का प्रश्न खड़ा किया था।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अगर कमेटी की रिपोर्ट सही है या गलत माफी दी है तो सदन उसको बुलाकर ताड़ना दे सकता है दैट कम्स इन दी सेकंड स्टेज। कमेटी की फाइंडिंग्स को मंजूर करते हुए पनिशमेंट दे दें....

श्री अध्यक्ष : एक स्पष्टीकरण दे दें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरी बात तो सुन लो। मेरा निवेदन है कि या तो हमारी फाइंडिंग्स को मंजूर कर लो....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फाइंडिंग्स नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : केवल रिकमेंडेशन है।

(दोनों माननीय सदस्य साथ-साथ बोलने लगे)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं कमेटी की तरफ से निवेदन करता हूं। मैंने पक्ष नहीं लिया। मैं निवेदन करूं या तो कमेटी की फाइंडिंग्स नहीं हैं तो वापस कर दिया जाय, लेकिन हमें एक कठिनाई आई। शुरू में जब बयान लिए तो बयान में जो उन्होंने बात कही वह मिनिट्स में लिखी। लास्ट डेट को जब एवीडेंन्स के लिए मीटिंग की तब तीन गवाह आए, जो इस विधान सभा के अन्दर सर्विस करते हैं। ऐसा मैटर ऑफ प्रिविलेजेज का आया कि किसी कर्मचारी का बयान ले लें, मान लीजिए वह किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध बयान देते हैं तब I have no objection. But that comes in the second stage.

Page No 84

श्री पी.के. चौधरी : व्यवस्था का प्रश्न है। कमेटी के सामने क्या हुआ क्या नहीं हुआ इन बातों को न रखें। आज सवाल यह है कि जैसे नाहर साहब ने कहा, सतीशचन्द्र जी एग्री करते हैं। मान लीजिए सदन को सिफारिश मंजूर नहीं होती है तो रिमांड कर सकते हैं। इश्यू है कि कमेटी का कोई फाइंडिंग नहीं है, इम्प्लाइड तरीके से कमेटी ने फाइंडिंग दी है क्योंकि कमेटी ने कहा है....

श्री अध्यक्ष : पॉइंट ऑफ आॅर्डर उठाया है, कैसे चल रहे हैं ?

I do not see any force in the Point of order.

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जिस रेफरेन्स में निवेदन किया, जिस नतीजे पर पहुंचे, उसको मैं निवेदन करना चाहता हूं, उसको आप फाइंडिंग समझते हैं, मैं उन सीमाओं पर बोलूंगा जिनके लिए कानून परमिट करता है। हमने उनसे पूछा, माननीय गाड़ियाजी भी उपस्थित थे। हमने श्री पारीक से पूछा, भाई आप किसी तरह अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं तो लिख दिया कि मेरे अशिष्ट व्यवहार के लिए मैं अनकन्डीशनल माफी मांगता हूं।

श्री भैरोंसिह : व्हेयर इज दैट ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : दिस इज पार्ट ऑफ दी Proceedings.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अनकन्डीशनल एपोलोजी के मामले में कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं तो रिलेवेन्ट डॉक्यूमेंट्स का रेफरेन्स होना चाहिये, पार्ट एन्ड पार्शल होना चाहिए था।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इसलिए इसमें क्या हुआ कि नीचे वाली जो लास्ट लाइन है उसमें लिखा है कि जब अनकन्डीशनल माफी मांगली, माननीय सदस्यों और सदन को विश्वास हो गया, फिर भाषा में थोड़ी गलतफहमी हो सकती है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर गलतफहमी ? ओमप्रकाश जी पारीक जो कहते हैं वही आप कह रहे हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उसके बाद उन्होंने अनकन्डीशनल अपने अशिष्ट व्यवहार के लिए माफी मांगी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसा सदन में नहीं होता है कि दिखाते नहीं हैं, डबल अकाउंट्स रखे जाते हैं।

It should be referred back to the Privileges Committee for determining whether a breach of privilege has been comitted ?

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न श्री सतीशचन्द्र जी ने उठाया है उसका स्पष्टीकरण श्री नाहर ने किया। दो प्रश्न प्रमुख इसमें रहते हैं। क्या यह सदन क्षमता रखता है कि सारे प्रश्न को, यदि एडीकुएट फाइंडिंग्स उस पर नहीं हैं, तब यहीं उस पर निर्णय कर सकता है ? दूसरा प्रश्न यह है कि सदन निर्णय करके वापस समिति को सुपुर्द कर दे ताकि सदन में व्यक्त की भावनाओं के उस संदर्भ में समिति फिर जांच करे एवं अपना निर्णय देकर वापस

(श्री अध्यक्ष)
सदन के समक्ष प्रस्तुत करे। लेकिन मैं दोनों प्रश्नों पर चाहूंगा कि सदन जो भी निर्णय लेवे, एक मत से ले। मैं इस प्रश्न का विवेचन करूं, इसको मतदान के लिये रखूं, उससे पहले सदन की राय लेना चाहता हूं। यह बात ठीक है कि रिपोर्ट जिन परिस्थितियों में लिखी गई, और जल्दी में लिखी गई, उससे माननीय सदस्य अवगत हैं। इतने कम समय में सारी बात की जांच करके, रिपोर्ट कम से कम समय में प्रस्तुत कर देना, इसके लिए तो समिति को····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद दिया जाना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी हां।

श्री अध्यक्ष : फिर भी जो माननीय सदस्यों ने भावनाएं व्यक्त की हैं फाइंडिंग्स के सम्बन्ध में उस प्रश्न को स्वयं समझते हुए कि कमेटी की फाइंडिंग्स उक्त पहलुओं पर होनी चाहिये थी उन पर निर्णय उस समय हो जाना चाहिए था। उसके बाद सजा के मिटीगेटिंग सर्कम्स्टैन्स के सम्बन्ध को लेकर क्षमायाचना आदि पर अपनी उदारता व्यक्त की जा सकती थी। अगर माननीय सदस्यों की सहमति हो तो इसको रिमांड कर दिया जाय पुनः समिति को····

कई माननीय सदस्य : कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : तो रिमांड किया गया। (श्री भैरोंसिह के खड़े होने पर) अब तो रिमांड हो गया।

श्री भैरोंसिह : एक जानकारी सभापति महोदय से चाहूंगा····

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह प्रश्न नहीं उठना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इट हैज बीन रिमांडेड। अनुदानों की मांगों पर मतदान।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की सूचना दी है कि सतर्कता आयोग की रिपोर्ट 1969 के बाद आज तक पेश नहीं की गई। तीन साल से ज्यादा समय होगा। इसलिए मुख्यमंत्री के खिलाफ मैंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष : अभी तो मेरे पास एक सेकंड पहले प्रस्तुत की गई है। येस मांगों पर विचार।

अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,60,58,000) रु. तक की राशि प्रदान की जाए।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के संबंध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19, 59,000) रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 98,11,000) रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

Page No 86

(श्री मथुरादास माथुर)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर व महसूल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 21,97,000) रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14–स्टाम्प्स के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,91,000) रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15—पंजीयन शुल्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,53,000) रु. तक की राशि प्रदान की जाए।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक था–राज्य/संघीय क्षेत्र सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,26,44,000) रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 2,3,4,5,6,7 व 45 पर प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 2

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): 1. माग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय (राजस्थान में शराबबन्दी 1972 तक पूरी कर देने की और सरकार द्वारा कोई समुचित कदम न उठाने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

2. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सन् 1971-72 के लिए मार्च में सवाई माधोपुर, स्टेशन सवाई माधोपुर, सूरवाल व फलौदी के ठेकों पर अधिक बोली लगाने पर भी कम बोली वालों को ठेके दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

3. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाये (यात्री कर बस ऑपरेटर्स के माध्यम से नकदी में वसूल किये जाने के बारे में नीति का अननुमोदन)।

4. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ट्रैफिक इन्सपेक्टर, सवाई माधोपुर द्वारा बस तथा ट्रक मालिकों से चुनाव चंदा वसूल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

100 रुपया कम दिया जाय (ट्रैफिक इन्सपेक्टर, सवाई माधोपुर द्वारा सवाई माधोपुर से चलने वाली बसों तथा ट्रकों से माहवारी चंदा लिए जाने पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर से चलने वाली बसों में अत्यधिक सवारियां चलने पर भी कोई कार्यवाही न किए जाने पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिए जाय (यात्री कर की चोरियों की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

8. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर से खण्डार, पाली, फलौदी चलने वाली बसें बेकार व पुरानी होते हुए भी उनको पास किया जाता है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 4

9. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 51 रुपये कम कर दिये जायें (टैक्स विरोधी दस्तों की समाप्ति कर मितव्ययता)।

10. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों को, टैक्स चोरी विरोधी दस्तों द्वारा आतंकित करने व बेइज्जती करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर अधिकारियों द्वारा जब्त किये माल की व्यापारियों को रसीद न देने तथा महीनों उसे वापिस न लौटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 5

12. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय (बल्क कन्ज्यूमर्स से इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी अदा करने में लगातार डिफाल्ट करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जाने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 7

13. मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15—पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सब-रजिस्ट्रार्स द्वारा चंदा अदा करने पर ही दस्तावेजात रजिस्ट्री किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

14. मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15—पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सब-रजिस्ट्रारों के कार्यालयों में तहसीलदारों को अधिकार मिलने से सवाई माधोपुर

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
सब-डिविजन का पूर्व का रिकार्ड लापता तथा अस्तव्यस्त होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): 15. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राज्य सरकार की शराबबन्दी की नीति अस्पष्ट, अनिश्चित एवं भ्रम पैदा करने वाली है। इस सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

16. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (राजकीय आबकारी कर की बकाया की वसूली पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर एवं जालौर जिलों में शराबबंदी की जा चुकी है, परन्तु आबकारी विभाग द्वारा उसके क्रियान्वयन में निष्क्रियता एवं उदासीनता बरती जा रही है, जिसके कारण दोनों जिलों की जनता में घोर असन्तोष है, इस पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराबबन्दी की जो घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई थी, उसका पालन नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 4

19. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर वसूली में अव्यवस्था है और इससे दुकानदार बहुत परेशान हैं, इस सम्बन्धी उचित व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

श्री नन्दलाल बेरवा (पाटन) : 20. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी एवं गैर सरकारी फैक्ट्रियों के मजदूरों की बस्तियों में अनाप-शनाप शराब बेचे जाने पर चर्चा के लिए)।

21. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (साप्ताहिक अवकाश नहीं रखकर रोजाना ही शराब की दूकानें खुले रहने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 3

22. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गाड़ियों के कर की समय पर वसूली न होने तथा मोटर मालिकों द्वारा कर की चोरियां की जाती हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 6

23. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14—स्टाम्प्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री नन्दलाल बैरवा)
कम कर दिया जाय (समय पर अदालतों में स्टाम्प्स नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : 24. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराब सरे आम गांवों में सैंकड़ों किसान नाजायज भट्टियों से निकाल रहे हैं, सरकार रोकने में असमर्थ है तथा शराब गांवों में बिना ठेकों के बिक रही है, इससे शराबखोरी बढ़ रही है तथा देशवासियों का आचरण बिगड़ रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 4

25. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (बिक्री कर के मामलों में सरकार हिसाब वगैरह की जांच नहीं करती है जिससे व्यापारी मनमानी करके टैक्सों की चोरी करते हैं, लाखों रुपयों का जिससे राज कोष को घाटा हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 6

26. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14—स्टाम्प्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसीलों के मुख्यालयों पर नागरिकों को स्टाम्प्स समय पर आवश्यकतानुसार नहीं मिलते, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : 27. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराब बन्दी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

28. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बढ़े हुए करों की परेशानी से गाड़ियों के मालिकों को परेशानी बढ़ रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 4

29. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनाज पर लगे बिक्री कर एवं अन्य बिक्री कर से व्यापारियों को होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : 30. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग पर होने वाले व्यय को कम करने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत

(श्री रामचन्द्र आर्य)
मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की नशाबन्दी करने के सम्बन्ध में नीति असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कर कम दिया जाय (जिला गंगानगर में सार्वजनिक स्थानों पर शराब के ठेके खोलने से जनता में भारी असन्तोष उत्पन्न हो गया है, इस पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर में हाई स्कूल व मोटर स्टेण्ड के पास शराब का ठेका है, उस पर काफी अर्से से जनता का विरोध है, फिर भी वह नहीं उठ रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराब के ठेकेदार बिक्री कर की चोरी करते हैं और टैक्स नहीं देते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर में नाजायज शराब निकालने की काफी शिकायतें हैं, इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (शराब के ठेकेदारों में शराब का टैक्स बकाया है, उसकी वसूली करने में राज्य सरकार की नीति असफल रही है, सरकार की असफल नीति का अननुमोदन)।

37. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराब के ठेके समाप्त कर दिये जायें क्योंकि इस प्रकार से करों की भारी चोरी होती है, इस पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराब के ठेकेदारों में बकाया रकम को राइट ऑफ करके सरकारी खजाने में भारी घाटा पहुंचाया गया है, इस सम्बन्धी जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विदेशी शराब के ठेकों में भारी घोटाले हैं, इसकी बोली नहीं कराने से सरकार को काफी हानि होती है, इस पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया

(श्री रामचन्द्र आर्य)
जाय (शराब की बिक्री में ठेकेदार कर की चोरी करते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आकबारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराब की नाजायज दुकानों पर रोक लगाई जाए तथा सार्वजनिक स्थानों पर शराब के ठेकों को हटाया जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाजायज शराब की बिक्री से सरकार को घाटा हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (होटलों में शराब की बिक्री पर रोक लगाई जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा रावतसर के मोटर स्टेण्ड पर शाम को शराब पीकर गुण्डागर्दी करने वालों को पुलिस नहीं पकड़ती है, इस पर चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर-हनुमानगढ़ रोड के मोटर स्टैण्ड पर देशी शराब के ठेके लगा रखे हैं, इनको बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बस व ट्रक ड्राईवर्स अमूमन शराब पीकर ड्राईविंग करते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में दुकानों पर शराब खुली बिकने से ग्रामों में आये दिन गुण्डागर्दी होती है, इस पर रोक लगाने हेतु चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार शराबबन्दी करने की बार बार घोषणा करने पर भी शराबबन्दी सम्बन्धी सरकारी नीति असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर में सैकेण्डरी स्कूल व बस स्टेण्ड के पास शराब का ठेका, बार बार शिकायत करने पर भी नहीं उठाया जाता, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

50. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग

Page No 92

(श्री रामचन्द्र आर्य)

में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ट्रेक्टरों पर, कृषि उत्पादक औजारों पर कर माफ किया हुआ है लेकिन गंगानगर में ट्रेक्टरों के हलों व तवों तथा अन्य भूमि समतल करने वाले औजारों का टैक्स वसूल किया जाता है, इस पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में प्राइवेट बस मालिक सरकारी टैक्स की चोरी करते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राईवेट बसों के मालिक टिकट छपाने में भारी गड़बड़ करते हैं; इस पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर-कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (काफी मार्गों पर नाजायज बसें चलती हैं, इससे टैक्स की भारी चोरी होती है, इस पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गाड़ियों पर आये दिन टैक्स बढ़ाने से आम गरीबों पर भयंकर वजन पड़ता है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 4

55. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर बहुत अधिक वसूल किया जाता है, माल पर एक ही टैक्स लगना चाहिये, इस प्रकार के टैक्स लगाने से टैक्सों की चोरी होती है, इस पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर वसूल करने का तरीका गलत होने से टैक्सों की चोरी होती है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 5

57. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर तथा महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टैक्सों की भयंकर चोरी होती है छोटे व्यापारी टैक्सों से परेशान हैं, इसके सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 6

58. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14—स्टाम्प्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर की तहसीलों में स्टाम्प्स नहीं मिलते हैं, इस प्रकार की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14—स्टाम्प्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रेशन अधिकारी अपने चपरासियों द्वारा रिश्वत लेते हैं, वहां रिश्वत का बोलबाला है जिससे रजिस्ट्री कम रुपयों की दर्शाई जाती है, इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

60. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14—स्टाम्पस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अदालतों में टिकटें व स्टाम्पस नहीं मिलते, इस पर पाबन्दी नहीं रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 7

61. मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15—पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंजीयन शुल्क लगाने से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला है, पंजीयन शुल्क से सम्बन्धित सरकारी नीति असफल रही है एवं पंजीयन कराने के लिये शुल्क के साथ रिश्वत देनी पड़ती है, इस पर चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15—पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रजिस्ट्रेशन में टैक्सों की भारी चोरी होती है, टैक्सों की चोरी के लिये कीमत कम दिखा कर सरकार को नुकसान पहुंचाया जाता है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 45

63. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक था—राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ऋण व अग्रिम देने सम्बन्धी सरकार की नीति असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : 64. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराबबन्दी की घोषित नीति पर सरकार अमल नहीं कर रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : 65. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सन् 1972 तक पूर्ण नशाबन्दी करने और वचन पर कायम रहने की आवश्यकता के बारे में चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 2, मुख्य, शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों व चुने हुए प्रतिनिधियों के शराब पीने पर पूरा प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जहां जहां भी जिन जिन जिलों में नशाबन्दी है किसी भी शराबी अधिकारी को न भेजने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबकारी विभाग में शराबबन्दी से लगे क्षेत्र, जोधपुर में आबकारी मंत्री के एक रिश्तेदार को आबकारी अधिकारी बना कर रखने से फैलने वाले भयंकर भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

Page No 94

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

69. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबकारी विभाग में मन्त्री से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक सब शराब न पीने वाले तथा शराबबन्दी में विश्वास रखने वाले हों, इस पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जहां जहां भी शराबबन्दी है, वहां बाहर से महुआ न आ सके तथा बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने आदि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

71. मांग सं. 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गाड़ियों पर कर का तरीका बदलना चाहिये ताकि टैक्स चुराने का मौका न मिले, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 4

72. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनाज तथा अन्य खाद्य पदार्थों पर किसी प्रकार का बिक्री कर नहीं लगना चाहिये और बिक्री कर की वसूली के तथा टैक्स के ऐसे उपाय काम में लेने चाहिये जिससे जनता को कम से कम कष्ट हो, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : 73. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार सन् 1972 तक पूर्ण नशाबन्दी नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में मन्दिरों, विद्यालयों, बस स्टेण्डों के समीप व आम सड़कों के दोनों किनारों पर शराब की दुकानें होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराब के ठेकेदारों में बकाया की वसूली नहीं हो रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 3

76. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निवाई-डिग्गी वाया डागरथल बस सेवा चालू करने पर चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में गाड़ियों के कर की बकाया वसूल नहीं हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

मांग संख्या 4

78. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

श्री कल्याणमल मीणा (जहाजपुर) : 79. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबकारी कर की वसूली ठीक प्रकार से नहीं हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

80. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गाड़ियों के कर की वसूली पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 4

81. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूती कपड़ों पर से बिक्री कर हटाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 7

82. मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15—पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रजिस्ट्री शुल्क कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : 83. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला आबकारी अधिकारी, अलवर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में कुछ न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला अलवर के देशी शराब के ठेके खैरथल, किशनगढ़, तिजारा, मंडावर में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने के बावत चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 4

85. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डी. सी. एम.) व जे. के. कोटा स्थित कारखानों को बिक्री कर सम्बन्धी अनुचित लाभ देने पर चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डी.सी.एम. कारखाने से टाईकार्ड की बिक्री पर बिक्री कर की वसूली न करने पर चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जे.के. सिन्थेटिक्स, कोटा द्वारा नाइलोन की बिक्री पर मुख्य कार्यालय कानपुर बता कर बिक्री कर की चोरी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : 88. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराब के ठेकेदारों पर जो बकाया माफ की जाती है, उस पर चर्चा के लिये)।

श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : 89. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार की ठेका व टेन्डर प्रथा को बदल कर ऑफर प्रथा कायम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : 90. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 5

91. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13-अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मनोरंजन कर से कुछ चित्रों को मुक्त करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 45

92. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक था—राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (उद्योगपतियों द्वारा देय ऋण वसूल नहीं किये जाने के बारे में नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 2

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : 93. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर की अग्रिम वसूली व अनियमितताओं के कारण जैसलमेर जिले में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री अमोलाल यादव (बहरोड़) : 94. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनधिकृत शराब की वजह से आबकारी कर में कमी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 4

95. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों द्वारा इस्तेमाल करने वाली मोटी वस्तुओं पर कर की माफी एवं कर वसूली में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 5

96. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गाड़ियों पर फिक्स्ड जी. पी. टैक्स रखने के बारे में चर्चा के लिये)।

Page No 97

मांग संख्या 2

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : 97. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आवकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नशाबन्दी करने में असफलता एवं उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : 98. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आवकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी नगर में शराब का ठेका मोटर स्टेण्ड पर होने से आये दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिससे जनता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, अतः इस ठेके को वहां से हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आवकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक स्थानों से शराब के ठेके हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आवकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के ठेकेदारों में लाखों रुपयों का कर बकाया है एवं राजस्थान सरकार द्वारा लाखों रुपया राइट ऑफ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

101. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (राजस्थान के मोटर मालिकों द्वारा पूरा कर समय पर जमा नहीं कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी से विजयनगर जाने वाली बस का मार्ग वाया प्रान्हैड़ा होकर जाने के बाबत चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 7

103. मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15—पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रजिस्ट्रेशन कराते समय उचित पंजीयन शुल्क न लेकर बाद में उसके नोटिस देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : 104. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आवकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आवकारी विभाग में लाखों रुपये मदिरा संघ के पास रुके हुए हैं एवं नगर के मध्य से मदिरा की दुकानों को हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

105. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गाड़ियों पर कर भुगतान के समय भ्रष्टाचार होता है, इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री भगवान दास शास्त्री)

106. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कर की वसूली निर्धारित समय पर न होने एवं वसूली में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 4

107. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिस्किट, डबल रोटी व हैंड-लूम पर कार्य करने वाले श्रमिक जो पसीने की कमाई प्राप्त करते हैं, उनके उत्पादनों पर बिक्री कर न रखने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 5

108. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मछली पर कर को समाप्त करने एवं चुंगी चौकियों की समाप्ति की भी घोषणा के बाद राहत नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 7

109. मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15—पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंजीयन शुल्क की अधिक मात्रा को कम करके एक लिमिट में तय होना चाहिये, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 45

110. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक था—राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राइवेट सैक्टर में दिये हुए ऋण की धनराशि जिलावाइज घोषित करनी चाहिये, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : 111. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में नाजायज अफीम की बिक्री के बारे में चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में शराबबन्दी होते हुए भी अन्धाधुन्ध शराब बिकने के बारे में चर्चा के लिये)।

113. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में शीघ्र शराबबन्दी की आवश्यकता के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

114. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ट्रैक्टरों के पंजीयन एवं ट्रैक्टरों के चलाने के सम्बन्ध में आने वाली शिकायतों पर चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर आर. टी. ओ. कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं मैकेनिकल निरीक्षकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की आम शिकायतों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): 116. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले के ठेकेदारों से, शराब की गारन्टी की बकाया राशि वसूल नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ठेकेदारों द्वारा गांव गांव में घूम घूम कर शराब बेचे जाने पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग के एक अधिकारी के बिना किसी पद पर स्थाई हुए एडहॉक बेसिस पर पदोन्नतियां करते रहने पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग के सेवा नियम नहीं बनाने तथा मनमाने तौर पर प्रमोशन देते रहने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

120. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सालासर से नागौर के लिए मोटरें चलाने के लिए मालिकों द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं से सरदारशहर चलने वाली बसों में भेड़ बकरियों की तरह सवारियां भरने तथा असुरक्षित रूप में गाड़ियों के चलाने पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं-सरदारशहर चलने वाली यात्री बसों में सवारियों से किराया लेकर टिकटें नहीं काटने तथा टैक्स की चोरी करने पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुजानगढ-नागौर मार्ग की यात्री बसों का नियमानुसार मॉडल चैन्ज नहीं करने व उनको चलती रहने देने पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं में मणु वाया सुनारी, हीरावती, ओबीट, चन्द्राई मार्ग की बसें नहीं चलने पर भी उनके परमिट केन्सल नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में

(श्री हरजीराम बुरड़क) से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर से सुजानगढ़ जाकर रात्रि को ठहरने वाली बस को लाडनूं तक जाकर ठहरने पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुजानगढ़-कुचामन वाया लाडनूं-डीडवाना मार्ग की बसों की संख्या बढ़ाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

127. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुजानगढ़-कुचामन वाया लाडनूं-डीडवाना मार्ग की बसों के मॉडल पुराने होने, उनके गलत फिटनेस सर्टिफिकेट देने, उनकी हालत खराब रहने तथा यात्रियों को हो रही परेशानियों पर चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुजानगढ़-कुचामन वाया लाडनूं, डीडवाना मार्ग में चलने वाली बसें परमिटों के अनुपात में कम होने तथा दूसरी गाड़ियों को नम्बर पर चलाने पर चर्चा के लिये)।

129. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंडावा से डूंडलोद स्टेशन रात्रि बस सेवा में अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 5

130. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विद्युत् शुल्क की राशि का सत्यापन नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर उद्योग, सवाई माधोपुर से विद्युत् शुल्क की राशि वसूल नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 6

132. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14—स्टाम्प्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्टाम्प्स की बिक्री के लिये समुचित प्रबन्ध नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 45

133. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक था—राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं से ऋण की वसूली के लिये ठोस कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये)।

134. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक था—राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिका, लाडनूं को ट्रेक्टर खरीदने के लिये दिये गये ऋण का दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिये)।

135. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक था—राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा

Page No 101

(श्री हरजीराम बुरड़क) ...
ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजनैतिक आधार पर उद्योगपतियों को दिये गये ऋण व उनकी वसूली में ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिये)।

136. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक था–राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (जयपुर शहर में दिये गये भवन निर्माण के ऋण का दुरुपयोग होने तथा वसूली में बरती गई शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक था—राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, लाडनूं, जिला नागौर को दिये गये ऋण के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक था—राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिका, लाडनूं के कार्यालय भवन निर्माण के लिए दिये गये पचास हजार के ऋण का दुरुपयोग करने तथा उसकी वसूली नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

श्री शंकरसिंह (नसीराबाद) : 139. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाजायज शराब की बिक्री पर आबकारी विभाग का नियन्त्रण नहीं होने पर, चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबकारी कर की आय ग्राम पंचायतों को नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : 141. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर के जिला आबकारी अधिकारी रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने पर भी उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 6

142. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14—स्टाम्प्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर के महाराजा द्वारा जयपुर में 1-2-68 और 10-2-68 को गंगा टॉकीज में अपने शेयर बेचने के बयनामे पर कम स्टाम्प ड्यूटी देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास (टोंक) : 143. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मद्यनिषेध की असफलता एवं राज्य सरकार की वर्तमान नीति के कारण राज्य कोष में हानि पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

144. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)
से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गाड़ियों पर कर को nationalise करने की अवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 4

145. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपय कम कर दिया जाय (बिक्री कर की पूर्ण वसूली नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 6

146. मांग संख्या 6 मुख्य शीर्षक 14—स्टाम्प्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्टाम्प्स उपलब्ध न होने से जनता की कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 7

147. मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15—पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा रजिस्ट्री करते समय सतर्कता न बरतने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : 148. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिछली शराब की बकाया को वसूल करने में सरकार की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय (विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 4

150. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर की वसूली करने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 5

151. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर तथा महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यात्री कर की चोरी को रोकने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 2

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : 152. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबकारी अधिकारियों द्वारा सख्ती और ईमानदारी नहीं बरतने से गांवों में देशी शराब निकालने से सरकार को घाटा व जनता की आदत खराब होने पर चर्चा के लिये)।

153. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबकारी कर कम होने से शराब पीने की आदत ज्यादा बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

154. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबकारी के ठेकेदारों में वर्षों से पड़ी बकाया वसूल नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

155. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राइवेट गाड़ियों पर ज्यादा कर होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गाड़ियां बिना कर की अदायगी किये वर्षों तक चलती हैं, जिस पर तुरन्त कार्यवाही नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 4

157. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर की वसूली में अधिकारियों द्वारा खुला भ्रष्टाचार चलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

158. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय बिक्री कर की वसूली की व्यवस्था गलत होने से कर की चोरी होने की ज्यादा संभावना हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर में मोटे व्यापारियों द्वारा चोरी कर सरकार को घाटा पहुंचाने सम्बन्धी स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): 160. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (गाड़ियों पर कर की वसूली सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 4

161. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बक्री कर व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 5

162. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मनोरंजन करों की दरों में कमी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : 163. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय लापरवाही के कारण सवारी

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
गाड़ियों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 4

164. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर की वसूली की प्रक्रिया से व्याप्त व्यापारियों में असंतोष पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 6

165. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14–स्टाम्प्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्टाम्प्स की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14–स्टाम्प्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्टाम्प्स की बिक्री की समुचित व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : 167. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में मोटर मालिकों पर बकाया करों की वसूली के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री वृजबल्लभ (दीगोद) : 168. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोटर-जीप, मोटर-साइकिल आदि पर टैक्स बढ़ जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : 169. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बांसवाड़ा में बसों में असुविधाएं व किराया मनमर्जी से लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : 170. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बमकानी से अकलेरा (जिला झालावाड़) रूट पर लगभग 1 साल से कोई बस नहीं चलाये जाने से जनता को अत्यधिक कठिनाइयां हो रही हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ से मालता बस रूट पर केवल एक बस चलने से जनता को परेशानी पर चर्चा के लिये)।

172. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियो पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोकसभा के मध्यावधि चुनाव के समय जिला झालावाड़ में ट्रक, बसों एवं जीपों के रिक्वीजेशन करने में हुए व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

173. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान स्टेट परिवहन निगम की बसें समय पर न चलने एवं समय पर नहीं पहुंचने तथा अव्यवस्था की चर्चा के लिये)।

श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) : 174. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टैक्स चुराकर चलने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : 175. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान एवं मध्यप्रदेश में गाड़ियों के टैक्स की राशि भिन्न होने से ट्रक व्यवसाय को हानि हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 4

176. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिले में बिक्री कर विभाग एक भ्रष्टाचार का केन्द्र बना हुआ है, सेल्स टैक्स के नाते पर अधिकांश कमाई कर्मचारी खा जाते हैं एवं राजकोष में पूरी राशि जमा नहीं हो पाती, इस पर चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ से बिक्री कर विभाग का जिला कार्यालय हटाने से राज्य सरकार को निरंतर हानि हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

178. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा सैल्स टैक्स नाके पर रिश्वत एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला है और नाकेदार राजकोष को घाटा पहुंचा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

179. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सेल्स टैक्स इन्सपैक्टर व्यापारियान से माहवारी बंधी रिश्वत लेते हैं और इस प्रकार टैक्सों की चोरी होती है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 6

180. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14–स्टाम्प्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा सब ट्रेजरी में समय पर स्टाम्प उपलब्ध नहीं होते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 7

181. मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15—पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रजिस्ट्रार जमीन व मकानों की रजिस्ट्री में रिश्वत लेता है, इसे अविलम्ब रोकने के बारे में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 3

श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़) : 182. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन तथा टैक्स देने के समय ट्रान्सपोर्ट विभाग द्वारा बरती जाने वाली लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

(श्री सांवरमल बासोतिया)

183. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रजिस्ट्रेशन कागजात वगैरह सरेन्डर करते समय टैक्स-सिक्योरिटी डिपोजिट जमा करने एवं उसे वापस न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) : 184. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यात्री बसों में टैक्सों की होने वाली चोरी को कम किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 4

185. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर विभाग में आवश्यकता से अधिक ऑफिसरान हैं, उन्हें कम किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 5

186. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर तथा महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चैक पोस्ट पर टैक्स की वसूली पूरी न किए जाने से बढ़ रहे भ्रष्टाचार को रोके जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

187. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर तथा महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फ्लाइंग स्क्वैड के माध्यम से एन्टी इवेजन जांच द्वारा जितनी आय की जानी चाहिये इतनी न किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

188. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर तथा महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फालतू व अनावश्यक खर्चों को कम किये जाने के लिये इस मांग के अधीन अनावश्यक विभागों को तोड़ा जाकर विभाग कम किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 7

189. मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15—पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसीलदार की तरह नायब तहसीलदार को भी रजिस्ट्री तस्दीक करने के पावर्स दिये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 4

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : 190. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर में तब्दीली की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : 191. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर विभाग में बढ़ते हुये भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

Page No 107

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): 192. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

193. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर डिवीज़न में सन् 1970-71 में बिक्री कर वसूली के टार्गेट में करीब डेढ़ करोड़ रुपयों की कमी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 6

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा): 194. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14—स्टाम्प्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में स्टाम्प्स बेचने का कार्य एक विशेष व्यापारी को देने से ग्राम जनता को बड़ी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है; इस पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा): 195. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14—स्टाम्प्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में स्टाम्प्स बिक्री का कार्य एक दुकानदार को देने से ग्राम जनता को बड़ी भारी परेशानी होने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 7

श्री शंकरलाल (जैतारण): 196. मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15—पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंजीयन करने में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने पर चर्चा के लिये)।

197. मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15—पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंजीयन करने की प्रणाली में सुधार करने के बारे में चर्चा के लिये)।

198. मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15—पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंजीयन करने से पूर्व सम्पत्ति की कीमत आंकने पर चर्चा के लिये)।

अनुदानों की मांगों पर विचार एवं पारण

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 2 मुख्य शीर्षक 10–राज्य आबकारी कर के सम्बन्ध में मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है....

अध्यक्ष महोदय, मदिरापान, चोरी और वेश्यागमन ये तीन व्यसन बहुत असहनीय हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि जो राष्ट्र मदिरापान का शिकार है उसके सम्मुख विनाश के सिवाय कोई चारा नहीं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शराब के विषय में ये विचार रखे कि अगर हम शराब पीयेंगे तो हमारे राष्ट्र को पतन की ओर ले जाते हैं। हम उनके उपदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। चाहिये तो हमें यह था कि जब हमने स्वतन्त्रता प्राप्त कर आजादी

Page No 108

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

प्राप्त की उस समय ही हमें यह निर्णय कर लेना था कि भारत वर्ष में पूर्ण नशा बन्द कर दिया जाय। हमें स्वतन्त्रता प्राप्त किये 23 वर्ष हो गये लेकिन हमने अभी तक पूर्ण नशाबन्दी के बारे में निर्णय नहीं लिया है।

जब हम सन् 1969 में गांधी शताब्दी मना रहे थे उस समय हमारे वित्त मंत्री महोदय बहुत ही प्रसन्नचित्त थे और गर्व के साथ फर्मा रहे थे कि हम पूर्ण नशाबन्दी के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और हम दो तीन वर्ष में ही नशाबन्दी कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, 22 मार्च, 1969 को इस सम्बन्ध में जो विचार माननीय वित्त मंत्री जी ने रखे थे मैं उनको सदन के अन्दर प्रस्तुत करना चाहूंगा। 22 मार्च, 1969 को वित्त मन्त्रीजी ने यह फर्माया:–

"गांधी शताब्दी के अवसर पर सब माननीय सदस्यों के दिल और दिमाग में, हृदय और दिमाग का परिवर्तन होकर जो यह मांग रखी गयी है कि तुरन्त नशाबन्दी कर देनी चाहिये राज्य सरकार इसका स्वागत करती है। दो तीन वर्ष से जब से यह नयी सरकार कायम हुई है तब से राज्य सरकार बराबर नशाबन्दी की मंजिल पर पहुंचने के लिये माननीय सदस्यों के साथ हम कदम होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। भारत के अन्दर इस वक्त, सभा-नेत्री जी आपको भी ज्ञान होगा कि नये चुनावों के बाद में हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ प्रान्तों में जो नशाबन्दी की नीति उन्होंने मंजूर की थी, उनमें से एक दो को छोड़ कर सभी ने उस नीति से मुंह मोड़ लिया है। राजस्थान सरकार ही एक ऐसी सरकार है और गर्व के साथ मेरी कहने की आदत नहीं है, लेकिन नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इस बदले हुये वातावरण में भी जो सियासी तौर पर बदला है और नशाबन्दी की धारणायें बदली हैं, जैसे बम्बई और महाराष्ट्र ने नशाबन्दी को रिलेक्स किया, मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस सरकार थी इस नशाबन्दी के कानून को उसने वापिस लिया, पंजाब, हरियाणा, मैसूर में इसको वापिस लिया। मैसूर के चीफ मिनिस्टर थे जो मौजूदा कांग्रेस के सदस्य हैं, वहां भी उनको वापिस लिया, आन्ध्र ने वापिस लिया लेकिन राजस्थान में नशाबन्दी न होते हुये भी ऐतिहासिक कारण है सामन्ती शासन भी नशीली चीजों का प्रचार करने का एक माध्यम रहा है और उसके होते हुये भी राजस्थान सरकार ने हर बजट का उत्तर देते समय इस ओर कदम बढ़ाया है।"

श्री अध्यक्ष : वह कहां है "बन्द कर दिया जावेगा"।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि गांधी शताब्दी के अवसर पर हम इस कदम को जल्दी से जल्दी लेने में गर्व अनुभव करते हैं। उन्होंने यह कहा "अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के गोवा अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुआ था और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी सभी सूबों में कांग्रेसी हुकूमतों को यह आदेश दिया कि सात साल के अन्दर नशाबन्दी पूरी हो जानी चाहिये। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति सीमित होते हुए भी इतने बड़े आमदनी के जरिये को सामने रखते हुए राज्य सरकार ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उस प्रस्ताव की शरण

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

नहीं ली और राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी ने गोवा में उस प्रस्ताव के पास होने के बाद तुरन्त ऐलान किया हमने जो नीति निर्धारित की है, यह है कि हम राजस्थान के अन्दर तीन चार साल के अन्दर पूर्ण नशाबन्दी कर देंगे। इसको हमने दोहराया है। इससे साफ जाहिर होता है कि हिन्दुस्तान की कांग्रेस कमेटी का रुख एक तरफ है उसके बावजूद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मातहत चलने वाली कांग्रेसी सरकार इस मामले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की नीति से आगे चलना चाहती है। बावजूद इसके अगर यह कहा जाये कि कांग्रेसी हुकूमत द्वारा नशाबन्दी का कार्यक्रम हाथ में नहीं लिया जाता है तो इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों से खास तौर से निवेदन करूंगा कि वे यह देखें। यह कांग्रेस की नीति है।"

श्री अध्यक्ष : यह अखबार का एक्स्ट्रेक्ट है?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : ये अखबार का एक्स्ट्रेक्ट नहीं है। वित्त मन्त्री जी का भाषण है।

श्री दौलतराम सारण : इसका महत्व अखबार से भी कम आंका गया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मुख्य मन्त्री जी ने यह कांग्रेस के अधिवेशन में कहा है कि तीन चार वर्ष में नशाबन्दी कर देंगे और उसको एक्सप्रेस किया है भाषण में। इसका मतलब यह है कि तीन वर्ष में नशाबन्दी कर दी जावेगी। 70 में जो भाषण दिया उसकी भाषा बिलकुल डिफरेन्ट है। 69 के भाषण में वित्त मन्त्री ने दोहराया है कि कम्प्लीट नशाबन्दी करेंगे और 71 में कोई विचार ही नहीं रखे और न राज्यपाल के भाषण के समय गवर्नमेन्ट की पॉलिसी में रखे। गांधी शताब्दी वर्ष में यह तो पोजिशन स्पष्ट थी कि तीन वर्ष में कम्प्लीट प्रोहिबिशन कर दिया जावेगा लेकिन गवर्नमेन्ट ने कम्प्लीट प्रोहिबिशन के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया। बाड़मेर, जैसलमेर में कम्प्लीट प्रोहिबिशन किया गया लेकिन गवर्नमेंट के किसी एक्शन से यह मालूम नहीं पड़ता है कि गवर्नमेन्ट ने कम्प्लीट प्रोहिबिशन किया है। अगर गवर्नमेन्ट कम्प्लीट प्रोहिबिशन की इच्छुक है तो वित्त मन्त्री जी को अपने जवाब में स्पष्ट करना चाहिये कि कितने अर्से में कम्प्लीट प्रोहिबिशन करना चाहते हैं। एक तरफ यह स्थिति है। गवर्नमेन्ट कम्प्लीट प्रोहिबिशन के लिये नीति निर्धारित नहीं कर रही है। बाड़मेर, जैसलमेर में प्रोहिबिशन किया उसके इम्प्लीमेन्टेशन के लिये लापरवाही बरती जा रही है।

दो केसेज सदन के सामने रखना चाहता हूं। दो वर्ष पहले बाड़मेर में कम्प्लीट प्रोहिबिशन होने के बाद 3,200 बोतलें शराब की पकड़ी गयीं। और इन 3,200 बोतलों के बारे में अध्यक्ष महोदय मैं आपकी मार्फत वित्त मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूँ कि वे जो बोतलें थीं वे एक्साइज डिपार्टमेन्ट की थीं और एक्साइज डिपार्टमेन्ट के ट्रक में आई थी। वह ट्रक नगरपालिका के नाकेदार ने देखा है और उसने उसका पीछा किया और पीछा करने पर भी वह ट्रक को नहीं पकड़ सका और जो उसमें व्यक्ति बैठा हुआ था वह हीरालाल नाम का व्यक्ति था जिसको कि ठेका दिया जाता

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

था गारन्टी सिस्टम पर। तो उस नाकेदार ने शिकायत की नगरपालिका के प्रशासक को और प्रशासक ने रेड किया और रेड करने पर 3,200 बोतलें पकड़ी गई और 3,200 बोतलें पकड़ने पर चालान किया गया। जिस प्रकार से उसका चालान पेश किया गया है वह वीक पेश किया गया है और उसके अन्दर कई लेकूना रख दिये गये हैं। ये बोतलें किस प्रकार से आई? कहाँ से आई इसके बारे में कोई इन्वेस्टीगेशन नहीं किया गया है। यह बोतलें एक्साइज डिपार्टमेन्ट की थीं और एक्साइज डिपार्टमेन्ट के ट्रक से आई थीं तो उसके अन्दर एक्साइज डिपार्टमेन्ट इन्वाल्व्ड था तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून की दृष्टि को देखते हुए उस केस को गवर्नमेन्ट विदड्रा कर सकती है और फिर से इन्वेस्टीगेशन करके जो भी इन्वाल्व्ड हों, चाहे वे एक्साइज डिपार्टमेन्ट के अधिकारी हों, चाहे कोई भी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय ये शराब की बोतलें मण्डोर डिस्टिलरी की हैं। यह नहीं है कि किसी व्यक्ति ने देशी शराब बनाई हो तो उस प्रकार की देशी शराब नहीं है। जब इस प्रकार की शराब की बोतलें हैं जो कि एक्साइज डिपार्टमेन्ट की है, मण्डोर डिस्टिलरी की है तो उनके बारे में गवर्नमेन्ट पूरी तरह से तफतीश करे। अध्यक्ष महोदय, जो तफतीश करने वाले अधिकारी हैं, सब-इन्सपेक्टर है वह, और मेरे पास जो इन्फर्मेशन है कि वह शराब का आदी है और उस पर खुद पर प्रेशर डाला गया है, एक्साइज डिपार्टमेन्ट के द्वारा किसी न किसी रूप में और चालान में कमी रखी गई, दूसरी तरफ हमने भी प्रेशर डाला कि इसका चालान होना चाहिए। और जो चालान किया गया है तो वह कमजोर चालान पेश किया गया है और कमजोर ही एवीडेन्स ली गई है ताकि मुलजिम बरी हो सके। अध्यक्ष महोदय, जो 3,200 बोतलें पकड़ी गई हैं अभी तक उनका डिस्पोजल नहीं हुआ है। जहां तक मेरी जानकारी है वह बोतलें पुलिस के मालखाने में हैं। डिस्पोजल के बारे में भी कार्यवाही होनी चाहिये। यह करीब 15 हजार रुपयों का माल है और यह गवर्नमेन्ट का नुकसान है। इसके बारे में तफतीश करनी चाहिए। इस अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बेलेबल ऑफेन्स माना गया है। यह नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार का यह जुर्म है और 3,200 बोतलें पकड़ी गई हैं उस पर वहीं जमानत ले ली गई, और ट्रक के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है। तो बेलेबल ऑफेन्स होने की वजह से इसके बारे में अहमियत कम हो जाती है। वास्तव में जबकि वहां पर कम्प्लीट प्रोहिबिशन है तो उसको इम्प्लीमेन्ट करना चाहिये और यह देखना चाहिए कि वहां पर कोई शराब की बोतलें नहीं जायं।

श्री मदनसिंह : गवर्नमेन्ट की शराबबन्दी की नीति है तो वहां कम्प्लीट शराबबन्दी होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री विजयसिंह : बोतलों की जानकारी आपको कैसे है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मेरी जानकारी है। मेरी भी इन्फरमेशन है। यह इल्लीगल लिकर है। मेरा दृष्टिकोण है कि जिस प्रकार से ओपियम के बारे में है, यदि वह इल्लीगल तरीके से लाई जाती है, तो वह नॉन-बेलेबल ऑफेन्स है तो यह भी नॉन-बेलेबल ऑफेन्स हो और गवर्नमेन्ट की तरफ से अमेन्डमेन्ट लाकर के इसको भी नॉन-बेलेबल ऑफेन्स डिक्लेअर किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अधिक से अधिक 15 मिनिट।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, अभी 25-3-71 को 342 बोतलें पकड़ी गई हैं। और यह जो 342 बोतलें पकड़ी गई हैं वे जोधपुर की मन्डोर डिस्टिलरी की हैं। इसमें से 200 बोतलें नेहरू नगर, बाड़मेर में पकड़ी गई और 70 बोतलें सिनेमा के बीच की गली में हीरालाल ठेकेदार के पुराने मकान पर पकड़ी गई हैं इन बोतलों की भी अगर जांच की जाये तो इसमें भी एक्साइज डिपार्टमेन्ट का हाथ है और यह जो शराब लाई गई है वह जोधपुर के मन्डोर डिस्टिलरी की है और वहां से लाई गई है और यह भी हो सकता है कि गारन्टी का माल बकाया हो और जोधपुर से माल लाकर बिका है। इसकी पूरी जांच की जाए और जो इन्वाल्व हों उनको दण्डित किया जाना चाहिए। इसलिए मेरा विशेष तौर से निवेदन है कि राज्य सरकार को यह पूरी तौर से घोषित कर देना चाहिए कि कितने साल में कम्प्लीट प्रोहिबिशन लागू कर देगी ? शराब से कितना नुकसान हो रहा है। हिन्दुस्तान के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स को और दूसरी जातियों को इससे नुकसान हो रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। नैतिक पतन हो रहा है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जबकि हमने महात्मा गान्धी जैसे महापुरुष को राष्ट्रपिता माना

(2·5 म. प.)

(श्री विजयसिंह, सभापति, पदासीन)

तो उनकी नसीहत और उपदेश पर चल कर यह निर्णय लेना चाहिये और प्रगतिशील कदम उठाकर आगे बढ़ना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ यह निवेदन करूंगा कि गवर्नमेन्ट इसके बारे में क्लीअर पॉलिसी घोषित करे और इस सदन में जल्दी से जल्दी घोषणा करे।

श्री सभापति : श्री मनोहरसिंह मेहता !

श्री दौलतराम सारण : प्रगतिशील तो उसको कहते हैं जो सुरा, सुन्दरी और लक्ष्मी का उपभोग करे।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज !

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति जी, यह कभी सोचा भी नहीं था कि आजादी के 23 वर्षों के बाद भी शराबबन्दी पर यहां पर बोलना होगा। भगवान बुद्ध ने यह फर्माया था कि "मनुष्यों तुम सिंह के सामने जाकर भयभीत न होना, वह पराक्रम की परीक्षा है। तुम तलवार के नीचे सर झुकाने से भयभीत न होना, वह बलिदान की कसौटी है। तुम पर्वत शिखर से पाताल में कूद पड़ना, वह तप की साधना है। तुम बढ़ती हुई ज्वाला से विचलित न होना वह स्वर्ण परीक्षा है", पर शराब से सदा भयभीत रहना क्योंकि वह पाप और अनाचार की जननी है। लेकिन ढाई हजार वर्ष के बाद उसको हम भूल गये हैं जो कि स्वभाविक था लेकिन महात्मा गांधी को जिसको आज सारा संसार याद करता है, उन्होंने यंग इन्डिया में 25-6-31 को यह कहा था—"मैं यदि एक घंटे के लिये भी भारत का डिक्टेटर बना दिया जाऊं तो सब से पहला काम यह करूंगा कि तमाम शराबखानों को बिना मुआवजा दिये ही बन्द करवा दूंगा।" उन्होंने 4-4-1929 को यह कहा था—"जो राष्ट्र शराब की आदत का शिकार है उसके सामने विनाश मुंह बाये खड़ा है। इतिहास में इसके कई प्रमाण हैं कि जिस पराक्रमी जाति में श्री कृष्ण ने जन्म लिया वह इस बुराई के कारण ही नष्ट हो गई।" इधर यह सब जानते हुए भी कि इन्हीं गांधीजी ने यह भी कहा था कि—"आपको इस दलील के भुलावे में नहीं आना चाहिये कि शराबबन्दी जोर जबरदस्ती के आधार पर नहीं हो सकती और जो लोग पीना चाहते हैं उन्हें सुविधा मिलनी चाहिये। राज्य का यह कर्तव्य नहीं है कि वह अपनी ओर से प्रजा की कुटेवों के लिये सुविधाएं दें। हम वेश्यालयों को अपना व्यापार चलाने के लिये अनुमति-पत्र नहीं देते और न चोरों को चोर की प्रवृत्ति पूरी करने की सुविधा देते हैं। मैं शराब को चोरी और व्यभिचार, दोनों से अधिक निन्दनीय मानता हूं। क्योंकि वह अक्सर दोनों बुराई की जननी है।" गान्धी जी ने कहा था कि मैं इस भारत का कंगाल होना पसन्द करूंगा लेकिन मैं कभी यह पसन्द नहीं करूंगा कि भारत में कुछ हजार लोग भी शराब पीयें। वे कहा करते थे अगर इसके लिये स्कूल भी बन्द करना पड़े तो मैं स्कूल भी बन्द कर दूंगा लेकिन मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि भारत के लोग शराब पीयें। आज हमारा दुर्भाग्य है कि 23 साल बाद भी चाहे संविद सरकारें हों और चाहे कांग्रेस की सरकारें हों और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन राज्यों ने शराबबन्दी की वे भी आज नीति बदल रहे हैं। मद्रास की आज नीति बदल रही है इससे ज्यादा और क्या शर्म की बात हमारे लिये हो सकती है। आज केवल गुजरात राज्य ऐसा है, जिस गुजरात राज्य ने शराबबन्दी कायम कर रखी है। आज वहां के मजदूरों की हालत यह है कि उनके पक्के मकान बन चुके हैं, उनके लड़के ऊंची ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। वहां का मजदूर तबका खुशहाल हो गया है। जब पहले पहल शराबबन्दी हुई थी तो सेल्स टैक्स लगाया गया था लेकिन शराबबन्दी की नहीं और सेल्स टैक्स भी लगा दिया। राजस्थान सरकार ने वचन भंग किया है क्योंकि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में 72 तक हम प्रोहीबिशन

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
करेंगे ऐसी घोषणा की गई थी । एक कार्यक्रम उठाया लेकिन दुर्भाग्य है कि उसी राज्य ने वचन भंग किया । वचन भंग से बढ़कर कोई अपराध नहीं है । इसके लिये कहा भी गया है—

रघुकुल रिति सदा चली आई,
प्राण जाय पर वचन न जाई ।

इसके ऊपर आपने काली स्याही फेर दी । आपने वचन दिया और उसको भंग कर दिया । इससे आपने लाखों परिवारों को मिट्टी में मिलाने का निश्चय किया है । आपने शराब की आमदनी को इस प्रकार पकड़ लिया है कि उसको छोड़ नहीं सकते हैं । दूसरी ओर आपने लाटरी भी शुरू कर दी है । अच्छा तो यह है कि आप वेश्यावृत्ति भी शुरू करवा दें । वेश्यालय खोलकर भी आप उस पर अपनी मोहर छाप लगा दें कि ये जायज वेश्यालय हैं । आप शराब को न जाने कैसे जायज कहते हैं, शराब तो हमेशा नाजायज है । यह उसी प्रकार से है जैसे बेचारी एक औरत किसी तरह वेश्यावृत्ति में फंस जाय और वह वेश्यावृत्ति का काम करती रहे तो आपकी निगाह में वह वेश्यावृत्ति हो गई और जिस वेश्यावृत्ति पर आपने मोहर लगा दी वह जायज वेश्यावृत्ति हो जायगी । यही आपका मानना है । बढ़ावा कौन देता है ? आपने देशी शराब की कीमत बढ़ा दी और आप यह समझते हैं कि शराब की कीमत बढ़ाने से शराबबन्दी होती है, यह हरगिज नहीं होती है क्योंकि उसकी आड़ में शराब चलती रहेगी । जब आप पूर्ण कम्पलीट प्रोहिबिशन करें तो जिसके मुंह से बदबू आये उनको सजा दें । किसी भी वेलफेयर स्टेट को शराब के प्रचलित करने का अधिकार नहीं है । लेकिन सरकार खुद उसमें फंस जाय इससे बढ़कर शर्म की बात नहीं हो सकती है । अंग्रेजों के आने से पहले इससे राज्य की आमदनी नहीं बनी थी । राज्य के विकास के कार्यों में इसका पैसा नहीं लगाया जाता था । साधू और महात्माओं का बन्द करने का पुनीत कार्य था । सरकार ने खुद ने आमदनी का साधन बना लिया और इसको कामधेनु मान लिया । मुझे दुख होता है और मैं निवेदन नहीं करना चाहता हूं लेकिन कभी शराबबन्दी शराब के पीने वालों से नहीं होगी । जो इसके इन्चार्ज हैं जब वे ही गुटक शराब की लेते है और वह गुटक रोज लेवें तो शराब बन्द कैसे हो ? शराब बन्द नहीं होने में यह भी एक कारण है--राज्य की आमदनी का कारण कोई कारण नहीं है । मूल कारण यह हैं कि ये रोज पीते हैं, इनको रोजाना विस्की चाहिये । और मैं कहता हूं जब इसके इन्चार्ज ही पीयेंगे तो आई. पी. एस. और आई. ए. एस. ऑफिसर क्यों नहीं पीयेंगे । हमारे माथुर साहब इसमें खूब फंसे हुए हैं।

श्री शंकरलाल : यह जानकारी कैसे है ?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य ! कोरम नहीं है ।

(गणपूर्ति घंटी)

श्री मनोहरसिंह मेहता : तो सभापति जी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि शराब रोज पीये तो वह भी कहां से आये, इस पर आप विचार कर सकते हैं । रोज ही विस्की चाहिये । शेम्पेन चाहिये और फिर

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

अपने लिये लाखों रुपये चाहिये तो कहां से आयें ? मैं कोई एक आदमी के लिये नहीं कहता हूं सभी अपने अपने चेहरे देखें तो पता लग जायगा। जो अपने रिश्तेदार हैं उनको ठेका दिलवायें। एक गेरीलाल जी जो असिसटेन्ट एक्साइज कमिश्नर हैं जिनको आप प्रोहिबिटेड एरिया में भेजें तो आप उनसे क्या अन्दाज लगा सकते हैं। जो लोग खुद पीने वाले हैं उससे जनता को कैसे विश्वास हो। मेरा निवेदन है कम से कम प्रोहिबिटेड एरिया में ऐसे लोगों को तो नहीं भेजना चाहिये जो वहां शराब पीना चालू रखें। जिनके मन में निष्ठा है उन लोगों को ही कम से कम प्रोहिबिटेड एरिया में भेजें। लेकिन जो खुद शराब पीयें तो वह भला दूसरों को क्या कह सकता है। अरे जब बाड़ ही खेत को खाने लगेगी तो उस बेचारे खेत की क्या हालत होगी ? कृपा कर गेरीलाल जी को जो असिसटेन्ट एक्साइज कमिश्नर हैं वहां से हटायें। मैं कहना चाहता हूं अगर आपकी शराबबन्दी सफल नहीं हो रही है तो कैसे होगी ? यह तो आप ऐसा ही काम कर रहे हैं कार्यकर्त्ता मकान को साफ करें और आप तथा आपके अधिकारी उसमें खेल खाल करके बराबर कर दें, चौपट कर दें। आप कितना ही करें उससे शराब-बन्दी होने वाली नहीं है और मैं तो सम-झता भी यही हूं कि आप शराबबन्दी नहीं करना चाहते हैं। गान्धी जी ने कहा था कि—सुधारक चाहे कितनी भी कोशिश करें जब तक राज्य सरकार शराब पीने वालों को सुविधा और इजाजत देती रहेगी तब तक यह बन्द होने वाली नहीं है। उसमें इतना टेम्प्टेशन है कि हरी, पीली बोतल देखते ही उसके मुंह में पानी आने लगता है, शराब पीने के लिये उसकी लार टपकने लग जाती है। वे लोग कहते हैं हम शराब न पीयें लेकिन क्या करें जब खुले बाजार में हरी, लाल बोतलें दुकानों में नजर आती हैं तो मन चाहे बिना नहीं रहता है। खुले रूप में जब दुकानों पर यह शराब मिल जाती है तो एक बार न पीने वाला भी उस ओर जाने की कोशिश करने लग जाता है माननीय हंस राज जी....

श्री भैरोंसिह : आसन की तरफ संकेत न करें। (किसी अन्य माननीय सदस्य को)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : ....(अश्रव्य) ....आपकी नजरों से तो शराब नहीं निकल रही है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मेहता साहब आप भी तो किसी जमाने में शराब के ऑफिसर थे न ?

एक माननीय सदस्य : आप बैठे बैठे न बोलें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं शराब के परिणाम अच्छी तरह जानता हूं। यहां तक कि मेरे रिश्तेदार भी चौपट हुये हैं। एक प्रसंग आ गया मैं बताता हूं मेरे एक रिश्तेदार का पूर्णिमा का व्रत था। मैंने उनसे कहा भोजन करिये तब उन्होंने बताया मेरे तो आज का व्रत है। मैंने उन्हें कहा शराब तो आज नहीं लेंगे ? वे कहने लगे वह तो मेरे साथ है। वह उनके जीवन के साथ लगी हुई है। उसमें इतना टेम्प्टेशन है कि जो सौगन्ध खा लेता है वह भी इस टेम्प्टेशन में आकर पीने लग जाता है। सौगन्ध की पालना नहीं करते हैं लेकिन

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

मैं कहता था कोई बात नहीं आज नहीं तो कल पालना करेंगे। आपने इसके लिए इतनी सुविधा दे रखी है कि भले ही पीने के लिये पानी उनको 10-10 मील से लाना पड़े लेकिन शराब तो उनको गली गली में मिल जायगी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मेहता साहब मुझे ताज्जुब होता है आप तो इस महकमे में रहे हो और इसका प्रचार भी किया होगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप आश्चर्य मत करिये। 38 वर्ष पहले मैं डिस्टिलरी ऑफिसर था। वह मेरी नौकरी थी लेकिन गंगाजली को अपने कन्धे पर रख कर गांव गांव जाता था और सौगन्ध दिलाता था और उसका प्रायश्चित्त भी मैंने लिया। सबसे पहले डिस्टिलरी बीगोद में खुली थी और मैंने यह प्रायश्चित लिया था कि बीगोद में दुकान नहीं चलेगी। आपको मालूम होना चाहिये वह मेरा प्रायश्चित्त पूरा भी हुआ और वहां शराब बन्द हो गई....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

और अब वहां वेयरहाउस में अस्पताल चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कृपा करके आप यह बतायें सचमुच चाहते हैं कि शराब बन्द हो तो आप अपनी निष्ठा के साथ जीवन में उतारिये कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी मदिरा को नहीं छूऊंगा। एक कहावत है–

जो हाकिम राखे सदा,
मदिरा बोतल पास।
दारू करसी बन्द वे,
या मत राखो आस।।

जो हाकिम खुद शराब की बोतल रखता हो वह क्या शराब बन्द करेगा ? आपके जितने ऑफिसर्स प्रोहिबिशन एरिया में जाते हैं और अगर वे वहां शराब पीते हैं तो आपको उनसे कड़ाई से पालना करानी चाहिये आपने वायदा किया था 72 में कम्प्लीट प्रोहिबिशन करने का। सभापति जी, मैं आपकी मारफत वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ी हिम्मत करें। इसमें हिम्मत का सवाल है। इसमें आमदनी की कोई कमी नहीं होने वाली है। गुजरात में कोई आमदनी में कमी नहीं हुई। वहां पर सैल्स टैक्स की आमदनी बढ़ी है, क्योंकि शराब नहीं पीने से लोग खुशहाल होंगे और खुशहाल होंगे तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो सैल्स टैक्स के जरिये से आपको बहुत पैसा आने वाला है, और आमदनी कम भी हो जाय तो जहां 700 करोड़ का कर्जा है तो थोड़ा और बढ़ जायगा इसमें डरने की बात नहीं है। आप हिन्दुस्तान को रास्ता दिखा सकेंगे, और मैं आपकी कांग्रेस सरकार की ही बुराई नहीं कर रहा हूं लेकिन जहां जहां भी संविद सरकारें हैं चाहे वह जनसंघ की हों, चाहे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की हों कहीं पर भी शराब बन्द नहीं किया गया है और कम्युनिस्ट लोगों को तो ज्यादा इस ओर ध्यान देना चाहिये क्योंकि इसका असर ज्यादातर मजदूरों पर पड़ता है और मजदूरों के बारे में गांधी जी ने कहा था। उन्होंने दिनांक 3-6-39 के हरिजन में लिखा था—

"मजदूरों के साथ अपनी आत्मीयता के फलस्वरूप मैं जानता हूं कि शराब की लत में फंसे हुए मजदूरों के घरों का शराब ने कैसा नाश किया है। मैं यह

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

जानता हूं कि शराब यदि आसानी से नहीं मिल पाती तो वे शराब को छूते भी नहीं।" वे मजदूरों की हालत से दुखी थे और मजदूरों के दुःख से पीड़ित थे। बहुत सारे माननीय सदस्य जो मजदूरों की वकालत करते हैं वे उनकी हालत को जाकर देखें। 7-8 रुपया रोज कमाता है लेकिन इस सत्यानाशी मदिरा के चक्कर में पड़ जाता है तो उसके बच्चे रोटी को तरसते हैं। उसका असर बच्चों पर पड़ता है, औरतों पर पड़ता है और औरतों को मार खानी पड़ती है। दीवाली के रोज जब हम सब मिठाई खाते हैं लेकिन शराबी के बच्चे मिठाई के लिए तरसते हैं। शराबी शराब पीकर जब घर जाता है तो बच्चे उससे मिठाई मांगते है तो वह उनको पीटता है और उनकी मां उनको बचाने के लिए आती है तो उसको लातों और घूसों से मारता है। शराब पीने वाला पतित नहीं है। वह भी उतना ही महान है, लेकिन उसमें यह रोग घुस जाता है और इसमें इतना टेम्प्टेशन है कि बारबार वह इस ओर बढ़ता है। हमारे देश में शराब का व्यापार करने वाले को ओछा मानते हैं। ओछी जात कलाल की। कलाल जो शराब बेचता है इसी कारण ओछा है, लेकिन आज तो बाजार में यह विराज गई है, गुप्ता वाइन स्टोर, माथुर वाइन स्टोर, मेहता वाइन स्टोर। आज तो बाजार के बीच में शराब की दुकानें खुल रही हैं और इज्जत पा ली है।

जहां पर दो चार आई. ए. एस. या आई. पी. एस. ऑफिसर इकट्ठे हुये कि शराब की बोतलें खोली जाती हैं और जो आदमी शराब नहीं पीते हैं तो उनको महात्मा, संत आदि कहा जाता है और नीचे पटक कर उनके मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। इनके लड़के कैसे बनेंगे यह सोचिए? रोजाना शैम्पेन का पैसा कहां से आयेगा और व्हिस्की का पैसा कहां से आयेगा ? यह सब भ्रष्टाचार से आयेगा। अगर भ्रष्टाचार से बचना है तो शराब को बन्द करना चाहिए। आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो तो शराब बन्द करिये जितना आपका भ्रष्टाचार होता है उसका 60-70 परसेन्ट शराब में खर्च होता है और कई लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं वह शराब के कारण करते हैं। तो मूल कारण शराब होता है। आपने अकाल राहत कार्य में लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च किया तो कभी आपने वह कल्पना भी की कि इसका बहुत सारा पैसा शराब में गया है। आपके अधिकांश इन्जीनियर्स शराब पीते हैं। जिन इन्जीनियर्स ने रिश्वतें खाई हैं उनमें से अधिकांश ने पैसा इसमें खर्च किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपका अधिक समय नहीं लेता हुआ निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी बड़े जीवट के आदमी हैं और हिम्मत वाले आदमी हैं वे यह संकल्प ले लें कि शराब को छूएंगे नहीं और इस रास्ते पर राज्य को ले जायेंगे। उन्होंने पूर्ण शराबबन्दी का 72 तक करने का जो वायदा किया था उसको पूरा करेंगे, क्योंकि कथनी करणी मायने जदी आतरो होंय, बी नर को मन सूं कदी आदर करे न कोय। भाषण में कह दिया कि नशाबन्दी बहुत अच्छी है क्योंकि काता में कोई धरयो कोई लागे एक। बोले ज्यूं चाले सदा ऊ है

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

सांचो नेक ।। आपने नशाबन्दी के बारे में निष्ठा प्रकट की है तो आप इस मामले में देखें कि आपने अपने रिश्तेदारों को कहां कहां रखा है और अगर वे गलत काम करते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवायें। यदि आप अपनी शक्ति शराबबन्दी में लगायेंगे तो अधिकारियों का भी उत्साह बढ़ेगा।

शराब बड़े बड़े आदमियों तक पहुंच गई है। तो निकालें उन अधिकारियों को जो कि शराब पीते हैं। जो प्रधान, प्रमुख, सरपंच, विधायक चुनाव में खड़े होंगे वे अगर शराब पीते हैं तो वे उसके योग्य नहीं होंगे। जो उनकी योग्यता की शर्तें हैं उनमें यह होना चाहिए कि शराब पीने वाले आदमी अयोग्य होंगे। जो अधिकारी या राज्य कर्मचारी शराब पीता है वह नौकरी के अयोग्य होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो वचन किया है उसको आप निभायेंगे। आपको उसमें कठिनाइयां सहन करनी पड़ेंगी। जो जुझता है वह जुझार कहलाता है। इससे प्रान्त पर 700 करोड़ का कर्जा है तो 2-4 करोड़ का कर्जा शराबबन्दी से और हो जायगा इसकी चिन्ता न करें।

मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके इस ओर बढ़ें। अगर आप इस ओर बढ़ेंगे तो हिन्दुस्तान को खुशहाल बना सकेंगे। मुगल लोग शराब के शिकार थे तो बाबर ने यह सोचा कि जब तक हम शराब के सोने के पात्र नहीं फेंकेंगे तो युद्ध में नहीं जीत सकेंगे। एक तरफ तो आजादी की रक्षा के लिए मुजीबुर्रहमान के अनुयायी लड़ रहे हैं और दुश्मन हमला करने की ताक में बैठा हुआ है, उस वक्त हम शराब पीकर मस्त हो रहे हैं।

इन्दिराजी ने नारा दिया है समाजवाद का। समाजवाद का कैसा नारा दिया है उस बारे में कुछ मुझे निवेदन नहीं करना है। अगर सचमुच में गरीबों का कल्याण चाहते हैं, अगर सचमुच में देश को ऊंचा उठाना चाहते हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) तो समाज के होशो-हवास दुरुस्त करने होंगे। यदि हम मदहोश हो गये तो समाजवाद नहीं आयेगा। सचमुच में इन्दिराजी समाजवाद लाना चाहती हैं तो उन्हें यह उठाना पड़ेगा। शराबबन्दी होगी और लाटरी नहीं चलेगी। शराब की आमदनी पर और लाटरी पर जो देश जिंदा रहेगा तो समाजवाद नहीं सर्वनाश आकर रहेगा। यही हालत हमारी रही तो सर्वनाश आकर रहेगा। देश को अगर सर्वनाश से बचाना है तो शराबबन्दी की ओर उन कामों की ओर जो नैतिकता के रास्ते पर समाज को बढ़ाते हैं आगे बढ़ें नहीं तो देश की हालत बड़ी खराब होगी जो कि आज गंगानगर में हो रही है कि शराब घर घर में होने से क्या हालत हो गई है कि वहां पर नैतिकता का नाम नहीं रहा। इङ्गलैण्ड में मंदिर बन सकते हैं और मंदिर में जो लोग पूजन के लिए जाते हैं वे ईश्वर के भक्त बन कर जाते हैं। वे भारतवर्ष की ओर बढ़ रहे हैं और हम अंग्रेजियत की ओर ज्यादा से ज्यादा बढ़कर जो नैतिकता की पूंजी थी उसको समाप्त कर रहे हैं। इसलिए नैतिकता की ओर बढ़ना होगा। अगर देश को बढ़ाना है तो मुजीब की तरह लोगों को त्याग की ओर बढ़ाना होगा लेकिन शराब की ओर नहीं।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

दो बार आपने घंटी बजा दी। मुझे क्षमा करें। मैंने आपका समय ज्यादा ले लिया।

लेकिन मैं वित्त मंत्रीजी से नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जिस गौरव के साथ में यहां घोषणा की थी कि 1972 से पूर्ण शराबबन्दी लागू होगी। मैं खास तौर से हरिजनों को और कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि अगर शराबबन्दी किसी से हो सकती है तो वह कांग्रेस से ही हो सकती है। संयुक्त सोशियेलिस्ट पार्टी वाले ऐसे नहीं हैं। उनकी भी संविद की सरकारें चल रही हैं लेकिन वे शराबबन्दी की ओर कदम नहीं बढ़ा रही हैं। जनसंघ इस मामले में खास जोर नहीं देता है। इसलिए आपको ही इस देश में शराब को बन्द करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो हमें सत्याग्रह करना होगा, जेल जाना होगा। अगर आपको लाखों परिवारों को सर्वनाश से बचाना है तो कुछ लोगों को प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो आप खुद फंस गये हैं, क्योंकि यह आपकी आमदनी का जरिया हो गया है, चुनावों में खड़े होने का जरिया बन गया है, चुनावों में आपको शराब पिलाने का जरिया बन गया है। तो उसके लिए कुर्बानी देनी होगी तभी शराबबन्दी होगी।

मैं निवेदन करूंगा कि कृपा करके सब लोग देश को विनाश से बचायें और राजस्थान त्याग और तपस्या के मामले में सदा आगे रहा है, मार्गदर्शक रहा है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कृपा करके जो आपने वचन दिया है उसका पालन करें, वचनभंगी कहलाना किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा पाप है।

इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सभापतिजी, वित्तमंत्री जी बिक्रीकर के सम्बन्ध में हमेशा इसकी तुलना कामधेनु से करते आये हैं, और यह सही भी है कि राजस्थान के अन्दर जिस गति से बिक्री कर की दरों में वृद्धि हो रही है उसके साथ-साथ जो कानूनी अधिकार अधिकारियों को इस संबंध में दिये गये हैं उससे बिक्री कर में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। परन्तु जैसा कि वित्त मंत्रीजी को समय समय पर कहा जाता रहा है कि यह आपके अधिकारियों की काबलियत नहीं कि जिसके कारण आप सदन में आकर यह कहते हैं कि जो हमने टार्गेट बिक्री कर के लिए तय किये थे उसके मुकाबले में ज्यादा वसूली की गई है। हमने हमेशा सरकार पर आरोप लगाया है कि जो कुछ बिक्री कर की वसूली होती है उसका मुख्य कारण असेसमेंट समय पर होना वह उन टैक्सों की वसूली नहीं है, बल्कि तथ्य यह है कि राजस्थान सरकार के अधिकारी, कॉमर्शियल टैक्सेशन ऑफिसर व्यापारी वर्ग पर वह तलवार लेकर चलते हैं कि चाहे रेकार्ड को जब्त करने का सवाल हो अथवा दूसरा कोई काम हो कुछ दूसरे कारणों का सहारा लेकर फाईनेन्शियल ईयर के एण्ड

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

पर वह एडवान्स टैक्सेज की वसूली करते हैं। सभापति महोदय, जो टैक्स मार्च, अप्रैल में वसूल होगा वह आप लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए मार्च में ही वसूल कर लेते हैं। इस बात से हमेशा वित्त मन्त्री जी ने इन्कार किया है। हमेशा यही कहा है कि हमारी ओर से आदेश नहीं हैं। राजस्थान के कोने-कोने में यह वसूल किया जा रहा है। कमिश्नर एन. डी. मन्त्री ने अपील निकाली है— to all the members of Tax Consultants' Association members of Tax Practitioners' Association, members of Staff of Circle A Jaipur and Assessees of Circle A Jaipur City.

काफी डिटेल में लिखी है। मैं पेरेग्राफ ही सुनाता हूँ।

The Assessees are requested to check up their books of accounts and ascertain that they have filed all the due returns and paid due tax. They are also requested to deposit monthly tax on due dates and advance tax for the month of March, 1971 which they would have deposited in the month of April, 1971. The assessees are requested to clear all old arrears without further delay."

लास्ट में उन्होंने यह लिखा है—

"The learned members of Tax Consultants'Association and Practitioners' Association are requested to strengthen my hands by checking their records and exhort their assessees to clear off all outstandings atleast the tax for the month of March, 1971 during the month which they would have paid during the month of April, 1971."

अब आप स्वीकार करेंगे कि आप के अधिकारी अब तक डरा धमका कर एडवांस टैक्सेज को वसूल करते थे? लेकिन अब आप के अधिकारी लिखित में लोगों से कह रहे हैं। क्योंकि उनको अपना साढ़े 32 लाख का टार्गेट पूरा करना है। जो अप्रैल में देने वाले हैं वह मार्च में दे दीजिये। ताकि हम टार्गेट पूरा कर लें। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह कार्यवाही वाजिब है या गैर वाजिब है? अगर यह गैर वाजिब है तो आप क्या कार्यवाही करेंगे? मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा यह जो एन. डी. मन्त्री हैं, इनके लिए स्वयं चीफ मिनिस्टर ने अपने नोट में इनके एडवर्स लिखा है। लिखा है कि यह अधिकारी जयपुर में नहीं रहना चाहिए। वित्त मन्त्री जी, इसके पास तीन-तीन कारें हैं। जयपुर में चल रही हैं। इनकी गाड़ियों के नम्बर विशेष हैं। मैं उनका नाम लेकर कहता हूँ।

श्री प्रेमसिंह लिघरी: ऐसा कहते हैं कारें आपके बंगले पर रहती हैं!

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो ऐसे अधिकारी को जो इनकॉम्पीटेन्ट है, जिसके लिए चीफ मिनिस्टर ने एडवर्स रिमार्क किया है, मुझे समझ में नहीं आता है फिर भी आप उसे पनपा रहे हैं। आपका सक्यूलर है कि 3 साल से ज्यादा एक जगह पर एक आदमी नहीं रहे। लेकिन 7 सर्किल यहाँ पर हैं। आराम से एक अधिकारी एक सर्किल से हटकर दूसरे में जा सकता है और इस तरह से 21 साल तक एक ही स्थान पर रह सकता है। इसी तरह से ये आपके डो. कुमार हैं। ये कौन हैं ? हो सकता है किसी का नाता हो, सगे सम्बन्धी हों। जिसका तीन-तीन बार ट्रान्सफर हो गया है पर वह व्यक्ति बाहर नहीं गया। आप को मालूम होगा पहले 'डी' सर्किल में हुआ। उसके बाद 'A' सर्किल में हुआ। अब ये 69 से किसी और सर्किल में बैठे हुये हैं। आखिर ऐसे लोगों को राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही क्यों रखना चाहते हैं आप ? हो सकता है कि वह अपनी कामयाबियाँ रखते हों लेकिन उनकी कामयाबियाँ आप से छुपी हुई हैं ? उनके खिलाफ एडवर्स रिमार्क दिये हुए हैं। जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं, उन पर आप तलवार का फन्दा डाल कर आजायेंगे।

इसी तरह दो विषयों की ओर आप का ध्यान आकर्षित करूँगा। कोटा के अन्दर आप ने कुछ व्यापारियों को यह कहा कि वे उद्योग स्थापित करेंगे तो उनके रॉ-मेटीरियल पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। उनकी अवधि आपने मार्च, 70 से लेकर मार्च, 74 तक दी है। जो राजस्थान में इन्डस्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे उनको 8 साल तक रॉ-मेटीरियल पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कहने को तो यह बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आपने यह 8-9 सालों के लिए छूट दी है। क्या आपने यह विचार किया है कि जो राजस्थान में छोटे कारखाने वाले हैं, वह उनके कम्पीटीशन में आकर कैसे ठहर पायेंगे, उनको रॉ मेटीरियल पर टैक्स देना पड़ेगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आपके बराबर कर दिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह गलत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करें।

एक कोटा का मजदूरों का एक पुरानी धन्धा मसूरिया का करते थे। यह पुरातन काल से धन्धा करते आ रहे हैं। इस धन्धे को करने वाले जुलाहे कोटा, कैथून आदि में हैं। यह छोटे-छोटे धन्धे करके अपना काम कर रहे थे। नतीजा क्या हुआ जो आप की टैक्सेज की नीति है, उस के कारण वहां विचौलिये पैदा हो गये हैं। जो छोटे-छोटे धन्धे करते थे वह खत्म हो गये हैं। जो आप के रजिस्टर्ड डीलर हैं, जिसने रजिस्टर करा लिया है, वह रॉ मेटीरियल परचेज कर लेगा। लेकिन जो मजदूर पुरातन काल से धन्धा करता आ रहा है, उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह जाकर खरीद सके। इससे मजबूर होकर उसको रॉ-मैटीरियल रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करना पड़ता है। रजिस्टर्ड डीलर 1% में परचेज कर लेंगे 6 या 7% में इन लोगों को खरीदना पड़ेगा। नतीजा यह हुआ कि वह खत्म हो गये। मैं आपको निवेदन करूंगा, सभापतिजी, कि मेरा एक प्रश्न और भी है उस पर भी आप गम्भीरता से विचार करें कि किस प्रकार से कोटा के अन्दर मजदूरों को लाभ हो सके और बिचौलियों को फायदा न हो।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : आपको सब मिलाकर दस मिनट दिये गये हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अभी तो सभापति महोदय मैं थोड़ा समय और लूंगा ।

मैं कुछ कोटा के अन्दर जो फैक्ट्रीज हैं, डी. सी. एम. और जे. के. सिन्थेटिक फैक्ट्री है उसके बारे में निवेदन करूंगा । अपने राजस्थान में सैल्स टैक्स की तलवार गरीबों पर लटकती है और गरीबों को ही हमेशा सैल्स टैक्स की वसूली में मारा जाता है । पर यह आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी करोड़पति के ऊपर कभी तलवार चलाई जाती हो । राजस्थान के कोटा के अन्दर जो जे. के. सिन्थेटिक फैक्ट्री है वह हमेशा राजस्थान सरकार की कृपा पात्र रही है । उसकी वजह से जो लाभ राजस्थान सरकार को होना चाहिये जो पैसा राजस्थान के खजाने को मिलना चाहिये वह नहीं मिलता है । मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान के वित्त मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कोई एग्रीमेन्ट उस कम्पनी के मालिकों के साथ किया है कि आपको जो छूट दी जाती है, जैसे सस्ती विजली दी जाती है, सस्ते प्लॉट दिये जाते हैं सस्ता रॉ-मैटेरियल दिया जाता है उसके बदले में उस कम्पनी को अपने हैड ऑफिसेज कोटा में ही रखने पड़ेंगे । लेकिन ऐसा नहीं हुआ है । ऐसा नहीं होने के कारण राजस्थान सरकार को नुकसान हुआ है । सैल्स टैक्स वगैरह में । जब इनके हिसाबों के बारे में पूछा जाता है तो कोई कम्पनी वाले यह कहते हैं कि मेरा हैड ऑफिस कानपुर में है कोई कहता है कि मेरा हैड ऑफिस दिल्ली में है । ये कम्पनी के मालिक इतना तक कह देते हैं कि हमारा तो सारा धन्धा दिल्ली में है, कानपुर में है कोटा में तो सिर्फ एक काम चल रहा है । सभापति महोदय मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार से पूरे हिसाब चैक नहीं हो पाते हैं और राजस्थान सरकार के सैल्स टैक्स की चोरी होती है । राज्य सरकार को हर साल लाखों रुपये का घाटा होता है । दूसरी बात मैं और आपको निवेदन करना चाहूंगा । सभापति महोदय वह है इनकम टैक्स के बारे में । जहां तक मेरी जानकारी है सभापति महोदय इन कम्पनियों द्वारा जो रुपया इनकम टैक्स के हिस्से का जो हमें मिलना चाहिये वह उतनी तादाद में हमें नहीं मिलता है । उसकी ज्यादा तादाद दिल्ली को और उत्तर प्रदेश की सरकार को मिलती है । और राजस्थान में फैक्ट्रीज चल रही हैं कोटा में उनसे जो इनकम टैक्स मिलना चाहिये वह नहीं मिलता है । पिछली बार भी मैंने इस सदन में डी. सी. एम. के बारे में प्रश्न उठाया था । उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी मिली कि मुख्य मंत्रीजी ने उसके बारे में कुछ कदम उठाये थे । लेकिन जिन अधिकारियों की गफलत के कारण यह राज्य सरकार को जो नुकसान हुआ है उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई जबकि हमारे सैल्स टैक्स एक्ट की धाराओं में स्पष्ट प्रावधान है कि वह टैक्स की रकम राजस्थान के खजाने में आनी चाहिये । जो भी असेसमेन्ट किया गया था वह पूरा नहीं किया हुआ था । सभापति महोदय, इसका मैं आपको एक स्पष्ट उदाहरण एक केस का देना चाहता हूं । यह केस डी. सी. एम. फैक्ट्री के बारे में देना चाहता हूं । डी. सी.

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

एम.की फैक्ट्री राजस्थान में कोटा में है। ये फैक्ट्री तीन चीजें बनाती हैं। एक कास्टिक सोडा, दूसरी रेयन्स और तीसरी खाद। कहने को तो वो अपने हैड ऑफिस दिल्ली और कानपुर बताते हैं। लेकिन इन कम्पनीज का 99 प्रतिशत माल कोटा में ही बनता है, पर उसका सेल्स टैक्स राजस्थान की सरकार को नहीं मिलता है और सेल्स टैक्स की चोरी होती है। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या आज तक राजस्थान के अधिकारियों ने दिल्ली से या कानपुर से जहां कि इन फैक्ट्रीज के हैड ऑफिसेज हैं वहां पता लगाया है कि ये टैक्स वहां कितना देते हैं? मैं आपसे निवेदन करूंगा सभापति महोदय कि ये जे. के. सिन्थेटिक कम्पनी न तो टैक्स राजस्थान को ही दे रही है और न यू. पी. को ही दे रही है। ये दोनों ही सरकारों को चकमा दे रही है। सभापति महोदय मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सरकार में गरीब चाहे मर जाए, इस सरकार में काश्तकार चाहे मर जाय पर इस सरकार में उद्योगपतियों के खिलाफ में कुछ नहीं होगा। मेरा तो यह निवेदन है कि इन कम्पनीज का रिकार्ड सीज किया जाना चाहिये, और पूरे हिसाबों की जांच की जानी चाहिये और जो राजस्थान को टैक्स का लाभ नहीं हो रहा है वो वसूल किया जाना चाहिये। जो सैल्स टैक्स एक्ट की धारा के अनुसार जो शिडूल दी हुई है उसके अनुसार कार्यवाही होनी चाहिये। वह नहीं हो रही है....

श्री दौलतराम सारण : ये समाजवादी हैं ये तो भूखों और नंगों के खिलाफ कदम उठा सकते हैं और अमीरों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिये कि डी. सी. एम. और जे. के. सिन्थेटिक कम्पनीज द्वारा चुनावों के समय कांग्रेस को चन्दा दिया जाता है।

श्री दौलतराम सारण : इसका मतलब यह हुआ कि जो कांग्रेस को चन्दा देते हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिये।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, श्री कृष्ण कुमार गोयल जारी रखें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो सभापति महोदय मैं आपको निवेदन कर रहा था कि इस शिडूल के अन्दर सीरियल नम्बर 30 पर कुछ वस्तुओं के नाम दिये हुए हैं।

All cotton Fabrics.

Reyon Fabrics.

Woolen Fabrics.

Sugar....

ये वस्तुएं हैं—जिनके उपर टैक्स जो लगता है उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। ये वस्तुएं सैल्स टैक्स से एग्जैम्पटेड हैं। सभापति महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी को आप के माध्यम से निवेदन कर दूं कि इसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है वर्ड फैबरिक्स। फिर भी आपके अधिकारियों की जानकारी में नहीं आया और राज्य सरकार को इसकी जानकारी दी गई तो जैसा कि पिछली बार कहा गया कि दिल्ली में जानकारी करने के लिये लेटर लिख

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

गया जिसकी कॉपी Copy of letter No. XV (22) 30/1/67/21403, dated nil from Shri S.D. Mehta, Supdt. Central Excise & Customs, Jaipur to Shri Ram Kumar, Addl. Commr. Rajasthan, Jaipur.

Please refer to your D.O. letter No.F/Misc./PA/Acctt./70/2277, dated 22-10-70 to Shri K.K. Kapoor Dy. Collector, Central Excise, Jaipur on the above subjcct.

I am directed to inform you that tyre cord (also known as warp sheet) is assessed under Tarrif. Item 18 as Reyon Yarn in terms of letter FN 11/7/65/XII, dated 11-2-66 copy enclosed for ready reference.

No additional excise duty is levied on the said goods.

इसका जवाब आपके पास जनवरी, सन् 1967 में आगया था। तो भी सन् 71 तक आज तक जानकारी आजाने के बाद भी उन पर एडीशनल नहीं लगाया गया है। इसका क्या कारण है? राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने असेसमेन्ट वापिस क्यों नहीं किया? सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनका सालाना ग्रास प्रोडक्शन दस करोड़ रुपये का है। इस प्रकार से सन् 66 से लेकर 70 तक पांच सालों में दस करोड़ रुपये के हिसाब से 50 करोड़ रुपयों का प्रॉडेक्शन होता है। 50 करोड़ पर 10 प्रतिशत के हिसाब से सैल्स टैक्स वसूल होना चाहिये। मैं तो यह भी निवेदन करूंगा सभापति महोदय की इनके ऊपर पैनेल्टी इम्पोज की जानी चाहिये। अगर सभापति महोदय, पैनेल्टी इम्पोज नहीं की जाये और उसे अगर छोड़ भी दी जाये तो भी सेल्स टैक्स के 5 करोड़ रुपये होते हैं। सभापति महोदय, इसलिये राज्य सरकार को चाहिये कि इसका रिअसेसमेंट किया जाय। जिन लोगों की गलती से यह टैक्स सरकार को नहीं मिला है, जिन लोगों की गैर जिम्मेदारी के कारण आज तक राजस्थान सरकार को पांच करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, उनके खिलाफ आज तक राजस्थान सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसका कारण यह है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को डी.सी.एम. द्वारा चुनावों के समय लाखों रुपये का चन्दा दिया जाता है। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि राजस्थान सरकार को जो नुकसान पांच करोड़ रुपये का हुआ उसके बारे में ऐसा बताया गया है कि सरकार ने इस मामले में लीगल एक्सपर्ट से जानकारी प्राप्त की, वह जानकारी आपने दिल्ली के लीगल एक्सपर्ट से की है, मैं पूछना चाहता हूं कि वह जानकारी आपने दिल्ली के लीगल एक्सपर्ट से क्यों की। उस लीगल एक्सपर्ट ने जो राय दी उसने राजस्थान सरकार को बरबाद कर दिया। ये करोड़पति किसी न किसी बहाने से किसी न किसी प्रकार से छूट ले लिया करते हैं और राज्य सरकार को नुकसान देते रहते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री सभापति : अब समाप्त किया जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, जैसा कि इस बजट में वित्त मंत्रीजी द्वारा घोषणा की गयी है कि कुछ कोमोडिटीज पर इन्टर स्टेट सैल्स टैक्स को कम किया जा रहा है. इन्टर स्टेट सैल्स टैक्स को अब तीन प्रतिशत से कम कर एक प्रतिशत लिया जायेगा याने कोर्ड पर टायर कोर्ड पर कम किया है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

सभापति जी, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कोमोडीटीज टैक्सेबल थी और जिस पर टैक्स नहीं लिया गया है और जिससे राज्य सरकार को राजस्थान के वित्त विभाग को नुकसान हुआ है, उनके लियें जो दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। और अन्तिम केस सभापति जी सैल्स टैक्स का और लेना चाहूंगा....

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं।

मैं समझता हूं कि 5 करोड़ का मामला है। एक एक केस से जो सम्बन्धित पत्र मेरे पास हैं उनके द्वारा मैं बताऊंगा कि आज तक राजस्थान की सरकार जे. के० सिन्थेटिक के मामले में हाथ डालने से डर रही है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जे. के. सिन्थेटिक भी नाइलोन यार्न प्रोड्यूस करता है और 'अण्डर दी सैल्स टैक्स एक्ट इट इज टैक्सेबल' और राजस्थान सरकार मानती है कि धागे के ऊपर सैल्स टैक्स लगना चाहिए, लेकिन जैसा मैंने बताया कि उनका कहना है कि हमारा हैड ऑफिस कानपुर में है और कोटा में तो केवल फैक्टरी है इसलिए हम आपको न तो टर्न-ओवर देने के जिम्मेदार हैं और न आपको रेकर्ड्स ही बताने के जिम्मेदार हैं और आप चाहें तो कानपुर चले जाइये और सभापति महोदय इसका परिणाम क्या हुआ ? इसका परिणाम यह हुआ कि चोर कब तक बचेगा ? आखिर चोर पकड़ा ही जायेगा। जिस कारखाने ने 1963 से अपना प्रोडक्शन शुरू कर रखा हो और 1963 से 71 तक वह यही कहता चला आ रहा है कि मेरा ऑफिस कानपुर में है और सारा लेन देन वहां से होता है और इसीलिए टैक्स कानपुर को देते हैं। और राजस्थान की सरकार मुझे पूछने वाली कौन होती है। सभापति महोदय, एक डीलिंग हुई उसका नतीजा यह हुआ कि अजमेर के अन्दर एक कनसाइनमैन्ट उत्तर प्रदेश से चलकर आया इस जे. के. सिन्थेटिक एण्ड नाइलोन का। यह नाइलोन और धागा कोटा में बनाते हैं और कोटा अजमेर से 125 मील है और कनसाइनमैन्ट बताया गया कानपुर से और वह भी बनारस के थ्रू अजमेर आया। अगर 'सी' सर्टीफिकेट पेश कर देते तो इसका इन्टर स्टेट सैल्स टैक्स में राहत मिलती है, लेकिन यह पार्टी मैसर्स मानकचन्द स्वरूपचन्द, अजमेर है। इस व्यक्ति ने क्या किया कि यह सैल्स टैक्स का फार्म 17 है यह "विद इन राजस्थान" दिया जाता है, अगर राजस्थान के अन्दर कोई सेल या डीलिंग हुई है तो एग्जम्पशन के लिए फार्म 17

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

रिलीफ दे सकता है। तो वहां के एस. टी. ओ. ने कागज पकड़े कि माल बताया कानपुर से आना और कानपुर से कनसाइनमेन्ट आया है और आप फार्म नम्बर 17 कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं जे. के. सिन्थेटिक का और इसके ऊपर जांच हुई और पकड़े गये और ये सेल बताते हैं कानपुर से और वस्तुस्थिति यह है कि कोटा से सारा माल सेल होता है और ये सैल्स टैक्स की चोरी करते हैं। उसके बाद में सभापति महोदय, इन्क्वायरी कराई, मैं जानना चाहूंगा वित्त मन्त्री जी से कि यह जो तीन केसेज थे उनके बारे में क्या किया? क्या उन फाइलों को आपका सैल्स टैक्स विभाग दबा नहीं गया? जो इन्क्वायरी शुरू हो रही थी कोटा, अजमेर और जयपुर के बीच में क्या आपने उसको बस्ताये खामोशी में नहीं दबा दिया? कमिश्नर साहब जाते हैं और तीनों फाइलों को लेकर जयपुर में लाते हैं और उनको दबा दिया जाता है। कोई असेसमेन्ट नहीं होता है, बल्कि इसके बाद में एक क्या प्रश्न पैदा हुआ कि यह रजिस्टर्ड डीलर राजस्थान का है याने जे. के. नाइलोन वाले और इसने जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया है उसमें भी प्लेस ऑफ बिजनेस कोटा बताया तो जब प्लेस ऑफ बिजनेस कोटा है और रजिस्टर्ड डीलर राजस्थान का है तो उसको अकाउन्ट्स प्रोड्यूस करने चाहिए। बीच में सभापति महोदय, काफी झगड़ा चला और वहां का सैल्स टैक्स ऑफिसर कहता है कि मैं अकाउन्ट बुक्स देखना चाहता हूं, आपकी अकाउन्ट बुक्स सीज करना चाहता हूं और यह जे. के. नाइलोन फैक्टरी कहती रही कि हम नहीं बतायेंगे और जब इस सवाल को लेकर अजमेर के ऑफिस ने पैनल्टी इम्पोज कर दी 500) रुपये की तो उसने अपना एक रीप्रजेन्टेशन दिया और चोर तो चोरी करता रहा और अपने ही रीप्रजेन्टेशन के अन्दर वित्त मन्त्री जी वह एक्सपोज हो गया। इसलिए मैं अधिक डिटेल में नहीं जाकर वह रीप्रजेन्टेशन जिसके अन्दर उसने यह चाहा था कि जो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस कोटा बताया है उसके अन्दर साथ ही साथ कानपुर और जोड़ा जाये और वह रीप्रजेन्टेशन, सभापति जी दिनांक 29-12-69 का है। उसने एक पिटीशन पेश की उसके फैक्ट्स पढ़कर सुनाऊंगा। तो आपको पता लग जायगा कि यह करोड़पति और लखपति कहलाने वाले कितने चोर और बेईमान हैं जितने वह गरीब दुकानदार नहीं हो सकते। आज सफेद पोश बनकर लोगों को गुमराह करके ईमानदारी का दावा लेकर चल रहे हैं, लेकिन असलियत यह हैं कि जितने चोर और डकैत यह हो सकते हैं, शायद राजस्थान का छोटा दुकानदार नहीं हो सकता। इसके फैक्ट्स यह हैं:—

The petitioner begs to submit as under—That J. K. Sinthetics Ltd. is a Company incorporated under the provisions of Companies Act and it has its registered office at Kamala Tower Kanpur (U.P.) The factory of the said concern is situated at Kota, Rajasthan where Nylon yarn is manufactured.

2. That the company got itself registered as a dealer

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

under the provisions of Rajasthan Sales Tax Act and in the application the principal place of business of the concern was mentioned as 'Kota'.

3. That this was disclosed to enable the authorities to register the company as a dealer in Rajasthan.

4. That the sales tax officer Kanpur issued notices to the Company for not filling return under the provisions of the U.P. Sales Tax Act and Central Sales Tax Act as the registered office of the company was at Kanpur and as such the business was carried at Kanpur.

5. That the Company has been contending that no business was carried as at Kanpur and thus the provisions of U.P. Sales Tax Act did not attract the company. The said matter is still pending before the sales tax authorities concerned.

यह सन् 69 का लैटर है। यह 69 का रीप्रेजेन्टेशन है, सभापति जी, जिसके अन्दर जे. के. मैनेजमेन्ट हमारी राजस्थान की सरकार के कमिश्नर के पास दरख्वास्त दे रहे हैं कि हमको सैल्स टैक्स ऑफिसर कानपुर ने नोटिस दिया था कि तुम अपना रीप्रजेन्टेशन पेश करो, अपने अकान्ट्स दिखाओ और हमने लिखकर दिया है कि हमारा कारोबार कोटा में होता है इसलिए हम आपके सामने हिसाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि राजस्थान की सरकार को जे. के. वाले कह रहे हैं कि कोटा में केवल फैक्टरी है और हमारा ऑफिस कानपुर में है और वहीं से हमारा सारा लेन देन होता है और इसलिए सैल्स टैक्स भी वहीं पर देते हैं और जब कानपुर वाले नोटिस देते हैं तो उनको कह देते हैं कि हमारा ऑफिस कोटा में है और हमारा काम सारा कोटा में है। इसका मतलब यह हुआ कि जे. के. प्रारम्भ से लेकर आज तक अपनी बिक्री के सवाल में चोरी करते आ रहे हैं और उस बिक्री कर का पैसा न तो राजस्थान की सरकार के खजाने में आ रहा है और न कानपुर में आ रहा है और जैसी कि मेरी नॉलेज है कि उसका भी किसी प्रकार से ग्रास टर्नओवर 10 करोड़ रुपया सालाना से कम नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं, सभापति जी, समाप्त कर रहा हूं।....

श्री सभापति : आप जल्दी ही वाइन्ड-अप कीजिए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जल्दी ही कर रहा हूं।

और उससे भी ज्यादा डेमेजिंग है कि स्वयं सी. टी. ओ. की रिपोर्ट कहती है कि मैं जब देखने गया मौके पर तो मुझे कागजात नहीं दिखाये गये, डायरी को मैंने कब्जे में लेना चाहा लेकिन डायरी को कब्जे

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

में नहीं लेने दिया गया। सभापति महोदय, समय जरूर लगेगा, लेकिन यह मसला राजस्थान के खजाने से सम्बन्ध रखता है, आज हम एक एक पैसे के लिए तरसते हैं और बड़े बड़े उद्योगपति हैं वह सेल्स टैक्स की चोरी करके राजस्थान की सरकार से मिलकर आज राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं। तो, सभापतिजी, मैं निवेदन कर रहा था कि इस रीप्रजेन्टेशन के अन्दर यह कारखाना इस बात को साबित कर रहा है कि ये न तो सेल्स टैक्स उत्तर प्रदेश सरकार को देते हैं और न राजस्थान सरकार को देते हैं। इसके बाद सारी इन्क्वायरी चली और कागजात मूव हुए और हर एक ने कहा कि कारखाना कहीं चलता है, सेल कहीं होती है और इसके अकान्ट्स मैन्टेन किये जाते हैं या नहीं— फाइल चलती रही और वित्त मन्त्री जी आप आश्चर्य करेंगे कि यह फाइल 68 से चल रही थी और 69 के अन्दर बड़ी जोरों से चली जयपुर, अजमेर और कोटा के बीच में और 30 नवम्बर को जाकर ऑर्डर भिजवाया गया है, कमिश्नर का भिजवाया गया है :

The Company has since been advised in the matter and therefore the matter need not be pursued further at your end.

जो जानकारी, जो तफतीश कोटा ऑफिस में चल रही थी कि उन्होंने, जे. के. सिन्थेटिक्स ने सेल्स टैक्स की चोरी की या नहीं, कानपुर में सेल्स टैक्स देता है या नहीं— यह जितनी इन्क्वायरी थी, यह जयपुर ऑफिस से बन्द कर दी गई।

अब मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का एक लैटर की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह है कॉमर्शियल टैक्सेशन स्पेशल सर्किल कोटा का, 6 फरवरी, 1971 का लैटर, जो कि एड्रेस किया गया है श्री एस. एन. शर्मा, सी. टी. ओ., एन्टी इवेजन जयपुर को। उसके अन्दर कुछ फैक्ट्स हैं, वह मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहूंगा :

At the time of inspection of account books for the purpose of assessment, it was revealed that sufficiently high percentage of consingments to Surat and Bombay and to areas in their vicinities were such that as soon as a consignment reached its destination it was purchased by a single buyer in its entirety.

और उसके साथ ही लिखा है कि उनके अधिकारियों को बुलाया है। थोड़ा समय अधिक लगेगा, सभापति महोदय। बुलाने के बाद में जांच करनी चाही, आपका कन्साइनमेन्ट एक साथ जाता है सूरत, उधर एक साथ खरीदा—क्या बात है? तो उनके अकाउन्ट्स ऑफिसर आये, जे. के. सिन्थेटिक्स के, और जे. के सिन्थेटिक्स के मैनेजर आये तो उन्होंने जो वर्सन दिये हैं उनमें कान्ट्राडिक्टरी स्टेटमेन्ट दिये हैं और वह सी. टी. ओ. को सेटिसफाई नहीं कर पाये। उन्होंने सोचा, आखिर गड़बड़ी क्या है? इसमें आगे लिखा है :

This circumstance was put before Shri C. M. Pareek,

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

the Accounts Officer of M/s J. K. Synthetics Ltd. who appeared before me for getting the assessment for the year 67-68 finalised. Shri Pareekh admitted in his statement that it was a fact.

फिर यह सवाल पैदा हुआ कि कागजात देखे जायं। अजमेर का डाउट पैदा हुआ और दूसरे डाउट पैदा हुए और यह रिकार्ड दिखाना नहीं चाहते, तो यह प्रश्न पैदा हुआ कि अधिकारी को भेज कर जांच कराई जाय और :

The Assistant C. T. O. Shri Phondi Singh was directed to visit the factory office at Kota to see the correspondence between the head office and the factory office for the period under review. This correspondence was not shown to him. It was alleged that Shri Pareekh took this correspondence along with him to Kanpur. He however could find some papers which revealed that the contract of sale proceded the movement of goods.

कागजात कानपुर चले गये।

A diary was found by the Asstt. C. T. O. in the factory premises which contained particulars regarding the movement of goods. The Asstt. C.T.O. wanted to retain this diary for examination but he was not allowed to do so? An officer of the factory claimed itto be his personal diary. The Asstt. C. T. O. wanted to put his signatures on this diary but he was not allowed to do so. He approached the Mill Manager. but he also did not help him.

(3.01 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

यह जो आपके अधिकारी कागजात को देखने गये, उन्होंने डायरी को जब्त करना चाहा था लेकिन उन लोगों ने एलाऊ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उनके खिलाफ विभाग ने क्रिमिनल केस चलाया है? क्या सेक्शन 16 सेल्स टैक्स आपको अधिकृत नहीं करता है कि कोई असैसी कागजात नहीं दिखाये तो उस व्यक्ति को आप चालान कर सकते हैं, उस पर मुकदमा चला सकते हैं। लेकिन कोई केस, सभापति महोदय, इस जे. के. सिन्थेटिक्स पर नहीं चलाया गया, जिसके मैनेजर ने सेल्स टैक्स अधिकारी को कागजात जब्त नहीं करने दिये, उसके अधिकारियों ने कागजात पर सिगनेचर नहीं करने दिये। सभापति महोदय, मामला यहीं खत्म नहीं हो जाता है :

The Mill Manager could not explain as to what was

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

the function of the sole selling Agent at Surat. According to him bills were issued by the sale executive of the company head quarter at the branch. But this is contrary to what the record shows. For all the challans and bills at Surat have been issued by the whole sale selling Agent. A large number of challans contained the following stamped writing:"

यह खाली फार्म मिले हैं।

"Bill prepared as per billing advice No........dated........ and invoice lying in our hand pending delivery. Serial number of the bill will be allotted and date will be put on receipt of the payment."

खाली फार्म रखे हुए हैं, फार्म यदि पूरे हो जायं, कोटा की फैक्ट्री से माल बिक्री कर दिया जाय और इनवॉइस, बिल वगैरह की खानापूर्ति कर ली जाय और सैल्स टैक्स की चोरी कर ली जाय। यह उस अधिकारी ने देखा तो अन्त में उसने लिखा है :

"Thus grave doubt have arisen about whether the sales were affected by the head office to the buyer or by the branches to the buyers."

यह सारा इस प्रकार का पत्र लिखा, इस पत्र के बारे में जानकारी चाहूंगा कि क्या यह सारा पत्र खामोशी के बस्ते में रख दिया गया ? वित्त मंत्री जी यदि यह कहें कि हमने जांच कराई है तो फिर वह जांच कहां कहां हुई, कौन कौन अधिकारी गये थे ? मैं व्यक्तिगत नाम आज नहीं लेना चाहता हूं, समय पर मैं नाम लूंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि जो अधिकारी गये वह जे. के. सिन्थेटिक्स के महमान बन कर रहे। मैं पूछना चाहता हूं, यह रिकार्ड में है. सी. टी. ओ. ने रिपोर्ट की थी कि उसने कागजात, रजिस्टर जब्त किये हैं। वह हैं कहां ? जो अधिकारी जांच करने के लिए गये, क्या उन्होंने किसी ब्रांच के ऑफिस पर छापा मारा। मेरी जानकारी है, न उन्होंने कानपुर के ऑफिस पर छापा मारा, न सूरत की ब्रांच पर छापा मारा, न बड़ौदा की ब्रांच के ऊपर कोई छापा मारा। वह रईस की तरह महमान बन कर वहां रहे और वहां जाकर आ गये और आकर रिपोर्ट दे दी कि सारा खत्म हो गया मामला। मैं पूछना चाहता हूं, आपको याद होगा, फाइनेन्स मिनिस्टर साहब कि एक मिस्टर अग्रवाल फाइनेन्स में डिप्टी सेक्रेट्री थे। Today he is Purchasing Officer at J. K. Synthetics, Kota. यह मिस्टर अग्रवाल थे, जो डिप्टो सेक्रेट्री फाइनेन्स थे। आज यह रवैया बन गया है, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे ऑफिसर हो, अगर किसी समय पर कोई फैक्ट्री में चक्कर पड़ जाय, चाहे वह लेबर डिस्प्यूट

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

का हो, चाहे टैक्सेशन का चक्कर पड़ जाय तो उस समय में उनके किसी आदमी की नौकरी लग जाय। जब श्रमिकों का चक्कर पड़ गया तो कानपुर के ऑफिस में लगा दिया पंडित बृजसुन्दर जी शर्मा ने अपने श्रीमान् जी को, उनके सुपुत्र वहां पर लगे हुए हैं....

श्री भैरोंसिह : कहां ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : कानपुर में।

नौकरी मिल गई और उसके साथ में बंगला। आज यह हालत है। आज एज्यूकेटेड टेक्निकल एक्सपर्ट्स बेकार बैठे हुए हैं और पंडित बृजसुन्दर जी के श्रीमान् जी सुपुत्र, लेबर मिनिस्टर के श्रीमान् जी कमला टावर ऑफिस में नौकर लगे हुए हैं। बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह के साथ में मुफ्त में बंगला मिला हुआ है, मुफ्त में कार मिली हुई है। मुफ्त कार, मुफ्त बंगला इस प्रकार की कन्वीनियेन्स माथुर साहब, आपको कोई दे देगा मिनिस्टर नहीं रहेंगे तब? आज तो दे देगा, लेकिन बाद में कोई नहीं देने वाला है। लेकिन लेबर की कास्ट पर, मजदूरों की कास्ट पर श्रम मंत्री जी ने इस प्रकार से सौदा करके किया है। वहां पर अधिकारियों के लड़के भी लगे हुए हैं। आज मुझे मालूम हुआ है, जो कमिश्नर हैं, उनके श्रीमान्जी के सुपुत्र भी कमला टॉवर में नौकर हैं, वेल सेलेरीड हैं, उनको ढाई हजार की तनख्वाह मिलती है। मैं बता रहा था, जो फाईनेन्स के डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर अग्रवाल थे, वह पर्चेज ऑफिसर हैं जे. के सिन्थेटिक्स, कोटा के, तो मैं पूछना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी, आप सेल्स टैक्स की चोरी को रोकना चाहते हैं, सेल्स टैक्स की वसूली करना चाहते हैं, तो इन मिस्टर अग्रवाल, पर्चेज ऑफिसर, जे. के. सिन्थेटिक्स के जो सुपुत्र हैं, के. एल. अग्रवाल, उनको ए. सी. टी. ओ. बना कर कोटा में क्यों बैठा रखा है? एक ओर तो फाईनेन्स डिपार्टमेंट से निकले हुए व्यक्ति को, रिटायर्ड व्यक्ति, को, एम्प्लायमेंट दिला कर जे. के. सिन्थेटिक्स में पर्चेज ऑफिसर बना कर बिठा दिया है, फिर राजस्थान सरकार दुहाई देती है टैक्स की वसूली की, उसके लिए ए. सी. टी. ओ. बना कर इन अग्रवाल के लड़के के. एल. अग्रवाल को वहां लगा रखा है, तो फिर क्या आप उम्मीद करते हैं कि वह कोई कार्यवाही करेगा? क्या उम्मीद करते हैं कि वह छापा मार सकेगा? क्या उम्मीद करते हैं कोई कार्यवाही हो सकेगी वसूली की? उससे कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। नतीजा यह है कि उसका ग्रॉस टर्न ओवर आज दस लाख का है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ए. सी. टी. ओ. छापा नहीं मारेगा, चन्दा लेगा, यह चुनाव के समय दस-दस हजार रुपये लेते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : चन्दा लेते हैं और मुख्य मंत्री सुखाड़ियाजी वहां जाकर ऐशो आराम करते हैं। उसी जगह पर श्री रामचन्द्र, जो डिप्टी मिनिस्टर बने बैठे हैं, का सौदा हुआ। यह कारखाने वाले, जो पूंजीपति कहाते हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : श्रीरामचन्द्र के सौदे में सेल्स टैक्स चुकाया या नहीं ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : दुबारा जानकारी कर लें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं कहना चाहूंगा, यह सेल्स टैक्स की चोरी कर रहे हैं, न कोटा को सेल्स टैक्स दे रहे हैं राजस्थान के लिए और न कानपुर को दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए। और इस सम्बन्ध में जो जांच की, वह खामोशी से वस्ते के अन्दर रखी है। अब मैं अंत में कहना चाहूंगा आपके टैक्सेशन कमिश्नर हैं, सेल्स टैक्स के, एन. सी. भटनागर, आप डेट्स देख लीजिए, इनके श्रीमान्‌जी श्रीमान्‌जी से मतलब पुत्र से है, का एपॉइन्टमेंट उन्हीं दिनों का है। क्योंकि इनका पुत्र, इनका लड़का लगा हुआ है, इस कारण जितनी जांच है वह सारी की सारी उन्हीं डेट्स में दवा दी गई है। ऐसी स्थिति में इस सरकार से आशा करें कि सेल्स टैक्स की वसूली पूंजीपतियों से कर ले तो राजस्थान सरकार वह कभी नहीं करने वाली है। आप किसी प्रकार का आश्वासन दे देंगे, आप कहेंगे कि जांच कराते हैं, वह धोखा है। जांच नहीं की गई न छापा मारा गया न कागजात जब्त किए गए। प्रारम्भ से आज तक जब्त करायें तो करोड़ों रुपए के कम से कम 10 व 15 करोड़ के बीच में राजस्थान का टैक्स केवल जे. के. में मिलेगा। राजस्थान के कारखाने वाले बता रहे हैं कि सेल वाहर हुई है, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि सेल सारी राजस्थान में हुई है। आज मद्रास हाई कोर्ट का जजमेन्ट है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि अगर बॉयर और सेलर एक दूसरे को जानते हैं तो काफी है, जरूरी नहीं है कि वह कह दे कि मेरा हैड ऑफिस कानपुर में है या दिल्ली में है। लेकिन सेल कहाँ हुई? आप जाँच करेंगे तो राजस्थान की जनता के लिए कुछ कर पायेंगे।

अब मैं एक्साइज के बारे में····

श्रीमती सभानेत्री : आप काफी कह चुके हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक मिनट। आप वित्त मन्त्री जी जानते हैं कि जिसको आपने गंगानगर में एक्साइज अधिकारी लगा रखा है वह श्री दानसिंह हैं। इसके लिए पहले भी सवाल उठा था। बीकानेर में जिसने वाइन शॉप का ऑक्शन किया था। आपको मालूम है कि विधान सभा में सवाल उठने के वाद रि-ऑक्शन किया गया उन दुकानों का और इसी आदमी ने गंगानगर में शराव के नाम पर लूट मचा रखी है। क्या आपको जानकारी है कि सांगरिया में जो शराव के ठेके गत वर्ष तीन लाख में गए थे, आप ताज्जुब करेंगे इस साल केवल एक लाख सवा लाख में चले गए? शराव के ठेके आगे जा रहे हैं या पीछे? वोर्डर एरियाज के अन्दर शराब की कीमत ज्यादा लगती है। गत वर्ष तीन लाख और इस साल केवल एक लाख। आपने यह भी जानकारी की है कि गंगानगर में जो शराब के ठेके नीलाम किये गए हैं उनके अन्दर लादू खाँ कौन है? ही इज वन ऑफ दी पार्टनर्स। उसकी आर्थिक स्थिति क्या है? इज ही इन्कम टैक्स पेयर? साधारण सी नौकरी है जिसकी आमदनी 100-150 भी नहीं है लेकिन वह बेनामी पर्चेजर बताया गया है। तथ्य यह है कि इसके माध्यम से श्रीमान् जो आपके जिला आबकारी अधिकारी हैं उनकी पूरी पार्टनरशिप है और श्री दानसिंह गंगानगर में इस नाम के माध्यम से खूब कमाई कर रहा है और इसी तरह से गंगानगर जिले में 9 स्थान

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

ऐसे हैं जहां पर रात दिन सरकारी स्तर पर दुकानें खुली हुई हैं। क्या एक्सपेरीमेन्ट करने के लिए गंगानगर जिला ही मिला था कि सरकारी स्तर पर दुकानें चलायें? नतीजा यह हुआ है कि इन्हीं श्रीमान् एक्साइज ऑफिसर की मेहरबानी के कारण जो शराब की बोतल की कीमत 6 रुपये की 10-15 में बिक रही है वह पैसा खजाने में आए तो ताज्जुब नहीं। मेहता साहब चाहते हैं कि कि शराब बन्द हो, बन्द होनी चाहिए लेकिन फिलहाल शराब को बेचकर सरकारी खजाने में एक लाख न आए और वह सरकारी मशीनरी के नाम पर सरकारी दुकानों के नाम पर एक्साइज ऑफिसर खुद खाता रहे, यह कहां तक ठीक है?

मेरा अलवर के लिए भी एक कटौती प्रस्ताव है। खैरथल, किशनगढ़, तिजारा और मंडावर इन चार स्थानों पर जो सरकारी बोलियाँ थी वह 2·77 लाख की थी। इसलिए इसका ब्रेक अप देता हूँ आपको :

खैरथल सरकारी बोली थी	1,35,690)
किशनगढ़	84,160)
मंडावर	31,170)
तिजारा	26,190)

आपका अलवर का जिला आबकारी अधिकारी ठेकेदार से मिलकर सरकारी बोली से कम कीमत करके 2 लाख में 4 ठेके नीलाम किए। लोगों के रिप्रेजन्टेशन्स आए, लोगों ने तार दिए कि इससे अधिक बोली देने को हम तैयार हैं लेकिन वित्तमंत्री कुछ नहीं करना चाहते। चाहे अलवर का हो चाहे गंगानगर का आबकारी अधिकारी हो जब तक आपकी छत्रछाया में है तब तक कोई बाल बांका करने वाला नहीं है...

श्री शंकरलाल (जैतारण) : ओपन ऑक्शन में कैसे हुआ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : लोगों को जानकारी नहीं दी। हाथ के हाथ कर दिया हालत यह है कि शराब के अन्दर लोग....

श्री रामानन्द अग्रवाल : ठेकेदारों से मिलकर उन्होंने बेचा है। अभी तक उसको सस्पेंड नहीं किया गया। आश्वासन पर रखा हुआ है कि तुमको ठेका दिया जाएगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : चाहे आबकारी अधिकारी, गंगानगर हो चाहे अलवर दोनों को हटायें, नौकरी से निकालें, ऐसा आप नहीं कर सकते लेकिन फिलहाल उन जगहों से उनको हटायें, रि-ऑक्शन करें तो देखेंगे कि कितनी बोली आएगी लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे।

अन्त में मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री से कहना चाहूंगा कि बिक्री कर के सवाल को गरीब जनता तक महदूद न रखें। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो करोड़पति हैं सेल्स टैक्स की चोरी हर साल करते हैं। आप छापे मारकर वसूल करें तब आपको सर्टिफिकेट देंगे....

श्री दौलतराम सारण : मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि क्या ये जो छोटे छोटे अधिकारी हैं वे ही लाखों रुपयों का घोटाला कर रहे हैं?

श्री कृष्णकुमार गोयल : ऊपर तक कड़ी है।

श्री दौलतराम सारण : तो आप कहिए कि पैसा कहां जा रहा है? सरकार के मुखिया के पास जा रहा है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उनको कुछ पर्सेन्टेज मिलता होगा।

श्री दौलतराम सारण : अधिकारी केवल बदनामी के बायस बनते हैं। जो सरकार का नेता है उनको मिलता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 1967 में सरकार किसने बनाई? सिहांनिया और डी. सी. एम. ने बनाई, इनसे चंदा लेकर।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : मैंने मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15, पंजीयन शुल्क के सम्बन्ध में तीन कटौती प्रस्ताव रखे हैं। यह जो पंजीयन का कार्य है, जहां जमीन, मकान या दूसरी अचल सम्पत्ति का जो रजिस्ट्रेशन होता है, इसका सम्बन्ध शहर अथवा गांव में रहने वाली जानता से है। इसके अन्दर पंजीयन शुल्क बराबर वसूल नहीं होता और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, उन दोनों बातों की तरफ मैं वित्त मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पंजीयन कराने के लिए जब लोग तहसील में जाते हैं तो कुछ साल पहले तो उससे केश में रकम वसूल की जाती थी लेकिन आज कल तहसीलों के बजाय वह रकम बैंकों में जमा करानी पड़ती है। इससे गांवों के आदमियों को बहुत दिक्कत पड़ती है। कई जगह बैंक समय पर बन्द हो जाते हैं तो मामूली काम के लिए उसको रुकना भी पड़ता है। जो आदमी 100) रुपया या ऊपर की मामूली रजिट्रेशन कराने के लिए आए और इतना समय उसको लग जाए तो ठीक नहीं। पंजीयन शुल्क अगर रोकड़ के अन्दर जैसे तहसीलों में लिया जाता था, वह लेकर और बाद में बैंक में जमा हो तो क्या दिक्कत है? आदमी पर क्यों सारा भार डाला जाए? रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कई जगह तहसीलों में जाते हैं और वहां पर अधिकारी नहीं मिलते हैं तो जो दूसरा जिला स्तर के रजिस्ट्रेशन अधिकारी हैं उनके पास जाता है। वह कहता है पहले तहसील में जाओ। मैं समझता हूं यह कहने का कानूनी हक नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए व्यक्ति चाहे तहसील में जाए और अगर तहसीलदार न मिले तो भी सीधा जिले में लें, लेकिन रजिस्ट्रेशन से इन्कार करने का कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा इस प्रकार का सक्यूंलर जारी होना चाहिए कि किसी अधिकारी के पास कोई आदमी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए चला जाय तो उसको इस बात की मनाही नहीं होनी चाहिए।

रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो लोग जाते हैं, वह बहुत से लोग अपनी सम्पति का मूल्य बहुत कम दिखाते हैं और उससे राज्य सरकार को लाखों रुपये का नुकसान होता है। कुछ दिन पहले इसी सदन में बीकानेर एच. एच. के सम्बन्ध में एक प्रश्न आया था कि किस प्रकार उन्होंने अपनी सिनेमा के सम्बन्ध में जो सेल हुई उसकी कम कीमत बताई और वित्त मन्त्री ने बताया था कि उसकी इन्क्वायरी चल रही है। यह ऐसा मामला था जो हमारे सामने आया लेकिन अभी भी राजस्थान में सीलिंग कानून लागू होने के पश्चात् बहुत से लोगों ने जमीनें इधर उधर ट्रान्सफर की हैं और उनका जो पंजीयन हुआ है उसके अन्दर सरकार को पंजीयन

(श्री शंकरलाल)

शुल्क के लाखों रुपयों का नहीं बल्कि हो सकता है कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ हो। कई जगह 10 हजार की जमीन को 100-200 में बेचा गया दिखाया गया है उसमें जो देने वाला है वह कहता है कि मैंने 10 हजार दिए और लेने वाले ने भी दस हजार रुपया लिए हैं, लेकिन पंजीयन शुल्क से बचने के लिए दो रुपये में रजिस्ट्री कराई। सरकार के पास कोई माध्यम नहीं है कि सम्पत्ति की कीमत कम बताई जाती है उसको रोक सके। इस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। इसको रोकने के लिये सरकार ऐसा प्रावधान कर सकती है कि कोई दस्तावेज रजिस्ट्री के लिये पेश हो तो जांच कर ले और जल्दी करना है तो सबजेक्ट टू वेल्युएशन किया जा सकता है लेकिन जांच होनी चाहिये। कोई मरने वाला हो और जल्दी ही रजिस्ट्री करवाना चाहता हो, उसकी वेल्युएशन करने में ज्यादा समय लगे तो आप पंजीयन कर लीजिये उसके बाद में जो सम्पत्ति लिखी गई है उसकी वास्तविक रूप से क्या वेल्युएशन थी इसके लिये कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। पंजीयन और मुद्रांक विभाग की 70-71 की प्रगति रिपोर्ट दी है उसमें बताया गया है कि 33,87,945 रुपये की आय हुई और खर्चा हुआ 3,67,628। सभापति महोदय, पिछले दिनों बहुत सी जमीनों की रजिस्ट्रियां हुई हैं। इतनी कम आमद हुई है उसका कारण यह है कि बराबर वसूली नहीं की गई है। डिविजन स्तर पर जो अधिकारी हैं जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, ये पांच अधिकारी मुकर्रर कर रखे हैं जहां तक जोधपुर डिविजन का प्रश्न है आपकी रिपोर्ट से श्री आर. एस. जोशी दिनांक 7-10-69 तक काम करते रहे उसके बाद सेवा निवृत्त हुये। यह स्थान रिक्त रहा। मुझे पता नहीं अब भी रिक्त है। स्थान रिक्त होने से और जगह जगह अधिकारी न होने से कितना नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है कि अधिकारी न मिले। एक तरफ काफी बेरोजगार हैं और दूसरी तरफ नियुक्ति न हो और पंजीयन शुल्क में घाटा पड़े। इसके अलावा करप्शन भी बहुत चलता है। काफी शिकायतें रहती हैं। आम तौर पर रहती हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिये जायं तो क्लर्क या तहसीलदार रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही नहीं करते हैं। कानून में लेकुना रख रखा है, इसलिए उस अधिकारी पर निर्भर है। रजिस्ट्रेशन दस्तावेज वह ले और कारण उस पर लिख दे। दस्तावेज को लिया नहीं जाता, और फेंक दिया जाता है। अमुक कारण से नहीं लेते किसी परिपत्र के द्वारा अनिवार्य करना पड़ेगा कि किसी भी अधिकारी के पास दस्तावेज लेकर जायं और पंजीयन न करें तो उसको कारण लिखना पड़ेगा और बिना कारण बताये लौटाया नहीं जा सकता है। बहुत सी जगह तो एक महीने का समय लगा दिया जाता है। उसके अन्दर भी बहुत आदमियों को पहले मिल जाता है और बहुत से आदमियों को मिलता नहीं है। एक महीने की मियाद है वह जनता को असुविधा जनक है। बहुत सी जगह संपत्ति की रजिस्ट्री करने के बाद जरूरत पड़ती है दस्तावेज की, एक महीने तक ठहरे यह न्याय-संगत भी नहीं है, तुरन्त रजिस्ट्रेशन करके देना चाहिये।

सीलिंग के सम्बन्ध में बहुत गड़बड़ियां हुई हैं और बहुतसा फर्जी रजिस्ट्रेशन

Page No 135

(श्री शंकरलाल)

हुआ है। बहुतसों ने तो पहले से दे दी और आज जाकर रजिस्ट्रेशन कराया है। म्युटेशन आपको रोकना चाहिये और इसकी इन्क्वायरी करनी चाहिये कि सीलिंग के कानून से बचने के लिए जिन लोगों ने अपनी जमीन का फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया है, उसने पंजीयन शुल्क को भी बचा कर सरकार को नुक्सान पहुंचाया है और सीलिंग कानून को भी डिफीट किया है, इसको सीरियसली लेकर इन्क्वायरी करायें तो लाखों रुपयों का इस प्रकार के पंजीयन से नुकसान हुआ है और सीलिंग के कारण भी हुआ वह भी मिलेगा।

शराबबन्दी के लिए निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान सरकार ने यह नीति घोषित की थी कि 72 तक पूर्ण नशाबन्दी लागू कर देंगे। ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार अपनी घोषणा के अनुसार कार्यान्वियन नहीं कर रही है और 72 तक पूर्ण नशाबन्दी नहीं कर पायेंगे। राज्य सरकार को स्पष्ट नीति कहनी चाहिए। शराबबन्दी में विश्वास नहीं करते हैं तो उनको यह बात कहनी चाहिए थी कि शराब बन्दी नहीं करेंगे। एक तरफ शराबबन्दी की बात कही जाय और दूसरी तरफ उसका पालन न किया जाय यह राज्य की जनता के साथ विश्वास की बात नहीं कही जायगी आपको स्पष्ट करना चाहिये अपनी नीति को। एक पार्टी की सरकार यहां और दूसरे राज्यों में भी है और केन्द्र में भी हैतो प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी को भी सोचना पड़ेगा कि हमारे देश में सम्पूर्ण रूप से शराबबन्दी कैसे हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से एक तरफ पिछड़े हुए लोग हैं। एक तरफ बेरोजगार और दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति खराब और शराब की आदते हैं उसको सीरियसली लेना चाहिए। मनोहर सिंहजी साहब और दूसरे सदस्यों ने भी इसके बारे में बहुत कहा है। राजस्थान सरकार ने जो फेज प्रोग्राम बनाया है वह बिल्कुल अनसक्सेसफुल रहा है। कम से कम राज्य सरकार यह भी कह दे कि पूर्ण रूप से न करके मान्यता के आधार पर कुछ करना चाहते हैं, पर सफल नहीं रहे।

पाली क्षेत्र गरासियों का क्षेत्र है। गरीब लोग रहते हैं। छोटी छोटी खेती है, और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। थोड़ा बहुत पैसा उनके पास आजाता है तो उसको शराब के अन्दर बरबाद कर देते हैं। ऐसे क्षेत्रों में क्यों नहीं शराबबन्दी करना चाहते हैं। राज्य सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे और यह घोषित करे कि उसका असेसमेन्ट कितना हुआ है और कहां तक इस ओर वह सफल रही है।

श्री सभापति : श्री रामानन्द अग्रवाल।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय....

श्री सभापति : आपकी पार्टी के चार व्यक्ति बोल चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं। जिला सवाई माधोपुर के शिक्षक संघ का प्रदर्शन अपनी मांगों के सिलसिले में आया हुआ है....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। आप चाहे जिस चीज को लेकर नहीं बोल सकते। ऐसे ऑफ हैन्ड बोलने से कोई लाभ नहीं।

श्री श्रवणलाल : हमेशा यह परम्परा रही है जब भी कोई प्रदर्शन आता है, वह प्रदर्शन यहां पर आता है तो उससे मिलने विभाग के मंत्री जाते हैं।

श्री सभापति : आप पहले उनसे बातचीत करलें। यहां पर कोई भी नहीं है। मंत्री जी नहीं हैं, उप-मंत्रीजी नहीं हैं। बगैर उनके मेटर रेज करने से क्या फायदा। आप कोई बात कहना चाहते हैं तो लिख कर भेज दें।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, यह तो आपकी तरफ से व्यवस्था होनी चाहिये। वहां से एक डेपूटेशन आया है। उन्हें कोई समय दिया जाना चाहिये मंत्री जी की ओर से....

श्री सभापति : आसन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, अधिकार नहीं है। अगर आप यह समझते है कि यह मेटर पब्लिक इम्पोर्टेन्स का है तो इसके लिये एडजोर्नमेन्ट मोशन मूव कर सकते थे। एक दम बीच में उठ कर नहीं कह सकते कि नीचे कोई प्रदर्शन आया है। प्रदर्शन आने वाला है तो उसकी आपको जानकारी थी। सुबह से डिबेट चल रही है और डिबेट के दौरान कोई प्रश्न उठाया जाता है तो यह सदन की गरिमा को कम करता है।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय कल की छुट्टी थी और छुट्टी होने के कारण सूचना नहीं दी जा सकी है।

श्री सभापति : आप सुबह तो मोशन दे सकते थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं इससे पहले कि....

श्री सभापति : समय का ध्यान रखें माननीय सदस्य। साधारणतया आसन की तरफ से 15 मिनट तय किये गए हैं। पार्टी का निर्धारित समय भी पन्द्रह मिनिट है। आपके दल की ओर से कोई नहीं बोलेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, फाइनेंस मिनिस्टर साहब नहीं है।

श्री सभापति : तो उसके बाद बोलेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आ गये हैं।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय ...

श्री सभापति : आप शिक्षा मन्त्री जी से बात करलें तो ठीक रहेगा।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय मैं आपके द्वारा यह जानकारी करना चाहूंगा कि जिला सवाई माधोपुर के शिक्षक संघ का एक प्रदर्शन असेम्बली हाल के सामने आया है। मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि आप संबंधित मन्त्री महोदय को कहें कि वे शिक्षक संघ के सामने जाकर उनसे बात करें और जो उनकी समस्याएं हैं उनको गौर से सुनें।

श्री सभापति : आप उनसे बात कर लें। आसन से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी जाती है। वे आपकी बात पर उदारतापूर्वक विचार करेंगे।

श्री श्रवणलाल : इस प्रकार की पद्दति रही है और इस आसन की तरफ से आदेश दिये गये हैं।

श्री सभापति : अगर ऐसी पद्यति रही है तो वह उचित नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय बजाय इसके कि मांगों पर मैं बोलू मैं सीधे जो मेरा कटमोशन है उस पर बोलना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैंने सदन में पिछली बार महाराजा बीकानेर श्री करणीसिंह जी द्वारा गंगा टाकीज के सेल के सम्बन्ध में प्रश्न को उठाया था। उस सम्बन्ध में वित्त मंत्री जी ने उत्तर दिया था पिछली 22 अप्रेल, 71 को और उस उत्तर में सबसे पहली बात जो उन्होंने कही, उसमें उन्होंने चिन्ता व्यक्त की थी और वह यह है कि महाराजा करणीसिंहजी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे ज्यादा उन्हें उनको बचाने की चिन्ता व्यक्त की।

श्री मथुरादास माथुर : मेरे कहने का यह मतलब नहीं है। मैंने तो यह कहा था कि जो लेटेस्ट डील है उसमें वे शेयर ट्रान्सफर कर चुके हैं। यदि आप यह कहते हैं कि मुझे उनको बचाने की चिन्ता है तो यह कोई नहीं मानेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन्होंने जो शेयर ट्रान्सफर किये हैं वे अन्डर वेल्यूड हैं। इसमें सभापति महोदय, गंगा टाकीज को क्रय सन् 50 में राजस्थान टाकीज लिमिटेड के जरिये हिज हाईनेस करणीसिंह जी और उनके भाई अमरसिंहजी ने खुद किया 21 नवम्बर, 59 को। अब उसके बाद जो कोई फार्मल डीड है जिसके जरिये सेल हिज हाईनेस करणीसिंहजी ने अपने शेयर जो उनके 59 परसेन्ट थे वह 1-2-68 को उन्होंने सेल किया है। उसमें उन्होंने यह बताया है कि वो एक अपने शेयर में से एक आने के शेयर तो मार्च सन् 50 में ही बेच चुके हैं यानि खरीद के तीन महीने, चार महीने बाद और फिर उन्होंने 31-3-1962 को जो बाकी शेयर था उसमें से पौने छः प्रतिशत अपनी औरत को और 47 प्रतिशत अपने लड़के को बेचना उन्होंने बताया है, और जो कीमत है वह ज्यादा कीमत रखी है। और जो 1-2-68 को सेल डीड एग्जीक्यूट किया है उसमें उन्होंने कीमत दिखाई है, 1,40,473 रुपये। अब तक जो जांच चल रही है वह 10-2-1968 के सेल डीड के सम्बन्ध में चल रही है जो महाराज कुमार नारायणसिंह, उनके भाई अमरसिंह और उनकी औरत सुदर्शन कुमारी ने इस गंगाटाकीज को मिनर्वा टाकीज, जोधपुर को सेल किया है। उसके बारे में आपने माना है कि तीन लाख का अन्डर वेल्यूएशन किया है और इसलिये आप उसकी जांच करवा रहे हैं। अगर यह गंगा टाकीज 10 तारीख को अन्डर वेल्यूड था तो 1-2-68 को, यानि दस दिन पहिले उसका 59 प्रतिशत शेयर जो महाराजा करणीसिंहजी ने बेचा है या ट्रांसफर किया है आपको अन्धेरे में रखने के लिये, उन्होंने यह कोशिश की है, लेकिन वह सेल डीड फोर वैल्यू रिसीव्ड। दस दिन पहले उन्होंने सेल किया है 59 प्रतिशत 1,40,473 रुपये में, उसके हिसाब से गंगा टाकीज का कुल वैल्यू होता है 2,46,108 रुपये। नौ दिन पहले जो सेल हुआ है वह तीन लाख रुपये ज्यादा में हुआ है। उसके बाद के सेल में यदि तीन लाख का अन्डर वेल्यूएशन मानते हैं तो........

(शोरगुल)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तीन लाख का अन्डर वेल्यू है दस तारीख को। एक तारीख को जो उन्होंने सेल किया है, उसके हिसाब से पूरी प्रोपर्टी का वेल्यू आता है 2,46,108 का जो भी बहुत कम है। इस तरह से दोनों तारीखों को जो सेल हुये हैं, दोनों में अन्डर वेल्यूएशन हुआ है। आप जो जांच करवा रहे हैं वह केवल दस तारीख वाले सेल की करवा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तारीख को जो सेल हुआ है उस में भी अन्डर वेल्यूएशन हुआ है, उसकी भी जांच करवानी चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय मैं माननीय सदस्य के लिये स्थिति साफ कर दूं। यह जो आपने 2,46,000 का मामला आपने बताया अन्डर वेल्यूएशन का, उसकी भी कलेक्टर साहब जांच कर रहे हैं। ये दोनों ही मैटर्स एन्क्वायरी में चल रहे हैं। पहले वाले में यह इम्प्रेशन था कि उसमें बीकानेर महाराजा नहीं हैं, क्योंकि शेयर ट्रांसफर करना बताया था, बाकी दोनों में ही एन्क्वायरी चल रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने जो पहले वक्तव्य दिया था उससे कुछ गलतफहमी हुई थी जिससे महाराज करणीसिंहजी का दोष साबित नहीं हो रहा था। उन्होंने जो सेल किया है वह भी·········

श्री मथुरादास माथुर : प्रश्न ही नहीं उठता है। इस वक्त गंगा टाकीज का जो बेनामी ट्रान्सफर हुआ है उसकी भी एन्क्वायरी चल रही है। मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो अमरसिंह ने अपना शेयर फोर कन्सीडरेशन अन्डर वेल्यूएशन किया है, उसकी भी एन्क्वायरी चल रही है। इसलिये इन दोनों केसेज को फिक्स-अप करना उचित नहीं होगा।

दूसरा मुझे यह निवेदन करना है कि यह बात कहना भी सही नहीं है कि जो बेनामीज को सेल हुई उसमें करणीसिंहजी को कोई इन्टरेस्ट नहीं। मेरा यह कहना इस सेल डीड में खुद असेसी न होकर अपने लड़के को अपनी मां को असेसी बनाया है तो जो पर्सेन्टेज इन्कम टैक्स लगेगा। जो तमाम सेल 51 में हुई वह मदर और लड़के के नाम से की। यह कोई फार्मूल डीड के नाम से नहीं की। ला में 1-2-68 को सेल हुई उसको रिकोगनाईज किया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरे पास एक टेलीग्राम है जो कि ओरिजनल में है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सभापति महोदय, यहां न तो इन्कम टैक्स के निर्णय करने का हक है और न यह सबजेक्ट है कि बीकानेर के महाराजा इतने बड़े हो गये हैं जिसके ऊपर आज तीन···· ···

श्री रामानन्द अग्रवाल : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है एक इन्डीविज्युअल को लेकर आप तीन दिन से वकालत कर रहे हैं—न मालूम आपके दिमाग में ····(अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके दिमाग में हो रहा है····

श्री यशवन्तसिंह नाहर : बीकानेर हिजहाईनेस, बीकानेर हिजहाईनेस क्या इनके दिमाग में है। यह सदन कोई प्रोग्राम और पॉलिसी को सुनना चाहता है न कि....

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप नहीं सुनना चाहते हैं तो बाहर जा सकते हैं। मैं कोई आपकी इच्छानुसार नहीं बोलूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य....

श्री रामानन्द अग्रवाल : The hon. member should not be so agitated. The Chair should not allow the hon. members to interfere directly unnecessarily if they have to serve the interests of certain His Highnesses.

श्री यशवन्तसिंह नाहर : It shows the mind of the man. You are unnecessarily making a havoc of a small thing in the House.

श्री रामानन्द अग्रवाल : I was just pointing out........

श्री यशवन्तसिंह नाहर : दिन भर वही बीकानेर हिजहाईनेस। He should contribute towards some policy matters.

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय मुझे खेद है (घन्टी)

If H. H. Bikaner has done something wrong that fact should be brought to the notice of the House.

श्री सभापति : Mr. Nahar, I think this is sufficient. If he wants to speak on this subject, he has a right.

श्री यशवन्तसिंह नाहर : I wanted to hear some policy and programme from Communist Party which wants to lead the country towards socialism. His Highness Bikaner is a non-entity for this House.

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य को कम्युनिस्ट पार्टी की बात सुनने से खुशी हुई और सही मौके पर उस बात को भी बोलना पड़ता है। अभी चूंकि बहुत सीमित समय है। जो मैंने डाइरेक्टली कट मोशन दिये हैं उसी पर बोलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि समय अधिक न लगे। किसी माननीय सदस्य को पसन्द आये न आये यह कोई खास बात नहीं है। हाउस में डिफरेन्ट खयालात के लोग हैं, इसलिये मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्य को टॉलरेट करना चाहिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : All right, Sir,

खूब बोलिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह स्टेट इन्टरेस्ट, पब्लिक इन्टरेस्ट का मामला है। इन्कम टैक्स की चोरी की। ऐसे परसन भी चोरी करें तो और भी ज्यादा इम्पारटेन्स

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हो जाती है। स्टेट के एक्सचेकर को नुकसान न पहुंचे उसी परपज से मैं सामने रख रहा हूं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं आज महाराजा बीकानेर ने इस बात को शो किया है कि वे अपने शेयर 1962 में ही बेच चुके हैं और उन्हें इस गंगा टाकीज में कोई इन्टरेस्ट नहीं है और जो ओरीजिनल डीड के जरिये दिखाते रहे हैं लेकिन एक्चुअल फेक्ट यह है कि आखिरी डीड जो बेनामीज से हुई है यह महाराजा बीकानेर ने की है। उनके थ्रू निगोसियेशन्स हुये हैं और आखिर तक वे निगोसियेशन्स में इन्टरेस्ट लेते रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह टेलीग्राम ओरीजिनल जो है 7-11-67 यानि सेल डीड 1-2-68, 10-2-68 यह टेलीग्राम है—

> "His Highness Bikaner,
> Lalgarh Palace, Bikaner,
>
> Respected Bosab, Am trying to settle up Ganga Talkies Matters soon. Shall keep you informed of the progress. Love and God bless you all.
>
> Chhotu Singh."

अमर छोटा भाई है। यह टेलीग्राम 7-11-67 को दिया गया है। दूसरा टेलीग्राम 4-2-68 का.......

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य से यह जानना चाहूंगा, अब हमसे क्या चाहते हैं? क्योंकि एन्क्वायरी जो दोनों डीड है, कलेक्टर कर रहा है। उसके अलावा ?रे से क्या चाहते हैं, और राज्य सरकार ? क्या चाहते हैं। कोई आपके कंक्रीट प्रपोजल्स हों तो मैं उसमें कुछ कर सकता हूं। इन्कम टैक्स की चोरी हुई वह हुई अब उसको इन्कम टैक्स वाले जानें...

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर कोई ऐसी बात आपके और आपके ऑफिसर्स के नोटिस में लायें जो फिक्टिसियस है, डिफे है जो आपको सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट और उन एप्रोप्रियेट ऑथोरिटीज को इनफार्म करना चाहिये, यह भी आपकी बात है स्टाम्प ड्यूटी की भी चोरी है जिसको आप नोटिस में नहीं ले रहे हैं। अभी दूसरा मामला जिसमें आप महाराजा बीकानेर को पार्टी नहीं बना रहे हैं—I say he is also one of the accused. क्रिमनल लायबिलिटि भी इससे आती है। यह बेंगा?ीज में उन्होंने अपने लड़के के नाम कर रखा है वे सेल कर रहे हैं कल यह भी लायबिलिटि आने वाली है, जिसको आपने छोड़ा हुआ है। मेरा कहना है उनको भी आप पार्टी बनाये। जो फाईनेनसियल और क्रिमिनल लायबिलिटि आयेगी वह न लड़के और माँ पर आयेगी बल्कि करणी सिंहजी पर भी आती है, जिनको आपने छोड़ा हुआ है।

श्री दिग्विजयसिंह : इसका पर्चेजर कौन था। इस सिनेमा को किसने खरीदा है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह मिनर्वा टाकीज जोधपुर.......

श्री दिग्विजयसिंह : जिन्होंने खरीदा है उनकी भी जिम्मेदारी थी। स्टाम्प लेकर उन्होंने रजिस्ट्री कराई होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यस । वह भी होना चाहिये । दैट इज करेक्ट । दूसरा 4-2-68 का सेल डीड 10-2-68 को हुआ है । 6 दिन पहले का टेलीग्राम है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य वित्त मन्त्री जी ने यह अश्योर किया है जो भी पॉसिबल लीगल एक्शन हो सकता है वह ले रहे हैं । कुछ वे भी लेने को तैयार हैं । फिर ऐडामेन्सी क्या है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सैकिन्ड डीड को भी वे यह मानते हैं फैक्ट्स इस तरह से आये हैं, उनको पार्टी बनायेंगे तो फिर कोई·······

श्री मथुरादास माथुर : मेरा निवेदन है सभापति महोदय पॉलिटिकली बीकानेर के महाराजा कुछ हो । मैं उस विभाग का मन्त्री हूं, रजिस्ट्री आदि के अन्तर्गत जो भी कानून के मातहत होगा वह करूंगा । कोई भी बेनामीज हों, या बीकानेर के महाराजा हो या उनके कोई भाई हों—जो भी कानून में आता है वह करवा रहा हूं । ला डिपार्टमेंन्ट से और एग्जामिन करवा लूंगा । कानूनी कार्यवाही जो हो सकती हैं वह अवश्य करूंगा । अब इन्कम टैक्स की चोरी हुई वह हमारे आनरेबिल मेम्बर भी रिपोर्ट कर सकते हैं । मैं इसके लिये मुखबिर नहीं बनना चाहता हूं । जो कुछ भी ओपन एन्क्वायरी हो रही है । कलेक्टर के सामने जो लीगल एक्शन होगा वह करेंगे । जो भी अन्डर ला पॉसिबल है और मेरे जूरिसडिक्शन में आता है वह कर रहा हूँ और करूंगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो अब जो आपने कहा उचित है लेकिन मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं । जो फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं वह अल्टीमेट जो फाइनल डील है । वह डील बेनाम व हिज हाईनेस करणीसिंहजी के बीच में है न कि उनकी मां और लड़के के बीच में ।

श्री सभापति : माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा कि सारे मसले पर आवश्यकता होगी तो विधि विभाग से राय ले लेंगे और जिस किसी के खिलाफ लीगल एक्शन पॉसिबल होगा वे लेंगे । इतना एश्योरेन्स उनका है तो इसके बारे में आगे क्या कहना है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं फैक्ट्स को नोट करा रहा हूं ।

श्री सभापति : फैक्ट्स रेकार्ड में हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं माननीय सदस्य की स्पीच की कापी लेकर ला डिपार्टमेंट को कह दूंगा कि इसको देख लें कि इसमें कुछ गुन्जायश है ।

श्री सभापति : पहले जो भाषण दिया है उसकी कॉपी ला डिपार्टमेंट को भेज देंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं ओरीजिनल लेटर्स सदन के सामने रखना चाहता हूं । इट मे बी मेड ए रेकार्ड । उसका भी कुछ उपयोग हो सकेगा तो हो जायेगा । एक तो मेरे पास····

श्री सभापति : आप यह जानकारी वैसे ही दे सकते हैं । मुझे यह चिन्ता हो रही है कि 30 में से 20 मिनिट तक आपका

(श्री सभापति)

भाषण हो चुका है और दूसरे इम्पार्टेन्ट विषय पर आपको बोलना है। यह मैं चाहूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बीच बीच में इन्टरप्शन भी हुए हैं।

श्री सभापति : उसके पांच मिनिट में काट दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह रख कर मैं समाप्त करता हूं। एक लेटर म्युनिसिपल टाकीज, माउन्ट आबू का है नाइन्थ दिसम्बर, 1967 जिसमें उन्होंने महाराजा करणीसिंहजी को 15 लाख का ऑफर दिया है। उसका ऑफर 15 लाख रुपये का है सारे हाल का ऑफ कोर्स इट इन्क्लूड्स फर्नीचर एटसेट्रा मेरा यह कहना है सब सवा नौ लाख में बिल्डिंग्स वगैरह बेची गई हैं और वाकई में रजिस्ट्रेशन 3 लाख का करवाया गया है तो सवा छः लाख का क्या हुआ। म्युनिसिपल टाकीज, माउन्ट आबू की यह चिट्ठी है जिसकी कापी मेरे पास है और इसी प्रकार से आनन्दसिंहजी ने लिखा है और उसकी कापी उनको भेजी है यह मैं सदन के सामने रख रहा हूं। इसमें ऑफर 15 लाख का किया है उनको देने का इन इन्स्टालमेंट। दूसरा मैं एक जो ओरीजिनल टेलीग्राम है वह इसमें रख रहा हूं। उसमें 2500 स्क्वायर यार्ड्स से ज्यादा जमीन है उसके अन्दर। अभी तक जो सेल हुई है वह 150 रुपये पर स्क्वायर यार्ड से हुई है और उससे भी ज्यादा 200 गज तक की कीमत बता रहे हैं, तो सिर्फ जमीन-जमीन की कीमत 150 रुपये गज मानी जाय तो पौने चार लाख तो सारी जमीन की कीमत होती है। 2500 स्कवायर यार्ड से ज्यादा होगी जमीन। तो तीन लाख बच गये अपने आप इसके अन्दर तो सारा घोटाला सामने आ जाता है।

यह लैटर्स हैं फिर जो महाराजा साहब ने अपने लड़के के नाम से लिखा है वह काल्यूसिव है खास तौर से जबकि उनका लड़का सिर्फ 15 साल का था और वह उनके लीगल गार्जियन थे। उनके लड़के के पास पैसा कहां से आया। कम्प्लीट सेल नहीं हो सकती है माइनर के बेसिस पर जब तक कि कोई गार्जियन न हो और सेल के अन्दर कोई गार्जियन नहीं है। इसलिए मेरा यह कहना है कि सरकार बीच में जो जोरदार आदमी हैं उसकी एन्कायरी करना नहीं चाहती या चाहती हैं तो ढील कर देती है और उनको पटके हुए रखती है और कहती है कि फाइल एक चला रखी है, लेकिन इफेक्टिव तरीके से उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। सन् 68 का मामला है और सन् 71 आ गया है और अभी तक कोई इफेक्टिव कदम नहीं उठाया गया है। इसलिये मेरा यह कहना है कि आपने अपने पिछले जवाब में यह कहा था कि जब कि माननीय भैरोंसिहजी ने कहा कितने टैक्स का सवाल है तो आपने कहा था कि फीगर्स यानी आठ हजार का तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह 8 हजार का नहो है। इसमें जो 3 लाख की रजिस्ट्री हुई है उसमें 17 हजार की स्टाम्प ड्यूटी लगी है, यानी सवा नौ लाख पर 51 हजार की स्टाम्प ड्यूटी लगती और स्टाम्प ड्यूटी का जो डिफरेन्स है उससे 10 गुना यानी 3,40,000 रु. तक की पैनल्टी लग सकती है, 10-2-68

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
को जो रजिस्ट्री हुई उसमें और 1-2-68 को जो रजिस्ट्री हुई उसमें करीब डेढ़ लाख रुपये बनते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आई वुड वी हैप्पी अगर हमको इतनी मिल जाय तो बड़ी खुशी होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने कहा था कि 4 फीगर्स में ही होगी।

श्री मथुरादास माथुर : स्टाम्प ड्यूटी का कहा था कि 7-8 हजार एप्राक्सिमेटली होगा। मिनिस्टर से यहां पूछ कर उसका इम्तिहान लेते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगेगी तो एप्राक्सिमेटली मैंने बता दिया कमिटमेंट नहीं किया था। अगर 10 लाख होगा तो मुझे खुशी होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इससे पता लगता है कि कितने सीरियस हैं। मामला हजारों का है तो उसको आप सीरियसली नहीं लेंगे और लाखों का मामला है तो लेना चाहते हैं। नार्मेलिटी इसकी यह है।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा कट मोशन अलवर के एक आबकारी अधिकारी श्री रन्जन सक्सेना के सम्बन्ध में फेक्ट्स पर रखा है कि वह रंगे हाथों पकड़ा गया और गिरफ्तार हुआ एन्टीकरप्शन के द्वारा, लेकिन उसको सस्पेन्ड नहीं किया गया। मैंने इसी सदन में उनके पकड़े जाने के बाद यहां एडर्जोनमेंट मोशन देकर यह चर्चा उठाई थी कि आपके आबकारी अधिकारी और दूसरे कान्ट्रेक्टर्स के आदमी उसको उठाकर ले गये हैं और उसके बयान बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैंने कहा था कि उसको पुलिस का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था वह कुछ नहीं दिया और इस बीच में उन्होंने किसी किस्म के बयान वगैरह ले लिये। वह आदमी पुलिस में गया और कम्प्लेन्ट की, और मेरे पास भी आया था एण्ड आई सजेस्टेड हिम टू गो टू दी एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट क्योंकि इस ऑफिसर की शिकायत पहले भी थी। इसलिए उसका मुझे पता लगा कि इस आदमी ने क्या किया। एन्टीकरप्शन वालों ने पैसा देकर भेजा। पिछले सदन में बद्रीप्रसाद जी शायद कह रहे थे कि इन एनी केस वह आदमी आज तक वहां पर है। एन्टीकरप्शन वालों ने रंगे हाथों पकड़ा तो उसको सस्पेन्ड किया जाना चाहिए था और सस्पेन्ड करके बाकी की कार्यवाही होनी चाहिए थी। वह हुआ और उसके बाद उसको वहां पर रखा गया है और सस्पेन्ड भी नहीं किया गया तो इसका क्या कारण है आप जवाब देंगे।

श्री सभापति : श्री गोरधन सोनी।

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : सभापति महोदय, बिक्री कर, मोटरों पर कर और शराबबन्दी इनके बारे में मेरे कटमोशन्स हैं। श्री मेहता जी के आग्रह पर मैं शराबबन्दी के बारे में कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय, इस सदन के सभी माननीय सदस्य एवं देश और राज्य के सभी विवेकशील लोग इस बात को जानते हैं कि शराब से ज्यादा बुरी कोई चीज नहीं है। शराब पीने से जो बुरी चीजें हैं—जुआखोरी, चोरी, व्यभिचार आदि हैं वे आती हैं और सरकार यह भी मानती है कि जुर्म जो किये जाते हैं और कायदे कानून जो तोड़े जाते हैं वे ज्यादातर इसकी

(श्री गोरधन सोनी)

वजह से होते हैं, लेकिन शराब के बारे में सरकार बराबर प्रोत्साहन कर रही है। माननीय मेहता जी हमेशा शराब के बारे में काफी कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि शराब क्यों चल रही है, कम होने के बजाय ज्यादा क्यों होरही है ? इस मामले को मेहता साहब नहीं जानते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में बहुत बड़ा रहस्य है। सभापति महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि माननीय मंत्री जी बहुत बुजुर्ग आदमी हैं और उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है और गांधीजी के नेतृत्व में सत्याग्रह किया है, लेकिन शराब के मामले में वे क्यों गांधी जी से दूर हैं, इस सुराज्य में वे गांधी जी से क्यों दूर हैं, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में शराब बन्द होती है तो देश उच्चता की तरफ बढ़ता है और चारित्रिक उच्चता की ओर बढ़ता है। देश में यदि नैतिकता की बढ़ोतरी होगी तो देश का उत्थान होगा। अगर शराब बन्द हो जाती है तो मैं समझता हूं कि देश में सुराज्य हो जायगा, लेकिन वर्तमान सरकार देश में सुराज्य नहीं चाहती है। देश में चारित्रिक उत्थान हो जाय तो यह सरकार नहीं टिक पायेगी। लेकिन चरित्र को डिगाकर और लोगों को चरित्रहीन बनाकर यह सरकार शासन करना चाहती है। देश में यदि नैतिकता की बढ़ोतरी हो तो इनका शासन चलना मुश्किल हो जायगा। सभापति महोदय, यह बात आप स्वयं ही जानते हैं।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो कहा जाता है कि शराब से सरकार को आमदनी होती है इस कारण से वे शराब पिला रहे हैं, तो सभापति महोदय, विधान सभा में ऐसे अनेक मामले हमारे सामने आये कि जिनमें इस तरह से लाखों घोटाले होते हैं कि जहां पर दो लाख की पिलाई होती है तो उससे दो हजार ही लिये जाते हैं। अनेक घोटाले जो राजस्व की आमदनी के होते हैं उन पर चर्चा होती है। इसके सिवाय भी, सभापति महोदय, स्पेसिफिक उदाहरण भी विधान सभा में आये कि वित्त मंत्री जी ने सन् 69-70, 70-71 के 9,31,37,000) रु. शराब के ठेकेदारों में बकाया है। ये सब बातें इस बात को इंगित करती हैं कि सरकार को आमदनी का कोई मोह नहीं है, लालच नहीं है, उसको कोई महत्व भी नहीं है, लेकिन देश के नैतिक स्तर को ऊंचा नहीं उठाना इस बात में सरकार इन्ट्रेस्टेड है। सरकार चाहती है कि देश का नैतिक स्तर ऊंचा न उठे।

तो सभापति महोदय, आप से मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय, ने यह भी ख्याल नहीं किया है कि आम तौर पर गरीब लोग शराब पीते हैं। जिस घर में मजदूर शराब पीकर जाता है तो वह घर बरबाद हो जाता है। शराब देश के हित में नहीं है। राज्य सरकार और वित्त मंत्री महोदय ने शराब बन्द करने के लिए जो अवधि दी है कि हम सन् 1972 तक बन्द कर देंगे, उसका वर्तमान बजट में कोई संकेत नहीं है। अगर हम जनता का हित चाहते हैं, अगर हम देश की उन्नति करना चाहते हैं तो हमें शराब बन्द करनी होगी। मगर खत्म सरकार ही कर सकती है। इसके अलावा सभापति महोदय, मैं मोटर टैक्स के बारे में कहना चाहता हूं। जो ट्रक कच्चे रास्ते में चलते

(श्री गोरधन सोनी)

हैं, उनका टूट-फूट का ज्यादा नुकसान होता है। कच्चे रोड़ पर चलने वालों पर आधा टैक्स रखना चाहिए। जो टैक्स पक्के रोड़ पर चलने वालों से लिया जाता है, उससे उन पर आधा लेना चाहिए। वैसे ही मोटरों के बारे में लोग काफी परेशान हैं। उनकी हालत और बिगाड़ी जाये यह उचित नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहता हूं कि कच्चे रोड़ पर चलने वालों को वह काफी राहत दें। पक्के रोड़ पर चलने वालों से उन पर आधा टैक्स कर दें। उन्होंने अपने बजट में समाजवाद की बात कही है। गरीबों को राहत देने की बात कही है। कुछ चेंजेज आने वाले हैं। अगर वित्त मंत्री जी मानते हैं और उसके लिए सरकार कटिबद्ध है तो मैं वित्त मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे राज्य में यहां पर कर 30% लगा हुआ है। उसका कितना औचित्य है। एक रुपये पर 30% टैक्स मैं समझता हूं, सभापति महोदय, यह कोई वाजिब नहीं है। जिनका असर आम जनता पर पड़ता है, उन पर 10% से ज्यादा टैक्स होना ही नहीं चाहिए। अगर 30% करते हैं तो वह तो बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान सैल्स टैक्स की तरफ आकर्षित करता हूं। माननीय वित्त मंत्रा जी स्वयं यह महसूस करते हैं कि सैल्स टैक्स से राज्य को बहुत बड़ी आमदनी है। पूरी वसूली हो और लोग ईमानदारी से टैक्स दें। लेकिन सभापति महोदय, अधिक टैक्स हों तो उससे न तो जनता को कोई फायदा होता है और न सरकार को ही कोई फायदा होता है। क्योंकि उस स्थिति में आमतौर पर कर बचाने की कोशिश की जाती है। अगर आप रीजनेबिल टैक्स लें तो कोई बचाने की कोशिश नहीं करेगा। तो सबसे पहले वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आम उपयोग की वस्तु जैसे कि अनाज है, खाने की चीजें हैं। उन पर टैक्स कम होना चाहिये। खाने की चीजों पर और अनाज पर टैक्स समाजवाद के अनुरूप नहीं। इसी प्रकार सभापति महोदय सीमेन्ट का सवाल है। इस साल तो नहीं .लेकिन गत साल था। गत साल टैक्स था। सीमेण्ट हर किसान के काम आने वाली चीज है। छोटे मोटे आदमियों के काम में आता है। उस पर सभापति महोदय, 6 या 7 प्रतिशत होना चाहिए। इससे अधिक गरीबों पर भार है। मैं मान सकता हूं कि शहरों में रहने वाले लोग बरदाश्त कर सकते हैं। लेकिन ग्राम कृषक जनता बरदाश्त नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त सभापति महोदय, मैं एक बात वित्त मंत्री जी से और निवेदन कर देना चाहता हूं। जो टैक्स जिस जरिये से आप को प्राप्त होता है। जैसे बिक्री कर है, वह व्यापारियों से प्राप्त होता है, तो सरकार को व्यापारियों का विश्वास होना चाहिए। जो टैक्स पेयर हैं। सरकार उनकी इज्जत करें। व्यापारियों की इज्जत की जाय। लेकिन विभाग के अधिकारी जो व्यवहार करते हैं वह सन्तोषजनक नहीं है। व्यापारी यह बात जानते हैं। छोटी बड़ी बात को लेकर जो उनके साथ व्यवहार किया जाता है, वह उचित नहीं है। जो छोटा बड़ा व्यापारी कानून का उल्लंघन करता है तो उनको कानून के अनुसार दण्ड दिया जाये। लेकिन उसकी इज्जत की जाये। मैं वित्त मन्त्री जी एक और निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं

(श्री गोरधन सोनो)

जिन पर टैक्स कम कर दें तो आमदनी कम हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कम नहीं होगी। क्योंकि टैक्स अधिक होने से कोई अधिक आमदनी नहीं हो जाती है। अगर 3 प्रतिशत कर दें तो कोई व्यापारी बाहर माल भेजेगा। माननीय वित्त-मन्त्री जी से निवेदन है कि टैक्स कम कर दें। अधिक टैक्सों के कारण कर बचाने की कोशिश की जाती है। तो अधिक आमदनी रहेगी और 'सी' फार्म की मुसीबत नहीं रहेगी। इसी तरह फार्म 'ई-1' और 'ई-2' की तरफ भी ध्यान आकर्षित करता हूं। लेकिन, सभापति महोदय, हमारे यहां सैल्स टैक्स में नियम हैं, जो माल सेल्स टैक्स पेड है उसमें सेल्स टैक्स पेड फार्म पर लिख दिया जाता है। इसी तरह से इसका एडजस्टमेन्ट किया जाय, जो आदमी माल बाहर ले जाता है, सेल्स टैक्स लगा कर, उस पर 'ई-1', 'ई-2' की कोई जरूरत नहीं है। जब उस पर सेन्ट्रल सेल्स टैक्स पेड लिख देते हैं तो सरकार का पर्पज हल हो जाता है, और सैल्स टैक्स की चोरी नहीं होती है, इसलिए 'ई-1', 'ई-2' व्यापारियों को परेशानी में डालने की बात है, वह मिटाई जाय।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, वित्त मन्त्रीजी ने बारदाने पर टैक्स कम किया है। इसका मैं स्वागत करता हूँ। इससे लोगों को राहत मिली है। लेकिन एक दिक्कत बारदाने के मामले में आती है, वह मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है, तीन पर्सेन्ट सैल्स टैक्स लगाया है, यह बारदाने पर लेते हैं। तीन पर्सेन्ट लेते हैं, वह निर्यात करते हैं, उसका सी फार्म नहीं आता है तो तीन पर्सेन्ट चार्ज किया जाता है। यही बात तीन पर्सेन्ट की आजाती है, बाहर निर्यात करते हैं, तो तीन पर्सेन्ट सेन्ट्रल सैल्स टैक्स आ जाता है। यह नहीं होना चाहिए। इससे लोगों को राहत मिलेगी।

इसके साथ ही जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था, राज्य में सैल्स टैक्स ऑफिसर अग्रिम सैल्स टैक्स वसूल करते हैं. इससे व्यापारी को दिक्कत होती है। आप जानते हैं कि माल बिकने पर सेल्स टैक्स लगता है। इससे पहले सेल्स टैक्स वसूल करना अनुचित है। यह सवाल वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाया गया है, ऐसा नहीं है कि वित्त मंत्री ही परिचित नहीं हों। यह कानूनी दृष्टि से गलत है, इसलिए वित्त मंत्रीजी ऑफिसर्स को बचाने के लिए कह देते हैं---ऐसी बात नहीं है। मैं कहता हूं, यह सदन जनतन्त्र का बहुत बड़ा मन्दिर है, वित्त मन्त्री जी इस बात पर विचार करें। इस बात पर पूरी तरह से सोचना चाहिए, लेकिन हम रोज कहते हैं और आज गोयल साहब ने इस प्रश्न को रखा है कि किस ढंग से सैल्स टैक्स ऑफिसर को इस बात की आज्ञा दी और कैसे सरक्यूलर निकाला और लोगों ने अग्रिम टैक्स भरा। यह गलत है। मैं समझता हूं, वित्त मंत्री जी हिदायत करेंगे कि सेल्स टैक्स ऑफिसर इस ढंग से काम न करें और व्यापारियों को परेशान न करें।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था वित्त मंत्री जी को, राजस्थान के अन्दर सैल्स टैक्स नम्बर लेने की सीमा 3 हजार दी है, वह अनाज के मामले में है। अनाज के मामले में बाहर से आयात करने वाले के मामले में पांच

(श्री गोरधन सोनी)
हजार रख दी गई है, जो माल आयात करते हैं, उनको पांच हजार के टर्न ओवर पर सेल्स टैक्स नम्बर लेना पड़ेगा और पांच हजार के टर्न ओवर पर लेना पड़ेगा। जो अनाज का व्यापार करता है उसके लिए पांच हजार का टर्न ओवर कर दें और जिसका आयात नहीं हो उसके लिए पाच हजार से दस हजार करदें—इससे लोगों को राहत मिल सकती है। अगर उचित नहीं समझते हैं तो मैं जोर नहीं देता हूं, लेकिन पांच हजार अनाज के व्यापार की सीमा है यह बहुत कम है इससे ग्रामीण व्यापारियों पर अन्याय होता है पांच हजार की सीमा का मतलब होता है, एक ग्रामीण व्यापारी पन्द्रह रुपये रोज का अनाज बेच देता है तो उसको सेल्स टैक्स लाइसेन्स लेना पड़ेगा और सेल्स टैक्स लाइसेन्स लेने के बाद में उसको इन्सपेक्टर के द्वारा तकलीफ होती है और कितनी ही हिसाब किताब रखने की परेशानी होती है। सभापति महोदय, आप जानते हैं और वित्त मन्त्री जी भी जानते हैं अनाज के मामले में जहां बाजरा, ज्वार पर एक पर्सेन्ट का सवाल है, कोई लम्बा सवाल नहीं है। ग्रामीण आम तौर पर लाइसेन्स भी नहीं लेते, छोटा मोटा काम करने पर लाइसेन्स लेते नहीं है। तो कानून के आधार पर, न्याय के आधार पर यह सीमा पांच हजार कर दी जाय, मैं समझता हूं, ग्रामीण व्यापारियों को इससे फायदा मिलेगा और सरकार को नुकसान नहीं होगा।

इसके सिवाय, सभापति महोदय, कुछ बातें, ऑफिसर्स की बातें सदन के सामने आई। जो विभाग के अधिकारी अनियमितता करते हैं, अत्याचार करते हैं, अनाचार करते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। (समय-समाप्ति सूचक घंटी) अभी समाप्त करता हूं। एक प्रश्न मैं उठाऊं, नागौर सी. टी. ओ. त्रिवेदी ने मेड़ता के व्यापारी एसोसियेसन से पच्चीस सौ रुपये अकाल राहत नाम पर लिये। यह मामला सदन में आया था और वित्त मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि मैं जांच करा लूंगा। इस मामले में जहां तक मुझे मालूम है, कोई जांच नहीं की गई है। वित्त मन्त्री द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह ऑफिसर की पावर नहीं है कि पच्चीस सो रुपया किसी मामले में किसी व्यापारी एसोसियेशन से लेंवे, उसको चन्दा करने का अधिकार नहीं है। अगर उसने चन्दा किया तो क्या हुआ, गलत हुआ और वह कहां गया? इसकी जांच करने की जरूरत है। अगर मनमानी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ और बुरा काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी और सरकार उदासीन रहेगी तो राज्य अधिकारियों की हिम्मत बढ़ेगी और ऑफिसर्स अनियमितता करने के आदी हो जायेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि आपने इन्क्वायरी कराई तो उसका क्या नतीजा रहा? या आपने इन्क्वायरी कराई या नहीं जो, गलत ढंग से काम करते हैं, एस. टी. ओ. चन्दा इकट्ठा करते हैं उनके बारे में क्या कार्यवाही करना, वित्त मन्त्री महोदय, पसन्द करते हैं? इस तरह का जो काम करते हैं, मैं चाहूंगा, उनके बारे में? जवाब दें। इतना कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन : सभापति महोदय, मेरे दो तीन कटौती प्रस्ताव हैं। एक तो जो प्राइवेट बस जिला झालावाड़ में चल रही हैं, उनके बारे में है और उनका जो कर बाकी रहता है उसके बारे में है। झालावाड़ से बालूता रोड़ का तीन बस का परमिट दिया हुआ है, लेकिन एक बस चलती है। दो बस का लगभग तीन साल से काफी रुपया जमा नहीं हुआ है। न ही कोई कुर्की का आर्डर दिया जाता है और न ही रुपया वसूल होता है। गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लोगों को परेशानी होती है, फिर भी अधिकारी वर्ग उससे पैसा लेकर नाजायज ढग से छोड़ देते हैं। दो गाड़ी नहीं चलाई जाती हैं, एक गाड़ी चल रही है, इससे लोगों को परेशानी होती है। इस रूट पर सौ गांव आते हैं, परन्तु किसी दूसरे व्यक्ति को परमिट नहीं दिया जाता है। यह कह देते हैं, स्कोप नहीं है। बकानी से अकलेरा की दो गाड़ी पड़ी हैं, उनमें हजारों रुपया कर का बाकी है, और गाड़ी खड़ी हुई है। दूसरी गाड़ी नहीं चलाई जाती हैं। इसके अलावा इन गाड़ियों की हालत इतनी खराब है कि लोगों को बैठने में परेशानी होती है। क्योंकि गाड़ियां कम हैं इसलिए लोग ऊपर बैठ जाते हैं। आप गाड़ियां कैसे पास करते हैं? आफिस में बैठकर ही आफिसर गाड़ियां पास कर देते हैं। इससे लोगों को परेशानी हैं। मैंने यातायात मन्त्री जी को अब तक पांच बार लिखा है लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसका कारण यह है कि जिस समय चुनाव आते हैं, जैसे अभी नगरपालिका का चुनाव आये, लोक सभा के मध्यावधि चुनाव आये तो गाड़ी वालों से, ट्रक वालों से काफी पैसा विभागीय तौर पर चन्दे के नाम से, रिश्वत के नाम से वसूल किया। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वह पैसा कहां गया। इसके अलावा लोगों पर पाबन्दी लगा दी, उनकी गाड़ियां ले ली जाती हैं। जिलाधीश झालावाड़ ने चुनाव के पहले 19 तारीख को गाड़ियां लगभग चार सौ, जीप, मोटर, बस, ट्रक आदि मंगा ली और मांगने के बाद उन लोगों को कह दिया, जो चन्दे में पैसा देगा, उसकी गाड़ी छोड़ देंगे। उनको चुनाव के नाम पर आवश्यकता थी, पैसा उनसे लिया। इस प्रकार ट्रक मांग लेने के कारण बस मांग लेने के कारण गाड़ियों के साधन न मिलने के कारण लोगों को परेशानी हो गई। सब जिलों में, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक में 26 तारीख को बसें ली गई, परन्तु झालावाड़ में 19 तारीख को कई बसें और ट्रकें मांगकर लोगों को परेशान किया गया, और 19 तारीख से 22 तारीख तक पैसा लिया गया, चन्दा लिया गया, वह कोई रसीद के बिना लिया गया और हजारों की तादाद में पैसा लिया गया। कुछ बसों को छोड़ दिया गया। जिसको छोड़ना चाहा, उसको छोड़ दिया, जिसको रखना चाहा उसको रखा। मैं निवेदन करूंगा, इसकी जांच होनी चाहिये कि कितना रुपया लोगों से लिया गया और किस प्रकार से लोगों को परेशान किया गया? इसी प्रकार से चन्दे के नाम पर दबाव देकर रुपया वसूल होता है और करों की चोरियां होती हैं। लोगों में हजारों रुपया बाकी है लेकिन वसूल नहीं हो पाता है। मैं निवेदन करूंगा कि झालावाड़ से सी. टी. ओ. का ऑफिस हटा दिया गया है इस कारण से काफी टैक्सों की वसूली में कमी आ रही है, और राज्य

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

की इन्कम में कमी होती जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि गत अधिवेशन में मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि सी. टी. ओ. का ऑफिस वहां वापिस खोल दिया जायगा, उसके बारे में विचार कर रहे हैं। मेरा निवेदन है उसकी वजह से सैलसटैक्स को काफी चोरी हो रही है और मोटर वाले टैक्स दे नहीं रहे हैं। इस कारण से वहां व्यापारी वर्ग को भी कोई चेक करने वाले नहीं है, कर वसूल करने वाला नहीं है। इस कारण झालावाड़ और झालावाड़ जिले में जो दूसरे टैक्सों से पहले इन्कम होती थी वह भी रुकी है। उसका रिकार्ड, और उसका नक्शा भी बताया गया था, परन्तु आज तक उस पर विचार नहीं किया और न ऑफिस खोला है। अब मैं निवेदन करूंगा कि सी. टी. ओ. ऑफिस वहां पर फिर चालू किया जाय।

श्री सभापति : श्री मदन सिंह ! आप थोड़ा समय लेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास: तीन माननीय सदस्य उधर से बोल चुके हैं।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : सभापति महोदय, जहां तक बिक्री कर का सवाल है, मैं समझता हूं, अधिक कर गरीबों पर लगता है। इसके सम्बन्ध में वित्तमंत्री जी खुद भी जानते हैं। मैं कुछ शराबबन्दी के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। मुझे मालूम है, कुछ माननीय सदस्यों को बुरा भी लगेगा, जब तक इस काम में अपने को नहीं डालें और कटिबद्ध नहीं हों तब तक यह बन्द नहीं हो सकता है। हमारे मेहता साहब हमेशा शराबबन्दी के लिए फर्माते हैं, मैं विश्वास दिला कर कहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो स्त्री समाज है, वह अस्सी नब्बे पर्सेन्ट हैं, जो शराब नहीं पीता है, आप उनका संगठन बनाकर घर घर से लेकर लाठियां लेकर ठेकों को फोड़ डालें तो शराबबन्दी हो जायगी। ठोस कार्यक्रम नहीं है, केवल यह आदत बन गई है। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, अन्यथा राजस्थान में यह करवा सकते हैं और यह चीज बन्द हो सकती है। मैं कहता हूं कि स्त्री समाज की इस काम में मदद ली जानी चाहिए। वह आपका साथ दे सकती हैं, अगर वास्तविकता से ठोस कार्यक्रम चलायें अगर वह तरीका नहीं है तो वास्तविकता यह है कि आज सेक्यूलर स्टेट में आप शराबबन्दी का वैसे हल्ला कर रहे हैं जैसे अंग्रेजी के लिए हल्ला होता था कि अंग्रेजी नहीं चाहिए। आज अंग्रेजी की जरूरत है क्योंकि आप आज इधर चाहते हैं कि विश्व से सम्पर्क करें और सारी दुनियां में घूमें और संपर्क रहे तो जब तक सेक्यूलर स्टेट रहेगी उस समय आप शराबबन्दी करेंगे तो भी कोई न कोई परमिट या डॉक्टर के सर्टीफिकेट के जरिए शराब बिकती रहेगी। ज्यों ज्यों शराब की कीमत बढ़ेगी त्यों त्यों गलत शराब जाएगी क्योंकि उसकी कम कीमत ली जाती है इसलिए या तो शराब उसमें कम करें। 4 या 5 बोतलें पीने वाला रोज 10 पी सकता है लेकिन शराब की बोतल एक से ज्यादा नहीं पी सकता है। मैं थोड़ी सी सही बातें आपके सामने रख रहा हूं। प्राचीन काल में एक सर्टेन कम्यूनिटी शराब पी सकती थी। बाकी पर प्रतिबन्ध था। हरिजनों को शराब पीने के लिए सजा थी। उनमें पीने का माद्दा था आज प्रजातंत्र होगया, ब्राह्मण भी पीते हैं, सब पीने लग गए। बाकी यह कहना कि जो शराब पीता है वह चरित्र हीन होता है

(श्री मदनसिंह)

वह सही नहीं है। मैं एक करोड़ आदमी बता दूं जो शराब नहीं पीते हैं लेकिन चरित्रहीन हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, सब चीजें करते हैं। इसलिए शराब बन्द करने का एक तरीका है और मैंने पहले भी सजेशन दिया था जैसे विधान में लिखा है ऑल ड्रिंक्स इन्जूरियस टू हेल्थ सुड बी बैन्ड, मेहता साहब को भी सजेशन देता हूं कि अगर सारी शराबबन्दी करते हैं तो सरकारी स्तर पर बीयर की शराब करें तो कोई 10 बोतलें भी पीयेगा तो मरेगा नहीं। वह स्वास्थ्य के लिए नुकसान नहीं करेगा, फूड का काम करेगा। विदेशों में जर्मनी व अन्य देशों में खाने के साथ जैसे पानी पी जाते हैं वहां बीयर पीते हैं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : बीयर बहुत महंगी होती है।

श्री मदनसिंह : सरकार उसके 8 आना रख दे। सरकार को इससे ज्यादा फायदा होगा।

श्री विजयसिंह : महंगी या सस्ती आती है, आपको कैसे पता ?

श्री सुरेंद्र व्यास : सब पता है। आज एक्साईज की डिमांड्स पर बोलने के लिए तैयारी करके आए हैं।

श्री मदनसिंह : आज जहर पीने के लिए तैयार हैं लेकिन बीयर का जूस सरकारी लेविल पर कम कीमत में बेचेंगे तो उतना ही पैसा आयेगा। एक मजदूर 4 बोतलें पीयेगा तो भी वह मरेगा नहीं। दिमाग खराब नहीं होगा। सारा दिन मजदूरी करके आया हो तो वह बीयर पी सकता है। अन्यथा मेहता साहब आपको रकम मिली है शराबबन्दी के सिलसिले में 6 माह में खर्च करा दें....

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह कौनसी रकम मुझे मिली, मेरी जानकारी में नहीं है। मैं मानता हूं, कोई समिति, चूंकि आपने कह दिया है, एक सलाहकार मंडल है उसकी सदस्यता से भी मैं त्याग-पत्र दे देता हूं क्योंकि सरकार मद्य निषेध की नीति पर चलती तो है नहीं, लेकिन आपको कैसे भ्रम हो गया? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पैसा नहीं मिल रहा है और जो पैसा मिलेगा उससे शराब बंद नहीं होगी।

श्री मदनसिंह : मुझे तो ऐसा मालूम हुआ कि एक लाख रुपया इस समिति को इस आन्दोलन के लिए मिला था। अगर एक लाख मेरे पास होता तो हिन्दुस्तान से इस सरकार को बाध्य करता.... ....

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप माथुर साहब से जरूर लें लेकिन.......

श्री मदनसिंह : फिर त्याग करें, आंदोलन करें इससे तो अच्छा मैं सुझाव देता हूं कि जो जहरीली शराब है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसान करती है, उसको समाप्त करें केवल मैंने जैसे सजेस्ट किया है, इस चीज को तय कर दें, यह अच्छा होता है बीयर पीना जैसे भांग पीते हैं गांधीजी ताड़ी पीते थे उसमें नशा आता था.......

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या कह रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण : गांधीजी ताड़ी पीते थे यह बिल्कुल भ्रांतिपूर्ण और गलत है।

श्री मदनसिंह : आप तो सारे उनके चेले बैठे हुए हैं.... ....

श्री दौलतराम सारण : यह एतिहासिक तथ्य है जो आपकी जानकारी में नहीं है तो गांधीजी के नाम से न कहें।

श्री मदनसिंह : गांधीजी ने गुजरात में ताड़ी पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया था। उनके कार्यकर्त्ता थे वह गुजरात में आज भी ताड़ी पीते हैं उसमें वही नशा है जो बीयर में है। मेहता साहब आज कई ऐसे 80 प्रतिशत गलत शराब बनाते हैं या ठेकेदार हैं, अर्जुन स्टोर में जायेंगे वह शराब नहीं पीता है.... ....

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप भूल से नीरा को ताड़ी समझ रहे हैं। ताड़ी के बारे में गांधीजी ने क्या कहा है? वह नीरा होगा।

श्री मदनसिंह : उसमें नशा आता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बिल्कुल नहीं आता है। जब फर्मेंट आती है उसको डिस्टल करेंगे तब शराब बनती है।

श्री मदनसिंह : भारतवर्ष के अन्दर जो ब्राह्मण पीते हैं उसमें नशा नहीं होता।

श्री बिरदाराम : ताड़ी बरफ में रहने से नशा नहीं होता है। बर्फ में रहने से ताड़ी में नशा नहीं आ सकता है, वह ठंडी रहती है।

श्री विजयसिंह : इसलिए अंग्रेजी शराब में सोडा डालकर पीते हैं इसलिए नशा नहीं आता है।

श्री मदनसिंह : मेरे लिए सम्भव नहीं है। धर्मराज मे ही हो सकता है। हिन्दू कोड बिल शराब से बुरी चीज नहीं है? गोहत्या शराब से बुरी चीज नहीं है? ब्राह्मण और बनिये बरदाश्त नहीं करते लेकिन आज वे रूस और अमरीका में पीते हैं। यहां बरदाश्त नहीं होता है बल्कि इस चीज को चरित्र का आधार बनाते हैं। इसलिए मैं सही सुझाव देता हूं कि बीयर का प्रयोग करें। शराब को बन्द कर दिया जाए क्योंकि थोड़ा बाकी मेहता साहब कहेंगे, वह तो बोतल को देखते ही भागते हैं। एक तो खराब चीज फिर उसके साथ कोई चोरी करे, चोरी से पीए इसके बजाए इसकी कीमत कम करें। अगर आप टोटली मद्य निषेध चाहते हैं तो डॉक्टर कासलीवाल है जैन है वह कहते हैं कि बीयर स्वास्थ्य के लिए नुकसान नहीं करता है, शराब तो ऐसी चीज है जो चाहे कोई भी भाव हो, शराब देखते ही आदमी पीता है और पीते ही जूते खाने की आदत है। वकीलों में भी देखा है। अच्छी से अच्छी वकालत चलती है। खून बढ़ाने वाली चीज है। खाना अच्छा कर दे। मजदूर हेल्दी होंगे जैसे वित्त मन्त्री हैं! मेहता साहब ने भी कहा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्पेशियल स्पीच सुनने के लिए माधोसिंह जी आये हैं।

श्री मदनसिंह : हेल्दी इसलिये हैं कि अच्छा खाना खाते हैं। वाई डोंट यू कन्ट्रोल हाउ टू लीड ए गुड लाइफ। अच्छी जिन्दगी तब ही मिलेगी। डॉक्टरी दृष्टि से आवश्यक समझते हैं। मद्रास मैसूर में भी जनता यह चाहती है। आन्दोलन से साबित कर दें कि जनता यह चाहती है। ऐसे कई घर हैं जो शराब नहीं पीते है। मेरे हाथ में गवर्नमेन्ट हो तो खुद मैं रुकवा कर ठेके के अड्डों को तुड़वा दूं।

श्री **सभापति** : श्री मोहनलाल मोदी।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : मोहनलाल मोदी की जगह पर मेरा नाम दिया है।

श्री सभापति : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): सभापति महोदय, सदन में चर्चा सुनने के बाद हमें यह लगा कि 72 के बजट के ऊपर हम विचार नहीं कर रहे हैं किन्तु 41 में राजशाही थी, वैसे ही कानून अभी भी लगा रखे हैं और चलने दिया है। इन्दिरा गांधी नयी हवा मुल्क में लेकर आयी हैं। उनके बल पर चले जा रहे हैं। जनतन्त्र का मुखोटा पहिन कर चल रहे हैं लेकिन जनतन्त्र से कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं। सैल्स टैक्स, एनटरटेनमैन्ट टैक्स और मोटर व्हिकल टैक्स इनको आप देख लीजिये। टैक्स आप केवल वसूल करना चाहते हैं।

जनतन्त्र हमारे जीवन की एक कला है। ओबिडियेन्स टू ला। रूल ऑफ ला। यदि हम इसको सुनियोजित कर सकते हैं तो हमारा जनतन्त्र पनपेगा। 54 में बने हुए कानून आज 71 में चल रहे हैं। एक तरफ सैल्स टैक्स के कानून को देखते हैं और दूसरी तरफ महाजन जो व्योपार करने वाला है उसके हाथ पैर, अंगुली, मुंह, आंख, नाक कान, शरीर का प्रत्येक अंग इससे बंधा हुआ है। कोई अंग नहीं बचा है। सारे शरीर को जकड़ कर रख दिया है। कहीं बाहर निकल कर चल नहीं सकता। डीलर को इतना बांध दिया है और बाकी कहीं बच गया तो प्रोविजो लगा दिये हैं और यह सोचा गया है कि कहीं वह निकल न जाय। पहले लाल किताब हुआ करती थी उसके अन्दर यह कहा जाता था कि एक नाका का केस लगता है। लाल किताब में लिखा था 6 महीने की सजा। उठा कर खोड़े में डाल दिया जाता था। सैल्स टैक्स का बिल चला था उस समय भी यही बात कही थी। हर जगह पेनेल्टी। इधर टैक्स उधर टैक्स, उधर बन्धन इधर बन्धन। इधर पेलेन्टी उधर टैक्स। रोटी कमा कर खाने से मजबूर है। टैक्स नहीं दिया है कि लैंड रेवेन्यू के अनुसार वसूल करवा लीजिये एग्जीक्यूशन तो कराइये। इन कानूनों से आपका यह जनतन्त्र नहीं टिकेगा। कानून को आपको बदलना होगा लेकिन आपने सोचा ही नहीं।

इन आंकड़ों का क्या करें ? 95 हजार केसेज बाकी हैं। फिर सैल्स टैक्स ऑफिसर क्या करते हैं बैठे बैठे ? जिनका असेसमैन्ट नहीं हुआ है। गांवों की हालत को देखिये। सैल्स टैक्स का इन्स्पेक्टर या अफसर, जिस प्रकार यमदूत का नाम लिया जाता है, गांव वाले यमदूत समझ कर यह समझते हैं कि मौत आगयी है। आप जनतन्त्र को कायम रखना चाहते हैं लेकिन अपने अधिकार दे रखे हैं इस प्रकार के। कानून की बारीकियों को वह नहीं जानता है। इस कानून को 13 वर्ष भी वकील पढ़ लेगा तो नहीं समझ सकेगा एक साधारण गाव का आदमी क्या समझेगा। इतनी उलझन भरा हुआ यह कानून है।

श्री मदनसिंह दांता : आप ही पास करवाते हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : विदेशों में सैल्स टैक्स किनको तंग करता है बड़े बड़े करोड़पतियों को। यहां पर तो घर में

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

कोई वस्तु पड़ी हो तो उसको उठा कर ले गये। मोटर व्हिकल्स टैक्सेशन एक्ट के लिये छोटीसी बात कहना चाहता हूं। एल. एल. बी. सैकड़ों व्यक्ति पास करके बैठे हुए हैं। डॉक्टरों को आज यह मौका आगया है कि आप नौकरी नहीं दे पायेंगे। माननीय मन्त्री महोदय कहते हैं कि दो सौ रुपया देगें और गांवों में जावेंगे। किसी के कपड़े तो नहीं छीन लेगा? पचास हजार की गाड़ी। समाजवाद कहां आयेगा। नेशनेलाइज्ड रूट्स हैं वहां कम्पीटिशन को तो रोका गया है। ट्रक्स भर भर कर चले जा रहें हैं उनको कोई रोकने वाला नहीं। खुले आम कानून की अवहेलना होती है। इन्सपेक्टर को कहते हैं तो एक ही रहेगी। आप नियम बना दीजिये कि 67 से पहले की गाड़ियां नही चलेंगी। जब मैं यह कहता हूं तो आप कहेंगे कि कानून का पालन नहीं है। फ्रान्स, डेनमार्क आदि डेमोक्रेटिक कन्ट्रीज में यह व्यवस्था की गयी है नेशने-लाइज्ड रूट्स को छोड़ कर। वकालत करेगा तो कपड़े तो नहीं छीनेगा। पचास हजार की गाड़ी लगायी।

श्री विजयसिंह : कपड़ा तो क्या लोग नंगा कर देते हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : ट्रान्सपोर्ट की व्हिकल्स चल रही हैं। उसके लिये टाईम भी नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : रोडवेज और सेल्स टैक्स का लाखों रुपया बाकी है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : ओपनली टैक्सीज चल रही हैं। मोबाईल मजिस्ट्रेट गाड़ियां लेकर खड़े रहते हैं। मुझे आज कल तो दीखे नहीं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आप कब तक इस कानून को अपनी छाती से चिपका रखना चाहेगें? जिस कानून के द्वारा आदमी को राहत नहीं मिलती है। अजमेर टैक्सी गाड़ी जाती है वह दो घन्टे में पहुंचा देती है और आपकी बस साढ़े तीन घंटे लेती है। आप यह कानून बना दीजिये कि टैक्सी में पांच सवारियों से ज्यदा नहीं बैठेगी। यह आपका रास्ता नहीं है समाजवाद का। यह तो एक पूंजीवादी दृष्टिकोण है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसमें चेंजेज लाइये। 1969 में गवर्नमैंन्ट आफ इन्डिया ने एक्ट बदला है लेकिन सब की सब धाराएं ज्यों की त्यों रख दी हैं।

अब सभापति महोदय मैं एन्टरटेनमैन्ट टैक्स के बारे में कहना चाहता हूं। मेरा सजेशन यह है कि आप क्या नीति निर्धारित करने जा रहे हैं। एक करोड़ 38 लाख का एन्टरटेनमैंट टैक्स आपको मिल रहा है और राजस्थान में 122 सिनेमा घर हैं। मेरे एक मित्र हैं वे प्रचार कर रहे थे कि जयपुर में दो सिनेमा घर और बन गये हैं। मुझे लगा कि सिनेमा खोलना पाप है तो यह सरकार सही है और वह ऐसे पाप को रोक रही है। कहते हैं 7 लाख की पापुलेशन है जयपुर की मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूं जयपुर में सात लाख की पापुलेशन के उपर जो सिनेमाज है वे ठीक है? अच्छे से अच्छे सिनेमा जो बोम्बे और दिल्ली में है वे एक भी जयपुर में नहीं है। मोहन, रविन्द्र ठाकुर का उपन्यास है। उस मोहन नाम की एक सिनेमा फिल्म निकली और जब देखते हैं तो बड़े द्रवित होते हैं। आपने सत्यकाम का नाम सुना होगा और जिस

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

पर आप एग्जम्पशन करने को तैयार नहीं हैं। यह यहां पर इसलिये प्रदर्शित नहीं हो पा रही है कि इतना ऊंचा पिक्चर है, आदर्शवादी है कि जयपुर की जनता इसको देखना पसन्द नहीं करेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सत्यकाम के लिये दरख्वास्त आई है और वह रिजेक्ट हुई है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आपका अनुपात क्या रहा है। आप ऐसे पिक्चर को देखते हैं तो कुर्सियां फेंकते हैं, पर्दे फाड़ डालते हैं और जो ऐसी सेक्सी फिल्म होती हैं उनको आप एग्जम्पशन देते हैं। जो पिक्चर्स यहां पर चलती हैं उसमें आप एक सप्ताह का 16 हजार रुपये एन्टरटेनमैंट टैक्स वसूल करते हैं। सत्यकाम से इतना नहीं निकल सकता। धर्मेन्द्र यहां पर आया था। उसने कहा इस देश में अच्छे सिनेमा घर न हों तब तक अच्छी फिल्म बनाने की स्थिति पैदा नहीं हो सकती क्योंकि जनता उसको पसन्द नहीं करती है और कभी किसी ने प्रयत्न किया है, तो उस पर टैक्स मुक्त नहीं किया गया है।

श्री विजयसिंह : इसीलिये मनफूलसिंह जी ने दिल्ली में सिनेमाघर खोला है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : तभी भला होगा। आप लोगों में रुचि क्रियेट करने का प्रयत्न नहीं करते है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य यहां पर अभी भाषण कर रहे थे। मैं उनके भाषण में यह जानने के लिये इच्छुक था कि रशिया में जो सिनेमा घर है क्या उनसे एन्टरटैनमैन्ट टैक्स वसूल किया जाता है। वहां पर हर स्कूल और हर अस्पताल में सिनेमा घर है और हर चौराहे पर सिनेमा घर हैं। और हमारे यहां पर देख लीजिये। अगर मेरे पर बुढ़ापा और उत्तर आये तो मैं कहूंगा बच्चों को सिनेमा नहीं देखना चाहिये, बिगड़ जायेंगे, सत्यानाश हो जायेगा। यह सिनेमा अच्छा नहीं है। परन्तु यह कहने का उनके पास कोई आधार नहीं है। मैं इस प्रदेश की कहानी कहना चाहता हूं यहां पर 122 सिनेमा घर हैं और इस सिनेमा घर वालों से, जयपुर का अन्दाज लगा लीजिये एक हफ्ते में 16 हजार का एनटरटेनमेन्ट टैक्स वसूल होता है तो एक महिने का 64 हजार और साल का साढ़े सात लाख ये सिनेमाघर वाले आपको देते हैं और इसीलिये ये सिनेमा घर वाले अच्छी पिक्चर नहीं लेते हैं और मनमानी करते हैं। एक जापान को ले लीजिये, 13 करोड़ की बस्ती हैं और वहां पर 16 हजार सिनेमा घर हैं। इस फीगर को आप देख लीजिये और निर्णय कीजिये। सिनेमा घर एज्यूकेशन देता है, चरित्र का निर्माण करता है और अच्छे चित्र से भविष्य बनता है तो उससे टैक्स को आप वसूल मत करिये और उससे आपको मालूम हो जायेगा कि लोगों की प्रवृति इधर भी है। परन्तु आप हरेक से एन्टरटेनमैन्ट टैक्स ले रहे हैं उसको किसी शिक्षा पर भी खर्च करने का आपने सोचा है। आज तक एक पैसा खर्च किया है और नहीं किया है तो आपको कोई अधिकार नहीं है। तो इसकी आज बड़ी आवश्यकता है। तो मैं यह निवेदन करता हूं कि जो ऐसी पिक्चर्स हो जो आदर्श चित्र हों और जिससे देश के चरित्र का निर्माण होता है तो वह एक

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

पिक्चर है सत्यकाम और उसको आप देखते हैं तो एक उमंग होती है। एक आदमी का कितना आदर्शमय जीवन होता है और जो रिश्वत लेता है वह कितना दूर है। यह हमारे देश में बनी है। जो एक कलात्मक पिक्चर है और ऐसी कलात्मक पिक्चर हमारे जयपुर के सिनेमा घरों में चार साल के बाद नहीं लगे तो यह सोचने की बात है। एक पिक्चर बने है बूंदसी, इसमें सारे देश को ललकारा है और अगर आप इसको देखेंगे तो हमारी नसें फड़क उठेंगी। और आप सोचेंगे कि हमारे देश में ऐसी पिक्चर का भी निर्माण हो सकता है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि सिनेमाटोग्राफी एक्ट के तहत आप कितने सिनेमा हाऊसेज बनाना चाहते है। मैं कहता हूं आप खुले आम छूट दें और अधिक से अधिक बनने दें। जयपुर में देखिये क्या हाल है एक लाम्बा साहब है टाउन प्लानिंग में, एक यू. आई. टी. है, तो कितनों से ही इसके लिये परमीशन लेनी होती है। आप यह न समझें कि मैं इनकी पैरवी कर रहा हूं। परन्तु मैं चाहता हूं कि आप इस पर कोई निर्णय लें कि आप क्या चाहते हैं। आज सिनेमा एज्युकेशन देते हैं और यदि सिनेमाज चरित्र का निर्माण नहीं करते हैं और चरित्र का नाश करते हैं और आपके बच्चों को बिगाड़ते हैं तो मैं आपके साथ हूं और जो चल रहे हैं और आपकी सेन्शरशिप के बाद यह हाल है तो अधिक से अधिक इनको मौका दीजिये। महाराष्ट्र में 900 सिनेमा हाऊस हैं और हमारे यहां पर 122 क्या इससे महाराष्ट्र में चरित्र खत्म हो गया। मद्रास में 1345 सिनेमा हाऊस है। महाराष्ट्र का एन्टरटेनमेंट टैक्स 6 करोड़ 50 लाख का है और मद्रासक 10 करोड़। आपके मैसूर में 700 सिनेमा हाऊसेज हैं और राजस्थान में 122 तो यहां पर भी सिनेमा की संख्या बढ़ा दीजिये यहां अगर पाप का प्रसार नहीं होने देना चाहते हैं तो। हमारे संकुचित धर्म का माद्दा रखने वालों की ऐसी भावनाएं हैं। परन्तु यदि यह एज्यूकेशन देता है बच्चों का भावो निर्माण करता है तो उसके लिये कोई बीच का रास्ता नहीं निकालें। रास्ता एक होगा, एक ही प्रिन्सीपल तय होगा अगर आप चाहते हैं कि सिनेमा घर खुलें। आज टेलिविजन शिक्षा का एक बहुत बड़ा माध्यम हो गया है। इस तरह आप अन्धेरे में नहीं रह सकते। प्रकाश को आने दीजिये जो दुनियां में आ रहा है। जापान और हमारे चरित्र में कई गुना अन्तर है। 13 करोड़ की आबादी है और 16 हजार सिनेमा घर हैं। रूस जैसे देश में हर स्कूल और अस्पताल में सिनेमा घर हैं। वहां पर सब चीजें होती हैं। वह वहां पर कल्चर का बेस है और आज हमारे यहां पर सिनेमा क्या हैं? इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आप खुले आम इसको छूट दीजिये। आपका इनसे 1 करोड़ 38 लाख का एन्टरटेनमेन्ट टैक्स निकालते हैं तो उसके बाद दो करोड़, तीन करोड़ का होता हुआ। देर नहीं लगेगी और सिनेमा में अच्छे पिक्चर को आने दीजिये और तब आपके चरित्र का निर्माण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री देवेन्द्र कुमार।

(अनुपस्थित)

श्री किशनलाल वर्मा (अनुपस्थित)

(श्री सभापति)
श्री विजयसिंह ! जल्दी समाप्त करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, कांग्रेस के सदस्यों का नाम पुकारा और वे नहीं हैं तो कांग्रेस के दूसरे सदस्यों को मौका दीजिये।

श्री सभापति : पहले तो जिनके नाम है उन्हें ही कहूंगा। बाद में आपको भी समय दूंगा।

श्री विजयसिंह (मकराना) : सभापति महोदय, कहते हैं सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। जयपुर के अन्दर दो डिप्टी कमिश्नर बन रहे हैं और जयपुर को दो भागों में बांट रहे हैं····

एक माननीय सदस्य : ये दो भाग कौन से ?

श्री विजयसिंह : ये एक्साईज के····

श्री गिरधारीलाल व्यास : पुराने जमाने की बात कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह : मैं आपके ऊपर भी आऊंगा-पांच मिनिट बाद। तो सभापति महोदय, इस जयपुर को दो हिस्सों में बांट दिया एक तो हमारे मंत्री साहब के भाई जान और दूसरी तरफ हमारे मंत्री महोदय की बीवी के भाई जान। इन दोनों को रखना है—दोनों का संघर्ष और वित्त मंत्री जी को बीचों-बीच ले लिया गया। अब दो पाटों के बीच हमारे वित्त मन्त्री जी को रखा गया है। दोनों को एक जगह रखने का तरीका क्या होगा, यही सोचना हैं, परन्तु इससे खर्च कितना बढ़ेगा यह भी कभी अकल से काम लिया और अगर आप उनकी पोस्टिंग ही करना चाहते हैं तो जयपुर शहर में क्यों पोस्टिंग करते हैं। गांव में क्यों नहीं करते हैं—मौजमाबाद में कर दीजिये। चौमूं रहा आपकी बहुत फर्स्ट-क्लास जगह। जयपुर शहर में ही क्या बात है। इस तरह करके आपने राजस्थान की जनता का हित नहीं किया। सभापति महोदय, मैं आज शराब की बोतलों का जाम बांध दूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अब तो अच्छे बोल रहे हैं।

श्री विजयसिंह : मुख्य सचेतक महोदय के लिए कह रहा हूँ। आप हमारे लोक-प्रिय, आदरणीय स्व. पं. जवाहरलाल नेहरू लोक सभा में कहा करते थे, फेन्टास्टिक नानसेन्स। तब मैंने कहा इसी तरह की बात की जैसे नेहरू जी ने फेन्टास्टिक नानसेन्स कहा उसी तरह की बात है····

श्री गिरधारीलाल व्यास : श्रीमान जी आपने बड़े जोश में आकर वह बात कही।

श्री विजयसिंह : अच्छा है, आप लोग भांग पीते हैं और हम लोग शराब पीते हैं—एक ही बात है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वह तो पुरानी बात है।

श्री विजयसिंह : सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रकार का प्रश्न राजस्थान में आता है और राज-स्थान की सरकार जयपुर को डिवाइड करना चाहती है यह कहां तक वाजिब है। मैं गहराई में नहीं ले जाना चाहता हूँ लेकिन इस तरह करना न्यायोचित बात

Page No 157

(श्री विजयसिंह)

नहीं है। साल भर पहले मैंने मेहरीलाल जी जो अब डिप्टी कमिश्नर एक्साइज हैं। वे शराब की बोतलें लेकर जारहे थे और उनकी गाड़ी की रास्ते में टक्कर हो गई और वे शराब की बोतलें फूट गईं। इस प्रकार जो नाजायज शराब ले जा रहे थे वह सब बोतलें फूट गईं। मैंने स्वयं ने जाकर आबू में तफतीश की कि वास्तविकता क्या है। वास्तव में वे मोटर में शराब की बोतलें ले जा रहे थे। रास्ते में उस गाड़ी का एक्सीडेन्ट हो गया और सभापति महोदय खास बात यह है कि एक आदमी को पकड़ने के लिये जारहे थे। अब उस गाड़ी का नम्बर क्या था वह आदमी कौन था इस तरह की सब बातें झूंठी बता दी। मनगड़न्त करके बता दिया गया। इसलिए मैं मेहता साहब एक निवेदन करना चाहता हूं इस शराब की रोक थाम करनी है और सरकार को बदलना है तो शराब को छूट दे दीजिये और खूब छूट दीजिए। शराब पी पी कर पागल हो जायेंगे और उस पागलपन में सब कुछ भूल जायेंगे। यह एक तरीका हो सकता है। मैं यह नहीं कहता कि शराब अच्छी चीज है। शराब बहुत बुरी चीज है.........

(मा. गिरधारीलाल व्यास के व्यवधान करने पर, अश्रव्य)

मैं तो भुगत भोगी हूं, वह सब जानते हैं। माधोसिंह जी आपके भी वहां पर स्विमिंग पूल के अन्दर शराब की बदबू आती है....

श्री माधोसिंह : वह तो आपके ही....(अश्रव्य)

श्री विजयसिंह : सभापति महोदय, कहने का मतलब यह है जो राज्य शराब की आमदनी पर चलता है वह राज्य नहीं है और शराब की आमदनी बहुत बढ़िया आमदनी नहीं हो सकती है। आपके पास बड़े बड़े दूसरे साधन हैं उनसे इतनी आमदनी तो निकल सकती है परन्तु शराब के ठेके द्वारा जो आमदनी आती हैं वह बुरी चीज है। विदेशों में शराब पीते हैं तो वहां के लिए तो ठीक है क्योंकि वहां ठंड है। सर्दी की वजह से पीनी पड़ती हैं। आप भी हिमालय में चले जायं तो वहां आपको शराब पीनी पड़ेगी और नहीं पीयेंगे तो नमूनिया हो जायगा। बीमार होते हैं तो डॉक्टर भी शराब देते हैं वह चाहे किसी अंश मे दे और चाहे किसी रूप में दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसीलिए तो हाउस को भी ऐयर कन्डीशन किया हुआ है। शराब पीकर आते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदय, समय समाप्त हो रहा है। यह मांग पारित होने तक के लिये समय बढ़ा दें।

श्री सभापति : मांगों के पारित होने तक के लिये समय बढ़ा दें या घंटा भर के लिये....

(कई मा. सदस्यों ने मांगों के पारित होने तक)

सदन की अनुमति से सदन का समय जब तक मांगें पारित न हो बढ़ाया जाता है।

श्री विजयसिंह : सभापति महोदय, आज बड़े बड़े नारे लगाती है और राजस्थान सरकार खुद कहती है हम 72 तक शराबबन्दी कर देंगे। 72 आने वाला है।

(श्री विजयसिंह)

हम भी जानते हैं और राजस्थान की सरकार भी जानती है शराब बन्द नहीं हो सकती है। शराब बन्द नहीं होने के कारण गरीब लोगों पर कितना बुरा असर पड़ता है। उनके घर बरबाद हो जाते हैं किन्तु जिनकी आदत पड़ जाती है उनको पीना पड़ता है। शराब पी पी कर घर की बरबादी करते हैं। आप यह समझते हैं कि शराब की कीमत ज्यादा करें तो शराबबन्दी होगी लेकिन जो पीने वाला है वह कभी रुकेगा नहीं। पीने वाला रुकता नहीं है, क्योंकि गांवों में प्राइवेट में इतनी शराब की भट्टियां हैं कि वे खुद शराब बना लेते हैं। सभापति महोदय, मैं यह भी जानता हूं कि आपके पास इतनी फोर्स है कि उन भट्टियों को पकड़ सके किन्तु ज्यादा फोर्स लगाना भी राजस्थान के हित में नहीं है क्योंकि इससे खर्च ज्यादा होगा। परन्तु जिन लोगों को पकड़वाते हैं उनको सजा मिलनी चाहिये। लेकिन एक तरफ आपके अधिकारी ही उनको नहीं पकड़वाते हैं और समझते हैं नाजायज शराब से होता क्या है और उससे कुछ पैसे लेकर कम्पाउन्ड कर देते हैं। एक तरफ लोग सोचने लग जाते हैं खूब बना बना कर बेचो 100–50 रुपये देकर छूट जायेंगे। शराब वाली पार्टी जाती है वह भी उनके साथ हो जाते हैं। इस वजह से राजस्थान भर में इतनी शराब चलती है—हांलाकि बम्बई ड्राई एरिया है किन्तु वहां पर सुनते हैं इतने तेजाब और स्प्रिट पीने से मर गये इसलिए जिनको आदत होती है वह पीते हैं। मेरा निवेदन है कि इस शराबबन्दी को लागू करना चाहिये इसमें देरी नहीं करनी चाहिये और जो सिनेमा के बारे में है। मैं तो सिनेमा के बारे में यहां तक समझता हूं आजकल के जो सिनेमा हैं वे महा पाप हैं, गुनाह हैं। सिनेमा में कुछ भी नहीं होता। एक स्टोरी है एक लड़का और एक लड़की, उनमें आपस में प्यार हो जायगा और शादी हो जायगी और शादी होकर खेल खत्म हो जायगा।

श्री मदनसिंह : आप भी तो चौहान हैं। चौहानों के क्या आदर्श हैं। एक लड़का और लड़की····

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

(4·59 म. प.)

आप भी तो उठाकर ले जाते हैं।

श्री विजयसिंह : इसमें कोई बात नहीं है····

श्री रामानन्द अग्रवाल : जीवन की समरी यही है।

श्री विजयसिंह : इसमें कोई बात नहीं है। परन्तु सिनेमा में जो स्टोरीज हैं, सबको देख लीजिये एक ही टाइप की स्टोरी मिलेगी। न चरित्र बनाने की बात आती है न किसी प्रकार की बात है, जेब काटने वालों को बतायेंगे कि जेब किस प्रकार काटी जाती है, गुण्डागर्दी करने वालों को बतायेंगे कि किस प्रकार गुण्डागर्दी होती है और बदमाशी करने वालों को बताया जाता है किस प्रकार बदमाशी होती है। उससे बुरा असर पड़ने की, नाजायज हरकतें करने की इस प्रकार की प्रवृत्तियां शहर में बढ़ती जा रही हैं। उसके अलावा सिनेमा वाले केवल एक ही बात

(श्री विजयसिंह)

देखते हैं कि पैसा किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो। तो पैसे की प्राप्ति के लिए वे चीप सिनेमा बनाते हैं, परन्तु सरकार को चाहिए कि ऐसे सिनेमा अपनी स्टेट में मत एलाऊ करें जो कि चीप सिनेमा हैं और जिनका बुरा असर पड़ता है। इसके बाद सभी अपने आप अच्छे सिनेमा बनाने लगेंगे और अपन चाहते हैं वह सिनेमा बनायेंगे और अच्छे आदर्श के सिनेमा बना सकेंगे। रेशमा और शेरा का क्या सिनेमा बना है? क्या कहानी है और क्या चीज है। लेकिन वे आपकी पार्टी को चन्दा देते हैं इस वजह से आप उन लोगों को पनपा रहे हैं। क्यों नहीं चैकिंग रखते हैं और चैकिंग है कहां? मैं खुद आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कई दफा मैंने डीडवाने के अन्दर देखा है कि आबकारी विभाग के लोग ठेके से शराब लेकर पीते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक जनसंघी वकील हैं उनके घर से आ रहा था तो उनके घर के पास ठेका पड़ता था तो मैंने देखा कि आबकारी का ड्राइवर खुद शराब की बोतलें लेकर आ रहा था तो आप लोग किस पर किस तरह से कन्ट्रोल करेंगे। आप जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं उनके आदर्श को बनाइये।

तो मैं सिनेमा के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि राम और सीता जैसे चरित्रवान व्यक्तियों के बारे में सिनेमा बनाये जाते हैं और जिनके बारे में ऐसी ऐसी किताबें लिखी हैं और उन किताबों में किस प्रकार का उनका चरित्र बताया है कि नारी का आदर्श, चरित्र कैसा होना चाहिए, और व्यक्ति का चरित्र कैसा होना चाहिए, तो वो ऐसे चरित्रवान व्यक्तियों में किस तरह से ये बताते हैं कि किस प्रकार से वे प्रेमालाप करते हैं। इस प्रकार से यह जो बताया जाता है वह खेद की बात है। इसी वजह से जो हिन्दुस्तान के लोग हैं और खास तौर से जो गरीब तबके के लोग हैं वे इस बात को लेकर बिगड़ते जारहे हैं। वह जब यह देखते हैं कि सिनेमा में उस आदमी का जिसने इस तरह से किया था कुछ नहीं हुआ, एक कोर्ट बैठा दी गई और उसमें दो-चार वकील बोलते हैं और फिर वकीलों को बताकर उस मामले को समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो झूठी बातें बताते हैं तो यह बहुत ही खराब दिशा है।

आप लोग सिनेमा पर टैक्स माफ कर देते हैं तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी सिनेमा पर किसी भी प्रकार से टैक्स माफ नहीं करना चाहिए। एक तरफ तो यह राज्य घाटे में जा रहा है और दूसरी तरफ आप टैक्स माफ करके लोगों को फायदा दिलाना चाहते हैं, उनको ओब्लाइज करते हैं। उससे कोई किसी को फायदा नहीं होता है। एक आदमी सिनेमा देखना चाहता है तो चार, आठ आने टैक्स का दे। तो राजस्थान में इस छूट से कोई फायदा नहीं होता है। टैक्स माफ नहीं होगा तो भी सिनेमा खचाखच भरा रहेगा और टैक्स माफ होगा तो भी खचाखच भरा रहेगा। सिनेमा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो आपकी आमदनी पर फर्क पड़ेगा, आपके विकास पर फर्क पड़ेगा।

इसके अलावा कम्युनिस्ट नेता—उनकी पार्टी में वे एक ही हैं इसलिए उनको नेता कहूंगा उन्होंने यह फरमाया कि बीकानेर दरबार ने इस प्रकार से टैक्स की चोरी की लेकिन

(श्री विजयसिंह)

मैं उन भाई सहाब को बता देना चाहता हूँ कि जो खरीददार हैं वह आनन्दसिंह कछावा एक करोड़पति पार्टी हैं और कांग्रेस के लोग हैं तो जितनी गलती बेचने वाले की है उतनी ही खरीदने वाले की है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे जो भी हों लेकिन वास्तविकता यही है।

श्री विजयसिंह : उन्होंने इस प्रकार से टैक्स की चोरी नहीं की। पहले ही मां और बेटे के नाम से करवा दिया था। दूसरी बात यह है कि सरकार केवल एक ही तरफ की बात रखना चाहती है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों तरफ की एन्क्वायरी होनी चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जरूर।

श्री विजयसिंह : जिन्होंने खरीदा है उन्होंने क्यों नहीं सोच-समझकर लिया? उसको क्या पता नहीं कि टैक्स की चोरी हो रही है या क्या हो रहा है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य मैं आपकी बात मानता हूँ।

श्री विजयसिंह : प्रोपर्टी जो बेचता है वह नहीं, पर खरीदने वाला स्टाम्प ड्यूटी देता है तो खरीदने वाले की ज्यादा जिम्मेदारी होती है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें एग्रीमेंट था 50-50 का। चोरी कहीं भी हो चाहे स्वतन्त्र पार्टी में हो या कांग्रेस में दोनों ही बुरे हैं।

श्री मदनसिंह : वह बुरा है कि एक ओर का साथ दे। आप बीकानेर महाराजा का नाम बारबार ले रहे थे और आनन्दसिंह कछावा का नाम नहीं ले रहे थे। क्या आप चाहते हैं कि बीकानेर दरबार आपको बुलाकर आपकी खुशामद करें?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको पता नहीं है कि वह आनन्दसिंह कछावा नहीं बंगानी है।

श्री विजयसिंह : उनका सिनेमा हाउस उन्होंने लिया है तो ऐसे एक आदमी पर वह नहीं आता है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) परन्तु एक आदमी को बचाया जाता है और एक आदमी के खिलाफ एन्क्वायरी की जारही है, यह गलत है।

सभापति महोदय, मैं इस सरकार से, हालांकि इतने साल हो गये निवेदन करते हुए लेकिन क्रियान्वित नहीं किया, इसलिए ऐसी निकम्मी सरकार को निवेदन करना बेकार है पर इतना मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूँ या प्रेरणा देना चाहता हूँ कि अगर आपको राजस्थान राज्य को सुचारु रूप से चलाना है और राजस्थान राज्य की इनकम को अगर आपको बढ़ाना है तो मैं आपको दो ही तरीके बताता हूं कि एक तो सिनेमा पर टैक्स है वह बिल्कुल किसी भी सिनेमा को किसी भी तरह का एक्जेम्पशन मत दो, और दूसरा यह है शराब के बारे में कि जो इल्लीगल शराब बनती है और बिकती है उनको पकड़ते हैं तो उनको कठोर से कठोर दण्ड दें और हैवी से हैवी पैनाल्टी लगायें, ताकि राजस्थान राज्य का उद्धार हो सके और उसको सुधारने में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकेगा और जो आपने वायदा किया है शराबबन्दी के लिए तो उसके लिए आपको कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए

Page No 161

(श्री विजयसिंह)
और शराबबन्दी करना चाहिए, वरना इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा।

श्रीमती सभानेत्री : श्री सुरेन्द्र व्यास!

श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक): सभानेत्रीजी....

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा नाम लिया है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री सुरेन्द्र व्यास!

श्री रामचन्द्र आर्य : यह नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी का सिर्फ एक आदमी 5 मिनिट ही बोला है और कांग्रेस के इतने आदमी बोल गये हैं।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य! आप स्थान ग्रहण करें। मैंने सुरेन्द्रजी का कहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभानेत्रीजी, राजस्थान के अन्दर इतने सारे टैक्सेज लगने के बावजूद टैक्सेज की रिकवरी पूरी नहीं हो, यह एक बहुत दुख का विषय ही नहीं है बल्कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति को डावांडोल करने वाला विषय है, और इससे ज्यादा खराब और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि मिडिल क्लास आदमियों पर जो टैक्स लगाया जाय तो किसी भी तरह की ज्यादती या अन्याय उनको सहना पड़े, कोई तकलीफ उठानी पड़े उनसे रिकवरी पूरी होती है और उससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है और बड़े बड़े आदमियों और बड़े बड़े बिजनेसमैनों पर जो टैक्स लगाया जाय तो उसकी रिकवरी नहीं हो यह वाकई दुःख का विषय है।

सभानेत्रीजी, अगर मैं निवेदन करूं तो सबसे पहले मैं एक्साइज डिपार्टमेंट की डिमाण्ड पर निवेदन करना चाहूंगा। आबकारी विषय को लेकर भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतें सामने आई हैं। विभिन्न ऑफिसरों और विभाग की कमजोरियों पर सदस्यों ने निवेदन किया। सभानेत्री जी, विभाग के अन्दर जो नीति और जो सिस्टम चल रहा है, जो गारन्टी सिस्टम चल रहा है उससे, शराब के चन्द ठेकेदारों ने, 5-6 ठेकेदारों ने बिजनेस को मोनोपोलाइज कर लिया है। पूरा बिजनेस उन लोगों के हाथों में इकट्ठा हो गया है। जिससे छोटे छोटे ठेकेदार पिटे और बरबाद हो गये। और राज्य कोष के अन्दर इस सिस्टम के कारण बड़ी हानि हुई है। सभानेत्री जी, मद्यनिषेध के बारे में सरकार अपनी नीति के बारे में क्या सोचती है, लेकिन माननीय मेहता जी इस बात से सहमत नहीं होंगे और हर पढ़ा-लिखा आदमी भी यह अनुभव करता है।

(व्यवस्था-सूचक-घन्टी)

श्रीमती सभानेत्री : मैं माननीय चौधरी जी (श्री पी. के. चौधरी) से निवेदन करूंगी कि वे रिलेक्सिंग मूड में न बैठकर अटेंटिव मूड में बैठने की कोशिश करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभानेत्री जी, शराब पीने की आदत एक सोशल ईविल है। लेकिन यह सोशल ईविल है, सामाजिक बुराई है। इसके लिए सोशल एज्यूकेशन की जरूरत है। मोरल एजूकेशन की जरूरत है। इसके लिए वालण्टरी आर्गनाइजेशन काम करें तो यह बुराई निश्चित रूप से दूर हो सकती है। गान्धी जी ने हमको मोरेलिटी का रास्ता बताया है।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

लेकिन कानून से वह सम्भव नहीं है। मैं ऐसा मानकर चलता हूं। सभानेत्री जी, एक्साइज डिपार्टमेन्ट में एक पूरी की पूरी फौज रहती है। शहरों में शराब की वैध रूप से बिक्री होती है। यह कहीं भी इल्लीगल हो तो पकड़ी जाती है। सभानेत्री जी, आज सभी तरफ से जो तथ्य आये हैं उनको दुहराने की जगह मैं इस सदन का ध्यान जयपुर के रामबाग पैलेस होटल की ओर आकर्षित करता हूं। टूरिस्ट होटल कोटा में भी इसी प्रकार से लोगों को शराब मिलती है। आप मद्यनिषेध की बात करते हैं लेकिन 'ए' क्लास होटल्स में, जिन में फारिनर्स आकर ठहरते हैं, आप जाकर देख सकते हैं। वहां जाकर शराब पी सकते हैं। सभानेत्री जी, रामबाग होटल में कोई भी माननीय सदस्य जा कर देख सकता है कि जयपुर के कितने लोग, कितने सम्पन्न लोग, वहां बैठकर लॉन पर शराब पीते हैं।

श्री विजयसिंह : खासा कोठी में भी यह होता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां यह मैं मानता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मिनिस्टरों के घरों में भी यह होता है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मिनिस्टरों के घरों में नहीं होता है, वहां तो रमी होती है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : रामबाग होटल में बैठकर शराब पीयें, वहां तो कुछ नहीं। लेकिन गरीब आदमी शराब पीता है तो उसको पकड़ ले जाते हैं। सभानेत्री जी, रामबाग होटल में बैठ कर शराब पीयें उन पर क्या एक्शन होता है? जयपुर के अच्छे अच्छे नागरिक वहां पर जाते हैं। किस किस प्रकार के लोग वहां पर जाते हैं। अच्छे अच्छे व्यापारी वहां पर जाते हैं। सरकारी अफसर वहां पर जाते हैं। कई गलत कामों के बीज वहां पर बोये जाते हैं।

श्री विजयसिंह : जागीरदार अब भी मौजूद हैं। आज भी जागीरदार मिनिस्टर हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, वह मिनिस्टर भी जागीरदार हैं।

सभानेत्री जी, आज भी वहां पर यह खिलवाड़.......

(अश्रव्य)

श्री लाभचन्द वैद : वह कितने दिन बाद बाहर निकलते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : रोज ही बाहर निकलते हैं।

वहां पर खुला कानून का उल्लंघन होता है। कोई पकड़ने वाला नहीं है। सभानेत्री जी, जयपुर में 300 बार चलते हैं। छोटे छोटे होटलों में लोग शराब पीते हैं। गरीब और मिडिल क्लास के लोग, सभी प्रकार के लोग वहां जाते हैं। सभानेत्री जी, उन बार वालों से माहवारी भी बंधा होता है। वह माहवारी भी लेते हैं। इस प्रकार काम चलता है। अगर वहां धर पकड़ चलती है तो रामबाग में भी होनी चाहिए। वहां भी धर पकड़ होनी

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

चाहिए। सभानेत्री जी, जो 300 बार चलते हैं, वह समाज को प्रतिबिम्बित करते हैं। अगर सरकार 300 को लाइसेन्स दे दे तो कितना पैसा आयेगा, जो कि गलत तरीके से अधिकारियों के पास जाता है। सरकारी कोष में आयेगा तो सरकार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। सभानेत्री जी, जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, एक्साइज डिपार्टमेन्ट के अन्दर सबसे बड़ी बात यह है कि हम कहते हैं कि गारण्टी सिस्टम में इतने पैसे की शराब निश्चित रूप से बेचनी पड़ेगी। इस विषय में अभी माननीय सदस्य बोल चुके हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि गारन्टी से एक आदमी को ठेका दिया जाता है कि इतनी शराब उठानी पड़ेगी। वह बेचे या नहीं बेचे यह उसका काम हो जाता है। उसकी मदद को सरकार ने यह खड़ा कर रखा है। लेकिन यह आवश्यक है नहीं। बेचना न बेचना, यह उसका नजरिया है, लेकिन जिस दृष्टि से सरकार अवैध शराब की बिक्री की रोक थाम करे तो, सभानेत्री जी, अवैध शराब की बिक्री से आमदनी एक्साइज डिपार्टमेन्ट को नहीं हो सकती है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, सभानेत्री जी, जो बड़े बड़े ठेकेदार काम करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि कितने केसेज गांवों में बनाये गये हैं? क्या यह सदन यह मानकर चलता है कि गांवों में यह शराब नहीं बनाई जाती है? सभानेत्री जी, यह बतायें कि कितने केसेज गांवों में बनाये गये हैं, कितने चालान किये गये हैं—तो सदन को आश्चर्य होगा—जानकर कि गांवों में खुली छूट है—वे अवैध शराब को बनायें और बिक्री करें। इसका कारण यह है कि बड़े बड़े ठेकेदार हैं, वह गांवों में इंट्रेस्टेड नहीं हैं। यह एक्साइज की रिपोर्ट है कि यह चन्द लोगों के लिए हो रहा है।

श्रीमती सभानेत्री : बिक्री कर।

श्री सुरेन्द्र व्यास: बिक्री कर, सेल्स टैक्स के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज बड़े बड़े अरबपतियों से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से टैक्स वसूल नहीं हो, उनके द्वारा टैक्सों की चोरी हो, और करोड़ों की तादाद के अन्दर चोरी हो, दूसरी तरफ मध्यम श्रेणी के दुकानदार को हर मामले में, टैक्स के लिए, टैक्स वसूल हो जाय, लेकिन फिर भी किसी टेक्निकल बात के लिए, जो उन्नीस बीस की हो, तंग किया जाय—तो इस तरीके से, इस आधार पर आप समाजवाद की ओर कभी अग्रसर होने वाले नहीं हैं। एक केस 1969 में कमानीज के खिलाफ बना था। उस केस की जांच के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या किया? दो साल में वह इन्क्वायरी कहां तक पहुँची? उस पर क्या कार्यवाही की गई है? यह आज तक किसी की जानकारी में नहीं है। मैं चाहूंगा, इस सम्बन्ध में जानकारी दें। इसी प्रकार डी.सी. एस. का टैक्स का मसला पहले यहां उठा था, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। वह भी एक तथ्य सदन के सामने आया है। इसके साथ ही आज कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जे.के. सिन्थेटिक्स के बारे में जिक्र किया था। इस प्रकार बड़े बड़े अरबपति और इतनी बड़ी बड़ी फर्म टैक्स का इवेजन करके चल रही है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो तो निश्चित रूप से आम आदमी पर, साधारण आदमी पर, मिडिल क्लास के आदमी पर, जो अखबार पढ़ता है, इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जब उसे अखबारों से यह मालूम होगा

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

तो उसकी इस सरकार से आस्था उठ जायगी, वह सोचेगा कि यह समाजवाद लाने वाली नहीं है। एक तरफ उसको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा और दूसरी तरफ टैक्स की चोरी के समाचार पढ़ेगा कि ऐसे आदमियों के खिलाफ टैक्स की रिकवरी बाकी है और सरकार कुछ नहीं करती है तो उसकी हमारे सिद्धान्तों से, हमारे कार्यक्रम से और हमारे एक्शन से आस्था उठ जायगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि.......

श्री जयनारायण सालोदिया : जगजीवनराम जी के नाम बाकी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सेल्स टैक्स में आज तक रूल्स नहीं बनाये गये हैं, 10 वर्ष हो गये हैं, लेकिन उसकी सुव्यवस्थित रूप से कार्यवाही आज तक नहीं की गई है। सभानेत्री जी, गाड़ियों पर........

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : गाड़ियों पर कर या गाड़िया पर कर ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : गाड़िया जो स्वयं अपने आपमें बहुत बड़ा कर हैं सदन के ऊपर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप वंचित हैं क्या ? आप तो दोनों बाप बेटे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभानेत्री जी, गाड़ियों के कर के विषय में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि टैक्सेज की वसूली नहीं होती है, आज ओवर क्राउडेड बसें चलती हैं, लाइसेन्स के बारे में, परमिट के बारे में कई प्रकार की चर्चायें सुनने को मिलती हैं—वह एक अलग मसला है। लेकिन, सभानेत्री जी, मैं कहना चाहता हूं, जो कन्ट्री साइड पर बसें चलती हैं, उनका एग्जामिनेशन, इन्सपेक्शन राज्य सरकार के अधिकारियों के द्वारा कभी किया जाय-यह व्यवस्था क्या की गई है ? उसमें उचित सुविधायें यात्रियों को प्रदान की जायं, ढंग की बसें हों, मॉडर्न फैसेलिटी जिनमें अवेलेबल हों, ढंग से आदमी उसमें बैठ सकें (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) दो मिनिट में समाप्त करता हूं।

श्री मदनसिंह : ऐसी अच्छी गाड़ी हों, there must be good roads.

श्री सुरेन्द्र व्यास : खैर, रोड्स तो जैसी हैं....

श्री दिग्विजयसिंह : बिना नम्बर की जो गाड़िया हैं, जिन्हें रजिस्टर नहीं कराते हैं छः छः महीने तक, वह चलती हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप कह देना, जब आपका नम्बर आये।

मैं निवेदन कर रहा था, आखिरकार जो व्यक्ति टिकट का पैसा देकर बसों में चलते हैं, तो उन्हें किराये के माफिक फैसेलिटी अवेलेबल हो, इस ओर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए।

आज मनोरंजन कर के विषय में बहुत चर्चा माननीय सदस्यों ने उठाई है, मैं केवल एक बात निवेदन करना चाहूंगा। मनोरंजन कर किन चित्रों पर माफ कर दिया गया और किन पर माफ नहीं किया गया—इस प्रसंग को एक मिनिट के लिए छोड़ दीजिये, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चैरिटी शोज पर मनोरंजन कर माफ कराने के लिए

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सेक्रेटेरियट के चक्कर लगाते लगाते, जूते रगड़ते-रगड़ते घिस जाते हैं लेकिन राज्य सरकार की ओर से एक निश्चित उत्तर मिलता है कि हमारी नीति नहीं टैक्स माफ करने की। मेरा निवेदन है कि एक अच्छे कॉज के लिए चैरिटी शो करते हैं, किसी इन्स्टीट्यूशन के लिए, किसी विशेष पर्पज के लिए, इसलिए राज्य सरकार को चैरिटी शोज के लिए ज्यादा उदारता से काम लेना चाहिए और उन पर टैक्स एक्जेम्प्ट करना चाहिए। चैरिटी शोज को टैक्स से एग्जेम्प्ट करने के सवाल पर कोई आरोप भी नहीं लगायेगी, क्योंकि ओबवियसली और एपरेन्टली वह सोशियल पर्पज के लिए होते हैं, इसलिए ज्यादातर चैरिटी शोज को टैक्स से एग्जेम्प्ट करना चाहिए।

इसके अलावा जैसा मैंने पहले सुझाव दिया था, आज की वर्तमान स्थिति के अन्दर, वर्तमान परिस्थिति के अन्दर, आज के जमाने में साधारण कृषक के लिए, मजदूर के लिए और विद्यार्थियों के लिए मनोरंजन का साधन सिनेमा के अलावा कुछ नहीं है। जहां तक यह सवाल है कि सिनेमा अमुक प्रकार के बनें, या अमुक प्रकार के नहीं बने—यह पब्लिक टेस्ट पर डिपेन्ड करता है, जैसे जैसे टेस्ट बनेगा, टेस्ट चेंज होगा, सिनेमा का पेटर्न भी चेंज होगा। लेकिन एन्टरटेनमेंट टैक्स लगाया भी नहीं जाय तो भी राज्य सरकार की तरफ से और कोई टैक्स लगा कर उसको कम्पेन्सेट कर लिया जा सकता है और यह उचित बात होगी क्योंकि सिनेमा एक मात्र साधन है मनुष्य के मनोरंजन का। आज मिडिल क्लास के आदमी सिनेमा देखने जाते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन इस टैक्स से पड़ता है। इसलिए स्टुडेंट और मजदूर पेशा लोगों को दृष्टिगत रख कर राज्य सरकार को चाहिए कि यह टैक्स माफ कर दे।

सभानेत्री जी, टैक्स माफ करना न करना एक अलग बात है, लेकिन अभी पैसा देने के बाद भी सिनेमा हाल में बैठते हैं वहां हाइजनिक कन्डीशन्स क्या हैं, वहां पर फैसेलिटी क्या हैं—इस बारे में राज्य सरकार की ओर से चैकिंग नहीं होती है और न राज्य सरकार द्वारा ध्यान दिया जाता है। यूरीनल्स का ऐसा बुरा हाल है कि डिजीजेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ऊपर अटेक करती हैं। सभानेत्री जी, दो रोज पहले मैं एक सिनेमा देखने गया था, मुझे इस बात को देख कर आश्चर्य हुआ, बालकनी में कूलर चल रहा था, और कूलर के साथ में पंखा चल रहा था। मैं बालकनी में बैठा था, आगे बैठा था, तो मैंने नीचे नजर डाली तो नीचे निम्न श्रेणी में कूलर बन्द थे और पंखे भी बन्द थे....

श्री विजयसिंह : फ्री पास से गये थे?

श्री सुरेन्द्र व्यास : फ्री पास से नहीं जाता हूं, टिकट लेकर जाता हूं।

श्री विजयसिंह : तब तो बन्द होने नहीं चाहिए थे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आज चूंकि बालकनी में इस प्रकार के लोग जाते हैं तो वहां व्यवस्था को स्वयं देखकर ठीक करा सकते हैं, पंखा चल रहा है या नहीं, कूलर चल रहा है या नहीं, गर्मी से बचने के साधन हैं या नहीं? लेकिन लोअर क्लासेज के लोग शिकायत नहीं कर सकते हैं और शिकायत करते हैं तो उनकी सुनवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
तो इस स्थिति की ओर भी राज्य सरकार को देखना चाहिए....

श्री विजयसिंह : आप समाजवाद लाना चाहते हैं और बालकनी में जाते हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : समाजवाद की परिभाषा में नहीं आता है यह। समाजवाद समझ जावेंगे तो यह समझ जायेंगे कि समाजवाद दर्जे से नहीं आता है। जिस व्यवस्था में गरीबी होती है, भुखमरी होती है उस व्यवस्था को आप पसन्द करते हैं। लोग आपकी जी हुजुरी आज भी करते हैं, ठाकुर सहाब के पैर लगाना चाहते हैं। आप समाजवाद चाहते हैं। आप सोचते हैं कि थर्ड क्लास में बैठने से समाजवाद आ जाता है आपको समाजवाद की परिभाषा का पता नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपको पता है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, काफी समय हो गया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं समाप्त कर रहा हूं। आधा टाइम तो, सभानेत्री जी, अन्य माननीय सदस्य खराब कर देते हैं।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा, राज्य सरकार को सब चीजों में प्रेक्टिकल एटीट्यूड लेकर इस बात की पूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए कि टैक्सेज का इवेजन नहीं हो। अगर टैक्स का इवेजन जारी रहा, और बड़े आदमियों द्वारा टैक्स का इवेजन जारी रहा तो हमारी समाजवादी नीतियों से लोगों की आस्था उठ जायेगी, वह अलग है, इसके अलावा राज्य की आर्थिक स्थिति संतुलित नहीं होने वाली है। आप कितने ही टैक्सेज नहीं लागायें या टैक्सेशन की प्रणाली में परिवर्तन कर लें, लेकिन जब आप इवेजन को नहीं रोकेंगे तब तक राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति संतुलित नहीं होने वाली है और न राजस्थान प्रगति करने वाला है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि राज्य के इन्ट्रेस्ट के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए टैक्सों की पूरी रिकवरी करनी चाहिए और मल्टी मिलियोनर्स पर एक छदाम भी नहीं छोड़ना चाहिए। यह व्यवस्था करके आप चलें।

श्री जयनारायण सालोदिया : सभानेत्री जी !

श्रीमती सभानेत्री : श्री भैरोंसिंह !

श्री रामचन्द्र आर्य : दोनों एक साथ बोलें। मेरा नाम बोला है।

श्रीमती सभानेत्री : केवल दो बोलने को बाकी हैं, एक बी. के. डी. के और एक जन संघ के।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदया, जिन विभागों के संबंध में यह चर्चा की जा रही है, उस पर चर्चा से पहले मैं बताना चाहूंगा कि 31 मार्च, 1970 तक एक्साइज ड्यूटी में 40 लाख रुपए की बकाया थी। टैक्सेज आन व्हीकल्स पर 4.76 लाख बकाया थी। सेल्स टैक्स के खाते में 2,06,74) की बकाया थी और इसी प्रकार टैक्सेज एण्ड ड्यूटीज में 55 लाख रुपए की बकाया थी। इसी के साथ साथ लोन्स एण्ड एडवान्सेज के खाते में, जिसकी मांग आज ही विचारार्थ है, 31-3-70 को

Page No 167

(श्री भैरोंसिंह)

189 करोड़ की बकाया रही। इससे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार जहां आय बढ़ाने की चर्चा करती है उसके साथ ही इस प्रश्न की घोर उपेक्षा कर रही है कि टैक्सेज से होने वाली आय राज्य सरकार के खजाने में जमा होती है या नहीं। इस बकाया राशि की मात्रा को देखने के बाद यह भी लगता है कि इतनी बकाया रहना यह राज्य सरकार की एफीयेन्सी पर आक्षेप है। लेकिन सरकार की तरफ से यह उदासीनता कोई संदेह से परे हो, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूं इस सदन में कई बार चर्चा हुई है कि राज्य सरकार लैण्ड रेवेन्यू वसूल करने में चाहे पंचायत समितियों द्वारा काश्तकारों को ऋण दिया हुआ है, उससे वसूल करने में जिस प्रकार की तत्परता और सख्ती से कानून और नियमों का पालन करती है उसकी तुलना में इन विभागों की बकाया वसूल करने में सरकार का बहुत ही ढीला दृष्टिकोण है।

आज वित्त मंत्री महोदय से जब प्रश्नोत्तरकाल में पूछा गया कि आबकारी विभाग को 1970-71 को कितनी बकाया है तो वह उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार 53 लाख रुपए की बकाया है। यह बकाया किस कारण से हो रही है, क्यों रहती है? इसका जिक्र बाद में करूंगा लेकिन मेरी सूचना के अनुसार 1968-69 में 39 लाख रुपए की ठेकेदारों में बकाया थी। 1969-70 में 40 लाख रुपए की बकाया थी और इस वर्ष 53 लाख रुपए की बकाया रही है। यह क्यों रहती है? एक्साइज नियमों में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी भी ठेकेदार में पहले की कोई बकाया हो तो न तो वह ऑक्शन में बिड दे सकता है न राज्य सरकार को उसको किसी प्रकार का लाइसेंस देना चाहिए। एक तरफ राज्य सरकार के नियम हैं दूसरी तरफ राज्य सरकार की बकाया है। या तो माना जाए राज्य सरकार को नियमों का पता नहीं है लेकिन यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि राज्य सरकार के स्वयं के नियम उनकी जानकारी में न हों। अब प्रश्न आता है कि राज्य सरकार इन नियमों को इन ठेकेदारों पर लागू करना नहीं चाहती है। इसका कारण क्या है? यदि एक्साइज विभाग के सारे इतिहास को और इस विभाग की पृष्ठ भूमि को आप थोड़ा गहराई से देखेंगे तो निष्कर्ष निकलता है कि यह विभाग सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सरकार की आय कैसे बढ़े, समय पर किस प्रकार से रकम जमा हो, इस बात की चिंता नहीं है। शराब कितनी बिके इसकी चिंता नहीं, मद्यनिषेध की नीति का कितना पालन हो रहा है, इसकी चिंता नहीं, चिंता एक रहती है कि ठेकेदारों के हित किस प्रकार सुरक्षित रहें। नियमों के विपरीत जिन ठेकेदारों में बकाया है उनको किसी प्रकार का ठेका या लाइसैन्स नहीं मिलना चाहिए। मंत्री महोदय उत्तर में बतायेंगे कि इतनी बकाया के उपरान्त के बाद भी किस प्रकार उन्हीं ठेकेदारों को लाइसेन्स मिले हैं, किस प्रकार से उन्होंने बिड्स लगाए हैं और ऑक्शन में अपने नाम ठेका कराया है। यह बात दूसरी है कि कई ठेकेदार बहुत चतुर हैं। एक ठेकेदार में यदि 20 या 50 हजार की बकाया है तो उतनी भुगतान वह नहीं करना चाहता है और ठेका लेने के लिए किसी

(श्री भैरोंसिंह)

बेनामी व्यक्ति को खड़ा कर ठेके की सारी प्रक्रिया करवाएगा और अप्रत्यक्ष रूप से ठेका लेकर काम करेगा।

सवाई माधोपुर जिले में केलादेवी का ठेका है या सवाई माधोपुर में या गंगापुर में ठेका हैं, उनसे शायद विभाग को नाराजगी होगी। विभाग के लोगों ने उनसे कहा बकाया है इस कारण तुम बिड नहीं दे सकते। तो उन्होने दूसरा तरीका निकाला, बेनामी व्यक्ति को खड़ा करते हैं जिसने कभी सेल्स टैक्स या आयकर नहीं दिया उस आदमी ने लाखों रुपए का ठेका ले लिया। इस प्रकार ठेकेदारों के हित सुरक्षित हैं। यदि लाइसेंस लेना है तो दूसरे वर्ष अधिकारी से मिलकर लाइसेन्स प्राप्त करेंगे। आपको ध्यान होगा कि शराब की बिक्री के सम्बन्ध में इस सदन में कई बार चर्चा हुई है। 1963 में शराब का ठेका नीलाम से दिया जाय या गारन्टी सिस्टम से इन्ट्रोड्यूस किया जाए, इन दोनों बातों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। भूतपूर्व वित्तमंत्री श्री कौल अजमेर से आए थे और अजमेर में जिस समय वह वित्त मंत्री थे गारन्टी सिस्टम पर शराब की बिक्री होती थी। उन्होंने राजस्थान में गारन्टी सिस्टम इन्ट्रोड्यूस किया, लेकिन उसके साथ वाइसिज भी आगे पैदा हुए और अन्त में स्थिति यह पैदा हो गई कि अजमेर, जयपुर, उदयपुर और कोटा के ठेकेदार गारन्टी मनीजमा नहीं करा सके। श्री कौल 1967 में चुनाव हार गए और नए वित्त मन्त्री जो ने विभाग संभाला। प्रश्न यह खड़ा हुआ कि गारन्टी सिस्टम में जितनी शराब की बिक्री नहीं हो सकी उसका खमियाजा सरकार उठाए या ठेकेदारों से वसूल किया जाए। मुकर्जी कमेटी बनी, उसने रिपोर्ट पेश की। राज्य सरकार द्वारा 28 लाख रुपए राइट ऑफ किए गए। जिन लोगों से गारन्टी मनी वसूल की जानी चाहिए उनको केवल एक आधार पर कि सरकार उनको समय पर शराब सप्लाई नहीं कर सकी इसलिए वह गारन्टी मनी जमा कराने की स्थिति में नहीं हैं, उनको राइट ऑफ किया गया लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जिन लोगों ने गारन्टी आधार पर शराब बेचने के लिए इश्यू नहीं किया जा सका उनको दूसरे साल उस समय इस बात का कन्सीडरेशन रखा गया कि पिछले वर्ष शराब सप्लाई न करने के कारण इन लोगों की जो हानि हुई उसकी पूर्ति के लिए इस वर्ष गारन्टी सिस्टम पर इस लाइसेन्स का रिन्यूअल किया जाये। तो जिस साल गारन्टी के आधार पर लाइसेन्स नहीं देंगे उन लॉसेज को मीट करने के लिए उन ठेकेदारों के लाइसेन्सेज ने क्सट इयर रीन्यू किए गए और लॉसेज को मीट किया गया उसके उपरान्त भी 28 लाख रुपए राइट ऑफ किया जाना किसी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता।

राजस्थान की जन लेखा समिति ने राइट ऑफ करने के फैसले की आलोचना की है। मैं चाहूंगा कि इस सारी स्थिति में पहला प्रश्न आता है शराब इश्यू नहीं किया जा सका है। शराब सप्लाई किया जाता है गंगानगर से। एक्साइज विभाग को प्रति वर्ष कितना शराब चाहिए, उसका रिक्वीजीशन भेजता है। लेकिन जो रिक्वीजिशन भेजा गया है उस रिक्वीजिशन के बारे में भी यह कहना चाहूंगा कि ज्यादा शराब गंगानगर से सप्लाई की गई है। या तो एनुअल रिक्वीजिशन भेजा वह गलत

(श्री भैरोंसिंह)

है, या शराब कम मांगा और बाद में कह दिया कि ज्यादा आवश्यकता है शराब की। यह भी साल के अखीर महीने में। ठेकेदार एकदम ज्यादा से ज्यादा डिमान्ड रखने की कोशिश करते हैं और एक महीने में सप्लाई नहीं कर सकते हैं तो गारन्टी सिस्टम से बचने की कोशिश करते हैं। मुकर्जी की रिपोर्ट को भी मैंने देखा है, जो आस्पेक्ट्स लिए हैं कहीं वास्तविक आधार पर टिकने देते नहीं है। वसूली करनी चाहिये थी और वह नहीं की गयी और वित्त मन्त्री जी ने 28 लाख रुपया राइट आॅफ करके सरकार को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सरकार दुबारा इसकी जांच कराये और विधान सभा के सदस्यों से जांच कराई जाय कि कितना रिक्वीजिशन किया है और कितना मैन्यु-फैक्चर किया है और क्या सप्लाई किया है। रिक्वीजिशन के आधार पर गारन्टी सिस्टम के अनुसार सप्लाई करना चाहिये था वह कहां रखा है और घाटा हुआ है। इसी प्रश्न पर विधान सभा में यहां पर चर्चा हुई है। ठेकेदारों को रियायत करने की इसमें गुन्जाइश रहती है इसलिए इसको रोका जाय। इसके स्थान पर आॅफर सिस्टम इश्यू किया जावेगा। यह दोनों ही चल रहे हैं। जहां जो चीज है, उसका लाइ-सेन्स देने की कोशिश की जाती है। आपने जो इस वर्ष ठेके दिये हैं एक तरफ आॅफर से और गत वर्ष लाखों रुपये के लाइसेन्स राज्य सरकार ने दिये कहीं 8 पर्सेन्ट और कहीं दस पर्सेन्ट की उसमें बढोतरी की है और जगह जगह लाइसेन्स दिया बढ़ोतरी के आधार पर। मैं जानना चाहता हूं सर-कार से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, गंगानगर और उदयपुर, इनके आंकड़े मैंने पहले भी बताये थे। फिर रेफरेन्स में लेना चाहता हूं। गत वर्ष जोधपुर में 31 लाख 1 हजार के थे और इस वर्ष 31 लाख 7 हजार। बीकानेर में 15 लाख 45 हजार इस वर्ष वही का वही। अजमेर में पहले गत वर्ष में 31 लाख था वह अब 34 लाख हो गया। जयपुर में पहले 47 लाख था तो अब इस वर्ष 47 लाख 70 हजार। गंगानगर में पहले 24 लाख था तो अब 30 लाख हो गया। उदयपुर में पहले 16 लाख 42 हजार था तो अब 18 लाख 24 हजार कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इतने ठेके हैं, कहीं 8 पर्सेन्ट कहीं दस पर्सेन्ट इस हिसाब से आॅफर सिस्टम लेकर लाइसेन्स फी बढ़ायी है, यह सब कुछ करने के पहले राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया था कि अमुक ठेकों का काम आॅफर सिस्टम से होगा और 8 पर्सेन्ट और 18 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी से होगा और अमुक ठेकों का काम आॅक्शन सिस्टम से होगा। सरकार ने यह करने से पहले निर्णय नहीं लिया, ठेकेदार का एप्रोच जिस लेवल पर सेटिस्फाई करने का प्रश्न आना चाहिये था उसने सेटिस्फाई कर दिया आॅफर से, आॅक्शन से लाभ उठाना चाहा वह उठा लिया और इस कारण से राजस्थान सर-कार को आय ठीक प्रकार से नहीं हो सकी। आय के बारे में कहना चाहता हूं कि बद-किस्मती है, डूंगरपुर-बांसवाड़ा, बाड़मेर-जैसलमेर इन चार डिस्ट्रिक्ट और 6 तह-सीलों में प्रोहिबिशन किया हुआ है। स्टेट को इससे इन्कम होनी चाहिये वहां पर इन्कम सरकार की गिरी है। 66-67 से वही स्टेगनेशन आता है। न तो वृद्धि और न ही विशेष प्रकार की कमी। शराब का क्रय उसी प्रकार होता जा रहा है, शराब की बिक्री उसी प्रकार होती जा रही है और गारन्टी और आॅफर सिस्टम के ऊपर

(श्री भैरोंसिंह)

ठेकेदारों का जिस प्रकार एक्स्प्लोयटेशन किया जा सकता है, किया जा रहा है। ठेकेदार की बात नहीं है। किसी प्रोडक्ट पर प्राइस निर्धारित न हो, दस रुपये के बदले ठेकेदार 20 रुपया ले ले, कोई रोकने वाला नहीं है। 20 रुपये की जगह 40 रुपया ले ले, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। यह विभाग सरकार के प्रति उत्तरदायित्व नहीं निभाता ठेकेदार के हितों को किस प्रकार से संरक्षित किया जाय, यही वह करता है। मर्जी चाहे जिस जगह दुकान लगानी हो, मर्जी चाहे जिस भाव से बेचे, कोई रोक नहीं। ऑफर सिस्टम से लेना चाहे ऑफर सिस्टम से ले, ऑक्शन सिस्टम से लेना चाहे, ऑक्शन सिस्टम से ले, बकाया चुकाना है तो चुकाओ और हजम करना है तो हजम करो। कहना यह पड़ेगा कि वित्त मंत्री नाम मात्र के हैं और दूसरे रूप में वित्त मंत्री सरकार के वित्त मंत्री नहीं है, ये तो ठेकेदारों के गुलाम मंत्री हैं और उनके हुक्म के अनुसार काम करने वाले हैं। एक एक पैसे (शेम शेम की आवाज) की चिन्ता करने वाला वित्त मत्री कैसे उन ठेकेदारों में बकाया छोड़े और आय की चिन्ता न करे और राजस्थान सरकार के द्वारा ठेकेदारों द्वारा जनता को लुट जाने दे उसकी भी चिन्ता नहीं, इससे बढ़कर भयंकर इनएफिशियेन्सी राज्य की इनकम के प्रति गैर जिम्मेदाराना तरीका अपनाना, दूसरा नहीं हो सकता।

सभापति महोदया, यह सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे भी कारण हैं। मैंने पूछा है कि जिस एरिया में शराबबन्दी कर दी है, वहां यह क्यों हो रहा है? गुजरात नजदीक है। जो गुजरात में अचीवमैन्ट्स हैं उनकी तारीफ तो करूंगा। जैसलमेर, सिरोही में जहां जहां शराबबन्दी की है, इन्डियन मेड फॉरिन लिकर वित्त मंत्री जी द्वारा जो काम किया गया है उससे यह मानना पड़ेगा कि मद्यनिषेध क्षेत्र घोषित नहीं हुए हैं। देशी शराब पीना चाहें तो वह पी सकता है और विदेशी पीना चाहे तो वह पी सकता है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : देशी शराब भी खूब पीते हैं।

श्री भैरोंसिंह : वह नाजायज है। आप कहीं चले जाइये जोधपुर डिविजन में। वृद्धिचन्द्र जी और मेरा दोनों का तो अनुभव है लेकिन बाड़मेर जिले में कितनी शराब चलती है कोई अन्दाज नहीं लगा सकते। हर आदमी शराब की बोतल लेकर चलता है। मद्यनिषेध का क्षेत्र है, लेकिन पकड़ना नहीं चाहते हैं कोई पकड़ेगा तो गेंदालाल जी आ रहे हैं, एक्साइज ऑफिसर हैं, गिरफ्तार करने वाला है नहीं, उनकी ट्रक से भेजी जाती है। नागौर में बेची गयी है और उनके एजेन्ट्स सेल कर रहे हैं। हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है। हमने बजट भाषण में भी कहा कि गेंदालाल जी माथुर वित्त मंत्री के रिश्तेदार हैं। यह ठेका गेंदालाल जी के नाम है। उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया है। शराब की खुले आम मद्यनिषेध क्षेत्र में बिक्री हो रही है। गिरफ्तारी नहीं होती है और होती है तो चालान नहीं होता है। इसके लिये एक प्रमाण सदन में प्रस्तुत करना चाहूंगा। गृह मंत्री जी और वित्त मंत्री जी दोनों ही बैठे हैं। गृह मंत्रीजी से कहूंगा कि आप

(श्री भैरोंसिंह)

इन्क्वायरी करना चाहते हैं क्या? हिन्दी की टेलीफोन डाइरेक्टरी को ले लें उसके पेज नं. 252 पर मोहनलाल का टेलीफोन नं. 27 है 27 नम्बर पर आप लगायेंगे तो गेंदालाल जी माथुर के मकान से बोलेंगे। इसको दस मिनिट पहले ही मैंने चैक किया है। मोहनलाल को नहीं वह कान्ट्रेक्ट गेंदालाल का है। गेंदालाल जी मथुरादास जी के रिश्तेदार हैं, भाई हैं। सारे मद्य-निषेध क्षेत्र में शराब की बिक्री खुले आम हो रही है। जहां शराब की बिक्री पकड़ी गयी इस सम्बन्ध में पिछली बार कह दिया गया है और मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। पुलिस, एक्साइज इन्स्पेक्टर और पेट्रोलिंग पार्टी ने गिरफ्तार किया रेड हैन्डेड पकड़ा और कोर्ट में जाकर केस कम्पाउन्ड होकर वह बरी हो जाय। माथुर साहब से कहूंगा कि एक्साइज डिपार्टमैन्ट की आमद बढ़ाना चाहें और वित्त मंत्री जी की हैसियत से बढ़ाना चाहें तो आप फैसला करें कि शराब के ठेके बेनाम लेते हैं उन्हें उस डिपार्टमैन्ट में नहीं रहने दिया जावेगा। और भी अधिकारी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हालत ऐसी हो गई है कि यहां पर प्रोहिबिशन का डिपार्टमैंट और शराब का एक्साइज़ का डिपार्टमैंट दोनों एक ही मन्त्री के पास में हैं और उसका दोनों पर एक ही प्रभाव पड़ता है। उनके सामने एक तरफ एक्साइज की नीति है और दूसरी तरफ प्रोहिबिशन की नीति है तो किस को लागू करेंगे। एक तरफ तो माथुर साहब है और प्रोहिबिशन कमिश्नर माथुर है, एक्साइज कमिश्नर माथुर है और गेरालाल जी भी माथुर है। यह तो राज्य ही इस प्रकार का है कि चाहे कितनी ही कोई शराब की बिक्री करे कहीं उसे पकड़े जाने का डर नहीं है। क्या आप लोग इस प्रकार से शराब की बिक्री कर सरकार की आय को बढ़ाना चाहते हैं, न तो सरकार की आय बढ़ रही है पर पब्लिक का पूरा पैसा जा रहा है। गांवों में आप चले जाइये, दस बारह रुपयों की बोतल 20 रुपयों से कम नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगी तो सप्लाई करने के लिये साईकिलों पर, मोटरों पर और गाड़ियों में घूम रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, सभापति महोदया, कि यदि वास्तव में इस प्रकार का इन्टरेस्ट शराब पीने वालों को बचाना है तो आप यह ईमानदारी से तय करिये मद्यनिषेध राजस्थान के पूरे क्षेत्र में लागू होगा। यह जो पार्शल वे में आप मद्यनिषेध आप लागू कर रहे हैं वह कभी भी सफल नहीं होगा। जोधपुर का एक्सपेरिमैण्ट हमारे सामने है और उस एक्सपेरीमैण्ट के आधार पर मैं यह कहने को विवश हूं कि आप इस तरह से मद्यनिषेध लागू नहीं कर सकते हैं और जहां जहां पर आपने मद्यनिषेध को लागू किया है वहां से भी आप उसको विड्ड्रा कर लीजिये ताकि वहां की आय सरकारी खजाने में जमा हो। वहां से जो आय हो रही है, वह सरकारी खजाने में जमा नहीं हो रही है और वह पैसा लोगों की जेबों में जा रहा है वह नहीं जायेगा। यह जो स्थिति इस प्रकार की बनी है तो इन तीन प्रश्नों पर आपको विचार करना होगा। पहला तो यह कि इसके सम्बन्ध में एक ही नियम बनने चाहिये। आपको ऑफर करना है या ऑफर सिस्टम को लेना है, गारन्टी सिस्टम को रखना है। दोनों ही बातों को लेकर आप साथ

(श्री भैरोंसिह)

साथ नहीं चल सकते । इस प्रकार की यह धांधली नहीं चल सकती और अगर चलती है तो मेरा आरोप है कि स्वयं के इन्टरेस्ट के बिना और कोई बात नहीं हो सकती है । तो आप यह फैसला करें कि ऑक्शन देना है या ऑफर रखना है। ऑक्शन का जो नोटिस आप निकालते हैं, वह भी मैंने देखा है। उस नोटिस के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं। कहीं आप ऑफर सिस्टम पर दे रहे है और कहीं 3 लाख बढ़ा दिया है, कहीं चार लाख बढ़ा दिया है और कहीं पर हजारों रुपया बढ़ा दिया है और इससे आप अपना पिण्ड छुड़ाना चाहते हैं। यह दोनों बातें आप कर रहे हैं। इस तरह से तो मैं कहता हूं कि आप ठेकेदारों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। केवल यह उसके लिये ही है और कोई कारण मेरी जानकारी में नहीं है। चन्दे की जानकारी जरूर मिली है। चुनाव के दिनों में लाखों रुपयों का चन्दा आपने लिया है। लेकिन वह पॉइन्ट ही प्रोटेक्शन देने का नहीं है : आपने इनसे 20 लाख का चन्दा लिया है परन्तु वह तो सेल्स टैक्स वालों से भी लिया है, ट्रान्सपोर्ट वालों से भी लिया है और सिनेमा वालों से भी लिया है। उनको कितना संरक्षण आपने दिया है। इसके अलावा भी और चीजें हैं। ठेकेदारों के साथ कश्मीर जाते है और कश्मीर में चीजें खरीदते हैं और उनका पेमेन्ट वे करते हैं। जिनका जिक्र नहीं करके मोटे तौर से ही मैं कहना चाहता हूं। आप लोगों को एक बात का फैसला करना चाहिये कि हम ऑक्शन से देना चाहते हैं या ऑफर सिस्टम से देना चाहते हैं।

श्री दौलतराम सारण : इस प्रकार की बात कह कर आप सदन को भ्रम में न रखिये। मेहरबानी करके यह बताने का कष्ट करें कि कौन किस के साथ कश्मीर गया है और किसने कितना माल खरीदा है। आपने सदन को जो जानकारी दी है उसको स्पष्ट करें। साधारण बीमारी की बात कह कर आप भ्रान्ति फैला रहे हैं और जब ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है तो पता नहीं कि कौन इसमें दोषी है।

श्री भैरोंसिह : खैर जो मैंने कहा है उससे भ्रम पैदा नहीं होगा। जो कश्मीर गये हैं, उनको पता है।

श्री मदनसिंह : जोशी गये थे।

श्री भैरोंसिह : सभापति महोदया, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैंने पिछले सत्र में भी कहा था कि इन्हीं गैरालाल जी साहब माथुर ने जोधपुर में लगभग 17 दुकान शराब की खोल रखी है और उसमें से 12 तो रैगुलर हैं और 5 इर्रेगुलर हैं, ऐसी मुझे जानकारी मिली है।

श्री दौलतराम सारण : तो क्या कश्मीर वृद्धिचन्द्र जी और रोशनलाल जी गये और उन्होंने माल खरीदा है।

श्रीमती सभानेत्री : आप बीच में न बोलें।

श्री दौलतराम सारण : हमें तो कोई जानकारी नहीं मिल रही है जबकि ये तथ्य की बात कर रहे हैं। कौन गये और किसने माल खरीदा।

श्रीमती सभानेत्री : उनको कहना होगा तो कह देंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह हमारे पर जो आरोप लगा रहे हैं, वह मिथ्या है।

श्री भैरोंसिंह : न रोशनलाल जी गये हैं काश्मीर और न वृद्धिचन्द्र जी और दौलतराम जी गये हैं और यदि ये गये तो ठेकेदार इनको माल खिलाने वाले भी नहीं हैं।

तो, सभापति महोदया, मैं यह कह रहा था कि जोधपुर में 17 दुकानें हैं शराब की और उसमें 12 रेगुलर है और 5 इर्रेगुलर। मेरे कहने के बावजूद भी चाहे वित्त मन्त्री जी यह कहे कि ऐसी स्थिति नहीं है, मैं उनकी जानकारी के लिये इन 17 दुकानों का फोटोग्राफ्स आपको दे रहा हूं जिनमें 12 दुकानें रेगुलर हैं और 5 इर्रेगुलर। आप इनको देख लें और उसके बाद जवाब दे दें कि क्या यह रेगुलर हैं। इसके अलावा, सभापति महोदया, इस कॉन्ट्रैक्ट के सिस्टम में और आफर के सिस्टम में एक चाल है। इनका एक ग्रुपिंग है। किन किन दुकानों को ग्रुपिंग में बिठायें और शहर के क्षेत्र से बाहर की दुकानों को भी शामिल कर ऐसा ग्रुपिंग बिठाया जाता है जिससे कि कॉन्ट्रैक्टर को माल लाने और ले जाने में सहुलियत होती है। इस ग्रुपिंग का पेटर्न भी एक नहीं है। जोधपुर का ग्रुपिंग अलग है, जयपुर का अलग है, बीकानेर का अलग है, अजमेर का अलग है, तो यह कहना पड़ता है, सभापति मोहदया कि यह सारी ग्रुपिंग की बात, ऑफर की बात, आउटस्टेंडिंग की बात या लाइसेन्स की बात यह सरकार नहीं करती है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट डिक्टेटर कराते हैं और इसलिये कराते हैं कि उन्होंने मन्त्री महोदय पर अपना प्रभाव जमा रखा है। कॉन्ट्रैक्टर के आंख दिखाने के बाद उसका डिक्टेशन होने के बाद हमारे मंत्री महोदय कोई दूसरा ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार इस मामले में फेल हुई है। जहां पर भी मद्यनिषेध लागू किया गया है सरकार फेल रही है। राज्य सरकार इस मामले में भी फेल हुई है कि राज्य सरकार उनको पर्याप्त मात्रा और एक कीमत पर शराब की सप्लाई कर सके। राज्य सरकार इससे आमदनी बढ़ाने में भी फेल रही है। राज्य सरकार का एक्साइज डिपार्टमैन्ट इस मामले में फेल रहा है। सभापति महोदया, उदयपुर के अन्दर लगभग 35 हजार रुपये की शराब कम पाइ गई। होना तो यह चाहिये था कि उसके ऊपर तुरन्त एक्शन लिया जाता लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसके ऊपर आज तक कोई प्रभावी एक्शन नहीं लिया गया है जिससे लोगों को पता लग जाये कि शराब के गबन का मामला यदि इस प्रकार से होगा तो इस प्रकार की कार्यवाही होगी। तो क्या राज्य सरकार इसकी जांच करेगी और उसको सजा देगी।

सभापति महोदया, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने कुछ लोगों को फॉरेन लिकर बनाने का लाइसेन्स दे रखा है। उदयपुर में मि० फली वालिया हैं उनको लाइसेन्स दे रखा है। वे शराब बनाते हैं और बेचते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि गंगानगर की शुगर फैक्टरी में बढ़िया से बढ़िया शराब चाहे जिन, बराण्डी, चाहै जैसी भी शराब चाहो वह वहाँ पर बन सकती है, वहां की डिस्टलरी में बनाई जा सकती है। गंगानगर में रॉ-मेटेरियल को

(श्री भैरोंसिंह)

कोई कमी नहीं है। जो पांच साल पहले परेशानी थी वह आज नहीं है। आज महुवे की कोई कमी नहीं है, मोलेसस की कमी नहीं है, रेक्टिफाइड स्प्रिट की कमी नहीं है। इस प्रकार रॉ-मैटेरियल की कोई कमी नहीं है। ऐसी हालत में नहीं समझता कि कैसे फली वालिया सहाव को किस आधार पर लाइसेन्स दे रखा है कि वे इन्डियन मेड लिकर मैन्यूफैक्चर करें और मिलिटरी और दूसरी जगह पर वह माल सप्लाई करें। राज्य सरकार की यह जो नीति है मैन्यु-फैक्चर के लिए लाइसेन्स देने की उसको वह तुरन्त बन्द करें लेकिन आज तक उसको बन्द नहीं किया गया है तो उस आधार पर सभापति महोदया, यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने कुछ मसलों पर, उन मसलों के ऊपर यह निर्णय लिया था कि सभापति महोदया कि जितनी भी शराब की बिक्री होगी वह सब राज्य सरकार के माध्यम से होगी और कोई दूसरा इस शराब के मामले में किसी प्रकार का दखल नहीं करेगा लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि आज गंगानगर की बनी हुई शराब बिकने के लिए आती है और लाइसेन्स होल्डर ले जाते हैं और वे केवल नाम मात्र के ले जाते हैं। बाकी वे लाइसेन्स होल्डर सब जगह अलग अलग ठेके देकर बैठे हैं। वह तो केवल एक बार राज्य सरकार से ठेका लेगा और अपने घरेलू तौर पर उस क्षेत्र के सारे ठेकेदारों को इकट्ठा करके बिक्री करेगा और वह उनसे रुपया वसूल करने वाला ऐजेन्सी रहेगा लेकिन सरकारी खाते में जमा नहीं करेगा।

सभापति महोदया, इसी प्रकार भांग की बात है। भांग की भी कमी है और राज्य सरकार को आय हो सकती है लेकिन राज्य सरकार इस आमदनी को भी नहीं करना चाहती है। यही सभापति महोदया, अफीम की हालत है। आज आप बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर की तरफ चले जाइये कोई ऐसा व्यक्ति होगा मुश्किल से 10 परसेंन्ट जिनकी जेब के अन्दर अमल न हो। अमल सब लेते हैं और सब लोग नाजायज तौर से अमल का क्रय-विक्रय करते हैं। यह किसी प्रकार का अपराध नहीं माना जाता है। मैं भी उधर गया था तो अमल से मनुहार करते हैं—वह नाजायज तौर से लाते हैं। मन्त्री महोदय, अगर आप जायेंगे तो आपको भी वहां अमल से मनुहार करेंगे। यह तो सबके साथ है। खुले रूप में होता है और सभापति महोदया, लार्ज स्केल पर होता है। इस तरह सभापति महोदया, बीकानेर के इन जिलों में अमल की बिक्री होती है। इससे राज्य सरकार को नुकसान होता है, और हिन्दुस्तान की सरकार को उसकी कीमत जाती है। उसको बेचने के लिये वह अमल स्मगलर को कम मूल्य पर देता है। आज राजस्थान में बहुत बड़ी काश्त इस बात पर चल रही है। काश्तकार को कम मुनाफा मिलता है, उसको सही कास्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। मैं पूछना चाहता हूं राज्य सरकार इसमें क्या कर रही है क्यों नहीं भारत सरकार से कहती है अमल की किसान को जितनी कीमत दी जानी चाहिये वह निश्चित रूप से दी जाय। उनको पूरी कीमत नहीं मिलने से यह स्मगलर का धन्धा और भी बढ़ेगा। अन्त में सभापति महोदया, एक निवेदन और करना चाहता हूं राजस्थान की सरकार बकाया के सम्बन्ध में बड़ी चिन्तित है। कही कोई काश्तकार की बकाया आ जाय तो राज्य सरकार उस

(श्री भैरोंसिंह)

गरीब का पिन्ड नहीं छोड़े और उसके माल की कुर्की हो जाय। यह एक स्टेटमेंट से साबित हो जायगा। 56-57 से लेकर विभिन्न उद्योग में राज्य सरकार ने जिस प्रकार जयपुर उद्योग को ले लें 56-57 में 60 लाख दिया फिर दिया 12 लाख और उसके बाद फिर दे दिया 25 लाख अब यह सारा लोन देने के बाद इसकी वसूली का प्रश्न आता है—यह वसूली कैसे हो? 60 लाख एक दिया, 12 लाख एक दिया और 25 लाख एक दिया इस तरह कुल मिलाकर 97 लाख रुपया इनको लोन का दिया। 97 लाख का लोन, तो केवल एक विभाग की तरफ से है और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का पैसा बकाया होगा, माइन्स का पैसा अलग होगा। लेकिन जो लोन के रूप में दिया आज उसकी रिकवरी कैसे हो। रिकवरी के नाम पर उसमें आज केवल 47 लाख जमा हुये हैं—50 लाख की बकाया है। 50 लाख की बकाया के लिये जो दलील दे उसको राजस्थान की सरकार स्वीकार करे। इसी प्रकार जे.के. सिन्थेटिक्स है वह सरकारी मंत्रियों के रिश्तेदारों को, लड़कों को सर्विस में ले ले। सरकारी अधिकारियों के लड़कों को सर्विस में ले ले तो फिर उस कन्सर्न से सेल्स टैक्स की वसूली नहीं हो पाती है, यह आप मानकर चलिये। मंत्रियों के भाई बन्द और रिश्तेदार साहू जैन की सीमेन्ट की ऐजेन्सी ले ले तो फिर बताया जाय किस प्रकार का कन्ट्रोल आपका उस पर रह सकता है। किसी भी हालत में वह कन्सर्न आपके कन्ट्रोल में आने वाली नहीं है और न ही आप उसको कन्ट्रोल में लेना चाहेंगे। आपके कानून और नार्म्स के अनुसार मंत्रियों के कन्डक्ट के सम्बन्ध में कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि यदि कोई मंत्री का भाई ऐसी किसी कम्पनी से जिसमें राजस्थान सरकार के शेयर हों और इन्ट्रेस्ट हो तो उसमें वह लेखा-जोखा नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मंत्री का भाई साहू जैन की सीमेन्ट की बिक्री की ऐजेन्सी ले ले तो हर स्थिति में साहू जैन पर कन्ट्रोल नहीं किया जा सकता है। मगर इतना ही नहीं है यह तो इनडाइरेक्ट बात है। इसी प्रकार डिनेचर्ड स्प्रिट की बिक्री के लिये यदि किसी मंत्री का भाई उसमें फंस जाता है तो उसमें वह ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार मुनाफा कमाये और उस मुनाफे के पीछे उस कन्सर्न की कन्ट्रोल की कोई बात नहीं रहेगी और उस पर से कन्ट्रोल नाम की चीज हट जायगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री महोदय से चाहे वह कोई एक्साइज का विभाग हो, चाहे कोई मनोरंजन कर की बात हो, मुझे ज्यादा नहीं कहना है लेकिन जो थर्ड क्लास पिक्चर होती है उनको तो आप कर से मुक्त कर देते हैं और दूसरी तरफ जैसे नाहर सहाब ने सत्यकाम पिक्चर के लिये कहा सारे हिन्दुस्तान में जिसकी प्रशंसा है। उसने अप्लाई किया लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया। इससे मंत्री महोदय के मानस का पता लगता है, मंत्री महोदय के सलेक्शन का पता लगता है कि किस प्रकार का उनका माइण्ड वर्क करता है और किस आधार पर उनका माइंड वर्क नहीं करता है। सभापति महोदया, आप सुनकर ताज्जुब करेंगी मनोरंजन कर की बकाया, पैसेन्जर टैक्स की बकाया। आप में वह हिम्मत नहीं, वह विश्वास

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं जो आप उससे पैसे वसूल कर लें। जो रकम राज्य सरकार को जमा कराई जानी चाहिये थी उसकी लाखों रुपयों की बकाया आज सिनेमाओं में निकल रही है। उसको यह राजस्थान की सरकार हजम करके बैठी है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं, सभापति महोदया, एक निवेदन और करना चाहूंगा। आज राजस्थान की सरकार जिस प्रकार गिद्द की स्थिति को लेकर चल रही है, मुझे दया आती है राजस्थान सरकार पर—मंत्री महोदय पर नहीं आती है, राजस्थान की जनता पर दया आती है और जो हमारे फाईनेन्स के रखवाले हैं, वर्तमान वित्त मंत्री जी जिनके हाथों एक पैसा सुरक्षित नहीं है। जो सैल्स टैक्स की, इन्कम टैक्स की आमदनी हो रही है आगे जाकर उसका कोई जरिया नहीं होगा। सभापति महोदया, एक प्रश्न मैं इस सदन में रखना चाहूंगा—आज कई बार रूट्स के नेशनलाइजेशन के बारे में कहा जाता है अमुक रूट को नेशनलाइज करेंगे और फलां फलां ट्रान्सपोर्ट की गाड़ियां चलनी चाहिये, यह मांग की जाती है लेकिन इस सदन को सुनकर ताज्जुब होगा और मैं समझता हूं इस मांग के पीछे माननीय सदस्य नहीं जानते होंगे, कितने घोटाले हैं। जो मोटरों के परमिट होल्डर हैं उसको जबरदस्त स्कैन्डल पैदा कर रखा है। एक बार कोई रूट नेशनलाइज कर दिया जाता है उसके बाद किसी को परमिट नहीं मिलता है, अब परमिट नहीं मिल सकता है तो 8-10 वर्षों से मोनोपोली चला रखी है। एक नेशनलाइजेशन की स्कीम को पब्लिश किया और उसके बाद जितने ऑपरेटर थे वे आज तक बैठे हैं न तो आगे नेशनलाइजेशन करते हैं और न उसको विथड्रा करते हैं लेकिन इनडाइरेक्ट पेट्रोनाइज करने के लिये वह लगातार चलाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में, सभापति, महोदया, आप अन्दाज लगा सकते हैं नेशनलाइजेशन में किस प्रकार करप्शन फैला हुआ है। नेशनलाइजेशन इनडाइरेक्टली किस प्रकार इन्ट्रोड्यूज किया गया है इसका आसानी से अन्दाज लगाया जा सकता है। एक बात और कहनी है आज के एक साल पहले माननीय वित्त मंत्री महोदय ने घोषणा की सैल्स टैक्स का सरलीकरण किया जायगा और उसके लिये एक कमेटी बैठायी जायगी जो सरलीकरण करेगी, दूसरे राजस्थान में मार्केटिंग फैसीलिटीज प्रोवाइड करने के लिये राजस्थान में हमारे यहां के प्रोडक्शन को मार्केट मिले। इस चीज की व्यवस्था करने के लिये बाधायें उपस्थित हो रही हैं उन बाधाओं को दूर करने के लिये सरकार एक कमेटी नियुक्त करने वाली है। मैं दोनों बातों के लिये पूछना चाहता हूं आपने कुछ कन्सेशन दिये लेकिन उसका आधार क्या है, किस आधार पर आप पहुंचे हैं? आज भी दूसरी स्टेट्स में कम हैं और हमारे यहां ज्यादा है। दूसरी स्टेट्स का प्रोडक्शन वहीं बिकता है और बाकी का राजस्थान में आकर बिक जाता है और राजस्थान में सभापति महोदया, आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि हैण्डीक्राफ्ट्स जितने भी राजस्थान के हैं, राजस्थान की जितनी भी कॉटेज इण्डस्ट्रीज हैं, राजस्थान की मीडियम इण्डस्ट्रीज हैं, राजस्थान के इण्डस्ट्रियल एस्टेट्स हैं और राजस्थान का और इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन

(श्री भैरोंसिंह)

है जयपुर में और राजस्थान में इसलिए नहीं टिक पाता है कि यहां पर टैक्स लगने से उनकी कीमत ज्यादा पड़ती है जो कि दिल्ली में जाकर वही चीजें 3 परसेन्ट का टैक्स देकर भी लायें जयपुर में और ट्रान्सपोर्ट चार्जेज सहन करें तो जयपुर की कॉस्ट से कम कॉस्ट आती है। तो सेल्स टैक्स ने राजस्थान की इण्डस्ट्रियल ग्रोथ को खत्म किया, इन्टरप्रेन्योर्स के इन्सेन्टिव को आपने खत्म किया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स को एग्जामिन करने के लिए एक हाई पावर कमीशन एपॉइंट करना चाहिए जो कि सारी कसौटियों को ध्यान में रखते हुए पड़ोसी राज्यों में टैक्स का ढांचा किस आधार पर है उस आधार पर राजस्थान की इण्डस्ट्रियल ग्रोथ को इस बात से प्रोत्साहन मिल सके और राजस्थान सरकार की आय भी बढ़े। इन्हीं बातों को कहता हुआ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव रखता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामचन्द्र। मुझे आशा है कि समय आप ठीक लेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : सभापति महोदय, मैंने आबकारी विभाग पर और कुछ कार्यों के सम्बन्ध में कुछ कटौती के प्रस्ताव दिये हैं। उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा हमें भी 5 साल हो गये और सेशन में कहते हैं इस विधान सभा में अनेक बार कर लगाये जाते हैं और सरकार की तरफ से अनेक बार घोषणाएं की गई हैं लेकिन आज तक नतीजा कुछ भी सामने नहीं आया है। मैंने इस सम्बन्ध में गंगानगर के इलाके के लिए कई दफा ऐसे प्रस्ताव भी रखे हैं, स्थगन प्रस्ताव भी दिये, कटौती प्रस्ताव भी मैं बराबर देता रहा हूं, लेकिन आज तक एक प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब माननीय श्री भैरोंसिंह जी ने आरोप लगाया और यह आरोप मैं हर साल सुनता आ रहा हूं, और उसी प्रकार के आरोप प्रत्येक वर्ष इस विधान सभा में लगते हैं, लेकिन कार्यवाही कुछ भी नहीं होती है, और वही पुराने आरोप, वही भ्रष्टाचारी तरीके और वे ही असत्य घोषणाएं होती रहती है। अभी इस विधान सभा में राज्य सरकार की यह भी घोषणा की हुई है कि सन् 72 की एक अप्रैल के बाद हम शराबबन्दी करेंगे। सन् 72 के बाद अगर इनकी सरकार बन गई तो यह कहेंगे कि यह मामला विचाराधीन है और नहीं बनती है और शराबबन्दी करने वाली सरकार कर देती है तो ये कहेंगे कि यह हमारी घोषणा थी, तो इस प्रकार से ये दोनों बातें हाथ में रखते हैं।

गंगानगर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर ठेके लगे हुए हैं, और कोई भी आचरण वाली सरकार इस प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकती है। स्कूलों के पास, मोटर स्टेण्ड पर ठेके हैं इस प्रकार से सरे आम जहां सार्वजनिक स्थान हैं, धार्मिक स्थान है उनके पास में ठेके हैं, अस्पताल के पास में ठेके हैं। तो इस प्रकार की कार्यवाहियों का मैंने बराबर विरोध किया है, लेकिन आज तक कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। नोहर के कस्बा में हाई स्कूल के पास में ठेका है। गंगानगर जिले में जहां भी मोटर स्टेण्ड होगा ठेका मिलेगा और बोतल हाथ में लिए लोग दीखेंगे। आप इस ठेके के सिस्टम को ही समाप्त कर दें, लेकिन आपने ठेकेदारी चला रखी है। उनसे आप अपना काम लेते हैं, खुद का पेट भरते हैं,

(श्री रामचन्द्र आर्य)

और 20 साल में जितना आपने पैसा कमाया है उतना तो जिन्होंने 200-400 साल तक राज्य किया है उन लोगों ने भी नहीं कमाया है। आपने इस ठेकेदारी सिस्टम से पैसा कमाया है। महरबानी करके शराब को सारी को समाप्त कर दें और अगर आप शराब को समाप्त नहीं कर सकते तो ठेकेदारी सिस्टम को समाप्त कर दें और जो भी लाइसेन्स लें उसको बेचने की छूट दे दें। शराब खुले आम बिकती है और ठेकेदारों के द्वारा बेचने की कोई पाबन्दी नहीं है। यदि आप लाइसेन्स के द्वारा बेचेंगे तो कोई पाबन्दी नहीं है। पीने वाले तो पीते ही हैं और आप खुद भी पीते हैं। गांधीजी के नाम से सरकार चलाने वाले कांग्रेसी अधिकतर 95 प्रतिशत लोगों ने शराब पीना शुरू कर दिया तो यह किस तरह से इस बात को स्वीकार करेंगे कि यह सरकार शराबबन्दी को लागू करेगी। इस प्रकार से इन लोगों की यह नीति है। हमेशा इस प्रकार से विरोध करते रहे हैं और ये सुनते चले जा रहे हैं। इस कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। जिस तरह से कोई गूंगा आदमी बैठा रहता है उस तरह से बैठे रहते हैं और खड़े होकर जवाब देते हैं तो लीपापोती होती है, और इधर-उधर करके चले जाते हैं। यह आपकी अच्छी नीति नहीं है, क्योंकि जनता के लिए राज्य करने वाली कोई भी सरकार अपने आप को यह कहती है कि वह जनता के लिए राज्य करती है तो जनता के लिए जितनी सुख-सुविधाएं तथा जनता के लिए अच्छे काम हैं उनको करना उसका फर्ज है। जनता के खजाने में डाका डालते हैं। आज कितना बकाया पड़ा है ठेकेदारों में क्यों नहीं वसूल करते हैं? वसूल करने की हिम्मत नहीं है। आप उनसे चन्दा लेते हैं और उनके साथ में हिस्सेदारी है इसलिए आप वसूल नहीं कर सकते हैं। किसी गरीब की तरफ बकाया निकलती है तो तमाम उसका सामान कुर्क कर लिया जाता है। जो भी सामान है—ऊखली, मूसल, चारपाई वह नीलाम कर देते हैं। एक तरफ लाखों रुपये की ठेकेदारों की तरफ बकाया निकलती है। यह कमजोरी आपके सामने नजर आती है क्यों आप ठेकेदारों से नाजायज फायदा उठाते हैं। ठेकेदार लोग नगरपालिका के चुनावों में खरे आम भाग लेते हैं, क्योंकि शराब के ठेकेदारों को जो बोतलें आप देते हैं उनको आप सील इस तरह से करते हैं कि वे उन को खोलकर आधा पानी मिला देते हैं और पानी के पैसे वसूल करते हैं। वे बेईमानी करते हैं और शराब बेचने में पानी के पैसे लेते हैं। पैसा देते हुए भी लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। यह आपकी व्यवस्था है। इस प्रकार की व्यवस्था ज्यादा दिन नहीं चल सकेगी। जिस तरह से यह शासन चल रहा है अपने आप कोई ज्यादा दिन तक यह व्यवस्था नहीं रहेगी। न किसी को सुनते हैं। कितने ही घोटाले चलें, कितनी ही बेइमानी करें, कोई शिकायत करे कोई सुनने वाला नहीं है। तो किस तरह से मान लें कि यह प्रजातन्त्र की सरकार है और चुने हुए ये प्रतिनिधि हैं, क्योंकि चुनिन्दा सरकार, लोकतन्त्र में कोई भी सरकार इस तरह से जवाब दे तो रह नहीं सकती। आज नहीं तो कल आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने इस व्यवस्था को बिगाड़ दिया है।

इसी तरह से रामानन्दजी ने इस सम्बन्ध में एक सिनेमा बेचने के बारे में

(श्री रामचन्द्र आर्य)

महाराजा करणीसिंह के खिलाफ आवाज उठाई। बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों दोषी हैं। खरीदने वाला माथुर का आदमी है इसलिए कार्यवाही नहीं हो सकती है। आज गरीब आदमी अदालत में जाकर जमीन बेचने की रजिस्ट्री कराता है और 200 रुपये की कीमत है और तहसीलदार को रिश्वत नहीं देता है तो वह कलेक्टर को रिपोर्ट कर देता है कि यह जमीन 300 रु. की और 200 रुपयों में बेचता है तो वह गरीब आदमी जिलाधीश और तहसीलदार के बीच में चक्कर काटता फिरता है, लेकिन सिनेमा बेचने की बात कई दफा उठी है। यह बेंगानी जो लाडनूं का है इसके सिनेमा जोधपुर में भी है, दिल्ली में भी हैं और जयपुर में भी हैं और माथुर साहब उसके घर जाकर ठहरते हैं तो किस तरह से कार्यवाही हो सकती है। चोरों के साथ में साझेदारी होने के बाद में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो सकती है।

राजस्थान के अन्दर जो बस मालिक हैं उनको देखिये और दूसरे प्रान्तों को देखिये उनके जो टिकिट हैं तो उन पर सरकारी टिकट लगे हुए हैं और पूरा चैकिंग होता है, लेकिन यहां पर मरजी आये उस टिकट को तो इस्तेमाल करते हैं और मरजी आये तो नहीं करते हैं। लाखों रुपये आज प्राइवेट बसों के मालिक इस राजस्थान में खा रहे हैं, लेकिन कहां पर शिकायत करें कोई सुनता नहीं है। सबके साथ मिली भगत है। प्राइवेट बस मालिकों से चन्दा लिया जाता है और चुनावों में मदद ली जाती है। कोई किसी का भाई है, कोई किसी का भतीजा है तो कोई किसी का साला है। इन लोगों के हाथ में यह दे रखा है और टैक्सों की चोरी सरे आम हो रही है।

टैक्सों के बारे में मैं यह कहूंगा कि जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं यानी जो खेती के काम में आने वाले ट्रैक्टर के हल हैं उनसे 10 प्रसेंन्ट टैक्स लेती है तो वह टैक्स भी आपका पूरा नहीं होता है। आप कहते हैं कि खेती के काम में आते हैं इसलिए टैक्स माफ कर दिया, लेकिन उसके अन्दर जा कर देखें तो कितना ही ज्यादा टैक्स वसूल किया जा रहा है। इस प्रकार की कार्यवाही राजस्थान में चल रही है। मैंने खुद मंत्री जी से कहा लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। इतना बड़ा राजस्थान का खजाना है।

किस तरह से आपने यह व्यवस्था बना रखी है। माथुर साहब, कोई भी टैक्स पकड़ने के सम्बन्ध में जांच करेगा तो लोग आपको फांसी के तख्ते पर लटका देंगे। पांच साल से सुन रहे हैं। जो आरोप लगाये जाते हैं, उनका कोई उत्तर नहीं। कोई उसकी जांच नहीं। कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या आप इस रिकार्ड को जला देंगे यह जलने वाला नहीं है। ये आंकड़े इसी आधार पर आकर देते हैं। यहां लाकर जो आंकड़े देते हैं, वह कोई दुखी अधिकारी होते हैं वही लाकर देते हैं जितने विधान सभा में आरोप लगाये जाते हैं, वे 100% सही लगाये जाते हैं। लेकिन इसका जवाब कुछ नहीं है। इधर उधर करके निकल जाते हैं। इस तरह से काम चलने वाला नहीं है।

इसी तरह से यह पेसेन्जर टैक्स आये साल बढ़ता रहता है। रेल किराये से कहीं आगे ले गये हैं। गरीब आदमियों का गांवों में और कोई साधन नहीं है। वह मोटरों में

(श्री रामचन्द्र आर्य)

चढ़ कर ही कहीं जा सकते है। आज रेल से दुगुना किराया मोटरों का कर दिया है। आये साल यह किराया बढ़ाते जा रहे हैं। यह नहीं करना चाहिए। एक तरफ तो कांग्रेस का आदर्श बघारने वाले लोग समाजवाद का नाम लेते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या यही समाजवाद है? मैं यह कहना चाहता हूं कि आज कोई मन्त्री है। लड़की की शादी हो रही है। कितना पैसा पानी की तरह बहाते हैं। इनका ऐसा समाजवाद होता है। ये समाजवाद के नाम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोगों को भ्रम में डालने के लिए और ये गरीबों को धोखा दे रहे हैं। अभी एक परचा आया है कि यह तो समाजवादी विवाह है। वहां के एक मन्त्री महोदय ने अपनी लड़की की शादी की। राजा महाराजा भी इस प्रकार का खर्च नहीं कर सकते थे उन लोगों ने इतना खर्चा किया है। हमारे राज्य मन्त्री मनफूलसिंह जी हैं। उनकी लड़की की शादी मैंने देखी। मैं देखकर दंग रह गया। देखा, सैकड़ों ऑफिसर, सैकड़ों कारें वरात में आंई। जिस जमाने में गंगासिंह जी (महाराजा बीकानेर) की बच्ची की शादी हुई, उस समय मैं बीकानेर पुलिस में था। उस समय मैंने देखा। गंगासिंह जी की लडकी की शादी तो कुछ भी नहीं थी। मनफूलसिंह जी की लड़की की शादी में 100 गुना खर्चा गंगासिंहजी बीकानेर महाराजा से अधिक लगा है।

श्री मदनसिंह : यही तो समाजवाद है। गरीब किसानों की लड़कियों की शादी में राजाओं से भी ज्यादा खर्चा होता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आज एक राज्य मन्त्री की लड़की की शादी होगी तो उसमें लाखों रुपयों का खर्चा होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। कहते तो कुछ हैं और करते कुछ हैं। अधिकारी आपके इशारे पर चलते हैं। जो नहीं चलते हैं उनकी दुर्दशा होती है। वह मारे मारे फिरते हैं। उनका कभी कहीं तबादला होता है, कभी कहीं तबादला होता है। आपके साथ जो मिलकर चलते हैं, वह आपके इशारे पर नाचते हैं। वह मालामाल हो गये हैं। करोड़ों रुपयों को सम्पत्ति बना रहे हैं आप भी बना रहे हैं। मैं यह नहीं कहता हूँ कि अधिकारियों में दोष है। अधिकारियों का दोष तब हो सकता है, जब सरकार निर्दोष हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मन्त्री दिल्ली जाते हैं। क्या क्या करते हैं। अधिकारियों से नाजायज काम करवाया जायगा। तो इस प्रकार से आपने जो राजस्थान में हवा फैला रखी है। वह समाप्त करें। शराब की ठेकेदारी प्रथा समाप्त करें। शराब भी पानी मिलाकर बेची जाती है। वह बन्द करायें। आपने कुछ आदमियों की मोनोपोली बना रखी है। इसको समाप्त करें। आप कुछ नहीं करेंगे। आप कभी किसी के दूसरे के नाम भी दे देते हो तो भी ठेका उसी आदमी के पास जाता है, जो लोग शराब का ठेका हमेशा लेते हैं। या तो आप ये कटौती प्रस्ताव है, इनको यह कह दें कि मैं किसी को मानने वाला नहीं हूँ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कोई भी नहीं माना जायेगा। और हमारे जो विरोधी दल में बैठे हैं, मैं उनको भी,

(श्री रामचन्द्र आर्य)

कहने वाला हूं, खाली आंकड़े पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि इन लोगों को हटाना है तो आंकड़े जनता में पेश करें। यह उनका नाजायज लाभ लेने के लिए करते हैं। नतीजा कुछ आने वाला नहीं है। यदि आप सचमुच में विरोध करते हैं तो आप पब्लिक में जायें। उनको समझायें। गंगानगर में आन्दोलन किया। वहां से सरकार भाग कर जयपुर में आ गई। गांवों में प्रशासन का नाम नहीं। ये कोर्ट में आने पर नहीं पकड़ते हैं। इनको भाग कर यहां शरण लेनी पड़ी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यहां बैठकर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं। इसलिए आपका भी नाम अखबारों में आ जाता है। यहां पर जो बैठते हैं वह भी देख लेते हैं। वह देखते हैं कि विरोध तो काफी होता है। लेकिन हम लोग यह बात नहीं जानते हैं। यह एक सड़ी-गली सरकार बैठी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं अभी समाप्त करता हूं।

श्री शंकरलाल : क्या माननीय सदस्य····

श्री रामचन्द्र आर्य : अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं।

श्री शंकरलाल : माननीय सदस्य, यह तो बतायें कि आप पुलिस विभाग में कौन से पद पर थे?

श्री रामचन्द्र आर्य : क्यों, आप जान कर क्या करेंगे? मैं सिपाही था। आज भी सिपाही हूं और उस दिन भी सिपाही था। और क्या पूछना चाहते हैं, मुझ से····?

श्री शंकरलाल : इसमें बुरा लगने की क्या बात है?

श्री दौलतराम सारण : उन दिनों खाकी कपड़े पहनते थे, आज सफेद पहनते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं मेरा भाषण समाप्त करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं; जितने मेरे कट मोशन हैं, इन कट मोशन में मैंने जो आरोप लगाये हैं, इनकी जांच करवायें और सही मायने में बहस का उत्तर देना चाहिए, एक एक कट मोशन का उत्तर आना चाहिए, जो भी जानकारी आपके पास आये वह दें, नहीं तो यह समझूंगा कि चार साल तो पहले कह कर चले गये और आखिरी साल फिर कह कर चले जायेंगे। आयन्दा कोई और आयेंगे, कोई और सरकार आयेगी, आपको न मालूम कहां जाना पड़े। और फिर लाकर यहां बैठा दिया तो फिर इसी तरह से करते रहेंगे। इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : वित्त मन्त्री महोदय!

श्री मथुरादास माथुर (वित्तमंत्री) :- सभापति महोदया, सदन के जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव रखे हैं, और बहुत से माननीय सदस्यों ने उन कटौती प्रस्तावों का इस सदन में जिक्र किया है; सभी कटौती के प्रस्तावों के ऊपर तो चर्चा करना मेरे लिए सम्भव नहीं है, मगर जो बड़े बड़े सवालात सदन में रखे गये हैं, मैं

(श्री मथुरादास माथुर)
उन्हीं पर जरूर चर्चा करूंगा। बाकी के माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव, क्योंकि आज के दिन कई विभागों की कई मांगें थीं, उन सब का जवाब देना मुश्किल है। इसलिए उन सभी माननीय सदस्यों को लिख कर जो स्पेसिफिक कट मोशन रखे हैं, उनका जवाब भेज दिया जायगा।

सभापति महोदया, सबसे पहले एक्साइज डिपार्टमेन्ट के बारे में जो सदन में चर्चा की गई है, और उसके ऊपर माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, मैं मान कर चलता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो कुछ विचार रखे हैं, वह इस मकसद से रखे हैं कि हमारा यह विभाग सुचारु रूप से चले और राज्य सरकार को इससे ज्यादा से ज्यादा आय हो। यह मान कर मैं चलता हूं, जो कुछ सुझाव रखे गये हैं वह इस इरादे से रखे गये हैं। जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, राज्य सरकार के अन्दर एक्साइज डिपार्टमेंट के दो हिस्से हैं। एक प्रोहिबिशन का, एक एक्साइज का। एक ही मन्त्री, एक ही हैड ऑफ डिपार्टमैन्ट है जो दोनों डिपार्टमेंट का इन्तजाम करते हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। इसलिए राज्य सरकार की नीति, एक्साइज से ज्यादा आमदनी हो, यह भी रहती है, और साथ साथ में प्रोहिबिशन की नीति राज्य सरकार ने घोषित की है, उसको अमल में लाना चाहते हैं, जब तक पूरा प्रोहिबिशन राज्य में नहीं हो जाता। नशाबन्दी, शराबबन्दी को लेकर खास तौर से इस सदन के माननीय सदस्यों ने, इधर बैठने वालों ने चर्चा की, उधर बैठने वालों ने चर्चा की। मैं उनके विचारों का स्वागत करता हूं और मैंने कई दफा सदन में यह कहा है कि राज्य सरकार की नीति राजस्थान के अन्दर, बावजूद इसके कि हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों में इन वर्षों में, इन तीन चार वर्षों में हल्के-हल्के नशाबन्दी की नीति से लोग अलग होते जा रहे हैं, फिर भी राज्य सरकार अपने यहां की सामाजिक व्यवस्था, राज्य सरकार की अर्थ व्यवस्था को देखते हुए राज्य सरकार हल्के-हल्के इस राजस्थान भर के अन्दर प्राहिबिशन करना चाहती है। सभापति महोदया, आपको मालूम है और माननीय सदस्य जानते हैं कि शुरू शुरू के अन्दर सबसे पहले गुजरात की सीमा के पच्चीस किलोमीटर की बेल्ट के अन्दर प्रोहिबिशन शुरू किया था, उसके बाद राजस्थान के अन्दर कुछ तहसील, सूबों और हल्कों के लिए कहा—डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर की तीन तहसीलें, उसके बाद में भारत सरकार के वित्त मंत्री उस वक्त श्री मोरारजी देसाई थे, उन्होंने यह कहा, जब वह मन्त्री थे, उस समय कहा कि सप्ताह में दो दिन, फिर चार दिन और तीन साल में सात दिन नशाबन्दी की जाय—यह नीति अपनानी चाहिए। भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, मेहता साहब जानते हैं कि राज्य सरकार ने वह नीति अपनाई........

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : और दूसरे नहीं जानते हैं? वही जानते हैं?

श्रीमती सभानेत्री : बीच में क्यों बोलते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : वह मीटिंग में शामिल थे इसलिए।

उसके बाद में क्योंकि भारत सरकार की नीति थी कि जो प्रोहिबिशन में घाटा

(श्री मथुरादास माथुर)

होगा, उसका पचास प्रतिशत भारत सरकार अनुदान के रूप में देगी, इसलिए भारत सरकार को दो दिन नशाबन्दी करने के सम्बन्ध में इस नीति के बारे में लिखा गया। लेकिन दो दिन नशाबन्दी करने से जो घाटा होता है उसका पचास प्रतिशत भारत सरकार देने को तैयार नहीं हुई। भारत सरकार ने कहा, डिस्ट्रिक्ट्स में कम्पलीट होगा तब पचास प्रतिशत कन्ट्रीब्यूशन या अनुदान भारत सरकार देगी। इसलिए उस नीति को बदल कर, उस ओर न जाकर राजस्थान के अन्दर प्रोहिबिशन की ओर बढ़ना शुरू किया और जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर और पहले के दो ज़िले—इस तरह से छः सात जिलों में राजस्थान के अन्दर प्रोहिबिशन कर दिया। माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, राज्य सरकार ने इस बात की घोषणा की थी कि 1972-73 तक प्रोहिबिशन कर देंगे। इस बात से राज्य सरकार ने कभी भी इन्कार नहीं किया, आज भी इन्कार नहीं करना चाहती राज्य सरकार। इस साल में जैसी आशा की जाती थी कि हम और जिलों को प्रोहिबिशन के एरिया में डाल देंगे, लेकिन राजस्थान सरकार इस साल और जिले नहीं डाल सकी। इसके कई कारण हैं जो माननीय सदस्य जानते हैं। इस साल हमने करीब करीब दो सौ दुकानें इस वक्त बन्द कर दी हैं और चारों तरफ से इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ भी एरिया में प्रोहिबिशन किया है, यह सब माननीय सदस्य जानते हैं कि यह प्रोहिबिशन को एन्फोर्स करने के लिए एक तरफ सरकार की आमदनी में कमी होती है, उसके साथ साथ एन्फोर्स करने के लिए इन इलाकों में, इन जिलों में जो बहुत बड़े क्षेत्रफल में बसे हुए हैं, एक बहुत बड़ी प्रिवेन्टिव फोर्स की आवश्यकता होती है। इधर राजस्थान सरकार की नॉन-प्लान जो रेवेन्यू बजट और खर्च की हालत है, वह माननीय सदस्यों से छिपी हुई नहीं है, इसलिए प्रिवेन्टिव फोर्स को नहीं बढ़ा सके और इसको एन्फोर्स करने में बहुत बड़ी दिक्कत आई। इसलिए कई जगह के समाचार पढ़ने को मिलते हैं कि वहां इल्लिसिटी डिस्टीलेशन बढ़ा है। इसलिए राज्य सरकार ने कोशिश की है कि वहां दुकानों का नम्बर कम कर दिया जाय, क्योंकि पूरा पूरा प्रोहिबिशन के लिए कदम उठाया जाय तो बहुत बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी जिससे इस जिले से जाकर उस जिले में शराब न बिके और उसके लिए इफेक्टिव स्टेप्स लिए जा सकें। आज के दिन माननीय सदस्यों के समक्ष राज्य सरकार की नीति, जो नशाबन्दी, शराबबन्दी के सम्बन्ध में है, उसको दोहराते हुए निवेदन करना चाहूंगा, राज्य सरकार ने न नीति को छोड़ा है, न छोड़ने का इरादा है। राज्य सरकार उस नीति पर अमल करना चाहती है और उस नीति पर अमल करेगी।

दूसरा सवाल, माननीय सभापति महोदया, इस विभाग के सिलसिले में इस सदन में उठाया गया है, वह यह है, हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट की नीति क्या है? हर साल शराब की दुकान देते हैं, लाइसेन्स देते हैं, और वह राजस्थान सरकार हर साल तय करती है। पहले हमारे यहां पर माननीय सदस्य जानते हैं, नीलाम से दुकान दी जाती थी, उसके बाद में गारन्टी सिस्टम हुआ, गारन्टी सिस्टम के बाद लाइसैन्स और उसके

(श्री मथुरादास माथुर)

बाद ऑफर और एक्सेप्टेन्स का सिस्टम हुआ। दस साल मैंने दुकानें नीलाम की थी, नीलाम करने के बाद कुछ दुकानों को छोड़कर राजस्थान भर में नीलाम से आय हुई, वह ऑफर और एक्सेप्टेन्स और गारन्टी से जो आय होती है, वह कम होने लगी। लास्ट ईयर दो दुकानों की नीलामी की थी उससे यह तजुर्बा हुआ। इसलिए राज्य सरकार ने इस पर चिन्तन किया और यह तय किया कि ऑफर एक्सेप्टेन्स सिस्टम पर आना चाहिए। यह कह सकता हूं कि जो कोलीजन ठेकेदारों का होता है, इस व्यवसाय को, धन्धा करने वाले लोग होते हैं उनमें कोलीजन होने के बाद बोली ऊपर नहीं आती है और घाटा होता है। इसलिए ऑफर एक्सेप्टेन्स को तय करके मंजूर किया। ऑफर सिस्टम से माननीय सदस्यों को गलतफहमी न हो, इसलिए मेरा निवेदन है कि जो ऑफर एक्सेप्टेन्स सिस्टम है, उसके लिए फार्मूला निकाला था, लास्ट टाइम में जो दुकान नीलाम की गई और उसके बाद जो हमारी लाइसैन्स फीस थी, उसके अन्दर तीन केटेगरीज बनाई—बिड इज मोर दैन अपसेट प्राइस। हरेक दुकान की अपसेट प्राइस मुकर्रर करते हैं। 8 या 8½ प्रतिशत बढ़ाकर इतने तक ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है नहीं होती है तो फिर उसको नीलाम करेंगे। उसके बाद भी अपसेट प्राइस नहीं आती है तो जिला एक्साइज अधिकारी कमिश्नर के पास जाए और कहे कि बोली कम आई है तो दुबारा नीलाम कराए। यह सरकार की नीति है इसलिए कोई आरबीट्रेरी तरीके से हरेक दुकान जिसको हम चाहें ऑफर करें, नहीं है। राजस्थान के जितने लाइसेंसीज थे उनको ऑफर दो गई थी उनमें जो उठ गई उठ गई नहीं उठी तो कहा गया कि उनका नीलाम करें। इसके अन्दर अपसेट प्राइस कुछ आगई तो उसके बाद कम आई तो कमिश्नर माइन्ड एप्लाई करके फैसला करेगा....

श्री भैरोंसिंह : बेसिस क्या है?

श्री मथुरादास माथुर : जो लास्ट ईयर की हमारे यहां पर अलग अलग दुकानों की नीलामी थी। हम जानते हैं कि पोटेन्शियल किस एरिया का क्या है। तो हमने तीन फार्मूलाज बनाए लाइसेंस फी लास्ट टाइम की इक्वल ऑर मोर दैन दी अपसेट प्राइस। उसके लिए रखा 1971-72 में थी लाइसैन्स फी ऑर 108 पर्सेन्ट ऑफ दी अपसेट प्राइस विचेवर इज हाई। दूसरी कैटेगरी थी लाईसेंस फी बिला अपसेट प्राइस अप्टु 10 पर्सेंट।

श्री भैरोंसिंह : बेसिस क्या है?

श्री मथुरादास माथुर : अपसेट प्राइस का बेसिज यह है कि जो प्राइस था उस पर 8 प्रतिशत इन्क्रीज करें। अपसेट प्राइस किया। वह जनरली अपसेट प्राइस का फार्मूला होता है।

श्री भैरोंसिंह : मान लीजिए सन् 1970-71 में ऑफर की गई थी या ऑक्शन किया था आपने बेसिस माना और उस पर 8 प्रतिशत लगाया....

श्री मथुरादास माथुर : तीन कैटेग्रीज हैं। पहले में लाइसैन्स फीस जो लास्ट ईयर की थी वह अगर इक्वल ऑर मोर दैन दी अपसेट प्राइस। 1970-71 में

(श्री मथुरादास माथुर)

वह दुकान अगर उठ गई है तो उसके लिए 108 प्रतिशत इन्क्रीज या नीलामी बोली में चली गई है तो whichever is more दूसरी कैटेगरी है लाइसेंस फी लास्ट ईयर की जो अपसोट प्राइस लास्ट ईयर की मुकर्रर की गई थी उससे 10 प्रतिशत बिलो आए तो उसके लिए upshot price or 108 percent of licence fee or whichever is higher तीसरी कैटेगरी है। Licence fee which was below upshot price by more than 10 percent. उसके लिए माना गया कि Licence fee increased by the amount by which it falls short of upshot price subject to the maximum increase of 25 percent of licence fee. ये तीन फार्मूलाज थे। जो दुकानें नहीं उठीं थीं उसका 25 पर्सेन्ट बिलो अपसोट प्राइस। 4 फार्मूलाज तय होकर कमिश्नर को भेजे गए। माननीय सदस्य ने दो तीन बातें रखी सवाई माधोपुर का जिक्र किया गया और अलवर·······

श्री भैरोंसिंह : जोधपुर का आप बता दें, फिर हम समझ जायेंगे। जोधपुर की अपसोट प्राइस क्या थी, क्या पर्सेंटेज इन्क्रीज किया ?

श्री मथुरादास माथुर : जो लास्ट ईयर मुकर्रर हुई थी उससे नीलामी में ऊंचा गया इसलिए उसके अन्दर लाइसेंस फी और 108 percent of the upshot price whichever is high....

श्री भैरोंसिंह : लास्ट ईयर का जो ऑक्शन मनी या उसको बेसिस नहीं माना ?

श्री मथुरादास माथुर : ऑक्शन से तो कई जगह बहुत ऊंची चली गई, कई जगह नीचे चली गई ?

श्री भैरोंसिंह : तो आपको क्या चिंता ? जोधपुर में अपसोट प्राइस 98,77 लाख आप कहा ऑक्शन मनी 31 लाख। आपने दिया 31 लाख में····

श्री मथुरादास माथुर : जोधपुर में 31 लाख में गया तो हमने कहा अपसोट प्राइस पर 108 प्रतिशत इन्क्रीज करो और अगर ऑक्शन मनी से लाइसेंस फी 108 प्रतिशत ज्यादा होती है तो कम नहीं करेंगे। उतना ही रखेंगे इसलिए जोधपुर में 31 लाख में गई थी। अपसोट प्राइस 28 लाख थी उस पर 108 प्रतिशत करके जो पैसा आता है उससे लाइसेंस फी ज्यादा होगी या कम होगी, तो कम नहीं करेंगे····

श्री भैरोंसिंह : लास्ट ईयर बीकानेर में 15 लाख या ऑक्शन से आपने अपसोट प्राइस रखा 11 लाख। इसी तरह से जोधपुर में कम रखा। ऑक्शन का जो आया उसको क्यों नहीं रखा अपसोट प्राइस ?

श्री मथुरादास माथुर : वह अपसोट प्राइस नहीं है। विभाग ने ईयर बिफोर लास्ट पर 108 प्रतिशत····

श्री भैरोंसिंह : 5 वर्ष पहले का निकालेंगे तो और कम मिलेगा। बेसिस कौनसा है ?

श्री मथुरादास माथुर : ये चारों फार्मूलाज इसलिए बताईं कि ऑक्शन में 28 लाख, अपसोट प्राइस 11 लाख, 15 लाख में चली गई उस पर 108 प्रतिशत इन्क्रीज करो तो दुकानें कोलेप्स हो जायेंगी।

श्री भैरोंसिंह : ऑक्शन से जो मनी ज्यादा मिलने वाली थी उसको बेसिस मानकर क्यों नहीं किया ?

श्री मथुरादास माथुर : वह तो मिला हुआ ही है। कमी करने का सवाल नहीं।

श्री भैरोंसिंह : थोड़ा सा बता दें।

श्री मथुरादास माथुर : 15 लाख अगर बीकानेर के। बेसिस प्राइस जो मुकर्रर किया लास्ट ईयर उससे दुकान नीलाम में ज्यादा, ऊंची गई है। तो अपसोट प्राइस 108 प्रतिशत इन्क्रीज करने के बाद दुकान ऊंची गई है तो.....

श्री भैरोंसिंह : बीकानेर में ऑक्शन हुआ था उसमें गड़बड़ी हुई है, दुबारा ऑक्शन किया, उसको यदि अपसोट प्राइस लेकर चलेंगे तो कम आएगी।

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमेंट सरकार यह समझती है कि जो अपसोट प्राइस रीजनेबल है और वह अपसोट प्राइस में ऑक्शन में बोली चल गई तो इस साल 108 पर्सेंट इन्क्रीज किया है, उसके बाद में अगर बोली लास्ट ईयर ऊंची थी वह रहेगी। मगर लास्ट ईयर से ऑक्शन मनी से कम नहीं जाएगी।

श्री भैरोंसिंह : जो लास्ट ईयर आमदनी हुई, उसको बेसिस मानकर अपसोट प्राइस के रूप में आपने उसको बेसिस क्यों नहीं माना ?

श्री मथुरादास माथुर : उसमें घाटा रहता है। लास्ट ईयर कई दुकानों के ऑक्शन से पूरे राजस्थान में जो पैसा मिलने वाला था कम मिला.....

श्री भैरोंसिंह : आप जानते हैं कि बीकानेर में ऑक्शन कैसे हुआ था। वह तो 11 लाख में जाता.....

श्री मथुरादास माथुर : ऑक्शन में बड़ी बड़ी दुकानें गईं। जोधपुर में शिकायत नहीं थी 30 लाख में गई। बीकानेर व अजमेर में ज्यादा नहीं हो पाया। कोटा में उतने में ही चला गया। कहीं शिकायत आई तो दुबारा ऑक्शन कराया या जांच कराई गई इसलिए ऑक्शन मनी प्राइस पर ठेका हमेशा मेन्टेन नहीं रह सकता। इसलिए जो अपसोट प्राइस था उसको बेसिस मानना ही साइंटीफिक है। उस पर 108 प्रतिशत इन्क्रीज हमने कहा, ज्यादा है तो रहेगा कम है तो whichever is higher तो हमने 4 कैटेगरीज बनाई। उस पर आफर में कोई दुकान नहीं उठी तो इसका हम ऑक्शन करेंगे। उन्होंने नहीं उठाई तो विभाग ने भी चलाने की कोशिश की है। कभी कभी लाइसेंसी और डीलर का कोल्यूजन होता है तो बोली ऊंची नहीं उठती। गंगानगर में हम 7-8 दुकानें डिपार्टमेंटली चला रहे हैं। मैंने ब्यावर के लिए भी हुकम दिया। भीलवाड़ा में भी चलाया था जब तक कोल्यूजन मिट जाए। ठेकेदारों को मालूम होता है। तब बोली के लिए आते हैं-उसको अपसोट प्राइस माना जाता है तो दुकान बंद करते हैं नहीं तो विभाग ही चलाता है। इन्डिविजुअल दुकानें जैसे अलवर की बात मैंने कही, वह फाइनल नहीं हुआ है वहां एक आदमी ने शिकायत की खैरथल में और दूसरी जगह की हमारी बिड नहीं ली गई और दी थी तो रेकार्ड नहीं किया, ऐसी शिकायतें आई हैं। दो हजार दुकानें राजस्थान में ऑक्शन होती हैं कई तरह

(श्री मथुरादास माथुर)

की शिकायतें आती हैं तो उसको कमिश्नर ने फाइनेलाइज नहीं किया, कमिश्नर की कॉम्पीटेन्ट अथोरिटो है। कहीं बोली आई 20 हजार, कोई दूसरा आदमी आकर कहता है कि मैं 21 हजार आॅफर करता हूं तो हम कहते हैं अर्नेस्ट मनी जमा करके आओ क्योंकि आॅक्शन की बिड 20 हजार थी तो हमें कहना पड़ा कि 21 हजार देने को तैयार हो तो बोलो। कोई तीसरा कहता है 22 हजार, तो 22 हजार। जो लास्ट बिड आएगी तो उस पर हैमर फाल करके दुकान दी जाएगी। इसलिए अलवर से शिकायतों का जिक्र किया गया था, वह फाइनल नहीं हुआ है। उस पर लिखकर देते हैं कि हम ज्यादा आॅफर देने को तैयार हैं, उनसे पूछा गया है और उसके बाद कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर खुद फैसला करेंगे, दोनों को आपस में बिड करायेंगे और ज्यादा बोली मंजूर की जाएगी।

माननीय सभापति महोदया, मैंने यह एक्साइज सैटलमेन्ट के बारे में निवेदन किया। प्रोहिबिशन के बारे में राज्य सरकार की नीति का जिक्र किया।

श्री भैरोंसिंह : एक बात की जानकारी करना चाहता हूं। शराब की दुकानों का लाइसेन्स देने की गवर्नमेंट की नीयत है इनकम बढ़ाने की या लोगों को कम शराब मिले यह है ?

श्री मदनसिंह : सही कहना।

श्री मथुरादास माथुर : जिन जिलों में शराबबन्दी नहीं है वहां पर ज्यादा से ज्यादा आमदनी करना है उसके साथ साथ आमदनी ज्यादा करने की नीयत में ऐसा न हो जाय कि आॅक्शन में फिक्टिशियस बना कर या शराब में पानी न मिलायें, उसका ध्यान रखा जाता है।

श्री भैरोंसिंह : पानी मिलाने का सवाल पैदा नहीं होता है।....

श्री मथुरादास माथुर : इल्लीसिट न बिक जाय यह भी देखा जाता है।

श्री भैरोंसिंह : प्राइस फिक्स हुई है।

श्री मथुरादास माथुर : बहुत बड़े इलाके में मिली जाती है और प्राइस निर्धारित नहीं है तो मंहगी बेचते हैं। दूसरे स्टेट से भी आ जाती है। मेरा निवेदन यह है कि इन सारी बातों को व्यू पॉइन्ट में रख कर ही एक्साइज पोलिसी का केबिनेट में डिसाइड करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : केबिनेट जैसी है आप भी जानते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : सब जागरूक हैं और विचार करते हैं। यह विषय ही ऐसा है।

तीसरी बात है एरियर्स की। जनरल एरियर्स की तस्वीर दी है। कामर्शियल डिपार्टमेंट से और सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट से। दो करोड़ के करीब एरियर्स आप भी मानेंगे। कोई हाई कोर्ट में रिट करता है। लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन है कि दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में सेल्स टैक्स के एरियर्स ज्यादा नहीं हैं। उसके लिये चिन्ता नहीं है। चिन्ता है तो केवल इस बात की कि इस साल अधिक बढ़ गये। तीन एक्साइज कमिश्नर पलटे हैं। पहले चले गये। दूसरे आये उनकी डेथ हो गयी और तीसरे को अपोइन्ट करने

Page No 188

(श्री मथुरादास माथुर)
में समय लगा। आपके आने से पहले ही मैंने इस पर बहुत चिन्ता जाहिर की थी। इमिडियेटली मीटिंग बुलायी, तीन महीने में सारे एरियर्स वसूल करना चाहते हैं। बहुत सी रिट्स आदि में है। हमारे अनुसार टोटल मिला कर चालीस-पचास लाख का आता है, उनकी वसूली के लिये कैम्पेन करके वसूल किया जावेगा। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं। मैं स्वयम् इस लिये चिन्तित हूं कि यह इस साल बढ़ गया है।

श्री भैरोंसिह : आउटस्टेन्डिग जिनमें हैं उनको लाइसेन्स क्यों दे रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : जांच करूंगा।

श्री भैरोंसिह : जांच क्या करेंगे ? आपकी लिस्ट में दी हुई है।

श्री मथुरादास माथुर : आपने मांगी है। मैं निवेदन करूं कि जो आउट स्टे-न्डिग्स हैं, या तो दूसरों के नाम से ठेका ले लियां, टेक्निकली हम उनको रोक नहीं सकते हैं। जो आउटस्टेन्डिग रह गये हैं, ठेकेदार हैं और उनके नाम से ठेके मिल गये हैं और फिर भी आउटस्टेन्डिग हैं, वह हो गयी है तो हो गयी होगी..............

श्री भैरोंसिह : हो कैसे गयी ? फिर रूल्स को आप फाड़ कर फेंक दीजिये। आउट स्टेन्डिग हो गयी, कैसे हो गयी ?

श्री मथुरादास माथुर : 650 दुकानों का ठेका बिका है।

श्री भैरोंसिह : गई साल की बात कह रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : इस साल तो हो गया। हो गया उसका तो इलाज नहीं है।

श्री भैरोंसिह : इलाज है। ठेका नहीं देना चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : नियम विरुद्ध ठेके दे दिये गये उनके खिलाफ आप कार्य-वाही करने के लिए तैयार हैं क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : इतना यह सिम्पल मैटर नहीं है कि मैं कह दूं और आप सुन लेंगे और यहां पर मैं कमिटमेन्ट कर दूं। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के आप मेम्बर हैं और उसमें काफी चर्चा हुई है। पांच लाख रुपयों में दुकान दे दी चार लाख की शराब बेचो। एक लाख आटोमेटिकली कह देता है कि एरियर है। उसमें शर्त यह होती है, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने राइट आॅफ करने का सवाल उठाया। पंजाब और हरियाणा की स्टेट्स में आटोमेटिकली यह नहीं होता है। चार लाख की शराब बिकी तो स्टेट के पास मोनोपोली है, स्टेट को शराब देनी पड़ी। मोलेसेज कम हुआ, शुगर केन की क्रॉप फेल हो गयी। शुगर फैक्टरी शराब सप्लाई नहीं कर सके। ठेकेदारों को शराब नहीं मिली तो पांच लाख की गारन्टी वसूल नहीं कर सकते हैं। पंजाब में तो सप्लाई नहीं कर सकते हैं तो उसी महीने में फैसला कर देते हैं। रिड्यूस की जाती है। हमारे यहां ऐसा नहीं है। ए.जी. से भी चर्चा हुई है और यह तय हुआ है कि आटोमेटिकली गारन्टी एरियर्स हैं तो उनके रिप्रेजेन्टेशन के अनु-सार तय करना पड़ेगा। मुकर्जी कमेटी बिठायी थी। एक्साइज डिपार्टमेंट में दो सौ

(श्री मथुरादास माथुर)
तीन सौ लोगों ने रिट्स कर रखी हैं और स्टे ले आये हैं।

श्री दौलतराम सारण : आप तो इरादे से करवाते हैं। हमने इसको डिटेल में एक्जामिन किया है। मोलेसेज कहीं से मिल सकता है। आउट स्टेन्डिग इरादे से रखे जाते हैं। मैंने इसकी बहुत डिटेल्स में जानकारी की है!

श्री कृष्णकुमार गोयल: जब इस प्रकार के रूल्स हैं कि किसी के खिलाफ आउट स्टेंडिंग्स हैं, एरियंस हैं तो उसको अगले साल ठेका न दिया जाय तो या तो आप यह कहिये कि आउट स्टेंन्डिग बताये गये उसको डिपार्टमेंट नहीं मानता है।

श्री मथुरादास माथुर: इसीलिए पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी में सवाल आया है। आउट स्टेन्डिग हैं वे आउट स्टेन्डिग्स वास्तव में नहीं हैं। जिन केसेज में शराब की सप्लाई नहीं कर सके उसमें यह होगा। ए. जी. ने भी इसको माना है। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी में भी यह डिस्कस हुआ है।

श्री दौलतराम सारण : पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी का नाम लेकर कहेंगे किन्तु हमने डिटेल्स में सारी जांच की है और सारी फाइलों को, एक एक फाइल को हमने पढ़ा है। आप तो पढ़ते ही नहीं हैं।

श्री मथुरादास माथुर : खूब पढ़ता हूं। पढ़ने का आपका ही ठेका नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि जो मैं बात कह रहा हूं आप भी उसके रीजन्स को देखेंगे और अगर गवर्नमेंट शराब पूरी सप्लाई नहीं कर पाती है तो यह करना पड़ता है कि उस आदमी ने, ठेकेदार ने जो गारन्टी दी थी उसमें उसको सहूलियत दी जाये।

श्री दौलतराम सारण। आप अपनी केपेसिटी को क्यों नहीं देखते हैं? आप यह क्यों नहीं देखते हैं कि जो शर्तें आप तय कर रहे हैं वह आप पूरी भी कर सकेंगे और वह आपकी कम्पीटेन्स के आधार पर ठीक भी बैठता है या नहीं? और फिर ऊपर से यहां पर ठेकेदारों की वकालत करते हैं। कमाल करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : इसमें कोई कमाल की बात नहीं है। मैं फाइनेन्स और एक्साइज मिनिस्टर के नाते जो कुछ भी फैक्ट्स हैं वह सदन के सामने रख रहा हूं और मैं किसी की वकालत करने के लिए यह बात नहीं कह रहा हूं।

श्री दौलतराम सारण : आपने यहां पर जो दलीलें दी हैं वे ठेकेदारों की दलीलें हैं।

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमेंट सप्लाई नहीं कर सकती है और जैनाइन रिप्रेजेन्टेशन है और जितनी सप्लाई की गई तो उतना ही वसूल कर सकते हैं उससे ज्यादा नहीं।

श्री दौलतराम सारण : गारन्टी भी सरकार करती है, सप्लाई भी सरकार करती है, असेसमेन्ट भी सरकार करती है और मेन्युफैक्चर करने वाली भी सरकार है तो फिर शराब में सप्लाई कैसे कम हो सकती है? यह सवाल कैसे हो सकता है। इस तरह से आप हाउस को मुगालता नहीं दे सकते हैं। जिनको जानकारी है उनको तो नहीं दे सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य ने ईमानदारी और गाइड करने का ठेका ले रखा है।

श्री दौलतराम सारण : इस तरह से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आपके घोटाले बोल रहे हैं सरे आम।

श्री मथुरादास माथुर : यह भाषा आप अपने पास ही रखिये। मैं आपसे यह कह रहा हूं....

श्री दौलतराम सारण : आप इन्क्वायरी कमीशन को बिठा दीजिये यदि आप सत्यवादी हैं।

श्रीमती सभानेत्री : आप आसन को सम्बोधित करें।

श्री दौलतराम सारण : जरा भी माद्दा है ईमानदारी का तो इस हाउस की कमेटी बिठा दें।

श्री मथुरादास माथुर : हाउस की कमेटी है। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सामने कई बार यह केस आया है और उसका एग्जामिनेशन हुआ है। यह मेरा निवेदन हैं।

श्री दौलतराम सारण : पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने आपके खिलाफ रिपोर्ट दी है।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदया, इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं और फिर हमने इस बात पर मुकर्जी कमेटी बनाई है और उसके कुछ फार्मूले तय किये हैं और उनको एप्लॉय करते हैं और जहां भी राज्य सरकार ने फैसला किया है कि इसको राइट ऑफ करना हैं तो उसको केबिनेट लेवल पर तय करते हैं और कोई जेनाइन केसेज होते हैं तो उनको राइट ऑफ किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : जो गारन्टी सिस्टम है उसमें अमूमन आप कम करते हैं और कॉन्ट्रेक्टर ने जो गारन्टी दी है और कम सप्लाई की गई है तो उस पर सिम्पेथेटिकली कन्सीडेरशन किया जाता है कि पिछले साल इतनी गारन्टी में से इतनी सप्लाई की गई थी तो रिन्यूअल करने में सिम्पेथेटिक कन्सीडरेशन नहीं किया जाता है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह नहीं है। मेरे टाइम में नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : आपकी फाइल में है।

श्री मथुरादास माथुर : सबसे पहले गारन्टी सिस्टम जब शुरू हुआ था तो एक साल कन्सीडरेशन किया गया था और उसके बाद नहीं किया गया है इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

सभापति महोदया, अब अपने दूसरे माननीय सदस्यों ने जो सुझाव रखे हैं और खास तौर से झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि झालावाड़ के अन्दर सी. टी. ओ. का ऑफिस कायम हो। यह बात नहीं है। यह मामला मैं पहले भी इस सदन के अन्दर रख चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह : एक्साइज की बहुत बातें रह गई हैं, पहले जब मैं बोला था और आपने कहा था कि एक्साइज की डिमाण्ड पर आप इस का जवाब देंगे।

Page No 191

श्री विजयसिंह : और जयपुर को जो दो भागों में बांटा है उसके बारे में भी कह दें।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदया, मैंने करीब करीब एक्साइज, प्रोहिबिशन और एरियर्स के विषय में बहुत कुछ कह दिया है। इसके बाद तीन-चार बातें यहां और रह गई हैं। एक बात हमारे मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाई है। एक्साइज के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स आठ थे उनको मैंने 9 कर दिया है। मैं कई दिनों से सोच रहा हूं कि हमारे जो एक्साइज के डिस्ट्रिक्टस हैं उनको रिआॅर्गेनाइज़ किया जाये। नॉर्मली दूसरे विभागों के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वे कहीं 12 हैं, कहीं 15 और 16 तक हैं और रेवेन्यु के तो 26 जिले हैं तो हमारे जो 8 डिस्ट्रिक्टस थे उनको हमने 9 कर दिया है। जयपुर को सिर्फ दो हिस्सों में तोड़ा है क्योंकि उसकी रेवेन्यु ज्यादा थी और एक की कम थी और इस तरह से अलग अलग इम्बेलेन्स्ड डिस्ट्रिक्ट हो गये थे। अलवर, भरतपुर के साथ सवाई माधोपुर को जोड़ दिया गया है और अजमेर के साथ भीलवाड़ा को जोड़ दिया है। यह सारा रेवेन्यू के पॉइन्ट ऑफ व्यू से किया गया है और इस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स को रिआॅर्गेनाइज किया गया है। और कोई मकसद नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं दो एक बातें एक मिनिट में रखना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : और भी बातें रह गई हैं। अलवर की और गंगानगर की हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अलवर के सिलसिले में जो बात है वह डी. ओ. की है उसको एक ट्रैप केस में पकड़ा गया है और उसके बाद विजिलेन्स कमिश्नर ने भी इसकी इन्क्वायरी की है और उसका जवाब मैं यहां पर दे चुका हूं इसलिए ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। उसकी फाइल सस्पेण्ड करने के लिए मेरे पास में आई है विजिलेन्स कमिश्नर और अपॉइन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट से। इसी बीच में और दूसरे रिप्रिजेन्टेशन दिये गये हैं और कोर्ट के अन्दर बयान दिये हैं उनकी ट्रू कॉपीज पेश हुई हैं। तो उसके बाद में मेरे दिमाग में सस्पेन्श हुआ कि यह केस कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं चल सकेगा और जो बात वे कह रहे हैं उसमें अगर तथ्य हैं तो उसको कन्सीडर करें बिफोर सस्पेंडिंग एन ऑफिसर। जो बेईमान है, बदमाश है उनको तो प्रोटेक्शन देने का कोई प्रश्न नहीं है। इसलिये मैंने विजिलेन्स कमिश्नर को, जो फैक्ट्स मेरे सामने थे, मेरे पास में थे, इन दी लाइट ऑफ दिस थिंग मैंने भेजा है अ. अपॉइन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट कि वे कन्सीडर करें और एडवाइज करें और अब मैं उनकी एडवाइज का इन्तजार कर रहा हूं। अगर वे एडवाइज करेंगे कि सस्पेन्ड किया जाये तो सस्पेन्ड किया जायगा उनकी जो एडवाइज होगी उसके अनुसार आगे कार्यवाही की जायेगी। उनके सामने ये फैक्ट्स नहीं थे जब उन्होंने यह लिखा और मेरे सामने थे। इसलिये इस पर भी कन्सीडर करने के लिए उनके पास फाइल भेजी है। उसकी वापसी का इन्तजार कर रहा हूं और जो एडवाइज होगी उसके अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It is not the function of the Vigilance Commissioner to advise,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
It is the function of the Government.

यह तो विजिलेन्स कमिश्नर को एम्बॅरेस करने की बात हो गई और इसी तरह से सी. आई. डी. और एन्टीकरप्शन डिपार्टमैन्ट को भी। उसको रेड हैण्डेड पकड़ा गया है और आप उसको और सहूलियतें दे रहे हैं। गवाहों के बयान उसने बाद में कोर्ट में दिलाये हैं और उनके आधार पर आप विजिलेन्स कमिश्नर की एडवाइज ले रहे हैं। यह तो वैसे ही जैसे चेनाराम को कबाड़ा कर लिया और कोर्ट में बयान दे दिये और उसके बाद हिम्मत के साथ चाहे जहां घूमता फिर रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : If the Vigilance Commission says we don't agree with this statement....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विजिलेन्स कमिश्नर की परव्यू में नहीं आता है। एडवाइज करने का उसका काम नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : उसने तो यह लिखा है कि एन्टीकरप्शन डिपार्टमैन्ट ने केस पकड़ा था They are under the Vigilance Commission. इसलिये विजिलेन्स कमिश्नर को भेजा है। Vigilance Commissioner writes to the Apptt. Deptt. and then it comes to the concerned deptt. तो मेरे सामने जब यह पेश हुआ तो उस वक्त मेरे सामने ये फैक्ट्स थे।

श्री भैरोंसिंह : वह तो सस्पेंशन का केस है।

श्री मथुरादास माथुर : उसको सस्पेन्ड करने के लिए लिखा गया था और यह था कि मेरे को उसे सस्पेन्ड करना चाहिये लेकिन उसके बारे में जो शिकायत है, उसका प्रोसीक्यूशन होना चाहिये था....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब विजिलेन्स कमिश्नर ने इन्क्वायरी की, एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट ने उसको ट्रेप किया, पकड़ा और उस सारे केस को आपके पास में भेजा उसको सस्पेन्ड करने के लिए तब उसके बाद आपका क्या बिजनेस रह जाता है कि आप उसको दुबारा रेफर करते।

श्री मथुरादास माथुर : सस्पेन्शन करने की ऑथोरिटि गवर्नमैंट को है। गवर्नमैंट मस्ट एप्लाई इट्स माइन्ड।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You must apply your mind.

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भेजा है रेकार्ड....

श्री भैरोंसिंह : जिसको गिरफ्तार करना चाहते हैं....

श्री मथुरादास माथुर : नहीं सस्पेन्शन करने के लिये है। कागज मेरे पास होते हुये अपॉइन्टमेंट को भेजे थे अपॉइन्टमेंट्स डिपार्टमेंट ने विजिलेन्स कमीशन को भेजा है।

श्री भैरोंसिंह : आपकी क्या ओपीनियन है?

श्री मथुरादास माथुर : मेरी ओपीनियन तो, फैक्ट्स मेरे पास आये हैं..........

श्री भैरोंसिंह : एक आदमी जो रिश्वत के मामले में रेड हैण्डेड पकड़ा जाय। जो

(श्री भैरोंसिंह)
आपके पास कागज आयें वह मुझे बतायें आपके पास आये हैं या एक्साइज कमिश्नर के पास आये हैं ? और अगर आपके पास आये हैं तो इसलिये आये हैं कि प्रोटेक्शन मिल जाय ।

श्री मथुरादास माथुर : होम मिनिस्टर साहब को एड्रेस किया गया है और कापी टू एक्साइज मिनिस्टर को है। उसके बाद मैंने अपॉइन्टमैंट्स डिपार्टमैंट को भेजा है और कहा है जो कुछ भी सलाह दें कर डालें ।

I don't want to defend any body.

उसको आंख मींचकर दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता है आखिर मेरी भी रेसपॉन्सीबिलिटि है। विजिलेन्स कमीशन के पास से भी आई है और मेरे पास भी····

श्री रामानन्द अग्रवाल : हाउस में फरमाया जबरदस्ती पकड़ लिया गया····

(कई मा. सदस्यों के एक साथ बोलने पर-अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मामला हाउस में आ चुका है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : होम मिनिस्टर साहब ने कहा था उनको पकड़ा जा रहा है फिर क्या आपने उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास उनकी फाइल आई हैं—

I am seized with the problem and I will dispose it off.

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने सस्पेन्शन के लिये नहीं कहा, कह दें ।

श्री मथुरादास माथुर : एन्टीकरप्शन के पास भेजा है, विजिलेन्स कमीशन के पास भेजा है जिनाइन ओपीनियन नहीं है····

I will do the needful.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एन्टीकरप्शन डिपार्टमैंट को स्क्रेप कर दीजिये। जब गवर्नमैंट का डिपार्टमैंट है, वह पकड़ता है, वह ट्रेप करता है तो····

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने ऑफिसर भेजा है और कहा है इस प्रकार का स्टेटमैंट लाओ। (श्री मथुरादासजी माथुर के हाव-भावों को देखकर) ऐसे ऐसे करने से क्या होता है। आपने खुद ने भेजा है। आपके पी. ए. का कोई रिश्तेदार है। हमारे स्टेटमैंट की कोई वेल्यू नहीं है। सबके सब माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसकी कोई वेल्यू ही नहीं है। आप खुद कह रहे हैं लेकिन फिर भी एन्टीकरप्शन के सामने उसकी कोई वेल्यू नहीं है—इस तरह भेजकर रिपोर्ट करवा लें ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जो आपका डिपार्टमैंट है उसको रखने से लाभ क्या है। उसकी सलाह नहीं माने सस्पेन्शन नहीं करें। कभी कभी तो पकड़ा जाय और उसको भी छोड़ दिया जाय तो रिश्वत कैसे रुकेगी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको याद होगा हाउस में ऐडजोर्नमैंट मोशन था। उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है ।

श्री दौलतराम सारण : माननीय मंत्री जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं क्या वह अधिकारी रेड हैन्डेड पकड़ा गया था ?

श्री मथुरादास माथुर : यह तो एन्टी-करप्शन की रिपोर्ट, ट्रेप केस के बारे में....

श्री दौलतराम सारण : गृह मंत्री जी बैठे हैं, पूछ लें उनसे क्या वह अधिकारी रेड हैन्डेड पकड़ा गया था ? मेरा डाइरेक्ट क्वेश्चन है आप 'हां' या 'ना' में उत्तर दें। (विराम) मैं यह जानना चाहता हूं गृह मंत्री जी और वित्त मंत्री जी दोनों मौजूद हैं। एक्साइज मंत्री जी बतायें क्या वह अधिकारी रेड हैन्डेड पकड़ा गया था ? (विराम) वह पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। यह बता दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : आप बैठिये मैं जवाब देता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप यह कह रहे हैं मेरे पास उस रिप्रजेन्टेशन की कापी आई जो होम मिनिस्टर सहाब के पास आई है। उस बेसिस पर क्या आपने एन्टीकरप्शन को लिखा है कि मजीद एन्क्वायरी की जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जो रिप्रजेन्टेशन आया था उसको फारवर्ड कर दिया डी. आई. जी. एन्टीकरप्शन के पास में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब आपने मान लिया।

श्री भैरोंसिंह : आपने रिप्रजेन्टेशन को इतना वेट नहीं दिया। अपॉइन्टमैंट्स को लिखा है। क्या पहले वाले कारण पर्याप्त नहीं थे। विजिलेन्स कमीशन को भेजा जाय आपने डाईरेक्ट भेज दिया।

श्री दौलतराम सारण : वह रेड हैन्डेड पकड़ा गया या नहीं। यह नहीं बताया गया है।

श्री मथुरादास माथुर : गृह मंत्री जी ने एन्टीकरप्शन के पास भेजा था और मैंने वह कागज अपॉइन्टमैंट्स के पास और विजिलेन्स कमीशन के पास भेजा था। जो फैक्ट्स आये हैं....

श्री भैरोंसिंह : उसके रिप्रजेन्टेशन को यूं का यूं भेजा जाता है या....

श्री मथुरादास माथुर : आप बतायें मैं उसका क्या करता मैं अपॉइन्टमैंट्स को नहीं भेजता ?

श्री भैरोंसिंह : प्रेक्टिस में क्या यह नहीं है कि ट्रेप केस ज्यों ही आयेगा गवर्नमैंट अरेस्ट करने की कोशिश करेगी ?

श्री मथुरादास माथुर : वह अरेस्ट हो चुका है और उसकी जमानत हो चुकी है।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय विजिलेन्स कमीशन का अपॉइन्टमैंट हुआ था उस समय गवर्नमैंट की तरफ से यह एश्योरेन्स किया गया था कि उसकी सलाह को माना जायगा और एन्टीकरप्शन के डी. आइ. जी. जो डील करते हैं, ज्यादती न हो इन सारी एक्टिविटीज को और विजिलेन्स कमीशन की राय को जनरली असेप्ट करेगी। इस प्रकार का फैसला हुआ था। अब विजिलेन्स कमीशन ने लिख दिया इस अधिकारी के खिलाफ यह ऐक्शन लेना है तो दुबारा उसकी ऐडवाइज क्यों सीक कर रहे हैं ? मैं समझता हूं मामला........

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमैंट यह कह देती है—

I was in my full right to say.......

मगर मैंने यह नहीं कहा मेरे सामने यह फैक्ट्स आये हैं। अब वे फैक्ट्स गलत हैं या सही हैं। डी. आई. जी. एन्टीकरप्शन के पास भेजा था उसके बाद विजिलेन्स कमीशन—Ultimately they were sent. Let the authority say what is there ?

श्री भैरोंसिंह : ऑफिसर ऑफिसर है वे भी आपके इन्टेन्शन को समझते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : When I applied my mind........

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदया, ज्यादा अच्छा हो विजिलेन्स कमीशन और एन्टी-करप्शन दोनों डिपार्टमैंट्स को खतम कर दिया जाय।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री मदनसिंह : इस केस के अन्दर और ए. डी. एम. सीकर में क्या अन्तर है ?

श्री देवीदत गाड़िया : माथुर साहब क्या यह मानकर चलें कोई गजेटेड ऑफिसर अरेस्ट होता और एन्टीकरप्शन व विजिलेन्स विभाग सिफारिश करेगा तब भी वह सस्पेन्ड नहीं होगा और हर आदमी माथुर साहब के पास कारण लिख करके भेज देगा और फिर माथुर साहब यह लिखकर भेज देंगे........

श्री मनोहरसिंह मेहता : हर आदमी माथुर साहब का रिश्तेदार थोड़े ही होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : चोरों को प्रोत्साहन देते हैं उनको पनाह देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और फिर एक तरफ ईमानदारी की बात करते हैं इससे आपको शर्म आनी चाहिये........

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस केस में रंगे हाथों पकड़ा है........

श्री देवीदत्त गाड़िया : चोरों और बेई-मानों की वकालत करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : You have shown your currupt face in the House.

श्री देवीदत्त गाड़िया : बड़े अफसोस की बात है।

श्री मथुरादास माथुर : जो कुछ मैंने एक्शन लिया है........

श्री देवीदत्त गाड़िया : गलत लिया है।

श्री मथुरादास माथुर : आपकी राय हो सकती है........

(पुनः शोरगुल)

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप स्वीकार क्यों नहीं कर लेते मुझ से गलती हो गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गुण्डों को उसके पीछे पटक दिया है और उसकी जान के लाले पड़ गये हैं........

श्री दौलतराम सारण : इस सदन में यह कहा था कि इस तरह से केस को दबाया जा रहा है। जबरदस्ती उनके बयान कर-

Page No 196

(श्री दौलतराम सारण)
वाने की साजिश करवाई जा रही है। समय से पहले कहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बतायें क्या बयान थे जिस पर दुबारा विचार किया।

श्री विजयसिंह : एन्टीकरप्शन को और विजिलेन्स कमीशन को कठपुतली बनाना चाहते हैं। माथुर साहब इस तरह काम नहीं चलेगा।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदया, इस सवाल को लेकर माननीय सदस्यों में काफी उत्तेजना है.........

श्री दौलतराम सारण : एक सवाल पूछना चाहता हूं.........

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य जवाब देने दें। इसका जवाब दें उसको सुनें।

श्री दौलतराम सारण : जवाब है नहीं देंगे क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : जो कार्यवाही की गई है मैंने उसको सदन के सामने रख दिया, और मैं इस बात को मानता नहीं हूं उत्तेजना के बाद में भी कि न तो मैंने विजिलेन्स कमीशन को इन्फ्लुएन्स किया है और न किसी को इन्फ्लुएन्स किया है। मेरे पास जो फैक्ट्स फाइल में आये हैं और उन फैक्ट्स में........

श्री भैरोंसिंह : आपके पास फाइल आई तो नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : मेरी बात सुनें। मैंने तो विजिलेन्स कमीशन को इन्फ्लुएन्स नहीं किया। विजिलेन्स कमीशन के पास में जो डेटा भेजे थे वह डेटा होम मिनिस्टर ने भेजे थे। मुझको भी भेज दिये तो उसके पहले विजिलेन्स कमीशन ने कह दिया कि सस्पेण्ड कर दो तो सस्पेण्ड कर देंगे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पर्सनल रिप्रजेन्टेशन थ्रू प्रॉपर चैनल भेजा या डाइरेक्ट भेजा है ?

श्री मथुरादास माथुर : होम मिनिस्टर की कापी मेरे पास आई.........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसकी काग्नीजेन्स आपने कैसे ले ली ? वह थ्रू प्रॉपर चैनल क्यों नहीं आया और उसकी आपके पास डाइरेक्ट एप्रोच कैसे है ? किसी भी गजेटेड ऑफिसर का डाइरेक्ट रिप्रेजेन्टेशन आपने कभी एन्टरटेन किया है ? वह प्रॉपर चैनल क्यों नहीं आया ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपके पास सीधा नहीं आना चाहिए था। क्या अधिकार है सीधा भेजने का ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसने बयान यह दिया है कि पैसा नहीं दिया है इसलिए एन्टीकरप्शन वालों ने जबरदस्ती पकड़वाने की यह कार्यवाही की है।

श्री मथुरादास माथुर : फैक्ट्स के ऊपर मैं फैसला करना नहीं चाहता था। यह कहते हैं कि यह कान्ट्रेक्टर आया था और उसने 100 रुपये दिये और उसके बाद पुलिस ने पकड़ा तो उसकी एप्लीकेशन के अन्दर यह था कि 100 रुपये शराब परचेज करने के लिए दिये थे। वह पेटी कान्ट्रेक्टर था तो उसने कहा कि आज छुट्टी है इस-

(श्री मथुरादास माथुर)
लिए उसको 100 रुपये की शराब दिला दी जाय तो मैंने कहा कि बाबू को बुला लो और रुपये जमा करा दो और वह शराब के लिए ऑर्डर दे देगा। वह बाहर गया और डी. वाई. एस. पी. को लेकर आगया और 100 रु. बरामद हो गये। उस कॉन्ट्रेक्टर ने बयान दिये दूसरे मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में कहा है।

श्री भैरोंसिंह : वह बयान हो सकते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वह आप बुलाकर करवा सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : कम्प्लेनेन्ट ने कहा है। जिस आदमी से काम करवाया है और 100 रुपये पुलिस से पकड़वाया है उसने कहा है कि मेरी कोई मन्शा नहीं थी। मैंने कहा कि शराब दे दो। बाद में पुलिस ने उसका कन्क्लूजन बतलाया है। स्टेटमैन्ट्स मुन्सिफ मजिस्टेट की कोर्ट में है।

श्री भैरोंसिंह : माथुर साहब, एक बात तो आपको याद होगी कि गृह मन्त्रीजी ने जिस समय यह आदमी पकड़ा गया तो माननीय सदस्य जो अलवर से आये हैं उन्होंने एक एडजोर्नमैंट मोशन मूव किया था सदन में उस समय उन्होंने बतलाया था कि जिस व्यक्ति या कॉन्ट्रेक्टर ने उसको पकड़वाया है तो उस व्यक्ति के पीछे एक्साइज डिपार्टमैंट के आदमियों ने गुण्डे लगा दिये हैं और उसके बयान को बदलवाया जा रहा है और उसकी जान को खतरा है तो माननीय गृह मन्त्रीजी ने कहा था कि इस स्थिति में उसकी लाइफ की सुरक्षा के लिए सब प्रकार की व्यवस्था की जायगी। ऐसी स्थिति में यह बयान उसने नहीं दिये हैं बल्कि उससे बदलवाये गये हैं। अगर इस तरह की हरकत जारी रही तो कोई भी कम्प्लेनेन्ट नहीं आयेगा।

श्री मथुरादास माथुर : जब मोशन रखा था तो यही कहा था तो कोई विचार नहीं और न फाइल थी। फाइल अभी आई है थोड़े दिन पहले मेरे पास। उसके बाद में मैंने यह कहा कि कुछ नहीं किया जाय और यह फैक्ट्स एन्टीकरप्शन डिपार्टमैंट को ...

श्री भैरोंसिंह : आपने नहीं कहा था तो उसके सस्पेन्शन की परमिशन क्यों नहीं दी। यह भी नहीं किया, वह भी नहीं किया तो उस आदमी को सस्पेण्ड क्यों नहीं किया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह यह गारन्टी देकर और यह कह कर आया था कि मैं यहीं रहूंगा और अगले साल उस कॉन्ट्रेक्टर को देख लूंगा। ही हैज एक्चुअली केरीड दिस थ्रेट टू दोज पर्सन्स। इतना होने के बावजूद आप यह कहें तो यहां पर एम. एल. एज. जो इतना चिल्लाते हैं वे क्या बेवकूफ हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह कह दूं कि सब जिलों का रिआर्गेनाइजेशन हो रहा है और ट्रान्सफर्स हो रहे हैं और उसका भी ट्रान्सफर हो रहा है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अब तक ट्रान्सफर क्यों नहीं किया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमें कोई दिलचस्पी नहीं है उसके ट्रान्सफर में। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि कोई डाइरेक्ट कम्युनिकेशन करता है, आपसे तो आप ऑर्डर नहीं देते हैं और उस पर किसी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
प्रकार का एक्शन ले लेते हैं। उसने आपको एक कापी दे दी और उस कापी पर आपने एक्शन ले लिया। किसी पर तो आप इन-सबोर्डिनेशन का मामला चलाते हैं और उसकी केवल उस कापी पर आपने एक्शन ले लिया।

श्री मथुरादास माथुर : वह मैं मन्ज़ूर कर रहा हूं। मेरे पास कोई रिप्रजेन्टेशन नहीं आया। मेरे पास में कापी आई है कोर्ट से तो मैंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और यही कहा कि इन फैक्ट्स को भी देख लिया जाय। आप कोई ऑफिसर हों और कोर्ट आफ लॉ में कोई उपस्थित हो जाय और उसके फैसले की कापी आ जाय तो क्या उसको काग्नीजेन्स नहीं देंगे?

श्री भैरोंसिंह : मैं एक बात पूछना चाहता हूं एक तो विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट आ गई कि इस आदमी को इस तरह से ट्रैप किया है और उसको गिरफ्तार करना चाहती है आप उसको सस्पेण्ड करें। एक तो विजिलेन्स कमीशन है, जिसका चेयरमैन एक रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी है जिसकी इन्डिपेन्डेन्ट एन्टीटी है या डी. आई. जी. समझ लें, उनकी रिपोर्ट आती है और उसकी तुलना में एक रिप्रजेन्टेशन जो होम मिनिस्टर साहब को दिया गया है, डाइरेक्टली और उसकी कापी बिना प्रोपर चेनल के आपके पास आती है तो उस पर आप इतना कॉग्नीजेन्स ले लेते हैं....

श्री मथुरादास माथुर : ट्रू कापी कोर्ट के स्टेटमैन्ट की है। किसी कोर्ट में दिये गये स्टेटमैन्ट की ट्रू कापी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसका परिणाम यह निकलता है कि विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट आये उसकी कोई वेल्यू नहीं और उस आदमी का रिप्रजेन्टेशन आये जिसको कि एन्टीकरप्शन डिपार्टमैंट ने ट्रैप किया है उस आदमी का वेट ज्यादा है और विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट का कुछ नहीं?

श्री मथुरादास माथुर : एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट ने किया है, लेकिन कोर्ट के अन्दर उस आदमी ने जो स्टेटमैंट दिया है....

श्री किशनलाल शाह : उसका बयान है तो उसकी कीमत क्या है?

श्री मथुरादास माथुर : बयान मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हुए ये उसकी ट्रू कापी है। ट्रू कापी नहीं होती और उसका खुद का कहना होता तो इम्पार्टेन्स नहीं देते, लेकिन उसने कोर्ट में जाकर बयान दिये हैं।

श्री किशनलाल शाह : यह कैसे मान लिया आपने कि आगे जाकर वह कन्विक्ट नहीं होगा। इट इज फॉर दी कोर्ट टू डिसाइड। आपने यह कैसे मान लिया कि उसके यही बयान रहेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : एक दूसरे केस में बयान हुए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसके फैक्ट्स क्या मालूम हुए? उस केस में इन बयानों का कोर्ट ने डिस्प्ले किया या नहीं किया, यह आपको क्या मालूम है?

श्री मथुरादास माथुर : यह मैंने मालूम नहीं किया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या मालूम किया ? एक तरफ तो एन्टीकरप्शन डिपार्टमैंट और विजिलेन्स कमीशन जो कि गवर्नमैंट का है उन्होंने ट्रैप किया है जो कि प्राइमाफेसी इस बात का सबूत है कि यह आदमी करप्ट है और ऐसे करप्ट आदमी को सस्पेण्ड करने के लिए कहा तो फिर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में जाकर दुबारा रिपोर्ट लें और फिर से रिपोर्ट मांगें और कमेन्ट मांगें तो यह कोई वाजिब बात नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने इतना ही कहा है कि स्टेटमैंट को देख लें और अपनी एडवाइस दे दें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : किसी मिनिस्टर का लिखना बहुत बड़ी बात नहीं। आप बेईमान, भ्रष्टाचारी गजेटेड ऑफिसर्स को बचाना चाहते हैं। ऐसे आदमियों को होम मिनिस्टर संरक्षण नहीं देगा और कोई मिनिस्टर नहीं देगा लेकिन उसको माथुर साहब संरक्षण देंगे। यह एक सामान्य बात है। आपने बिल्कुल चोर आदमी को पनाह दी है। हम आपको भी जानते हैं और आपके बास को भी जानते हैं जो कि वकालत करते हैं ऐसे बेईमान आदमियों की। उनको हम सुनना नहीं चाहते जो लोकतन्त्र की दुहाई दें और समाजवाद का नारा लगायें····

श्री मेरोंसिंह : दो बात का फैसला कर दें और फिर आगे जाने दें।

एक माननीय सदस्य : आगे कितनी दूर तक ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एस. एम. एस. हास्पिटल के डॉ. आर. के. शर्मा रिश्वत में पकड़े गये। उसके बारे में असेम्बली में क्वेश्चन उठा और होम मिनिस्टर ने कह दिया कि उसको सस्पेण्ड कर दूंगा क्योंकि वे उनके रिश्तेदार थे, पैसे का मामला नहीं था इसलिए सस्पेंड कर दिया। यह क्या तरीका हुआ कि एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट ने कह दिया कि यह करप्ट है यह बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड है। एन्टीकरप्शन डिपार्टमैंट ने ट्रैप किया है और विजिलेन्स कमीशन ने आपको रिपोर्ट कर दी। किसी ने गलत रिपोर्ट कर दी और आपको एक कापी एड्रेस कर दी उसको आप वेट देते हैं एन्टीकरप्शन डिपार्टमैंट और विजिलेन्स कमीशन यानी गवर्नमैंट ने उसको करप्ट मान लिया ऐसे करप्ट ऑफिसर को आप प्रोटेक्शन देकर हाउस में नहीं चल सकते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभानेत्री महोदया, एक्स चीफ सेक्रेटरी, जिनकी सारी जिन्दगी ईमानदारी के मामले में सबसे अच्छी रही है, उन्होंने ट्रैप किया है, तो वापिस उनको भेजा गया कि वापिस इसको देखो – इससे बढ़कर क्या दुःख की बात हो सकती है। इसलिए आप रखिए इसको और एन्टीकरप्शन के सुझाव के अनुसार करप्ट ऑफिसर है, इसको हटायें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वित्त मन्त्री जी, इतने सब फैक्ट्स आपके सामने आ गये हैं, फिर भी आपकी कांसस आपको यह कहने के लिए बाध्य नहीं कर रही है कि हाउस में खड़े होकर कहें कि मैं सस्पेन्ड करूंगा। आप यह नहीं कह सकते ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरा निवेदन है, सस्पेन्ड करना न करना महत्व नहीं रखता, इस पॉइन्ट पर, इसलिए····

श्री देवीदत्त गाडिया . आपकी ड्यूटी है सबसे पहले। आप मिनिस्ट्री में क्यों बैठते हैं। आपकी यह मोरल ड्यूटी है।

श्री मथुरादास माथुर : अभी फाइल पर नहीं कहा है कि मैं सस्पेन्ड नहीं करूंगा। पहले यह कहा है....

श्री मदनसिंह : आप कहें कि सस्पेन्ड कर दें। मोरल यह कह रहा है कि कर दें, फिर भी आप दबेंगे नहीं। आपका मोरल यह कह रहा है कि कर दें। यह इस तरह पकड़ा गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारा इस पर्सन से कन्सर्न नहीं है। हम राजस्थान में करप्शन को इरेडिकेट करना चाहते हैं तो हमें यह करना पड़ेगा। मुश्किल से करप्शन का केस ट्रेप में आता है, पकड़ में आता है, उसको भी आप प्रोटेक्शन देते हैं यह दुःख की बात है।

श्री दौलतराम सारण : हम न ऑफिसर को जानते हैं, न उसकी शक्ल का पता है, न उसके रिश्तेदारों का पता है, लेकिन सवाल इतना है, एक ऑफिसर पकड़ा गया, रिश्वत के मामले में रंगे हाथों पकड़ा गया। उस ऑफिसर को सम्बन्धित विभाग के मंत्री बचाते हैं और उसको सस्पेंड नहीं करते हैं। और दुबारा वापिस पुर्नविचार के लिए भेजते हैं—यह बात सबसे बड़ी वेदना-कारक है, और यह बात हौसला परस्ती करती है उस ऑफिसर की, जो पकडा गया है। अगर वह दोषी नहीं है और अगर उसको पकड़ने वाला दोषी है, तो गृह मन्त्री जो यहां बैठे हैं, उस पकड़ने वाले को सस्पेन्ड किया जाय। यह गलत तरीका है कि इस तरह से ट्रेप में आये, पकड़ा जाय, उसके बाद भी उसको सस्पेन्ड नहीं किया जाय। माननीय मन्त्री कहते हैं, आप कहते हैं तो सस्पेन्ड कर दूं, तो हम क्या कहें, हमारे कहने का सवाल नहीं है, न हमारी उससे लड़ाई है, न झगड़ा है, न उसको शक्ल से जानते हैं, न उसका पता है। हम इस बात को समझना चाहते हैं कि इस तरह खुले आम बेईमानी करे और बेईमानी में कभी कभी कोई पकड़ा जाय, उसको इस तरह से पनाह दी जाय या बचाया जाय यह गलत तरीका है। हम इसका विरोध करते हैं। इसलिए वित्त मंत्री जी ने कहा है, यह गलत है, गैर वाजिब है और पक्षपात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गृह मन्त्री जी, आप यह बता दीजिये कि ट्रेप कब हुआ था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सभानेत्री महोदया....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और क्या प्रोग्रेस है।

श्री दामोदरलाल व्यास : दो मिनिट मेरी बात सुन लीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जरूर सुनेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस मामले को लेकर सदन में काफी उत्तेजना है। इस उत्तेजना को वाजवियत को मैं महसूस करता हूं। मामला इस तरह का है कि एक ऑफिसर एक्साइज डिमार्टमेंट का ट्रेप हुआ, पकडा गया—इसमें कोई दो राय नहीं है....

श्री विजयसिंह : थैंक यू।

श्री दामोदरलाल व्यास : उस आदमी के 164 के अन्दर मजिस्ट्रेट के सामने बयान

Page No 201

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कलम बन्द हुए, मगर उस आदमी ने, जिस आदमी ने वह सौ रुपये का नोट रिश्वत में देना कह कर एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट के आॉफिसर से ट्रेप करवाया था, उसने एक दूसरे मुकद्दमें में अन्य मजिस्ट्रेट के सामने अपने पहले स्टेटमेंट को बदला, तथा पहिले जो 164 के तहत बयान कलम बन्द कराये थे उन्हें कन्ट्राडिक्ट कर दिया......

श्री मदनसिंह : वकील ने करा दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : उसने रिजाइल कर दिया, यह कहना चाहिए था, उसने कुछ वजूहात बताई थी—वह मुझे इस वक्त याद नहीं है क्यों कि मुझे पता नहीं था, इस मामले पर अर्ज बहस होगी। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि उसने पुराने स्टेटमेंट से रिजाइल किया। यह रिजाइल किया हुआ स्टेटमेंट, 164 का स्टेटमेंट, की जो एफ. आई. आर. दर्ज थी, और जो विटनेस था, और जो ट्रेप हुआ है—इन सब की डी. आई. जी., एन्टीकरप्शन के जरिये बिल्कुल निष्पक्ष जांच कराई जायगी। यह विश्वास रखिये कि किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी और मैं इस सदन को चार पांच रोज के अन्दर सूचना दे दूंगा कि उसका रिजल्ट क्या रहा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ट्रेप कब का है? मैं यह जानकारी कर रहा हूं, यह ट्रेप कब हुआ था? ट्रेप होने के बाद दूसरा दावा कब हुआ? क्या यह सही है कि यह ट्रेप आज से दस महीने पहले हुआ था?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : गृह मन्त्रीजी, आप तो स्वयं वकालत करते थे, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, कि जो प्रोसीजर एडॉप्ट किया गया है, यह नोबल है, यह प्रॉसीजर राजस्थान सरकार को एडॉप्ट करना चाहिए था क्या?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज करना चाहता हूं, यह ट्रेप हुए काफी अर्सा हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दस महीने के पहले हो गया था, लास्ट ईयर का केस है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मालूम नहीं है। यह बात जरूर है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : 16 अगस्त का है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने एक एडजोर्नमेंट मोशन के जरिये से कहा था कि इस तरह से उसके ऊपर दबाव डाल कर उसके बयान तब्दील कराने की कोशिश की जा रही है। मैंने अलवर से आने वाले माननीय सदस्य को विश्वास दिलाया था कि इस तरह की कार्यवाही, यदि किसी के ऊपर नाजायज दबाव डाला जायगा, वह नहीं करने दूंगा। मैंने इस मामले में जानकारी की। उसका बयान अदालत में हो चुका था, इसलिए दबाव को रोकने का प्रश्न पैदा नहीं होता था। इसमें कोई शक नहीं है, अर्सा काफी हो चुका है, अब मैं तारीख नहीं बता सकता कि कब हुआ ट्रेप, मैंने अर्ज किया, मैं तैयार होकर आया नहीं हूं क्यों कि आज यह सब्जेक्ट नहीं था, मैं जानता हूं कि पिछले विधान सभा के अधिवेशन में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा उसका मैंने जवाब दिया था, उसका मतलब यह था कि उस वक्त ट्रेप हो चुका था, अगस्त का महीना था...

श्री रामानन्द अग्रवाल : 16 अगस्त।

श्री दामोदरलाल व्यास : अगस्त का महीना था, उस वक्त बात आई थी, यह ट्रेप उस वक्त हुआ था। जैसा मैंने कहा, उसने अपने बयान से रिजाइल किया है यह रिजाइल किये हुये स्टेटमेंट की, शहादत की जांच की जा सकती है—यह बात नहीं है। जो स्टेटमेन्ट से रिजाइल किया है, उससे उसके स्टेटमेंट की वक्त नहीं रही है। एन्टी-करप्शन के कैसेज के अन्दर कुछ प्रिजम्प्शन आॅफ ला हैं, उसकी वजह से एक मुलजिम, मुस्तगीस अपने बयान से रिजाइल करता है तो प्रिजम्प्शन प्राॅसीक्यूशन के खिलाफ हेल्पफुल होता है। इसलिए मैंने अर्ज किया, एक हफ्ते के अन्दर सारे केस को एक्जामिन करके आपको असलियत की सूचना दे दूंगा जो एन्टीकरप्शन के डिपार्टमेंट के डी. आई. जी. हैं, आप सब जानते हैं, किसी का लिहाज करने वाले नहीं हैं। इससे आप वाकिफ है, इसलिए मैं कहूंगा....

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : कौन है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कहूंगा तो भी लिहाज नहीं करेगा। मैं अर्ज करूंगा, उसकी सही राय होगी, उससे मैं अवगत सदन को करा दूंगा।

श्री मदनसिंह : आप बहुत बड़े वकील रहे हैं। कॉमनसैन्स की बात जो फर्माई, तो मैं पूछना चाहता हूं, जैसा आपने फर्माया कि जिसने पकड़ाया उसकी गवाही गलत हो सकती है, यह गवर्नमेंट को मालूम हो गया है—यह सत्य है तो जो पकड़ाये, वह घूस खा जाये और गवर्नमेंट को मालूम हो जाय तो क्या गवर्नमेंट सजा नहीं दे सकती। हम कहें तो क्या कहने पर ही सजा देंगे। भैरोंसिंह साहब ने कहा है, अगर गलत काम किया है, गलत बयान देकर आॅफिसर को मारता है—आपका यह कहने का मतलब है कि गलत बयान दे तो आॅफिसर तो बच जाता है, लेकिन जब आपको मालूम हो गया कि घूस खा गया तो उसको सजा क्यों नहीं देते हैं। आपका मतलब यह है कि गवाह हो कर आॅफिसर को मार जाय और गवर्नमेंट को मालूम हो जाय, एन्टी-करप्शन रिपोर्ट दे दे कि सौ रुपये ले लिये हैं तो यह काफी है सजा के लिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : सजा अदालत देगी, माननीय सदस्य, हम अदालत में पेश करेंगे।

श्री मदनसिंह : आप पेश कर दें, लड्ढा साहब का किया है, दूसरों का किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इतना और बता दीजिये, याद हो तो....

श्री दुर्गालाल बादवार : आप मुकदमा पेश करने वाले कौन हैं, यह तो....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सस्पेन्शन करना न करना अलग बात है, यह डिपार्टमैंटल एक्शन की बात है। यह एक्शन ले लेते हैं, कुछ कैसेज में ले लेते हैं। लेकिन प्राॅसीक्यूशन करने की सेंक्शन दी या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई जरूरत नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्यों ? प्राॅसीक्यूशन करने की सेंक्शन करने की जरूरत क्यों नहीं हैं ? सस्पेन्शन नहीं किया....

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास फाइल सस्पेन्शन की आई थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह आज तक नहीं आई है।

श्री मथुरादास माथुर : आर. ए. एस. के लिए एपॉइन्टमेंट डिपार्टमेंट करता है। मेरे पास प्रॉसीक्यूशन का मामला नहीं आया था, सस्पेन्शन के लिए आया था आर. ए. एस. है, यह एपॉइन्टमेंट डिपार्टमेन्ट के तहत है। मेरे पास नहीं है। मेरे पास आये तो मैं वापिस उनको भेज दूंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : सस्पेन्शन के लिये ट्रैप होने के बाद लिख दिया जाता है। सेंक्शन के लिए, जब प्रॉसीक्यूशन की तरफ से इन्वेस्टीगेशन पूरी हो जाती है और चालान के लिए मुकदमा तैयार हो जाता है और विजिलेंस कमीशन प्रॉसेस करके यह समझ लेता है कि यह चालान होने लायक है, तब दावे के लिए सेंक्शन के लिए लिखा जाता है।

श्री मदनसिंह : स्पेसिफिक क्वेश्चन है, गवर्नमेंट को यह मालूम हो जाय....

श्री रामचन्द्र आर्य : यह साबित होता है कि बेईमान है तो फिर हटाया क्यों नहीं ?

श्री मदनसिंह : यह स्पेसिफिक क्वेश्चन है, गवर्नमेंट को मालूम हो जाय, गलत ऑफिसर फंस रहा है, गवाह गलत है, गवाह तो बदलते रहते हैं आप केस चलायें।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह : यों नहीं बैठूंगा। इस पर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर कोई गवर्नमेन्ट का अधिकारी फंस गया है, और सरकार को मालूम है कि गलत तरीके से फंसा है, और सरकार के पास गवाह मौजूद है फंसाने का, तो क्यों केस नहीं चलाते ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कहां मालूम हो गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार के पास जानकारी गवाहों से होती है, गवाह के बयान से मुकदमा साबित होता है, जुर्म साबित होता है। इसलिए आपका सवाल, मेरे खयाल में कतई वाजिब नहीं है। सरकार को इलहाम नहीं होता है कि पता लगा लें। शहादत पर फैसला करना पड़ता है कि मुकदमा झूठा है या नहीं।

श्री मदनसिंह : चाहे झूठा हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने बताया कि ट्रैप होता है, इमीजियेटली सस्पेन्शन के लिए देअर आफ्टर मूव कर देते हैं। तो इसमें दस महीने पूरे हो गये, इमीजियेटली सस्पेन्शन के लिए कागज मूव हो गये, तो निर्णय लेने में दस महीने लगे कि सस्पेन्शन किया जाय या नहीं। आपका प्रॉसीजर है, इमीजियेटली मूव कर दिया जाता है, सस्पेन्शन के लिए वह मूव हो गया। तो माथुर साहब, इन्क्वायरी में और फरदर एक्शन में आठ महीने, नौ महीने का समय लग गया। माथुर साहब बतायें कि रिप्रेजेंटेशन कब आया ?

श्री मथुरादास माथुर : वह याद नहीं है। फाइल मेरे पास नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : सदन की सहमति हो, तो जो गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया

(श्रीमती सभानेत्री)
है कि एक हफ्ते में जानकारी दे देंगे, उसके ऊपर विचार कर लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गृह मंत्री जी से हाउस को इस सम्बन्ध में नाराजगी नहीं है, एट दिस मूमेंट गृह मंत्री से कुछ नाराजगी नहीं है। ऐसा लग रहा है गृह मंत्री जी एक्शन लेना चाहते हैं, एन्टीकरप्शन ने ट्रैप किया है और विजिलेंस कमीशन ने कहा है। लेकिन हमारी वित्त मंत्री जी से नाराजगी है....

श्रीमती सभानेत्री : क्या किया जाय। इस प्रकार प्रश्नोत्तर चलें तो क्या किया जाय।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : नौ महीने में तो जमाना बदल जाता है, बच्चा नया पैदा हो जाता है, नौ महीने में सस्पेन्शन का ऑर्डर नहीं निकला।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य !

श्री मदनसिंह : इसके दो ही इलाज हैं, या तो वित्त मंत्री जी कह दें कि मेरा ऑफिसर करप्ट नहीं है या आप सस्पेन्ड कर दें।

श्रीमती सभानेत्री : आप क्या कहते हैं, दूसरे माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी की बात आपने सुनी है और इस सदन ने भी सुनी हैं। पुलिस डिपार्टमेंट या गृह विभाग अभी तक यह कहने की स्थिति में नहीं है, विजिलेंस कमीशन या एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट ने जो प्रारम्भिक रिपोर्ट सस्पेन्ड करने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट और एक्साइज मिनिस्टर को भेजी है, उसमें किसी प्रकार की तब्दीली करने की आवश्यकता है ? उन्होंने कहा है, जाँच करके बता देंगे। यह नहीं कहा है कि जो पहले रेफर किया था, जिसमें सस्पेन्शन की डिमाण्ड की थी, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता है--यह गृह मंत्री जी ने नहीं कहा। गृह मंत्री के पास रिप्रजेंटेशन गया, उन्होंने विजिलेंस कमीशन के पास भेजा, विजिलेंस कमीशन ने डी. आई. जी. के पास भेजा....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने उस रिप्रेजेंटेशन को डाइरेक्टली डी. आई. जी. एन्टीकरप्शन के पास भेजा है, विजिलेंस कमीशन के पास नहीं भेजा है। मैंने कहा आपको गलतफहमी हो रही है, आया पुलिस डिपार्टमेंट, एन्टीकरप्शन इस पोजीशन में है या नहीं, यह मुकदमा काबिले चालान है। जवाब दे देता हूं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आपको मालूम है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कहना चाहता हूं, विजिलेंस कमीशन, एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट की राय होगी। मैं हफ्ता बता रहा हूं, हो सकता है मैं जल्दी उसके बारे में जानकारी दे दूं।

श्री भैरोंसिंह : मेरे कहने का मतलब यह नहीं है। आप कह रहे हैं, प्रॉसीक्यूशन की सेंक्शन लेने की आवश्यकता जब होगी, आवश्यकता है या नहीं, यह मेरे कहने का मतलब नहीं है। मेरा क्वेश्चन है, सिम्पल है, शुरू शुरू में डी. आई. जी. ने एक्साइज डिपार्टमेंट को मूव किया कि अधिकारी को

Page No 205

(श्री भैरोंसिंह)

ट्रेप किया है, इसको सस्पेन्ड किया जाय, तो क्या मथुरादास जी के पास में साइमलटेनियसली रिप्रजेंटेशन आ गया था ? आपकी बात से लगता है कि सस्पेन्शन के कागज नहीं पहुंचे थे कि उसके पहले रिप्रजेंटेशन आपके पास आ गया था....

श्री मथुरादास माथुर : पहले फाइल आई थी, रिप्रजेंटेशन बाद में आया....

श्री भैरोंसिंह : पहले फाइल आई ?

श्री मथुरादास माथुर : यह याद पड़ता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फाइल आ गई तो दस्तखत क्यों नहीं किये ?

श्री भैरोंसिंह : फाइल आ गई तो आपने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया ?

श्री मथुरादास माथुर : मुझे डेट्स याद नहीं है।

श्री श्रवणलाल : यह इन्तजार कर रहे थे कि वह अधिकारी आकर मिले और पैसा दे तो मैं वकालत अच्छी तरह से करूं।

श्री भैरोंसिंह : इनके पास फाइल आई....

श्री मथुरादास माथुर : फाइल आई या पैपर—मुझे याद नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : पहले फाइल आई क्योंकि रामानन्दजी ने एडजोर्नमेंट मोशन मूव किया था कि बयान बदलवा रहे हैं, बदले हुए बयान दिये गये हैं। तो इतने दिन प्रतीक्षा करने के बाद वित्त मन्त्रीजी ने फाइल को रिप्रजेंटेशन के साथ विजिलेंस कमीशन को भेज दिया विजिलेन्स कमीशन ने छः सात महीने वह पेंडिंग रखा, छः सात महीने तक विजिलेंस कमीशन ने दुबारा नहीं लिखा—इस आदमी को सस्पेन्ड किया जाय – यह नही लिखा। गृह मन्त्रीजी जो वक्तव्य दे रहे हैं, जैसा गृह मन्त्रीजी ने कहा कि गवाह रिजाइल कर गया। लेकिन वित्त मन्त्री जी उसको सस्पेन्ड करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो क्या विजिलेंस कमीशन ने सस्पेन्शन के लिए लिखा था, वह गलत लिखा था ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं नहीं कह रहा कि विजिलेंस कमीशन के कागज, फाइल....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा कहना है कि बयान इस बात के लिए रेलेवेन्ट हो सकते हैं कि प्रॉसीक्यूशन होना चाहिए या नहीं, लेकिन जहां तक सस्पेन्शन का मामला है, उसके लिए रेलेवेन्ट नहीं हैं। इससे तो आप ऐसा प्रिसिडेन्ट डाल देंगे कि एक आदमी ट्रेप हुआ तो इस तरह से बयान बदलने की प्रक्रिया चलती रहेगी। वह प्रॉसीजर पूरा हो चुका है, इसलिए कान्सीक्यूएन्सयल सस्पेन्शन हो जाना चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! क्या सदन की उद्विग्नता को देखते हुए आप किसी प्रकार का आश्वासन दे सकते हैं ? क्या कहना चाहते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आसन को भी उलझा दिया है।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा नम्र निवेदन है.........

श्री रामानन्द अग्रवाल : Everybody stands by weaker section.

श्री मथुरादास माथुर : मेरा नम्र निवेदन है, मेरी राय थी, वह विजिलेंस कमीशन को भेज दी। मेरे पास फाइल आई.....

श्री भैरोंसिंह : आप सस्पेन्ड करिये। यह क्या आपका फर्ज नहीं है। आप बचाते चले जा रहे हैं। आप जानते हैं मामले को, फिर भी कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है। इस हाउस में कोई भी आदमी आपकी बात का समर्थन नहीं करेगा। आप अकेले जिद करके बैठे हैं।

श्री दौलतराम सारण : सभानेत्री जी, आश्चर्य की बात है, एक आदमी ट्रैप में आ जाय, पकड़ा जाय और उसको आप सस्पेन्ड नहीं करें, उसको जनता की छाती पर बैठाये रखें, उसी जगह पर, नौ महीने तक रखें और सजा नहीं दें, उसको सस्पेन्ड नहीं करें, उसको बदले नहीं और लूटने के लिए, गवाह बदलने के लिए यहीं रखें। यह कौनसा तरीका है? यह बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

श्रीमती सभानेत्री : इसका सोल्यूशन क्या है?

श्री दौलतराम सारण : यह अराजकता नहीं हैं, कानूनी राज्य है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सस्पेन्ड तो होना चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री : सोल्यूशन देख रहे है, शांति से सुनिये।

श्री दौलतराम सारण : शांति? हम शांत हैं। अशांति शांति में बदल गई है। नौ महीने हो गये शांत रहते रहते।

श्री भैरोंसिंह : यह सदन को कह दें, क्या करे सदन।

श्रीमती सभानेत्री : यह सोच रहे है। आप सलाह दे दें।

श्री भैरोंसिंह : वह सोचें, हम क्या करें।

श्री मदनसिंह दांता : वह सोचें तब तक हम बोल जायें। मन्त्री जी कह दें ऑफिसर की गलती है.........

श्रीमती सभानेत्री : जब नतीजे पर पहुंचने जा रहे हैं, फिर उठ उठकर क्यों बात उठाते हैं। स्थान ग्रहण करिये।

श्री मदनसिंह दांता : आप कह रहे हैं, सोच रहे हैं।

श्रीमती सभानेत्री : जवाब दे रहे हैं, खड़े हुये हैं—बोलने दीजिये। एक साथ बोलते हैं, माननीय सदस्य। एक एक माननीय सदस्य बोलें, शांति से और प्रश्न पूछें। शोर करने से कुछ होगा नहीं।

माननीय मन्त्री जी, आप कुछ कहेंगे।

श्री भैरोंसिंह : उलझ गये।

श्री मदनसिंह : हमें मत कहिये, सभानेत्री जी ने पूछा है, उनको कहिये।

श्रीमती सभानेत्री : स्थान ग्रहण करें। कह रहे हैं, आसन को सम्बोधित कर रहे हैं।

श्री मदनसिंह : आसन ने पूछा है, हमने पूछा है, उन्होंने पूछा है आप क्या जवाब दे रहे हैं ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : गलत बात मत बता देना, व्यास जी साहब ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ! बोलने दीजिये । वित्त मन्त्री जी जवाब दे रहे हैं । माननीय सदस्य !

श्री मथुरादास माथुर : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूं कि ऐसे मसले में इसी वक्त, इसी स्पॉट पर फैसला करने के लिए मजबूर न करें । मैं सदन के माननीय सदस्यों के विचारों को समझ गया हूं, और माननीय गृह मन्त्री जी ने भी, एन्टीकरप्शन में, जैसा पहले कहा है, फाइनल करने के लिए कहा है मुझे आपके विचार मालूम पड़ गये, फाइल गई हुई है वहां पर अब मुझे स्पाॅट पर मजबूर न किया जाए, किसी बात को कहना सदन की शोभा नहीं होगी.....

श्री मनोहरसिंह मेहता : सदन की शोभा होगी । भ्रष्ट आदमी के लिये सस्पेंशन नहीं कर रहे हैं ? सदन की शोभा तो बढ़ेगी, आपकी भी शोभा बढ़ेगी ।

श्री भैरोंसिंह : माथुर साहब, सदन का इससे ज्यादा अपमान नहीं होगा कि इस सदन में सिवाय मथुरादास माथुर के कोई सदस्य नहीं है जो आपके एक्शन को एप्रीशियेट कर रहा हो, एक भी सदस्य नहीं है । उसके उपरांत भी आप मानने को तैयार नहीं हैं । इस बात से सदन का अपमान नहीं होता ? आखिर सदन सुप्रीम है, कम से कम इसका कहना मानना चाहिए.....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य । विधि मन्त्री जी बैठे हैं वह अपनी राय दे दें, कानून क्या कहता है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदन एडजॉर्न कर दें ।

श्री बरकतुल्लाखां (विधि मन्त्री) : न तो मेरे पास तथ्य हैं न कभी फाइल आई न मैं ऑफ-हैंड तरीके से राय दे सकता हूं ।

श्री मथुरादास माथुर : सभानेत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि अगर मैं फेवर करना चाहता तो उसको सस्पेन्ड न किया जाए, मैं उस फुल राइट में था, कई केसेज ऐसे हैं जहां पर चालान हो गया लेकिन सस्पेन्ड नहीं हुए.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मुन्शियों की कारीगरी होती है ।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा, इसको देखलो, सलाह दे दो, सदन समझता है कि ट्रेप केसेज में इन्वेरीएबली सस्पेंड होना ही चाहिए, तो मैं उनको सस्पेन्ड कर दूंगा ।

(विरोधी पक्ष द्वारा हर्षध्वनि)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, अब सहयोग दें, आगे चलायें ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : पहले ही मन्त्री कह देते तो इतनी देर नहीं लगती ।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे खेद नहीं है.... Don't misunderstand.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आगे चलिए you are doing your duty. You are giving respect to the House.

Page No 208

श्री यशवन्तसिंह नाहर : विधि मन्त्री ने बताया कि उनके पास फाइल नहीं गई। मैंने वाकयात जो सुने हैं उस बारे में सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस एस्पेक्ट को भूल गए हैं वह है इसमें साथ ही एन्टीकरप्शन विभाग से कमिश्नर के यहां रिपोर्ट आई कि अधिकारी सस्पेन्ड होना चाहिए। उसके बाद एक एस्पेक्ट और है.... It is another aspect of the case for consideration of the House.

श्री विजयसिंह कहां से आए हैं आप ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : बनेड़ा से आया हूं। प्राइवेट फर्म में कोई भी कर्मचारी 4 दिन सस्पेंड रहता है पेंडिंग इन्क्वायरी लेकिन हमारी सरकार में बरसों निकल जायें तो भी निर्णय न हो, आखिर हम क्या चाहते हैं ? कुछ आधार बनाना चाहते हैं। सरकार को मजबूर नहीं कर सकते। कोई अधिकारी डिफॉल्टर है, बदमाश है, बेईमान है, उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा लेकिन उसके बाद एक व्यवस्था है। आप 6 महीने से ज्यादा सस्पेंड नहीं करेंगे। एक एस्पेक्ट और है। 6 महीने तक अगर एनक्वायरी खतम नहीं होती तो सस्पेंशन आर्डर्स अपने आप खतम होने चाहिए। केसेज चलते रहेंगे और सरकार को हजारों रुपए बाद में देने पड़ेंगे। आखिर इस सदन को निर्णय करना है। एक सस्पेंशन केस में एक अधिकारी को कब तक सस्पेंड करेंगे ? मैं वाकयात पर निर्णय नहीं देना चाहता. मैं नहीं कहना चाहता कि ...

श्रीमती सभानेत्री : मंत्री महोदय उत्तर दें। ज्यादा लंबा न करें।

श्री मथुरादास माथुर : सदन के माननीय सदस्यों के विचार इस मसले को लेकर और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को जानते हुए कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन स्पॉट पर लेना ठीक नहीं था, लेकिन सदन की और डेमोक्रेसी की इज्जत बढ़े, उसमें मेरी इज्जत भी है, मुझे खेद नहीं है। अब उसको सस्पेंड करने का फैसला किया है। अगर उसका केस अदालत में प्रॉसीक्यूट होता है तो वह सस्पेंशन में रहेगा, अगर प्रॉसीक्यूशन नहीं करते हैं किसी कारण से, यह एन्टीकरप्शन विभाग को देखना है, तो उसमें सस्पेंशन नहीं रहेगा, डिपार्टमेंट एन्क्वायरी होगी क्योंकि हमारा रूल है अक्सर प्रॉसीक्यूशन करके जब कोर्ट में जाते ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्लैरीफिकेशन की स्टेज नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : अब मैं सेल्स टैक्स के कुछ मुद्दों पर जो माननीय सदस्यों ने उठाए हैं....

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं एक दो प्रश्न पूछ लूं या बाद में पूछलूं ?

श्रीमती सभानेत्री : काफी बहस हो चुकी है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : प्रश्न कब पूछें ?

श्रीमती सभानेत्री : बाद में।

श्री मथुरादास माथुर : सेल्स टैक्स को लेकर और एक झालावाड़ सी. टी. ओ. की ऑफिस की चर्चा की गई। मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह सरकार के विचाराधीन है, वर्कलोड को एग्जामिन कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि यहां पर सी. टी. ओ. की ऑफिस कायम करनी पड़ेगी, निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि कागज चल रहे हैं।

(श्री मथुरादास माथुर)

मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें रखीं। खास तौर से एडवांस टैक्स की, और भी कहा। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपील सुनाई। यह एडवांस टैक्स मार्च के महीने का टैक्स वैसे कानून से अप्रैल महीने में लेते हैं, मार्च का टैक्स अप्रैल में हम लोग वसूल करते हैं, क्योंकि साल खतम होता है 31 मार्च को, इसलिए अधिकारीगण 31 मार्च तक का टैक्स मार्च में ही ले लेते हैं, यह एडवांस टैक्स बन गया है। फिर भी हम इसको ठीक नहीं समझते और मैंने कमिश्नर साहब से कह दिया है कि आगे इस तरह एडवांस टैक्स लेना बन्द करें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो अपील बताई है उसकी काग्नीजेन्स लेकर एक्शन लेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : एक्शन लेने की बात नहीं है, यह चीज चलती आई है काफी समय से क्योंकि उन लोगों को आज दो ढाई करोड़ एडवांस टैक्स के मिलते हैं। दो ढाई करोड़ एरीयर्स हैं। वह बैलेन्स कर लेते हैं और एडवांस टैक्स के नाम से चलता है। ज्यादा तूल माननीय सदस्यों ने दे दिया तो मैंने कह दिया कि एकदम इस साल से बन्द कर दें तो रेवेन्यू गिर जाती है तो एक दो साल में बन्द कर देंगे ताकि शिकायत न हो वरना कोई फर्क नहीं पड़ता है मार्च का अप्रैल में आ जाता है। फिर भी आप लोगों की सदन में इच्छा थी तो मैंने कहा बन्द करना चाहिए और अगले साल कम्पलोटली बन्द कर देंगे।

कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने डी. सी. एम. के केस का जिक्र किया उस बारे में सदन में चर्चा कर चुके हैं और आदेश भी मैंने दे दिए हैं। डी.सी.एम. पहले तो बनाती है यार्न, फिर कोर्ड, फिर फैब्रिक। यार्न पर टैक्स मिलता है। कोर्ड बहुत कम बिकती है और ज्यादातर फैब्रिक आती है उसको लेकर पहले बम्बई कमिश्नर का फैसला था हमारी असेसिंग अथॉरिटी ने उस लाइट में उसको लिया। मद्रास हाई कोर्ट से फैसला हो गया उसके बाद सबके दिमाग में आया, उसके बाद चर्चा शुरू हुई और केसेज वापस रीओपन किए गए। सब बहस कर चुके हैं। अल्टीमेटली मैंने कहा था और आर्डर्स दे दिए कि वापस ओपन करके चालू किया जाए। भारत सरकार अगर....

श्री कृष्णकुमार गोयल : रीएसेसमेंट आर्डर्स जारी कर दिए ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां। सभापति महोदया, दूसरा मामला चल रहा है वह जे. के. सिन्थेटिक्स का है। पहले तो हैड ऑफिस का चला। कमिश्नर ने फाइनली तय कर दिया। कोटा में ऑफिस रखना पडेगा। अकाउन्टस् बुक रखनी पड़ेगी कोटा में। यह कमिश्नर ने तय कर दिया है। दूसरा मुद्दा यह है कि कानपुर और दूसरी मिल में भेजते हैं और टैक्स को अवाइड करते हैं और सरकार को सेल्स टैक्स नहीं मिलता है। यह मामला नोटिस में आया तो हमारा वहां पर स्पेशल ऑफिसर है उसने जांच की एन्टी इवेजन वाले भी गये और अकाउन्ट्स बुक्स वगैरा देखी। रिपोर्ट बनायी है उनका जिक्र सदन में नहीं करना चाहता हूं। 1½ महीने का इसके लिये प्रिविलेज क्लेम कर रहा हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कम्प्लेन्ट के रूप में भेजा। न तो रिकार्ड दिखाने के लिये

Page No 210

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

तैयार हैं और न कुछ। आपकी पार्टी गयी उसने केवल फोर्मेलिटी मेन्टेन की। न कानपुर में और न ही सूरत में छापा मारा गया।

श्री मथुरादास माथुर : अकाउन्ट्स बुक को देखी है। एक रिपोर्ट तो आ चुकी है और बाकी की आ रही है उस पर कार्यवाही की जावेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी का भाई नौकर हो, कोई काम करता हो, एविलिटी होती है। कोई बारगेन नहीं किया जावेगा। इसको हाइयेस्ट लेवल पर मैं डील करूंगा। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला है। सेल जो है सामने है। कम सेल मालूम पड़ गई तो उस सब को देखा जावेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो मेरी जानकारी है, जिस माध्यम से मैंने जानकारी की है उसी माध्यम ने मुझे बताया है कि जो जांच की गई है वह फर्जी है। जितने भी अफसर गये वे मेहमान बन कर रहे। और कार्यवाही नहीं की। आपकी भावना की मैं कद्र करता हूं आप इस बात का विश्वास दिलाइये कि स्पेशल पार्टी उन सब प्रश्नों को लेकर दुबारा छापे मारेगी और जांच करेगी। अभी भी आप कह रहे थे वे सूचना के आधार पर कह रहे थे लेकिन मेरा चार्ज है कि जे. के. सिन्थेटिक्स से मिल कर पैसा खा गये और कार्यवाही नहीं करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : जो रिपोर्ट आई है जिसमें मुझे शक हो और संदेह हो तो स्पेशल पार्टी भेज दूंगा। रिपोर्ट आई है वह ठीक हो तो कार्यवाही की जरूरत है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : करोर्स का मामला है। आप सदन को विश्वास में लेकर फरमाईये,

श्री मथुरादास माथुर : ये दो केसेज नोटिस में आये। सदन के माननीय सदस्यों का मैं शुक्र गुजार हूं कि डाइरेक्टली वे मेरे नोटिस में लाये वरना आते नहीं। एक के तो सस्पेन्शन के ऑर्डर्स कर दिये हैं, दूसरे के मामले में आँखों से रिपोर्ट को अभी देखा नहीं है। मैं उसको देखूंगा। रिपोर्ट ठीक नहीं है तो दुबारा पार्टी भेज कर जो भी कानून के अनुसार किया जा सकता है वह मैं करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : डिपार्टमेन्ट नोटिस में नहीं लाया।

श्री मथुरादास माथुर : लाने का सवाल ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : करोड़ों रुपये का मामला है और उसको नोटिस में न लाये।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपको कह चुका हूं कि डी. सी. एम. का तो सदन में आया और जे. के. का मामला कुछ दिनों पहले आया। बड़ी बड़ी इन्डस्ट्री कायम करते हैं माल बना कर अगर इस प्रकार भेज देते हैं, सेल्स टैक्स को कुछ नहीं गिनते हैं, लेकिन जब लोन लेने आते हैं तो हमें कहते हैं कि इतना सेल्स टैक्स दे देंगे और इतनी प्रोस्पेरिटी बढ़ जावेगी और एक्चुअली इस प्रकार भेज देते हैं और सेल्स टैक्स कम पे करते हैं तो उनको हम जरूर चैक करेंगे।

श्री कृष्णकुमार : आप में व मेरे कहने में कोई अन्तर नहीं है। प्रश्न यह है कि छोटी मोटी पार्टी नही हैं। करोड़पति है।

(श्री कृष्णकुमार)
आज आप कह रहे हैं फाइल देखूंगा। आप यह कहिये कि पांच सात दिन में सारे केस को एग्जामिन करने के बाद क्या एक्शन लिया जा सकता है उसके लिये मैं विधान सभा में कहूंगा। इससे आप के हाथ भी मजबूत होंगे।

श्री मथुरादास माथुर : मैं पांच सात दिन की बात कह देता। मगर सूरत, कानपुर, बोम्बे आदि की रिपोर्ट आनी है।

श्री कृष्णकुमार : रिपोर्ट तो आगयी है। आपको एग्जामिन करके स्टेटमेन्ट देना है। पीस मील आयी है।

श्री मथुरादास माथुर : सूरत, बोम्बे की आज आई है।

श्री कृष्णकुमार . उसको एग्जामिन कर लीजिए एक्सपेरिमेन्ट बना कर, इससे आपको मालूम हो जायेगा कि यह सही है या फ्रॉड है। आपके हाथ मजबूत होंगे और स्टेट में भी पैसा आवेगा।

श्री मथुरादास माथुर : मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूं। आपका और राज्य सरकार का एक ही मकसद है। रिपोर्ट आयी है तो उसको मैं देखूंगा।

श्री कृष्णकुमार : आप इस सम्बन्ध में हाउस को कान्फिडेन्स में लें।

श्री मथुरादास माथुर : 24 व 25 मई को टैक्सेशन बिल होगा उस रोज जो पोजिशन होगी वह मैं कह दूंगा।

इसके बाद में, यहां पर माननीय सदस्यों ने सेल्स टैक्स को लेकर मुद्दे उठाये। त्रिवेदी के मामले की इन्क्वायरी की। डिप्टी कमिश्नर ने की। एक का ट्रान्सफर हो गया। दूसरा आया उसने चला रखी है। इन्क्वायरी की रिपोर्ट मेरे पास आई नहीं है। वह इन्क्वायरी कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह : कितना टाइम लगेगा?

श्री मथुरादास माथुर : अभी आ जावेगी।

श्री विजयसिंह : त्रिवेदी भी ऐसा आदमी है, भरी सभा में उठाया है।

श्री मथुरादास माथुर : वह भी आ जावेगा। टैक्सों में कमी करने की बात कही। मुझे खेद है कि मैं इसको मन्जूर नहीं कर सकूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सैक्शन 5 सी. सी. के बारे में?

श्री मथुरादास माथुर : इन्डस्ट्री डि. और नयी इन्डस्ट्री के एक्पान्शन के लिये इसका प्रयोग किया है। वे कहते हैं कि घाटा होता है। रिप्रेजेन्टेशन को एग्जामिन करवा रहे हैं और उसके बाद ही कह सकेंगे। ऑफ हैंड कुछ नहीं कह सकूंगा।

श्री गोरधन सोनी : तमाम चीजों पर फर्स्ट पॉइन्ट बन्द करने की बात है।

श्री मथुरादास माथुर : फर्स्ट पॉइन्ट का मुद्दा उठाया इस पर कुछ नहीं कह सकता। लास्ट पॉइन्ट पर ज्यादा है। मौजूदा जो व्यवस्था है मै उसमें तब्दिली नहीं करना चाहता हूं। सेल्स टैक्स के सरलीकरण का मुद्दा उठाया। वह कमेटी सेल्स टैक्स एक्ट को ड्राफ्ट कर रही है। यह एक डिफिकल्ट प्राब्लम है।

Page No 212

(श्री मथुरादास माथुर)
जो कमेटी है वह इसको वर्क आउट कर रही है और नये तौर से ड्राफ्ट कर रही है क्योंकि बहुत अमेन्डमेन्ट हो चुके हैं और जब रिपोर्ट आ जायेगी और ड्राफ्ट तैयार हो जायेगा तो वह सदन के सामने रखा जायेगा बिल के रूप में।

श्री गोरधन सोनी : यह जो 15 रुपयों का अनाज बेचते हैं उनको भी सेल्स टैक्स देना पड़ता है।

श्री मथुरादास माथुर : इसमें टैक्स की दर थोड़ी है। दो ही बातें हैं या तो इसकी दर बढ़ावें या उसकी सीमा बढ़ावें। तो दर मैंने बढ़ाई नहीं है और सीमा उतनी ही रखी है।

सभापति महोदया, राज्य सरकार को केजुअल लेबर, केजुअल डीलर के लिए जो सुझाव यहाँ पर दिये हैं मैं समझता हूँ कि जो मुद्दे यहां पर उठाये गये हैं उन सबका करीब करीब उत्तर दिया जा चुका है। इन लफ्जों के साथ मैं निवेदन करूँगा कि मांगों को पारित किया जाये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं केवल एक मिनिट लेना चाहता हूँ।

श्रीमती सभानेत्री : सभी प्रश्न हो चुके हैं।

श्री विजयसिंह : श्री गेरालाल जी माथुर के बारे में मैंने निवेदन किया था। उसके बारे में भी कह दें।

श्री मथुरादास माथुर : श्री गेरालाल माथुर के सम्बन्ध में यहां पर प्रश्न उठाया गया है। वे हमारे असिस्टेन्ट एक्साइज ऑफिसर हैं। वे पहले जालोर में थे, फिर पाली में रहे और आजकल जोधपुर में हैं उनका पोस्टिंग। वे मेरे रिश्तेदार हैं। और मेरे सामने शिकायत आई है टेलीफोन नम्बर की और वह मैंने अखबारों में भी पढ़ लिया है। इसकी जांच की और डी. ओ. की रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। इसके अन्दर यह बात है कि वह मकान मोहनलाल का है और जब गेरालाल का पोस्टिंग जालोर में था तब उसने ठेका ले लिया था। और तभी से उस मकान में टेलीफोन है और यह दो तीन वर्षों से है। और उसके बाद गेरालाल माथुर आये हैं और वे उस मकान में रहते हैं। यह जो बात है कि उनके घर में टेलीफोन है वह गलत है। वह किराये के मकान में रहते हैं और जब वे जालोर में थे तब ही टेलीफोन लग गया था....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या असिस्टेन्ट एक्साइज कमिश्नर वह ठेकेदार के मकान में रहता है।

श्री मथुरादास माथुर : वह ऊपर रहता है और यह नीचे हैं।

श्री विजयसिंह : जो शराब की बोतलें जोधपुर में खुल गई थी और जिसकी कि आम चर्चा है उसके बारे में क्या कहना है।

श्री मथुरादास माथुर : चर्चा का कोई विषय नहीं है। इसमें किसी ऑफिसर का हाथ है इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। फिर भी मैं इसकी जाँच करवा लूँगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदया, गेरालाल माथुर जैसा असिस्टेन्ट

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
कमिश्नर जोधपुर में इस तरह का काम करे जहां पर शराबबन्दी कर रखी है वहां पर अंग्रेजी शराब की दुकानें खोलें, और 72 तक जो प्रोहिबिशन करने का संकल्प राज्य सरकार ने लिया था, यह राज्य सरकार उस संकल्प से मुकर रही है इसलिए जो सलाहकार समिति मद्यनिषेध की बनी है उससे मैं अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत करता हूँ और जो नीति में बदल किया है और वायदे से मुकर गये हैं उसके फलस्वरूप मैं बहिर्गमन करता हूँ ताकि यह मांग मेरे सामने पास न हों।

(श्री मनोहरसिंह मेहता द्वारा सदन त्याग)

श्री कृष्णकुमार गोयल : मसोलिया का सवाल उठाया था। उसके बारे में भी कह दें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं समझ नहीं पाया हूँ। मैं आपसे डिसकस कर लूंगा। जो केजुअल डीलर की बात है वह हम कर रहे हैं और उससे भी समस्या हल नहीं हुई तो इस विषय में आपसे समझ लूंगा, डिसकस कर लूंगा। अभी ऑफ हैन्ड तो कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : राज्य सरकार पूर्ण मद्यनिषेध कब तक लागू कर देगी। इसके लिये कोई निश्चित अवधि है?

श्री मथुरादास माथुर : राज्य सरकार ने जो पहले कहा है उससे वह पीछे नहीं हटी है। बाढ़दार साहब ने एक बात कही थी कि जो 100 रुपयों के ऊपर के स्टॉम्प हैं उनके लिये पैसा ट्रेजरी में जाकर जमा कराना होता है और फिर चालान से वह मिलता है। यह जो डिफिकल्टी है वह मैं समझता हूँ कि 100 रुपये का स्टाम्प डाइरेक्ट लेने में यह डिफिकल्टी आती है। मैं इस पर भी अपना माइन्ड एप्लॉय कर रहा हूँ और यह सोच रहा हूँ कि इस सम्बन्ध में कोई शिकायत न रहे। मैंने अपने विभाग को इसके लिये कहा है और वे इसको एग्जामिन कर रहे हैं और किसी हिसाब से कोई रास्ता निकालेंगे ताकि यह डिफिकल्टी रिमूव हो सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलवर में तो पाई पेपर भी नहीं मिल रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : यह नहीं हो सकता। जो बेचने वाला है वह गड़बड़ी करता है आप शिकायत लिखकर भेज दें जांच करवा लूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह जो मैंने सवाल उठाया था कि गंगानगर जिले में, सड़कों पर, मोटर स्टेन्ड पर और स्कूलों के पास में जो ठेके हैं उनको क्या उठाने का आपका इरादा है?

श्री मथुरादास माथुर : स्कूल के 200 गज के अन्दर कोई ठेका हो तो मैं उठा दूंगा। बाकी सड़क के ऊपर है तो हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : बस स्टेन्ड पर है।

श्री मथुरादास माथुर : जो आपने रूल्स बनाये हैं उसमें स्कूल, मन्दिर और उसके अन्दर चार, पांच स्थान और हैं उसमें यह बस स्टेन्ड भी आ जाता है मैं उठा दूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : बस स्टेन्ड पर जो ठेके हैं उससे गुन्डागर्दी होती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने आश्वासन दिया था कि सार्वजनिक स्थानों पर होंगे तो आप उन्हें हटवा देंगे। आप अलवर से जयपुर तक बस से आते हैं तो बस स्टेन्ड पर ठेके हैं और मुसाफिर बस से उतरते हैं और एक कप पिया और फिर गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। यह स्थिति है।

श्री दौलतराम सारण : बाकायदा बोतलें लगा रखी हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं खुद ही जब मोटर से निकलता हूं तो देखता जाता हूं। यह अच्छी बात नहीं है। परन्तु आप कहते हैं सड़कों पर मत लगाओ, गली में मत लगाओ, बस स्टेण्ड पर मत लगाओ। आखिर जब ठेकेदार ठेका लेता है तो वह कहीं न कहीं तो लगायेगा ही और उसके लिये जमीन तो होगी ही।

श्री विजयसिंह : दारू की बोतलें क्या बस स्टेण्ड पर लगाना समाजवाद है?

श्री मथुरादास माथुर : इसमें समाजवाद आड़े नहीं है। मैं बस स्टेण्ड के सम्बन्ध में विचार करूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : बस स्टेण्ड को आप इन्क्लूड कर सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अगर सभापति महोदया का हुक्म है, और आप दिलचस्पी रखती हैं तो आपकी बात को जरूर मानूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : ट्रेक्टर खेती बाड़ी के काम में आते हैं उसको आपने कर मुक्त कर रखा है परन्तु उसके जो पार्ट्स हैं उन पर सेल्स टैक्स लगता है। तो क्या आप इस बात पर विचार करेंगे और इसे भी कर मुक्त करने की सोचेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपको इसका उत्तर लिखकर भेज दूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1 करोड़ 60 लाख 58 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11–गाड़ियों पर कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19 लाख 59 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 98,11,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्रीमती सभानेत्री)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13–अन्य कर व महसूल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 21,97,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14–स्टाम्प्स के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,91,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15–पंजीयन शुल्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,53,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक–था–राज्य / संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,26,44,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल सवेरे 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.22 बजे मंगलवार, दिनांक 11 मई, 1971 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 684 की सूची)

सत्र 1970-71 में दी गई शोध छात्रवृत्तियों की सूची

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	विषय	राशि
	नवीनीकरण		
1.	श्री रामपत यादव	हिन्दी	रु. 200) प्रति माह
2.	श्री विश्वेश्वरदयाल शर्मा	हिन्दी	रु. 200) प्रति माह
3.	कु. शमशुनीशा अलवा	लोक प्रशासन	रु. 200) प्रति माह
4.	श्री महेन्द्रकुमार लोढ़ा	हिन्दी	रु. 100) प्रति माह
5.	कु. सुशीला शर्मा	हिन्दी	रु. 100) प्रति माह
	नूतन		
1.	कुमारी विजय लक्ष्मी भार्गव	इतिहास	रु. 200) प्रति माह
2.	श्री श्यामसुन्दर शर्मा	हिन्दी	रु. 200) प्रति माह
3.	कुमारी प्रतिभा झालानी	लोक प्रशासन	रु. 200) प्रति माह

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 688 की सूची)

OFFICE OF THE ASSISTANT ENGINEER (D),
R. S. E. B., FALNA

No. R.S.E.B./A.E.N./F.A./Revenue/F./D. oo/D. 10115,
Dated 27-3-71

OFFICE ORDER

Due to un-avoidable circumstances the monthly bills of March, 1971 could not be distributed to the consumers in time. Hence the due dates marked on the bills is hereby extended to 12th April, 1971. This will apply to the consumers who will deposit--the bills at Falna Cash Counter.

All the consumers are hereby requested to make payment of bills before due dates at Falna Cash Counter.

Sd/-
(K. L. NARANG)
ASSISTANT ENGINEER (D),
R. S. E. BOARD, FALNA.

Copy submitted/forwarded to the following for favour of information and necessary action:—

1. The Executive Engineer, R. S. E. Board, Falna.
2. The Junior Engineer, R. S. E. B., Rani/Bali/Takhatgarh.
3. The Cash Incharge, R. S. E. B., Falna for compliance Bills of Bali & Sewari are not issued. The due date mentioned above.
4. Notice Board, R. S. E. B., Falna.

Sd/-
Assistant Engineer (D).
R. S. E. B., Falna.

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 690 की सूची)

सूची "अ"

1. गोविन्द वाली ढाणी
2. लाम्बी ढाणी
3. बड़ा बांध ढाणी
4. बाहर वाली ढाणी

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 707 की सूची)

फर्मों की सूची जिनसे पम्पिंग सेट खरीदे गये

क्र. सं.	फर्म का नाम	क्रय करने की तारीख	पम्पिंग सेट का विवरण	क्रय का प्रयोजन	क्रय मूल्य	प्रक्रिया	कहां प्रयोग में लिये गये	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भीलवाड़ा खण्ड							
1.	गणेश इन्जीनियरिंग कम्पनी, भीलवाड़ा	26-3-69	अजीत 10एच.पी तादाद–2	डिवाटरिंग	23360	टेण्डर द्वारा	मतावपरा	
2.	,, ,, ,,	23-6-69	,, ,, ,, 3	,,		,,	जैवपुरा	
3.	,, ,, ,,	23-6-69	,, ,, ,, 3	,,		,,	,,	
4.	अजमेर डीजल एण्ड ट्रैक्टर कं., ,,	18-6-69	कूपर 5 एच. पी ,, 2	,,	6440	सेन्ट्रल स्टोर क्रय संगठन जयपुर द्वारा स्वीकृत दर पर	कान्या बैढ़ी गोवटा	
5.	सराना एण्ड कम्पनी, भीलवाड़ा	23-6-69	किर्लोस्कर 10 एच.पी ,, 4	,,	18940	टेण्डर द्वारा	मतावपरा	
6.	राजस्थान एग्रीकल्चर एसेसरीज, ,,	22-2-71	जवाहर 6.5 एच.पी. ,, 2	,,	5900	टेण्डर द्वारा	घरलापेलियां टीगोड़ा	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	वासरा मशीनरी एण्ड इलेक्ट्रिक, भीलवाड़ा	23-2-71	अतुल शक्ति 6.5 एच.पी. तादाद 2	डिवाटरिंग	2832	सेन्ट्रल स्टोर क्रय संगठन जयपुर द्वारा स्वीकृत दर पर	खेरूना प्रोजेक्ट	
	मेजा फीडर खण्ड							
8.	राजस्थान एग्रीकलचर सर्विस, ,,	2-11-70	अनिल पम्प 5 एच. पी. ,, 3	कन्सोलीडेशन के लिए	9510	,,	भूमि कन्डिया बांध मेजा फीडर	
9.	,, ,, ,,	20-1-71	जवाहर 6.5 एच.पी. ,, 3	,,	9130	कोटेशन मांग कर	,,	
10.	अजमेर डीजल व ट्रेक्टर, ,,	20-1-71	कूपर 6 एच.पी. ,, 2	,,	6218	,,	,,	
11.	राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विस ,,	18-3-71	जवाहर 6.5 एच.पी. ,, 1	चैन 182 पर ट्रायल बोट	3044	,,	भूमि कुन्डिया बांध व मेजा। फीडर	
12.	,, ,, ,,	27-3-71	,, ,, ,, 2	चैन 1850 से चैन 1896 सेट ट्राईलपीटग की डिवाटरिंउ के लिये डिवाटिंरिंग	6086	,,	भूमि कुन्डिया बांध	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	।च ।ड़गढ खण्ड							
13.	राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विस, भीलवाड़ा	15-1-71	जवाहर 6.5 एच.पी. तादाद 2	चेन 1850 से चेन 1696 मेड ट्राईल-पीटस की डिवाटरिंग के लिये डिवाटरिंग	5664	सेन्ट्रल स्टोर परचेज कमेटी द्वारा स्वीकृत दर पर।	मेवदा प्रोजेक्ट 100 एम. आई. डब्ल्यू.	
14.	,, ,, ,,	25-1-71	,, ,, 1	,, ,,	2832	,,	ऊंचा किया बांध।	
15.	,, ,, ,,	27-3-71	,, ,, 1	कन्सोलिडेशन के लिए	8750	,,	,,	
	बांसवाड़ा खण्ड							
16.	राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विस, भीलवाड़ा ,,	19-6-70	अनील 6 एच.पी. तादाद 2	डिवाटरिंग व कन्सोलिडेशन के लिए	6730	,,	पान्डा व पोरावरा पर	
17.	,, ,, ,,	16-7-70	,, ,, ,, 2	,,	6280	,,	तालदरी व गोडव प्रोजेक्ट्स	
	उदयपुर खण्ड							
18.	राजस्थान एग्रीकल्चर स्टोर, भीलवाड़ा ,,	10-6-70	अनील 5.6 एच.पी तादाद 2	डिवाटरिंग, कन्सोलिडेशन आदि के लिए	6730	,,	कनपरिया व कन्चोरा पर	
19.	,, ,, ,, ,,	15-7-70	,, ,, 4	,,	13460	,,	कोला, बरोड़ी मानस, जलवा बांधों पर	
20.	,, ,, ,, ,,	23-7-70	,, ,, 2	,,	6730	,,	सालेरा, वासनी	

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 682 की सूची)

तालिका नं. 1

31-12-70 को राज्य के नियोजन कार्यालयों की चालू पंजिका पर उपलब्ध अनुसूचित जाति व जनजाति के आशार्थियों की शैक्षणिक योग्यतानुसार सूची

क्र. सं.	योग्यता	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	मैट्रिक से नीचे	13070	4382
2.	मैट्रिक	1757	559
4.	हायर सैकेण्डरी/इन्टरमीजिएट	1205	409
3.	स्नातक	204	59
5.	स्नातकोत्तर	37	8
	योग....	16273	5417

तालिका नं. 2 (अ)

अनुसूचित जाति के पंजीकृत एवं नियोजित आशार्थियों की वर्षानुसार संख्या

क्र. सं.	योग्यता	1968		1969		1970	
		पंजीयन	नियोजन	पंजीयन	नियोजन	पंजीयन	नियोजन
1.	मैट्रिक से नीचे	13528	864	13055	518	14460	816
2.	मैट्रिक	2523	276	2202	141	2425	209
3.	हायर सैकेण्डरी/ इन्टरमीजिएट	1039	130	1238	75	1209	130
4.	स्नातक	152	32	176	23	246	33
5.	स्नातकोत्तर	52	—	22	2	46	5
	योग....	17294	1302	16693	759	18326	1193

तालिका नं॰ 2 (ब)

अनुसूचित जनजाति के पंजीकृत एवं नियोजित आशार्थियों की वर्षानुसार संख्या

क्र. सं.	योग्यता	1968 पंजीकृत	1968 नियोजित	1969 पंजीकृत	1969 नियोजित	1970 पंजीकृत	1970 नियोजित
1.	मैट्रिक से नीचे	2399	110	4924	90	4940	129
2.	मैट्रिक	678	80	729	49	256	71
3.	हायर सैकेण्डरी/ इन्टरमीजिएट	392	40	316	17	349	30
4.	स्नातक	66	10	72	4	75	11
5.	स्नातकोत्तर	13	—	8	—	8	1
	योग....	3548	240	5048	160	5628	242

तालिका संख्या 3

बांसवाड़ा व डूंगरपुर नियोजन कार्यालयों के अनुसूचित जनजाति के आशार्थियों के विषय में सांख्यकीय समीक्षा

क्र. सं.	योग्यता	पंजीकृत	नियोजित	31-12-70 को चालू रजिस्टर पर उपलब्ध आशार्थी
1.	मैट्रिक से नीचे	502	22	516
2.	मैट्रिक	115	13	96
3.	हायर सैकेण्डरी/इन्टरमीजिएट	55	8	67
4.	स्नातक	3	—	1
5.	स्नातकोत्तर	—	—	—
	योग....	675	43	680

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न संख्या 694 की सूची)

पंचायत समिति परबतसर में कार्य कर रहे अध्यापकों, वरिष्ठ लिपिकों व कनिष्ठ लिपिकों का विवरण

क्रमांक	नाम	पद	पंचायत समिति में कार्य करने का दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री अहमद खां	अध्यापक	2-10-59
2.	,, रामगोपाल	,,	2-10-59
3.	,, सुरेन्द्रमल	,,	13-4-64
4.	,, नूरमोहम्मद	,,	22-2-63
5.	,, भूराराम	,,	13-10-64
6.	,, सीताराम	,,	2-10-59
7.	,, सुल्तानसिंह	,,	21-8-68
8.	,, अर्जुनलाल	,,	1-7-66
9.	,, सूरजमल	,,	1-7-68
10.	,, भोलाराम	,,	2-10-59
11.	,, हरिसिंह	,,	5-7-62
12.	,, सुखदेव	,,	1-7-61
13.	,, भागीरथप्रसाद	,,	4-7-62
14.	,, महावीरसिंह	,,	24-7-63
15.	,, रामसिंह	,,	2-10-59
16.	,, श्यामलाल भटनागर	,,	5-5-61
17.	,, हनुमानलाल	,,	5-7-63
18.	,, वकटलाल	,,	6-7-65
19.	,, गिरधारीलाल	,,	8-7-65
20.	,, अब्दुलमजीद	,,	9-7-62
21.	,, गुलाम सुलेमान	,,	2-10-59
22.	,, शिवबक्ससिंह	,,	2-10-59
23.	,, अब्दुल जबार	,,	24-10-61
24.	,, बालकिशन	,,	24-10-61
25.	,, घनश्याम	,,	4-10-63
26.	,, मनोहरलाल	,,	26-10-61

1	2	3	4
27.	श्री देवाराम	अध्यापक	14-12-61
28.	,, घीसापुरी	,,	6-4-64
29.	,, जलाल खां	,,	24-10-61
30.	,, रामनिवास	,,	23-7-63
31.	,, भानाराम	,,	18-10-68
32.	,, अमरचन्द व्यास	,,	2-10-59
33.	,, गंगाधर	,,	2-10-59
34.	,, गरीबबक्स	,,	7-1-64
35.	,, वचनसिंह	,,	2-10-59
36.	,, तेजमल	,,	8-7-65
37.	,, नाथूलाल	,,	5-7-63
38.	,, भीयाराम	,,	1-7-67
39.	,, किशोरदान	,,	8-4-64
40.	श्रीमती रतनीदेवी	अध्यापिका	24-2-68
41.	श्री मेघराज भूतड़ा	अध्यापक	1-7-67
42.	,, गोपालसिंह	,,	2-10-59
43.	,, भागीरथप्रसाद	,,	3-7-62
44.	,, छोटे खां	,,	2-12-64
45.	,, गेंदालाल	,,	2-10-59
46.	,, पूसाराम टाक	,,	4-10-60
47.	,, बृजगोपाल	,,	2-10-59
48.	,, मांगीलाल	,,	1-7-66
49.	,, पूसाराम शर्मा	,,	5-5-61
50.	,, श्यामलाल तिवाड़ी	,,	2-10-59
51.	,, भैरूलाल	,,	2-10-59
52.	,, अमरचन्द	,,	20-7-67
53.	,, गणपतसिंह	,,	2-10-59
54.	,, सुरेशचन्द्र	,,	21-7-67
55.	,, उदयसिंह	,,	2-10-59
56.	,, फतेहसिंह	,,	2-10-59
57.	,, पूनमचन्द	,,	24-7-61
58.	,, फरीद मोहम्मद	,,	23-7-63
59.	,, सोहनलाल	,,	2-10-59
60.	,, रामप्रसाद	,,	17-7-61

1	2	3	4
61.	श्री सुवालाल	अध्यापक	12-10-61
62.	,, चतराराम	,,	10-10-69
63.	,, भगवान दत्त	,,	2-10-59
64.	,, इन्द्रमल	,,	2-10-59
65.	,, मंगलचन्द	,,	1-7-66
66.	,, सत्यनारायण	,,	10-7-65
67.	,, गुमानसिंह	,,	18-7-63
68.	,, घासीलाल	,,	2-10-59
69.	,, हेमाराम	,,	1-7-67
70.	,, बोदूलाल	,,	1-7-63
71.	,, बाबूराम	,,	1-7-66
72.	श्रीमती चुकी देवी	अध्यापिका	28-8-64
73.	,, भवँरी देवी	,,	2-10-59
74.	श्री राधेश्याम	अध्यापक	19-7-67
75.	,, शुभकरणदान	,,	23-7-63
76.	,, रामकंवार	,,	1-1-68
77.	,, शिवराज	,,	8-7-67
78.	,, जयसिंह	,,	2-10-59
79.	,, हरिसिंह	,,	26-10-61
80.	,, पांचूलाल	,,	2-10-59
81.	,, होतीलाल	,,	24-10-61
82.	,, रामेश्वर दयाल	,,	2-10-59
83.	,, मांगीलाल शर्मा	,,	2-10-59
84.	,, बशीर अहमद	,,	11-7-63
85.	,, मोहनलाल	,,	2-10-59
86.	,, रामेश्वर	,,	6-7-65
87.	,, ईश्वर प्रसाद	,,	30-9-63
88.	,, कालूराम	,,	26-10-61
89.	,, छोगालाल	,,	25-10-61
90.	,, घीसालाल	,,	2-10-61
91.	,, पेमाराम	,,	4-7-67
92.	,, किशनलाल	,,	1-7-63
93.	,, रामरतन	,,	13-8-69
94.	,, जगदीश प्रसाद	,,	13-8-69
95.	,, मुक्तिलाल	,,	18-10-68

1	2	3	4
96.	श्री कृष्णगोपाल	अध्यापक	10-10-68
97.	,, उगमचन्द	,,	26-8-68
98.	,, सुरेन्द्र कुमार	,,	9-11-68
99.	,, लालचन्द	,,	24-5-68
100.	,, गुलाबसिंह	,,	15-7-69
101.	,, पुष्करदत्त	,,	13-8-69
102.	,, मेघराज जाट	,,	13-8-69
103.	श्रीमती कंचन कुमारी	अध्यापिका	1-12-67
104.	,, कमला देवी	,,	8-7-67
105.	श्री महावीरप्रसाद	अध्यापक	18-10-68
106.	,, अलफ खां	,,	18-10-68
107.	,, रतनलाल शर्मा	,,	13-7-69
108.	,, रतनलाल टेलर	,,	13-8-69
109.	श्रीमती मनभरी देवी	अध्यापिका	23-7-68
110.	श्री मूलचन्द	अध्यापक	17-5-68
111.	,, लक्ष्मीचन्द	,,	26-8-70
112.	,, किशनगोपाल	,,	22-2-71
113.	,, रामावतार	,,	17-2-71
114.	,, इन्द्रराजमल	,,	17-2-71
115.	,, रामेश्वरलाल सोनी	,,	18-2-71
116.	,, मोहम्मद रफीक	,,	18-2-71
117.	,, अमरचन्द	,,	18-2-71
118.	श्रीमती विद्या देवी	अध्यापिका	17-2-71
119.	श्री जगदीशप्रसाद	अध्यापक	6-4-71
120.	,, नोरतमल	,,	9-7-65
121.	,, रिद्धसिंह मेड़तिया	वरिष्ठ लिपिक	9-12-63
122.	,, कानाराम चौधरी	,,	28-11-60
123.	,, किशन मिश्रा	,,	7-10-59
124.	,, मांगीलाल सिंगारिया	,,	12-10-64
125.	,, कानमल सेन	कनिष्ठ लिपिक	1-4-66
126.	,, नारायणलाल वर्मा	,,	28-3-63
127.	,, सोहनलाल सुखदामी	,,	1-2-68
128.	,, सोहनलाल खाड़ेकर	,,	13-8-65

परिशिष्ट 7

(तारांकित प्रश्न संख्या 702 की सूची)

लाड्पुरा तथा दीगोद में सन् 1967-68 तथा 1968-69 में हुई सिंचाई तथा उससे प्राप्त राजस्व का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	दीगोद सिंचाई एकड़ों में	दीगोद शुल्क वसूली	लाडपुरा सिंचाई एकड़ों में	लाडपुरा शुल्क वसूली
1.	1967–68	42,380	4,52,645.00	26,027	2,83,342.00
2.	1968–69	61,891	6,53,450.00	33,541	3,89,656.00

परिशिष्ट-४

(तारांकित प्रश्न संख्या 703 की सूचा)

सूची (क)

1970-71 के लिए दिये गए बारां वन मंडल के गोंद तथा पत्ता तेंदू के ठेकों की सूची

क्रमांक	नाम ठेका	ठेका क्षेत्र	नाम ठेकेदार	ठेका राशि
1	2	3	4	5
1.	पत्ता तेंदू	रेन्ज शाहबाद	श्री प्रकाशचन्द पुत्र भंवर लाल महाजन, कस्बा थाना	53,250-00
2.	,,	नाहरगढ़	श्री मदनलाल पुत्र जयनारायन महाजन, कालाए	14,200-00
3.	,,	किशनगंज	श्री राजेश भाई पुत्र कबीर भाई गुजराती, बांस	16,611-00
4.	,,	अटरू	श्री किशोरीलाल पुत्र कल्याणलाल दूधानी, छीपाबड़ौद	20,000-00
5.	,,	छबड़ा	श्री प्रेमनारायन पुत्र बालमुकन्द अग्रवाल, गुना	60,005-00
6.	,,	छीपाबड़ौद	श्री किशोरीलाल पुत्र कल्याणलाल दूधानी, छीपाबड़ौद	90,011-00
7.	गोंद	रेन्ज किशनगंज	रामगढ़ जंगल उपज उत्पादक सहकारी समिति	2,001-00
8.	,,	नाहरगढ़	नाहरगढ़ वन श्रमिक सहकारी समिति लि.	2,571-00
9.	,,	शाहबाद	विकास मंडल उपज उत्पादक सहकारी समिति	32,608-00

1	2	3	4	5
10.	गोंद	घटरू	श्री शान्तिलाल पुत्र कजोड़ीमल काहेड़, छोटी सादड़ी	28,000-00
11.	,,	छाबड़ा	श्री सूरजमल पुत्र जानकीलाल महाजन, छाबड़ा	5,005-00
12.	,,	छीपाबड़ोद	श्री राजाराम पुत्र बनवारीलाल महाजन, कालारल	4,001-00
13.	,,	,,	श्री प्रतापसिंह पुत्र अजीतसिंह वन नमर	2,025-00
14.	,,	,,	,, ,, ,,	2,005-00
15.	,,	,,	श्री हजारीलाल पुत्र गोपीलाल ब्राह्मण, छीपाबड़ोद	1,730-00
16.	,,	,,	श्री कोमलप्रसाद पुत्र भैरूलाल महाजन, कस्बा थाना	2,701-00
17.	,,	,,	श्री प्रकाशचन्द पुत्र भंवरलाल जेन कस्बा थाना	2,265-00
18.	,,	,,	श्री बाबूलाल पुत्र बिरदीचन्द जैन, देवरी	2,610-00
19.	,,	,,	,, ,, ,,	2,251-00
20.	,,	,,	श्री हरीप्रसाद पुत्र ज्ञानीचन्द	2,125-00

सूची—अ

1970-71 के बारां वन मण्डल के गोंद तथा पत्ता तेंदू की नीलामी का विवरण

नीलामी दिनांक	नीलाम करनेवाले अधिकारी का नाम	नाम रेंज	ठेका क्षेत्र	सबसे ऊंची बोली देने वाले ठेकेदार का नाम	अंथान की जमा हुई रकम
1	2	3	4	5	6
गोंद 1970-71				प्रथम नीलाम	
16-7-70	मण्डल वन अधिकारी, बारां	अटरू	पूरी रेंज	श्री देवीलाल	4,202.00
				द्वितीय नीलाम	
16-9-70	,,	,,	,,	श्री शंकरलाल जैन	4 556.00
				अन्तिम बोली	
15-12-70	,,	,,	,,	श्री शान्तीलाल की सवाई ठेके की पूरी रकम बोली 20,000 रु. से अधिक 28,000.00 किसी ने बोली नहीं लगाई जमा कराई गई।	
16-7-70	,,	छबड़ा	,,	श्री सूरजमल	1,264.00
16-7-70	,,	छीपाबड़ोद	खसारी चिमनगांव वामलपुरा	श्री राजाराम	1,001,00
16-7-70	,,	,,	बिरोड़ी	श्री प्रतापसिंह	507.00
16-7-70	,,	,,	राई	श्री प्रतापसिंह	502.00
16-7-70	,,	,,	माहरिया व समलायगा	श्री हजारीलाल	438.00
16-7-70	,,	,,	सारथल	श्री कोमलप्रसाद	676.00
16-7-70	,,	,,	हरनायवदा माइमी	श्री बाबूलाल जैन	653.00
16-7-70	,,	,,	दखियो निमाजिमो	श्री बाबूलाल जैन	563.00
16-7-70	,,	,,	चेलकोसू	श्री प्रकाशचन्द	567.00
16-7-70	,,	,,	बजाजपुर	श्री हरिप्रसाद	532.00

1	2	3		4	5
पत्ता तेंदू					
25-1-71	मण्डल वन	किशनगंज पूरी	रेंज	श्री रणछोड़ भाई	8,306.00
25-1-71	अधिकारी,बांरा	शाहबाद	,,	श्री प्रकाशचन्द	13,313.00
25-1-71	,,	नाहरगढ़	,,	श्री मदनलाल	3,350.00
25-1-71	,,	अटरू	,,	श्री किशोरीलाल	5,002.00
25-1-71	,,	छबड़ा	,,	श्री प्रेमनारायण	15,000.00
25-1-71	,,	छीपाबड़ोद	,,	श्री किशोरीलाल	22,503.00

1971-72 के गोंद व तेंदू के वृक्षों के ठेके अभी नीलाम नहीं हुए हैं।

परिशिष्ट 9

(तारांकित प्रश्न संख्या 704 की सूची)

भाषा विभाग द्वारा राज-काज में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिये जो पवित योजना बनाई गई उसके मुख्य कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं:—

1. विभिन्न विभागों में हिन्दी अनिवार्य करने की तिथि निर्धारित करना।
2. टंकण यन्त्र (हिन्दी) उपलब्ध करवाना।
3. टंककों व शीघ्रलिपिकों को प्रशिक्षण।
4. शब्दावली निर्माण।
5. नियमों, उपनियमों का अनुवाद।
6. अल्प संख्यकों की भाषाओं का संरक्षण।
7. संदर्भ पुस्तकालय का संधारण।
8. राज-काज में हिन्दी से सम्बन्धित प्रकाशन।
9. विभिन्न हिन्दी परीक्षाओं को हिन्दी समकक्षता की मान्यता प्रदान करना।
10. हिन्दी सेवी संस्थाओं को अनुदान।

इनमें से बहुत सी योजनाओं का कार्य अधिकतर पूरा हो चुका है। वर्तमान में योजनानुसार विभागों से हिन्दी पत्रों में अंग्रेजी विज्ञापन, राजस्थान प्रपत्र में अंग्रेजी सामग्री के प्रकाशन तथा पदनामों आदि के अंग्रेजी प्रयोग में पाबन्दी की कार्यवाही की जा रही है। सचिवालय में हिन्दी के प्रयोग के बारे में योजना शासन के विचाराधीन है। प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत चार माह की टंकण प्रशिक्षण कक्षाएं और 8 माह की शीघ्रलिपि प्रशिक्षण कक्षाएं चलाई जा रही हैं। विभाग के पास 500 टंकण यंत्रों की मांग मौजूद है, उन्हें मुहैया करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। प्रशासनिक शब्दकोष मुद्रणाधीन है। पदनाम शब्दावली प्रेस में भेजी जाने को है। राजस्व निर्णयों का अनुवाद हो रहा है इसके प्रकाशन की योजना है। विभागीय मैन्युअल्स के अनुवाद का काम भी चल रहा है जो शीघ्र ही पूरा हो जायेगा। भाषायी अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने का कार्य (उर्दू, सिंधी, पंजाबी तथा गुजराती भाषाओं के सम्बन्ध में) निरन्तर चालू है।

त्रैमासिक पत्रिका के प्रकाशन पर राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और अति शीघ्र प्रवेशांक प्रकाशित किया जा रहा है।

इस प्रकार विभिन्न योजनाओं के तहत कार्य हो रहा है तथा नई योजनाएं भी हाथ में ली जा रही हैं।

परिशिष्ट 10

(तारांकित प्रश्न संख्या 705 की सूची)

बांध गोपालपुरा से सिंचाई के ग्रांकड़े

सूची (अ)

क्र. सं. 1	वर्ष 2	सिंचाई एकड़ों में 3
1.	1952	4,392
2.	1957	4,902
3.	1962	5,254
4.	1967	7,317
5.	1970	9,287

सूची (ब)

सवाई माधोपुर जिले में जो बांध ऊंचे करवाने का प्रस्ताव है उनकी सूची।

1. मान सरोवर	तहसील	खण्डार
2. भुरवाल	,,	सवाई माधोपुर
3. मानचारी	,,	करौली
4. जगर	,,	हिन्डौन

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 655 की सूची)

सूची उन ग्रामों की जो फसल खरीफ सं. 2027 के नष्ट होने के फलस्वरूप अभावग्रस्त घोषित किये गये।

क्र. सं.	नाम ग्राम	क्र. सं.	नाम ग्राम
1	2	1	2
	नाम जिला—बाड़मेर		
	नाम तहसील—बाड़मेर		
1.	बाड़मेर (आगार)	26.	लाबराउ
2.	बलाउ	27.	तिरसीगढ़ी
3.	कुरजा	28.	चौधीया
4.	पिड़ियों काटला	29.	हाथमा
5.	शिवकर	30.	आटा
6.	कुड़ला	31.	भंवरलाई
7.	बांसीर जागीर	32.	जसाई
8.	बांसीया गुरू	33.	परा
9.	माहवार	34.	असाड़ी की बेरी
10.	जालीया	35.	मिठड़ी खुर्द
11.	हापों की ढ़ाणी	36.	जूना परतासर
12.	चूली	37.	इन्देई
13.	मोड़वा	38.	मदरू
14.	लूणू खुर्द	39.	असरा
15.	मेंढ़	40.	खियाला
16.	बिवड़ा	41.	बया
17.	मलवा	42.	जायड़ू
18.	दूदाबेरी	43.	लगेरा
19.	भादेसर गांव	44.	सोखरू
20.	माद्रस पुनासिया	45.	दानपुरा
21.	बनेड़ा	46.	जाकड़ा
22.	गड़ीसर	47.	खोखर
23.	मिठीसर	48.	धना की ढ़ाणी
24.	तिरसीगढ़ी	49.	राणेरी
25.	सियाणी	50.	टाकू

Page No 236

1	2
51.	खडीन
52.	गंगाला
53.	खारा राठीयान
54.	विरमिया
55.	कुठिया
56.	सेतराऊ
57.	खारियां कलां
58.	लसवा
59.	शेरे का तला
60.	सालारिया कालारिया
61.	चाडार बाकलसर
62.	चाडार मजरूप
63.	भीलों की पार
64.	कटालिया की पार
65.	जैतानियों की पार
66.	मदरूप की पार
67.	सुजवत की पार
68.	रामसर
69.	माचसर
70.	सुवावडा
71.	सना की बेरी
72.	तामीलायर
73.	कटाला की पार
74.	अलारख की पार
75.	बाड़ी
76.	देरासर
77.	आटी
78.	मारूड़ी
79.	दरूड़ा
80.	दाता
81.	नाद
82.	गागरिया

नाम जिला–बाड़मेर

नाम तहसील–चौहटन

1	2
83.	उपरला
84.	सणाऊ
85.	आकोड़ा
86.	दुदवा खुर्द
87.	सावलोर
88.	तारातरा
89.	गोलीयार
90.	हैजमा का वाड़ा
91.	सादुल की गफन
92.	हैजमा का तला
93.	रासवानी
94.	अरबी की गफन
95.	तमाची की गफन
96.	भीलों का तला (रामसर)
97.	माधुरी का तला
98.	रमजान की गफन
99.	लखे का तला
100.	मेतों की पार
101.	राठोड़ों का तला
102.	कुम्हारों का टीब

नाम जिला–बाड़मेर

नाम तहसील–शिव

1	2
103.	गडरा रोड
104.	वाड़ासर
105.	मैहुसर
106.	तामलौर
107.	जैसिम्बर
108.	मुनावा
109.	मूदरा
110.	डाबर
111.	गिराव
112.	निम्बला
113.	काना का गांव
114.	कोटरा
115.	मुगेरियां

1	2	1	2
116.	वालासर	125.	गूंथा
117.	सुवाला	126.	वालेवा
118.	झणकली	127.	वकड़ा
119.	ढिवनिमार	128.	खारची
120.	पोसमा	129.	गोयनली
121.	उनरोड	130.	हाफिया
122.	जूड़िया	131.	रावत का गांव
123.	हरसाणी	132.	पंवडियार
124.	शिव	133.	रेडाना

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 656 की सूची)

विधान सभा चुनाव क्षेत्र, खारची, जिला पाली में अभाव स्थिति में स्वीकृत एवं चलाये गये सहायता कार्यों का विवरण सन् 1968-69

क्र.सं.	स्वीकृत राहत कार्य	शुरू हुआ या नहीं	पूर्ण या अपूर्ण	विशेष विवरण
1.	हरियामाली तालाब की खुदाई	हां	पूर्ण	–
2.	बगड़ी ,, ,,	हां	पूर्ण	–
3.	बड़ा गुढ़ा ,, ,,	हां	पूर्ण	–
4.	हेमलियावास ,, ,,	नहीं	–	–
निर्माण राहत कार्य—				
5.	मुसेलिया से सोजत रोड सड़क	हां	पूर्ण	–
6.	सोजत रोड से बगड़ी सड़क	हां	अपूर्ण	–
7.	जैतपुरा प्याऊ से देवली थनला सड़क	हां	,,	–
8.	मारवाड़ जंक्शन से जाढ़न सड़क पर सी. डी. वर्क्स	हां		–
9.	नागा की बैरी से मारवाड़ जंक्शन सड़क	हां	अपूर्ण	–
सिंचाई कार्य—				
10.	फुलाद बांध	हां	अपूर्ण	–
11.	कंटालिया एनिकट	हां	अपूर्ण	–
12.	नरसिंहपुरा एनीकट	नहीं		तकनीकी क्लियेरेन्स न होने से कार्य नहीं करवाया जा सका।
13.	बामन एनीकट	हां	अपूर्ण	–
14.	राजोला नाल की रपट	नहीं		तकनीकी क्लियेरेन्स न होने की वजह से कार्य नहीं करवाया जा सका।

विधान सभा चुनाव क्षेत्र, खारची, जिला पाली में अभाव स्थिति में स्वीकृत एवं चलाये गये सहायता कार्यों का विवरण सन् 1970—71

क्र. सं.	स्वीकृत सड़क का कार्य	कार्य शुरू हुआ या नहीं	पूर्ण या अपूर्ण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	पाली, खैरवा मारवाड़ जंक्शन सड़क जैतपुरा तक	हां	अपूर्ण	
2.	नागों की बेरी से मारवाड़ जंक्शन	,,	पूर्ण	
3.	नागों की बेरी से मारवाड़ जंक्शन	,,	,,	
4.	सोजत से सरूपा सड़क	,,	अपूर्ण	
5.	जोजावर कामलीघाट सड़क	,,	,,	
6.	सोजतरोड से वगड़ी सड़क	,,	,,	
7.	राणावास से राणावास स्टेशन सड़क	,,	पूर्ण	
8.	दुधोड खारिया सामीयां सड़क	नहीं	—	
9.	सोजत रोड से जोजावर सड़क सुधार	हां	अपूर्ण	
10.	मारवाड़ जंक्शन से जाजन सड़क पर पुल	,,	पूर्ण	
	सिंचाई कार्य			
11.	फुलाद बांध	हां	अपूर्ण	
12.	जोगड़ावास बांध पुर्ननिर्माण	,,	,,	
13.	कन्टालिया एनीकट	,,	,,	
14.	गुढ़ा केसरीसिंह एनीकट	,,	,,	
	वन कार्य			
15.	कन्टालिया वन कार्य	हां	पूर्ण	
16.	सारण	,,	,,	
17.	सिवांमाटी	,,	अपूर्ण	
18.	जाढ़ा	,,	,,	
19.	दूधोड़	,,	,,	
20.	भगौड़ा	,,	पूर्ण	
21.	थानेश्वर	,,	अपूर्ण	

1	2	3	4	5
राजस्व राहत कार्य				
22.	रिसानिया तालाब	हां	पूर्ण	
23.	हेमलियावास कलां तालाब	,,	,,	
24.	लोलावास कलां तालाब	,,	,,	
25.	लाजोरी नाड़ी	नहीं	—	बारिश होने से शुरू नहीं किया जा सका
26.	रंगेला नाड़ी जोरावर	,,	—	
भू-संरक्षण				
27.	धनला	हां	पूर्ण	
28.	दूधोड़ा	,,	,,	
29.	जाड़न	,,	,,	
30.	धामली	,,	अपूर्ण	
31.	चिरपटिया	,,	पूर्ण	
32.	सारण		,,	
33.	पांचेटिया	,,	,,	

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 658 की सूची)

पंचायत समिति, लाडनूं के आवास गृहों को वर्ष 1965 से लेकर अब तक अलॉट किये जाने का विवरण

क्र. सं.	आवास गृह अलॉट करने वाले अधिकारी	नाम व्यक्ति जिसको अलॉट किया गया
1	2	3
1.	विकास अधिकारी	श्री सूरजप्रकाश, शिक्षा प्रसार अधिकारी ।
	,,	,, ओमप्रकाश, कृषि प्रसार अधिकारी ।
	,,	,, पुरुषोत्तमनाथ, ओवरसीयर ।
	,,	,, रामाकृष्ण, लेखा लिपिक ।
	,,	,, चन्द्रसिंह, कनिष्ठ लिपिक ।
	,,	,, कल्याण सिंह, ड्राइवर ।
	,,	,, बोदुसिंह, सवार ।
	,,	,, जगन्नाथ, कनिष्ठ लिपिक ।
	,,	,, श्याममोहन, लेखा लिपिक ।
	,,	,, उम्मेदसिंह, ग्राम सेवक ।
	,,	,, श्रीनारायण, कनिष्ठ लिपिक ।
	,,	,, हणुतराम, कनिष्ठ लिपिक ।
	,,	,, बैजनाथ, सहकारिता प्रसार अधिकारी ।
	,,	,, प्रेमराज, सहकारिता प्रसार अधिकारी ।
	,,	,, मोहनसिंह, प्रगति सहायक ।
	,,	,, उमाराम, स्टोकमैन ।
	,,	,, हीराराम, चपरासी ।
	,,	,, श्यामलाल, विकास अधिकारी ।
	,,	,, गोविन्दकरण, विकास अधिकारी ।
	,,	,, शुकदेव दीपंकर, प्रधान ।
	,,	,, राजदान, स्पिनिंग मास्टर ।
	,,	,, सोहनसिंह पुरोहित, पशु चिकित्सक ।

पंचायत समिति, लाडनूं के आवासगृहों का किराया बाकी रहने का विवरण।

क.सं.	नाम कर्मचारी	राशि जो बकाया है	अवधि	विशेष विवरण
1.	श्री श्याम लाल, विकास अधिकारी	1125.00	16-8-65 से 26-8-67	
2.	श्री कल्याणसिंह, ड्राईवर	37.50	1-8-65 से 31-12-65	
3.	श्री जगन्नाथ, कनिष्ठ लिपिक	38.77	27-7-65 से 31-12-65	
4.	श्री हणुताराम, कनिष्ठ लिपिक	37.50	1-8-65 से 31-1-66	
5.	श्री बोदूसिंह, सवार	28.00	1-7-65 से 31-1-66	
6.	श्री सुगनसिंह, सी.ई.ग्रो.			एल. पी. सी. प्राप्त न होने से किराया नहीं काटा जा सका
7.	श्री गोविन्दकरण, विकास ग्रधिकारी	किराया ग्रसेस नहीं हुग्रा है।	14-8-70 से	मार्च, 71 से 35) रु एडहॉक शुरू करा दिया गया है।
8.	श्रीमती शान्ता देवी, महिला पोषाहार प्रसार अधिकारी	,, ,,	1-1-71 से	

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 661 की सूची)

गैर सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थाओं को द्वितीय वर्ष 70-71 के लिए स्वीकृत आज तक अनुदान राशि की सूची

जिला—नागौर

प्रति हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारी

विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, नागौर।

क्र. सं.	संस्था का नाम मय संचालन समिति	मान्य व्यय	प्रतिशत	अनुदान की स्वीकृत राशि	अनुदान देने का वर्ष
1.	2	3	4	5	6
	"28—शिक्षा डा–माध्यमिक–2–गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सीधा अनुदान संस्कृत विद्यालयों के अतिरिक्त आयोजन विभिन्न व्यय"				
1.	महावीर उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाडनूं	99,465	70%	69,625	1935
2.	जे. वी. उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाडनूं	1,10,645	70%	77,260 (लेखा आने की वसूली रु. 911 (77,451.91)	1935
3.	व्यवस्थापक सनातन धर्म विद्यालय, सांगूवाड़ी (एस.डी.वे. स. उ. प्रा. वि.)	29,222	70%	20,455	1940
4.	परमानंद स्कूल मैनेजिंग कमेटी, डीडवाना (परमानंद उच्च प्राथमिक विद्यालय)	28,982	80%	23,986	1948
5.	किसान छात्रावास, जोधपुर (किसान छात्रावास, मेड़ता सिटी)	7,689	60%	4,615	1933
6.	किसान छात्रावास, दोवसर	8,300	60%	4,987	1952

1	2	3	4	5	6
7.	किसान छात्रावास, डीडवाना	11,509	60%	6,903	1944
8.	किसान छात्रावास, पर्वतसर	9,911	60%	5,947	1947
9.	किसान छात्रवास, मारोठ	10,521	60%	6,313	1952
10.	किसान छात्रावास, नागौर	9,963	80%	5,948	1922
11.	दरबार छात्रावास समिति, बोलिया (दरबार छात्रान्सास)	1,914	60%	1,148	1952
12.	जीवन शिक्षा समिति, लाडनूं (जीवन छात्रवास)	1,968	60%	1,181	1945
13.	छात्रावास प्रबन्धकारिणी समिति, छोटी खाटू (छात्रावास छोटी खाटू)	1,926	60%	1,156	1945
14.	चारभुजा शिक्षा समिति, मेड़ता सिटी (चारभुजा छात्रावास)	3,554	60%	2,132	1958
15.	जवाहर छात्रावास व्यवस्थापन समिति, कुचामन सिटी (जवाहर छात्रावास)	3,125	60%	1,875	1948
16.	दरबार छात्रावास, पर्वतसर	3,181	60%	1,989	1953
17.	जसवंत छात्रावास, जसवंतगढ़	3,576	60%	2,146	1946
18.	दरबार छात्रावास, पीलवा	1,889	60%	1,133	1941
19.	आदर्श छात्रावास मैनेजिंग कमेटी, डीडवाना (आदर्श छात्रावास)	6,626	60%	1,176	1957
20.	हिम्मत छात्रावास मैनेजिंग कमेटी, डीडवाना (हिम्मत छात्रावास)	10,584	60%	6,351	1942

Page No 245

1	2	3	4	5	6
21.	अमर एज्यूकेशन सोसायटी, नागौर (अमर छात्रावास, नागौर)	5,122	60%	5,072	1958-59
22.	सोमानी छात्रावास, मोलासर	3,488	50%	1,744	1942
23.	गांधी छात्रावास, नावां	1,837	50%	918	1959-60
24.	जवाहर छात्रावास मैनेजिंग कमेटी, चन्द्रदौसी (जवाहर छात्रावास)	8,281	50%	4,140	1960-61
25.	किसान छात्रावास, जोधपुर (आदर्श छात्रावास, रोव)	31,525	50%	1,762	1956-57
26.	साईनाथ शिक्षा प्रसार समिति, वढायणी (साईनाथ विद्या मंदिर उ. प्रा. वि.)	36,583	60%	21,950	1964-65
27.	सिन्धुरमानी पाठशाला, डीडवाना।	14,718	70%	10,359	1944
28.	महावीर प्राथमिक विद्यालय, लाडनूं।	30,761	70%	21,549	1935
29.	जयचंद लाल भूतोलिया शिक्षा., लाडनूं (के. वी. प्राथमिक विद्यालय)।	52,335	70%	25,444	1933
30.	हिन्दी विद्या मंडल, लाडनूं (राष्ट्रीय विद्यालय)	17,352	60%	10,411	1947
31.	बाल भारती प्राथमिक विद्यालय, लाडनूं	15,716	50%	7,898	1957-58
32.	अंजुमन इस्लामिया मुसलमीन, मकराना (मदरसा अंजुमन)	22,430	50%	11,215	1964-65

1	2	3	4	5	6
33.	श्री ओसवाल सभा, लाडनूं (ओसवाल पुस्तकालय)	7,049	70%	4,934	1960-61
34.	डीडवाना हिन्दी पुस्तकालय, डीडवाना	1,830	60%	1,098	1946
35.	दी यंगमैन क्लब, मेड़ता सिटी (मीरां सार्वजनिक वाचनालय)	1,860	60%	1,116	1953-54
36.	कुचामन पुस्तकालय, कुचामन सिटी	1,070	60%	642	1960-61
37.	गांधी वाचनालय, नावां	1,861	60%	1,117	1964-65
38.	हिन्दी पुस्तकालय, बोनिया	1,475	50%	737	1961-62
39.	बिनकूदेवी जैन बालिका उ. प्रा. वि., लाडनूं	33,805	70%	22,963	1957-58
40.	लाड मनोहर बालनिकेतन, लाडनूं	8,350	50%	4,175	1967-68
41.	हुमलदिया मदरसा, मेड़ता सिटी	—	50%	4,000 (एडहॉक ग्रांट)	1970-71
42.	परमानंद प्रा. वि., डीडवाना	—	50%	4,000	
43.	बालमंदिर, डीडवाना	—	50%	4,000	

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 663 की सूची)

निर्वाचक नामावलियों की तैयारी का कार्यक्रम

1. प्रगणकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण — 30-4-71
2. घर घर जाकर प्रगणकों द्वारा नाम लिखे जाने का कार्य—
   (क) ग्रामीण क्षेत्रों में — 1-5-71 व 25-5-71 के बीच।
   (ख) शहरी या नगरपालिका क्षेत्रों में — 15-5-71 व 31-5-71 के बीच।
3. प्रारूपित निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन — 25-8-71
4. दावे व आपत्तियां प्रस्तुत करने का अन्तिम दिनांक — 24-9-71
5. निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन — 15-10-71

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 10 मई, 1971)

स्कम्भ सं.	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
3	1	अयक्ष	अध्यक्ष
21	अन्तिम से 4	सी	से
30	,, 9	अनों	अनाजों
54	,, 9	निमों	नियमों
72	,, 4	(वरबतसर)	(परबतसर)
82	स्कम्भ संख्या	8	82
85	9	में में	में
103	7	—	(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)
114	11	श्री रामचन्द्र आय	श्री रामचन्द्र आर्य
120	अन्तिम से 1	अन्न	अन्य
122	,, 1	किय	किया
124	,, 5	चक	चुका
124	,, 4	कि तक	कि अब तक
181	6	आकबारी	आबकारी
209	अन्तिम से 14	नाते	नाके
236	शीर्षक	वचार	विचार
253	18	अकान्ट्स	अकाउन्ट्स
333	10	एफीयेन्सी	एफीसियेन्सी
368	अन्तिम से 13	धी मथुरादास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
386	8	डिपर्टमेंट	डिपार्टमेन्ट
420	अन्तिम से 3	श्री कृष्णकुमार	श्री कृष्णकुमार गोयल
424	,, 6	श्री मथुरादार माथुर	श्री मथुरादास माथुर